वार्षिक रिपोर्ट
2010–2011

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002
http:www.ncw.nic.in

विषय–सूची

			पृष्ठ संख्या
1.	संदेश		i-ii
2.	प्राक्कथन		iii-v
3.	भूमिका		1-12
4.	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन, सेमिनार और सम्मेलन, कार्यशाला तथा जन सुनवाई कार्यक्रम		13-19
5.	शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ		21-33
6.	अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ		35-48
7.	विधिक प्रकोष्ठ		49-61
8.	अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ		63-79
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें		81-108
10.	आयोग के लेखे		109-155
11.	अनुलग्नक–1	संगठनात्मक चार्ट	157
12.	अनुलग्नक–1क	विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 05 और 06 जुलाई, 2010 को राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र में की गई सिफारिशें	158-160
13.	अनुलग्नक–2	राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2010–11 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्योरा	161
14.	अनुलग्नक–3	राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा	162
15.	अनुलग्नक–4	बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम	163-174
16.	अनुलग्नक–5	सम्मान एवं परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010	175-179
17.	अनुलग्नक–6	घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010	180-201
18.	अनुलग्नक–7	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 – पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण हेतु आदेश	202-219

19.	अनुलग्नक–7क	"जीवंत रहें – महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के संबंध में निगरानी एवं मूल्यांकन रिपोर्ट" से संबंधित चौथी रिपोर्ट की मुख्य–मुख्य बातें	220-221
20.	अनुलग्नक–8	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है	222
21.	अनुलग्नक–9	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	223-230
22.	अनुलग्नक–10	उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वारसूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है	231-233
23.	अनुलग्नक–11	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है	234-246
24.	अनुलग्नक–12	उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है	247
25.	अनुलग्नक–13	भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के कथित दुरुपयोग के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग का दृष्टिकोण	248-250
26.	अनुलग्नक–14	विदेश में परित्यक्त महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम में संशोधन	251-254
27.	अनुलग्नक–15	विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "अनिवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित समस्या" विषय पर 15 फरवरी, 2011 को संपन्न राष्ट्रीय सेमिनार में की गई सिफारिशें	255-256
28.	अनुलग्नक–16	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर 13 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में सुझाए गए कार्य बिंदु/कार्य योजनाएं	257-258
29.	अनुलग्नक–17	ऐसे मौजूदा कानूनों की सूची जिनसे संबंधित नए कानून/नीतियां निर्मित करने के लिए उनकी समीक्षा की गई तथा संशोधन के सुझाव दिए गए	259

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

कृष्णा तीरथ
Krishna Tirath

संदेश

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में निर्धारित कर्त्तव्यों का पालन करते हुए आयोग द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, को प्रस्तुत करते हुए और इसे निर्धारित समय के भीतर संसद के समक्ष रखते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने एवं उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके लिए जीवन के हर क्षेत्र में समानता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था।

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग ने इसे अधिदेशित भूमिका और क्रियाकलापों का निष्पादन किया। इसके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख क्रियाकलापों में महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और कुछ नए कानूनों का प्रारूप तैयार करना, महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच करना तथा महिलाओं के वैधानिक अधिकारों को बहाल करने तथा उनकी गरिमा के अनुरक्षण के लिए शिकायतों के विशिष्ट मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना, अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करना, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक लोक अदालतों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर परामर्श सत्र और जन सुनवाई कार्यक्रमों को आयोजित करना शामिल है। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली भी शुरू की है ताकि महिलाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए देश के प्रत्येक हिस्से से आयोग तक पहुंचा जा सके।

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग द्वारा जिन विशेष क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, उनमें एक कार्यक्रम "घर बचाओ परिवार बचाओ" है, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को महिलाओं के साथ अत्याचार से संबंधित मामलों से निपटने के

लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है ताकि वे वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में मेल–मिलाप के तरीकों को अपनाएं तथा महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किए गए कानूनों को प्रभावी रूप में लागू करें। इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न पहल/क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए विभिन्न संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ताकि महिलाओं से संबंधित शिकायतों के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण, कानूनों के संबंध में जागरूकता का प्रसार तथा क्षमता सृजन सुकर हो सके।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि महिलाओं के हितों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निभाई जा रही अधिक सक्रिय भूमिका को देखते हुए वर्ष 2009 से राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और तभी से राष्ट्रीय महिला आयोग में गठित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ अत्यधिक सक्रिय और प्रभावी रूप में कार्य कर रहा है।

मैं आशा करती हूँ कि इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन से देशभर में महिलाओं के लिए एक बेहतर, निरापद और सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में चल रही प्रक्रिया को पर्याप्त बल और तीव्रता प्राप्त होगी। देश में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया गया है और अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस दिशा में अथक प्रयास कर रहा है।

मैं आश्वस्त हूं कि आयोग अपनी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा के कुशल नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

(कृष्णा तीरथ)

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2010–11 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने इसे प्रदत्त अधिदेश को पूरा करने के लिए अनवरत प्रयास किया है और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर तथा महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में पूर्व वर्ष की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया है। ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को सिफारिशें की गई हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, आयोग ने 15,165 शिकायतों का समाधान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट के माध्यम से शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली शुरू की गई है जिससे शिकायतों को दर्ज कराने की प्रक्रिया अब काफी सरल हो गई है तथा अब देश के सुदूरतम इलाकों से भी आयोग तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

आयोग को प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं को राहत और उनके पुनर्वास की स्कीम की समीक्षा की, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनों का सुझाव दिया तथा महिलाओं को भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में और साथ ही भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों, विशेषकर धारा 375 (बलात्कार) और 376 में महिलाओं पर तेजाब से हमला और उनका चोरी–छिपे पीछा करने से संबंधित एक नई धारा 329–ख और 509(क) आईपीसी शामिल करके यौन आक्रमण विधेयक में संशोधनों का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 और घरेलू कर्मचारी कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में एवं सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010 के संबंध में एक स्कीम का प्रारूप तैयार किया और साथ ही घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 का प्रारूप भी तैयार किया।

आयोग ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मथुरा जिलों में रह रही विधवाओं की दुर्दशा की जांच करने के लिए सात सदस्यीय एक जांच समिति गठित की थी तथा इस संबंध में एक विस्तृत अनुसंधान अध्ययन किया। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अप्रैल 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए कई विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों तथा राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक लोक अदालतों का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के दुर्व्यापार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के लिए विवाहयोग्य आयु, अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह में उत्पन्न होने वाली समस्याओं आदि तथा घरेलू हिंसा, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, प्रसव–पूर्व लिंग चयन, घटते लिंग अनुपात, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में

सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव, महिलाओं के मानवाधिकार, वृंदावन में रही विधवाओं की देखभाल एवं उन्हें सहायता उपलब्ध कराने, मुस्लिम महिलाएं तथा समाज में उनका योगदान, अनैतिक व्यापार की शिकार प्रवासी महिलाएं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, बाल विवाह, एचआईवी/ एड्स के संबंध में जागरूकता सृजन, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम का कार्यान्वयन, महिलाओं के साथ अपराध आदि जैसे मामलों पर अनेक कार्यशालाएं, सम्मेलन और परामर्श सत्रों तथा जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं की आधारभूत समस्याओं के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए उनसे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित किया है। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम "घर बचाओ परिवार बचाओ" आदि जैसे विशेष क्रियाकलाप/ कार्यक्रम वर्ष 2010–11 के दौरान भी जारी रहे। "घर बचाओ परिवार बचाओ" कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मुद्दों से निपटने में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, वैवाहिक विवादों के मामलों में समझौते की नीति पर बल देना तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के प्रयोजनार्थ गैर–सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसे दिल्ली पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस तथा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम दिल्ली के 11 जिलों में चलाया जा रहा है।

महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा को कम करने के लिए कार्यनीति विकसित करने हेतु जिनमें भारत के विशेषकर ऐसे क्षेत्रों जिनमें निर्धन एवं साधनविहीन लोग निवास करते हों, में महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने के लिए कार्यनीति विकसित करना तथा नीतिगत वार्ता करना शामिल है, के संबंध में कार्यनीति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और यूनिफेम के बीच मार्च 2011 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस संबंध में एक कार्यनीति तैयार की गई।

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य संबंधितों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनमें सक्षमता सृजन के लिए समयबद्ध परियोजनाएं लाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तथा एक सुप्रसिद्ध गैर–सरकारी संगठन "लॉयर्स कलेक्टिव" के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई और सेमिनार आयोजित किए गए।

इसके अतिरिक्त, शिकायतों के प्रभावी रूप में समाधान तथा आम जनता में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक उचित परिवेश सृजित करने के लिए दो और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय महिला आयोग तथा इंडिया विज़न फाउंडेशन और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के बीच तथा दूसरा समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय महिला आयोग और पावर कनेक्ट के बीच किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों का ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की है। शिकायतों पर स्थानीय तौर पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके अखिल भारतीय स्तर पर एक हेल्पलाइन सुविधा स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

आयोग ने देश में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित विभिन्न मामलों और विषयों पर निगरानी रखने के लिए महिलाओं की एक शिक्षा समिति तथा साथ ही विवाहयोग्य आयु के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु विधेयक पर विचार–विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

"अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के मामलों में उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से विकसित/समन्वित तंत्र सृजित करने के संबंध में थी। अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता रहा है। इस संदर्भ में, अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित मामलों में विभिन्न क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु 24 सितंबर, 2009 को आयोग में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की शिकायतों पर विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से कार्यवाही करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(1) के अनुसरण में आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित जिन विभिन्न मामलों पर कार्रवाई की जाती है, उनके संबंध में आवेदकों को सूचना उपलब्ध करा दी जाती है। आयोग में अप्रैल, 2009 में सृजित आरटीआई प्रकोष्ठ प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है तथा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना की मांग करने वाले सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने जाने के लिए अरसे से लंबित पड़े विधेयक को पारित कराने की दिशा में आयोग एक दशक से भी अधिक समय से अथक प्रयत्न कर रहा है।

इस अवसर पर, मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों, आयोग के अपने सहयोगियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने परस्पर मिलकर अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य किया और वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया।

ममता शर्मा

(ममता शर्मा)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

1 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि का, जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों/ कार्यशालाओं/जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वे जेल, अस्पतालों में भी गए और गैर–सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया ताकि वहां महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा सके। आयोग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों तथा सेमिनारों/ कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों आदि का आयोजन किया एवं बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ हिंसा, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आयोग का गठन

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, एक सदस्य–सचिव और पांच गैर–सरकारी सदस्यों को शामिल करके किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, आयोग में नियुक्त इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 09.04.2008 को कार्यभार संभाला तथा 08.04.2011 तक पदासीन रहीं)

(ii) सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला तथा 14.07.2011 तक पदासीन रहीं)

(iii) सुश्री वानसुक सीएम, सदस्य – 26.09.2008 को कार्यभार संभाला तथा 28.09.2011 तक पदासीन रहीं।

(iv) सुश्री जोहरा चटर्जी, सदस्य–सचिव – 26.03.2010 को कार्यभार संभाला तथा 19.09.2011 तक पदासीन रहीं।

आयोग के कृत्य मुख्यतः इसके चार प्रकोष्ठों द्वारा किए जाते हैं अर्थात शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ तथा अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ। प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन क्रमशः अध्याय 4, 5, 6 और 7 में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं। आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

आयोग की बैठकों में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

आयोग की 23 अप्रैल, 2010 को हुई बैठक:

1. शिकायत से संबंधित मामलों को बंद करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई और उसे स्वीकार किया गया।

2. **अनुसंधान अध्ययन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों** को अनुमोदित किया गया। अनुसंधान अध्ययन हेतु 25 विशिष्ट विषयों की पहचान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि कोई भी अध्ययन कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अध्ययन कार्यक्रम कहां अर्थात किस प्रकार के विभाग, किस प्रकार के लोगों, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों आदि में से किस स्थान पर आयोजित किया जाए। यह निर्णय लिया गया कि आयोग को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा विभिन्न अपराधों आदि के संबंध में नियमित रूप से आंकड़े एकत्र करने चाहिए ताकि आयोग को उनसे लाभ मिल सके और साथ ही आयोग द्वारा इस प्रकार संगृहीत आंकड़ों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए।

3. बजट संस्वीकृत करने के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने हेतु निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया जाए:

   (क) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और उनसे संबंधित कानूनों के संबंध में आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने की स्कीम;

(ख) गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग में एक कॉल सेंटर/ हेल्प लाइन स्थापित करने की स्कीम;

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण।

आयोग की 01 जून, 2010 को हुई बैठक

1. राष्ट्रीय महिला आयोग के पुनर्गठन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में पदों के सृजन से संबंधित मामले को कार्य से संबंधित अपेक्षाओं और एसआईयू अध्ययन के आधार पर वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाने की आवश्यकता है, विद्यमान पदों/सृजित किए जाने वाले पदों हेतु भर्ती नियमों में संशोधन से संबंधित मामले को अलग से उठाया जाए।

आयोग की 18 अगस्त, 2010 को हुई बैठक

1. जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा होने के तत्काल पश्चात आयोग का कार्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया जाए। इस बीच, उस भवन में अन्य कार्यालयों को स्थान देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रश्न के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित की जाए।

2. इस बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधीनवर्ती एनआरसीडब्ल्यू को बंद करने तथा इससे संबंधित कार्य को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन को अंतरित करने के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। यह सूचित किया गया कि वर्ष 2005 में एनआरसीडब्ल्यू को एनआईपीसीसीडी से राष्ट्रीय महिला आयोग में अंतरित किए जाने के बाद एनआरसीडब्ल्यू के कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और न ही इसके क्रियाकलापों को प्रभावी रूप में चलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। यदि राष्ट्रीय महिला आयोग को इसके कार्यों को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए निधियों और वेबसाइट की आवश्यकता है। यह ज्ञात हुआ कि इससे संबंधित वेबसाइट को अवरुद्ध कर दिया गया था क्योंकि उसे एक लंबी अवधि तक सुसुप्त अवधि में रखा गया और उस वेबसाइट तक अप्राधिकृत पहुंच का खतरा महसूस किया गया था। सदस्य–सचिव ने यह सुझाव दिया कि चूंकि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने इसे अंतरित किए जाने के लिए कहा है, अतः इस कार्यालय को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तथापि, इसके लेखाओं की स्थिति तथा एनआईपीसीसीडी द्वारा निधियों के अंतरण को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी वेबसाइट में एक विशेष स्तर पर सुधार लाना चाहिए और इसके लिए बाह्य तकनीकी कार्मिकों की सहायता ली जा सकती है, जो दो माह के भीतर राज्य महिला आयोगों से प्राप्त सूचना सहित आवश्यक डेटा प्रविष्टि करेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

3. "बलात्कार पीड़िताओं को वित्तीय सहायता और सहायक सेवाएं : उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए न्याय उपलब्ध कराने की एक स्कीम" के संबंध में ईएफसी ज्ञापन पर आयोग की राय के संबंध में यह सूचित किया गया कि इस स्कीम को ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। यह ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बहु–मुखी परिणाम सामने आएंगे। यह

निर्णय लिया गया कि चूंकि इस स्कीम का प्रारूप माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किया गया है, अतः इस संपूर्ण स्कीम को चलाने का कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाए।

आयोग की 10 जनवरी, 2011 को हुई बैठक

1. वूमेन पावर कनेक्ट के साथ समझौता ज्ञापन को अनुमोदित कर दिया गया। इसे अनुमोदित करने का मुख्य उद्देश्य तर्क–वितर्क तथा सिविल समाज की भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के हितों की रक्षा से संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय महिला आयोग, डब्ल्यूपीसी स्टेट पार्टनरों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच भागीदारी की भावना सुनिश्चित करना था। इस संबंध में की गई पहल की आयोग द्वारा सराहना की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि आयोग को अच्छे गैर–सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के साथ ऐसे कुछ और करारों को करना चाहिए ताकि इस संबंध में आयोग के साथ भागीदारी की जाए तथा क्षेत्रीय स्तरों तक इसकी पहुंच बनाई जा सके।

2. आयोग द्वारा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों को तदनुरूपी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रारूप अनुमोदित कर दिया गया। यह स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विचारार्थ भेजी गई है।

आयोग की 20 जनवरी, 2011 को हुई विशेष बैठक

1. "गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम का क्रियान्वयन तथा अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह" विषय पर 16 और 17 फरवरी, 2011 को क्षेत्रीय परामर्श सत्र का चंडीगढ़ में आयोजन, पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल से परामर्श करके निर्धारित किया गया। कार्यक्रम की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए वूमेंस रिसोर्सिज एंड एडवोकेसी सेंटर, चंडीगढ़ में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे डॉ. पाम राजपूत से पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल के एडीसी से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा जाए।

2. **कार्य समूह** : यूनिफेम के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में आगे की कार्यवाही करने के लिए गठित कार्य समूह की पहली बैठक 25 जनवरी की बजाय 28 जनवरी, 2011 को 3.00 बजे अपराह्न आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

आयोग की 14 मार्च, 2011 को हुई बैठक

1. जसोला में कार्यालय भवन के निर्माण से संबंधित स्थापत्य परामर्शदात्री कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपने तथा हुडको के साथ किए गए करार को निरस्त करने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. "घर बचाओ परिवार बचाओ" परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ गठित विशेष पुलिस यूनिट तथा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में दिनांक 14.03.2011 को हस्ताक्षर किए गए थे, को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस स्कीम को

01.04.2011 से दिल्ली के सभी 11 जिलों में लागू करने, जिस पर प्रति वर्ष 23.04 लाख रुपए का व्यय होगा, पर सहमति हुई।

3. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर 11.03.2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग तथा वूमेन पावर कनेक्ट, नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा राष्ट्रीय महिला आयोग और इंडिया विज़न फाउंडेशन एवं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. आयोग ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के उपबंधों तथा सुश्री भारती गुप्ता बनाम आरआईटीईएस (राइट्स) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत राष्ट्रीय महिला आयोग में संविदा आधार पर और दैनिक मजदूरी आधार पर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों को 3 महीने का मातृत्व अवकाश देने का अनुमोदन प्रदान किया। इस बात पर विचार करते हुए कि संविदा आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी मातृत्व लाभ उपलब्ध कराए हैं, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग जोकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा अग्रणी निकाय है, द्वारा भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपनी महिला कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराना चाहिए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला कर्मचारियों (संविदा आधार पर/दैनिक मजदूरी आधार पर कार्य कर रही) को 12 सप्ताह (अर्थात 3 महीने) की अवधि हेतु मातृत्व अवकाश की अनुमति प्रदान की जाए।

5. यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं:

   क. "दिल्ली विश्वविद्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम" – 22.03.2011 को

   ख. संसद सौध में महिला सांसदों के साथ बैठक – 24.03.2011 को

   ग. उत्तराखंड में "महिलाओं से संबंधित विषयों" पर सेमिनार – 28 मार्च 2011 को

   घ. उदयपुर में "महिलाओं से संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन" विषय पर सेमिनार – 31 मार्च 2011 को

   ङ. मेघालय में "विवाहयोग्य आयु" विषय पर सेमिनार – 02 अप्रैल 2011 को

   च. मुंबई में "महिलाओं से संबंधित विषयों" पर सेमिनार – 4 अप्रैल 2011 को।

6. "राज्य महिला आयोगों के कार्यकरण" विषय पर नई दिल्ली में 07 अप्रैल 2010 को राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन।,

7. "अनैतिक व्यापार विषय पर गठित कार्य समूह" की बैठक, यूनिफेम के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य प्रतिनिधियों का दौरा

1. मोंटेनिग्रो के संसद की वरिष्ठ सदस्य सुश्री नंदा ड्रोवंजक ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बातचीत की।

2. सुश्री ड्रोवंजक ने कहा कि उनके देश में महिला सांसदों की संख्या 11 प्रतिशत है, किंतु वहां की सरकार में कवेल एक महिला सांसद ही शामिल की गई हैं।

3. डॉ. व्यास ने आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने इस बात का काफी स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि हमारे देश के संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए हैं तथा हमारे देश में इस संकल्पना को कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं, स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. सुश्री ड्रोवंजक ने कहा कि भारत के समान ही उनके देश में भी महिलाओं की मुख्य समस्याएं घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार, बाल विवाह आदि हैं। उन्होंने डॉ. व्यास को अपने देश में आमंत्रित किया और यह आशा की कि भारत और माउंट निग्रो दोनों देश अपनी साझा समस्याओं का समाधान करने के लिए भविष्य में भी एकजुट होकर कार्य करेंगे।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा सदस्य–सचिव द्वारा विदेश में हुए सम्मेलनों में भाग लेना

1. डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्ष ने लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के साथ भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य के रूप में चार दिनों की अवधि के दौरान भूटान का दौरा किया।

2. डॉ. गिरिजा व्यास, संसद सदस्य और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय समागम के अवसर पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 से 12 अक्तूबर 2010 के दौरान पेरिस का दौरा किया, जिसका उद्देश्य एक लाभकारी भागीदार सृजित करने के लिए तथा साझे हित हेतु खाका तैयार करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच एक सतत वार्ता स्थापित करना था।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन समारोह के अवसर पर 2 अक्तूबर 2010 को काठमांडू में "अहिंसा" विषय पर एक परिचर्चा में भाग लिया। बाद में उन्होंने नेपाल में महिला हितों के लिए कार्य कर रहे सभी संबंधित पक्षों के साथ एक बैठक में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों में महिला सशक्तीकरण हेतु अपनाई जा रही कार्यनीतियों और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने रोम में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आयोजित पार्लियामेंटरी लीडर्स कन्फरेंस में भाग लेने के लिए इटली का दौरा किया, जहां उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में राजनीतिक परिदृश्य तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की।

5. आयोग की तीन सदस्यों ने नेपाल में यूनिफेम, शक्तिवाहिनी, हर्थनेट और नेशनल मीडिया द्वारा "देह व्यापार हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार पर रोक लगाने और इसे नियंत्रित करने" विषय पर आयोजित सार्क सम्मेलन में भाग लिया।

6. आयोग की एक सदस्य ने नेपाल स्थित "मैटी" नामक एक आश्रय गृह का दौरा किया, जिसमें अनाथ एवं जीवित बच गई बालिकाओं का पुनर्वास किया गया है। यहां "किशोरी निकेतन" नामक एक दूसरा आश्रय गृह भी है, जिसमें अनैतिक व्यापार और बाल श्रम से मुक्त कराई गई बालिकाओं को रखा गया है।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी को 23.02.2011 से 02.03.2011 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित "महिलाओं की स्थिति" विषय पर गठित आयोग के 55वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत संसाधनों के साझा उपयोग की कार्यनीति तथा महिलाओं के विकास हेतु कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों का "संयुक्त राष्ट्र संघ महिला (यूएन वूमेन)" नामक एक संगठन के रूप में विलय करने की कार्यनीति का समर्थन करता है। अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "16 वर्ष पहले बीजिंग घोषणापत्र में उल्लिखित बातें असंभव और दूर की कौड़ी प्रतीत होती थीं, किंतु हम सबने एकसाथ मिलकर इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। हम सतत विकास, निर्धनता उन्मूलन तथा सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे।"

8. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी को बैंकाक, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ (ईएससीएपी) द्वारा 17 से 21 जनवरी 2011 के दौरान "दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया में राष्ट्रीय महिलाओं के तंत्र के संस्थागत सुदृढ़ीकरण" विषय पर आयोजित कार्यशाला एवं विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया गया। आपने इस कार्यशाला में भाग लिया तथा (1) महिला की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005; और (2) गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। इस कार्यशाला में की गई सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात ईएससीएपी सचिवालय ने भेजी गई टिप्पणियों के संबंध में प्रश्न पूछे।

अभिरक्षक संस्थाओं का दौरा

1. आयोग की एक सदस्य ने दिनांक 03.11.2010 और 04.11.2010 को राजस्थान में कोटा स्थित केंद्रीय कारागार का दौरा किया और वहां रह रही महिला कैदियों की स्थिति का आकलन किया।

   - इस कारागार के महिला खंड में 23 महिला कैदी बंद थीं। कारागार की स्थिति आमतौर पर संतोषजनक थी तथा इसका परिसर भी काफी साफ–सुथरा था। तथापि, महिला खंड में कैदियों के लिए केवल एक ही हाल आबंटित किया गया था, अतः उसमें काफी भीड़–भाड़ थी। सभी कैदी विचाराधीन थीं और विवाहित थीं तथा चार महिला कैदियों के साथ उनके बच्चे भी थे। कैदियों को मनोरंजन और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध थीं और साथ ही उन्हें योग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था।

   - आयोग की सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया कि महिला स्कंध के लिए अलग से रसोईघर की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। महिला कैदियों को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. आयोग की एक सदस्य ने दिनांक 27.10.2010 को तिरुवनंतपुरम कारागार तथा दिनांक 31.10.2010 को पुदुचेरी का दौरा किया तथा कारागार में रह रही महिला कैदियों की दशा में सुधार के लिए अपने सुझाव दिए।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव ने बैंगलुरु में केंद्रीय कारागार का दौरा किया। उन्होंने वहां पाया कि कारागार साफ–सुथरा और सुप्रबंधित था तथा वहां चिकित्सीय और परामर्शदात्री सुविधाएं उपलब्ध थीं। कारागार में रह रहीं सिद्धदोष कैदियों और विचाराधीन कैदियों ने अपने साथ रह रहे बच्चों के लिए कारागार में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। तथापि, वहां किए जा रहे आर्थिक क्रियाकलाप केवल अगरबत्ती बनाने, बेकरी और सिलाई–कढ़ाई तक ही समित थे।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव ने लखनऊ में नारी बंदी निकेतन का दौरा किया। उन्होंने वहां पाया कि यह कारागार साफ–सुथरा और सुप्रबंधित कारागार था, जिसमें 26 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी था। यहां 252 सिद्धदोष तथा 75 विचाराधीन कैदी रह रही थीं। यहां रह रही 252 कैदियों में 113 कैदी 40–60 वर्ष की आयु–समूह की थीं तथा इनकी एक बड़ी संख्या धारा 498क के अंतर्गत कारागार में बंद विचाराधीन कैदियों की थी। कैदियों के लिए एक शिशु सदन और एक नर्सरी विद्यालय भी था तथा यहां सिलाई, कढ़ाई, साफ–सफाई और खाद्यान्नों की पैकेजिंग जैसे आर्थिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग की तीन सदस्यों की एक टीम, जिसमें आयोग की सदस्य वानसुक सीएम, सरला आर्य और जया शुक्ला शामिल थीं, ने बांदा जेल में निरुद्ध उस कैदी का बयान दर्ज करने के लिए वहां का दौरा किया, जिसने यह आरोप लगाया था कि बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है और जब उसने पुलिस में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो उसे झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए। इस संबंध में टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अस्पतालों का दौरा

1. आयोग की एक सदस्य ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति की टीम के साथ चार अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। यह ज्ञात होने पर कि लिंग चयन में सोनोग्राफी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, औचक निरीक्षण पर आई टीम ने तीन सोनोग्राफी मशीनों को सील कर दिया।

2. आयोग की एक सदस्य ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति की टीम के साथ 31.01.2011 और 01.02.2011 को राजस्थान के भरतपुर में स्थित राजकीय जनता अस्पताल का दौरा किया।

महिला सांसदों द्वारा महिलाओं से संबंधित विधेयकों को शीघ्रता से पारित किए जाने पर दबाव डालना

संसद के दोनों सदनों में दबाव समूह गठित करना

पार्टी लाइन से हटकर महिला सांसदों ने संसद में पारित किए जाने के लिए लंबित पड़े महिलाओं से संबंधित अनेक विधेयकों को तेजी से पारित कराने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से संसद के दोनों सदनों में दबाव समूह गठित करने का

निर्णय लिया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा संयोजित की गई महिला सांसदों की एक बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस बैठक में 22 महिला सांसदों ने भाग लिया।

महिला सांसदों द्वारा दलगत निष्ठा से हटकर एकजुट होना

डॉ. व्यास ने कहा कि महिला सांसदों से कहा कि वे अपनी पार्टीगत निश्ठा से हटकर एकजुट हों तथा एक समूह गठित करें और महिलाओं से संबंधित लंबित पड़े अनेक विधेयकों को पारित कराने के लिए दबाव बनाएं। इन विधेयकों और प्रारूपों में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संरक्षा, बलात्कार पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास, यौन आक्रमण विधेयक, स्त्री अशिष्ट रूपण विधेयक, तेजाब से हमले के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 326–ख में एक पृथक खंड को शामिल करने, महिलाओं का चोरी–छिपे पीछा करने को अपराध घोषित करने आदि से संबंधित विधेयक और प्रारूप शामिल थे।

एक सकारात्मक पहलू

इस पहल को "अत्यधिक सकारात्मक पहलू" बताते हुए संसद सदस्य सुश्री वृंदा करात ने कहा कि विभिन्न पार्टियों की सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अत्यधिक खुले मन से विचार किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोक सभा में डॉ. व्यास की अध्यक्षता में तथा राज्य सभा में कांग्रेस की सुश्री प्रभा ठाकुर की अध्यक्षता में इन समूहों का गठन किया जाए।

आयोग का सूचनापत्र : राष्ट्र महिला

आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र **"राष्ट्र महिला"** के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया।

इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचनापत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

वात्सल्य मेला में भागीदारी :

राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए क्रियाकलापों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 14.11.2010 से 19.11.2010 के दौरान वात्सल्य मेले का आयोजन किया। वात्सल्य मेले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मामलों जैसेकि दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, बालिका भ्रूण हत्या और अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में उत्पन्न समस्याओं जैसे विषयों को अपने स्टाल में सन–बोर्डों को प्रदर्शित करके, व्यापक प्रचार किया। इस अवसर पर निःशुल्क पोस्टर तथा आयोग के प्रकाशनों जैसेकि 'मीरा दीदी से पूछो', हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 'राष्ट्र महिला' नामक सूचनापत्र, अनिवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित अपराधों और समस्याओं के संबंध में पुस्तिका और विवरणिका, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम पर रिपोर्ट, घरेलू हिंसा पर रिपोर्ट, राष्ट्रीय

महिला आयोग अधिनियम, 1990, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य सौंपने के लिए दिशानिर्देश जैसे प्रकाशन वितरित किए गए। दृश्य प्रचार के लिए आयोग ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर विभिन्न फिल्मों का प्रदर्शन किया, जो मेले के दौरान पूरे दिन एलसीडी पर प्रदर्शित होती रही।

इस मेले में घरेलू हिंसा पर "ब्रेक थ्रू" नामक एक गैर–सरकारी संगठन ने अनेक खेलों का संचालन किया तथा अनेक पुरस्कार वितरित किए और घरेलू हिंसा एवं बालिका शिशु के साथ भेदभाव विषय पर नाट्य कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए गए। शक्तिवाहिनी ने महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया तथा अनैतिक व्यापार पर आगंतुकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस की महिला और बच्चों के संबंध में गठित की गई विशेष इकाई द्वारा गठित टीम ने आत्मरक्षा विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई।

मेले में आए व्यक्तियों में महिलाओं से संबंधित मामलों, कानूनी उपबंधों और उपचारों के संबंध में जागरूकता और उनकी रुचि को देखते हुए इस प्रकार के मेले कम से कम जिला स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि इस संबंध में सामान्य महिलाओं को जागरूक बनाया जा सके तथा ऐसे मेलों के आयोजन हेतु मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण किया जाए।

आयोग द्वारा की गई नई पहलः

1. जन जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देना

महिलाओं से संबंधित कानूनों और स्कीमों के संबंध में जनता में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से आयोग ने अनुसंधान के आधार पर रेडियो और टीवी तुकबंदियों और छोटे वृत्तचित्रों की शुरुआत करने का निर्णय लिया, जिसके लिए डीएवीपी के माध्यम से एजेंसियों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस संबंध में दो नाट्य समूहों का भी चयन किया गया तथा कुछ स्क्रिप्ट अनुमोदित किए गए। आयोग के प्रकाशन 'मीरा दीदी से पूछो' का पुनर्मुद्रण करके इसकी प्रतियों का काफी अधिक संख्या में वितरण किया गया। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में निर्मित कानूनों/ उपबंधों और इस संबंध में निर्धारित दांडिक उपबंधों का एक नया संकलन भी तैयार किया गया और उसकी प्रतियों का काफी अधिक संख्या में वितरण किया गया।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय हेल्पलाइन :

महिलाओं के अधिकारों को पूर्ण रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष चुनौतियों को कम करने और इसे सौंपे गए अधिदेश को प्राप्त करने के लिए अब यह समय आ गया है कि हम पहले से अपनाए जा रहे परंपरागत उपायों के अतिरिक्त विपदाग्रस्त महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुत से अन्य उपायों का भी सहारा लें। आयोग ने विपदाग्रस्त महिलाओं को "किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी व्यक्ति द्वारा" की संकल्पना के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक निःशुल्क वॉयस संचार 24X7 कॉल सेंटर सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस कॉल सेंटर का यह लाभ है कि देशभर में कहीं से भी टेलीफोन पर आयोग से संपर्क किया जा सकता है और अब महिलाओं के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराना तथा सही समय पर सहायता, परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो गया है। कॉल सेंटर की स्थापना से राष्ट्रीय महिला आयोग तक लोगों की पहुंच में आश्चर्यजनक लाभ हो सकता है।

निःशुल्क कॉल सेंटर, विपदाग्रस्त महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु दो रास्ते उपलब्ध कराएगा अर्थात कॉल सेंटर के जरिए शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं तथा विपदाग्रस्त महिलाओं को समय से परामर्श प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

एक कॉल सेंटर के लिए बजटीय अपेक्षा, जागरूकता, प्रचार और संचार कार्यनीति, गैर–सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करने हेतु अपेक्षित प्रशासनिक लागत तथा परामर्शदात्री शुल्क पर होने वाले व्यय के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि यह राशि 119.5 करोड़ रुपए होगी। इस आशय का एक प्रस्ताव निधि निर्मुक्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया।

3. एसआईयू की रिपोर्ट के आधार पर आयोग का पुनर्गठन

वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की कुल संस्वीकृत संख्या 52 है। वर्ष 1992 में इसे आरंभ किए जाने के बाद से इसके कार्य में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई है तथा आयोग अपर्याप्त जनशक्ति के जरिए इसे सौंपे गए अधिदेश को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2008 में एसआईयू द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि आयोग को इसे संस्वीकृत 52 पदों के अतिरिक्त अन्य 42 पदों की आवश्यकता है। तथापि, सिफारिश किए गए पदों के संबंध में मंजूरी प्रदान नहीं की गई। वर्तमान में आयोग को अपने कार्य–निष्पादन के लिए 140 कर्मचारियों की आवश्यकता है। आयोग में कर्मचारियों के पुनर्गठन हेतु एक व्यापक प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है।

4. राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का नेटवर्क स्थापित करना तथा उनके बीच टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित करना

राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपे गए अधिदेश के अनुसार, आयोग के लिए भारत के सभी राज्यों की सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहना अपेक्षित है। सामान्यतः यह संपर्क नियमित रूप से किए जाने वाले पत्र व्यवहार के माध्यम से किया जाता है, जिसमें काफी समय लगता है तथा इस प्रक्रिया में अनेक मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विलंब हो जाता है। महिला सशक्तीकरण संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से कोई एक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य महिला आयोगों के हाल में संपन्न सम्मेलन में भी यह सिफारिश की गई थी कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके राज्य महिला आयोग और गैर–सरकारी संगठनों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का नेटवर्क स्थापित किया जाए। अतः यह प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्यालय को सभी राज्यों के मुख्यालयों और राज्य महिला आयोगों के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के जरिए जोड़ा जाए, जिसका उद्देश्य संबंधित पुलिस अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट प्राप्त करना, जेल, रिमांड गृहों आदि में रह रही महिला कैदियों का साक्षात्कार लेना, देश के विभिन्न भागों में दूर से ही जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करना, परामर्शदात्री सत्रों का आयोजन करना तथा महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में सूचना का प्रचार–प्रसार करना तथा महिला अधिकारों के मामले में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से संभव सहायता उपलब्ध कराना है।

इस स्कीम के लिए बजटीय अपेक्षा 12वीं योजना अवधि के दौरान 272.00 लाख रुपए होने का अनुमान है। इस आशय का एक प्रस्ताव निधि निर्मुक्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

5. रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण

डेटा प्रविष्टि प्रचालकों द्वारा अतिरिक्त प्रविष्टि की सहायता से शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ (सीएंडआई सेल) और अनुसंधान तथा अध्ययन प्रकोष्ठ के आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण किया गया। जनवरी 2011 से आवेदन की ऑनलाइन स्थिति जानने की सुविधा शुरू की गई है।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तदनुरूपी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक **केंद्रीय प्रायोजित स्कीम** शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि संरक्षण अधिकारी ही दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे। इस संबंध में घोषणा उच्चतम स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है तथा ऐसा करने से अधिक वित्तीय बोझ आए बिना महिलाओं के अनुकूल व्यवस्था विकसित होगी।

7. वृंदावन में रह रही विधवाओं को गिल्ड ऑफ सर्विस के माध्यम से यूआईडी कार्ड बनवाने की दिशा में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(1) के अनुसरण में आयोग द्वारा आवेदकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इस अधिनियम के महत्त्व तथा आयोग से सूचना की मांग करने के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अप्रैल 2009 में आयोग में एक आरटीआई प्रकोष्ठ का सृजन किया गया, जो प्रभावी रूप में कार्य कर रहा है तथा आवेदकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आयोग के उप–सचिव को अपीलीय प्राधिकारी तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों को आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 01.04.2010 से 31.03.02011 के दौरान 394 आवेदन प्राप्त हुए।

राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों को कुल 51 मामले अंतरित किए गए।

2 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन, सेमिनार और सम्मेलन, कार्यशाला तथा जन सुनवाई कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष **डॉ. गिरिजा व्यास** ने मर्यादा की रक्षा हेतु की जाने वाली हत्या (ऑनर किलिंग) के संबंध में आए अदालती आदेशों पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने कहा कि करनाल की एक अदालत द्वारा 5 व्यक्तियों को एक दंपती की ऑनर किलिंग के लिए मृत्यु दंड दिए जाने का आदेश "इस दिशा में एक प्रबल निरोधक" सिद्ध होगा।

   पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि ऐसे गैर–कानूनी कृत्यों के लिए संपूर्ण सामुदायिक पंचायत को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा "खाप पंचायतों, जाति परिषदों के कृत्य पिछले कुछ समय से हमारे लिए, सभ्य समाज और मीडिया के लिए भी चिंता के विषय रहे हैं। हमारा मानना है कि अदालत द्वारा जारी इस आदेश से एक नई दिशा प्राप्त होगी।"

   आयोग ने इस मामले पर एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया है तथा वह इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जनजागरूकता हेतु कार्यशालाएं आयोजित करेगा। इस अति विशिष्ट निर्णय ने न केवल पांच व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया बल्कि सामाजिक व्यवस्था से हटकर विवाह करने के लिए एक दंपती की स्वयंभू समुदाय पंचायत के निर्देशों पर हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और एक अन्य व्यक्ति को सात वर्षों के कारावास की सजा भी दी।

   डॉ. व्यास ने कहा कि कोई भी जाति पंचायत कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। यदि ऐसी पंचायतों के गैर–कानूनी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इस कृत्य में संलग्न व्यक्तियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

   जिस दिन करनाल अदालत का फैसला आया, उसी दिन अमृतसर जिले में कुछ व्यक्तियों द्वारा उसी परिवार के एक नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर डॉ. व्यास ने कहा "इसी कारण ऐसे कठोर निर्णयों की आवश्यकता है। ऐसे निर्णय निरोधक उपाय के रूप में कार्य करेंगे।" उन्होंने कहा "लोगों में कानून का भय होना चाहिए तथा इसके साथ ही कार्यशाला और अन्य कार्यक्रम आयोजित करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता सृजन भी किया जाना चाहिए।"

   ऑनर किलिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता के बारे में पूछने पर डॉ. व्यास ने कहा "हमारे पास अपने कानून हैं और हमारा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। न्यायपालिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्याय करती है।"

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष **डॉ. गिरिजा व्यास** ने कोडरमा की मूल निवासी निरूपमा पाठक जो दिल्ली में रहकर पत्रकारिता से जुड़ी थी, की मृत्यु पर आयोग के सम्मेलन कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय जन संचार संस्थान (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन) के संकाय सदस्य श्री आनंद प्रधान एवं कुछ छात्रों ने

आयोग की अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि वह इस घटना के बारे में सुनकर काफी आहत हुई हैं तथा वह 24 घंटों के भीतर झारखंड सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेंगी तथा साथ ही इस संबंध में माननीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगी।

भारतीय जन संचार संस्थान के विद्यार्थियों ने आयोग की अध्यक्ष से इस मामले में जांच करने के लिए एक–सदस्यीय जांच समिति गठित करने का भी अनुरोध किया। आयोग की अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया कि वह पीड़िता के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी तथा यह मामला एक फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलाया जाएगा।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5–6 जुलाई 2010 के दौरान नई दिल्ली में राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ दो–दिवसीय परामर्श सत्र का आयोजन किया। इससे संबंधित ब्योरा अनुलग्नक–1क पर दिया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा उचित महत्त्व नहीं दिए जाने को लेकर काफी हताश हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता की अवधि के दौरान आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई इक्कीस रिपोर्टों में से केवल आठ रिपोर्टें ही संसद के पटल पर रखी गई हैं।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों के संबंध में मीडिया को अवगत कराने के लिए आयोग के परिसर में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया।

क. आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित सभी पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग ने यौन आक्रमण विधेयक के कुछ उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा कि उसके पश्चात विधि कार्य विभाग ने विधि आयोग की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन विधेयक तैयार किया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में प्रस्तावित अधिकांश विचारों को शामिल किया गया।

ख. वैवाहिक संबंध के अंतर्गत बलात्कार विषय पर बोलते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग इस बात पर भी बल देता रहा है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के आपवादिक खंड का लोप कर दिया जाना चाहिए और ऐसा करके वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत बलात्कार को बलात्कार अपराध की परिधि में लाया जाना चाहिए। आयोग ने सीईडीएडब्ल्यू के प्रति वचनबद्धता का अनुसरण करते हुए यह भी सिफारिश की थी कि वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकारप्राप्त समिति ने इस मांग को उचित महत्त्व दिया और धारा 375 के आपवादिक खंड में संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ बलात् संभोग को अपराध की संज्ञा दी जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात को अधिक वरीयता देता, यदि इसमें आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया जाता। तथापि, पहले कदम के रूप में यह एक अच्छी बात है कि आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

ग. तेजाब से हमलों के संबंध में आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए आयोग ने पहले भी "अपराध (तेजाब से हमला) निवारण विधेयक, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। बाद में आयोग ने एक पुनर्वास की स्कीम के संबंध में भी सुझाव दिया और तदनुसार आयोग ने अपराध (तेजाब से

हमला) की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की एक स्कीम भी तैयार की, जो बलात्कार पीड़िताओं से संबंधित स्कीम के अनुरूप है।

घ. डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि "बलात्कार की शिकार पीड़िताओं के आंसुओं को पोंछने" के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को दिए गए निर्देश के अनुसार आयोग ने पूर्व में केंद्र सरकार को स्कीम का एक प्रारूप भेजा था। यह स्कीम अपने अंतिम चरण में है और सरकार द्वारा इसे शीघ्र ही लागू कर दिए जाने की आशा है।

ङ. "ऑनर किलिंग" के संबंध में बोलते हुए डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग की यह राय है कि इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए इसके संबंध में एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है और इस प्रकार के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/306 के तहत लाया जाना चाहिए। तदनुसार इससे संबंधित विधेयक का एक मसौदा 18 अगस्त 2010 को सरकार को भेजा गया है। यह विधेयक मर्यादा की रक्षा के नाम पर किए जाने वाले अपराधों के संबंध में है न कि मात्र हत्या से संबंधित है तथा इस विधेयक में यह कहा गया है कि युवा व्यक्तियों एवं महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार है तथा उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं आने–जाने का तथा अपनी दैहिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

च. महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार जो चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है, के संबंध में बोलते हुए डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने इस संबंध में सार्क देशों (बंगला देश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) से नवंबर 2010 में एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

छ. अंत में, उन्होंने कहा कि शिकायतों का पंजीकरण सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक निःशुल्क 24X7 कॉल सेंटर सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार से संबंधित मामलों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके।

5. 19 नवंबर 2010 को श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में मीडिया को अवगत कराने के लिए एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया।

आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने 1986 के अधिनियम की समीक्षा की है तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन का प्रारूप तैयार किया है ताकि "अशिष्ट रूपण" की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया जा सके एवं इसकी परिधि में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को लाया जा सके तथा दांडिक उपबंधों को और अधिक कठोर बनाया जा सके, जिनमें जुर्माना और कारावास की सजा और कुछ मामलों में दोनों ही सजाएं शामिल होंगी और ऐसा करके अधिनियम के कार्यक्षेत्र को और विस्तृत किया जा सके। अधिनियम की प्रयोज्यता श्रव्य दृश्य माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इंटरनेट सहित एसएमएस, एमएमएस क्लिपों के लिए भी विस्तारित की जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी, मीडिया समूह, प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक स्वतः नियामक तंत्र सृजित किया जाना चाहिए और उस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। महिलाओं के अशिष्ट रूपण पर रोक लगाने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम के दौरान बहुत अधिक अश्लीलता प्रदर्शित करने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए,

आयोग ने यह भी मांग की है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम को तत्काल पारित किया जाए।

- ❖ यह मांग दो रियलिटी शो 'बिग बॉस' और 'राखी का इंसाफ' पर जनता द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद आई है। डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि जब तक इस संबंध में कोई कानून अधिनियमित नहीं कर दिया जाता, तब तक इस प्रकार के शो पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

- ❖ बालिकाओं के लिए विवाहयोग्य आयु के संबंध में बातचीत करते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह की उपयुक्त आयु के संबंध में अपनी सिफारिश करने के लिए विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श सत्र का आयोजन किया था।

- ❖ विवाहयोग्य आयु में स्पष्टता के संबंध में बातचीत करते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि विवाह हेतु न्यूनतम पात्र आयु के संबंध में अनेक कानूनों में परस्पर विरोधी उपबंधों के होने के कारण हाल में हुए बाल विवाह के मामलों में न्यायालयों द्वारा इन कानूनों की भिन्न–भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि लड़कियों के लिए विवाहयोग्य आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाहयोग्य आयु 21 वर्ष की जाए।

- ❖ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग जिन 6 राज्यों में आमतौर पर बाल विवाह की प्रथा है, उनमें कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

- ❖ बलात्कार पीड़िताओं के संबंध में बोलते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी संबंधित पक्षों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विचार–विमर्श करने के पश्चात सरकार को पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास हेतु स्कीम का प्रारूप प्रस्तुत किया है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20,000 रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा पीड़िता को समाज और परिवार की मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए सहायता सेवाओं के रूप में 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। प्रभावित व्यक्ति द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने की एक माह की अवधि के भीतर या जिस मामले में साक्ष्य को दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और ऐसा विलंब पीड़िता के नियंत्रण से बाहर स्थित कारणों से हुआ है, वैसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (इनमें से जो भी पहले हो), 1.3 लाख रुपए की अंतिम राशि जिला बोर्ड द्वारा सीधे प्रदान की जानी है।

- ❖ विशेष मामलों में, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें पीड़िता अवयस्क बालिका, मानसिक रूप से मंद, विकलांग महिला, एचआईवी/एड्स प्रभावित महिला या बलात्कार के फलस्वरूप गर्भवती हो जाने वाली महिला आदि हो, के मामलों में राज्य बोर्ड द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाकर 3.00 लाख रुपए की जा सकती है।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने आरुषि हत्या मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए आयोग के परिसर में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा अपराधियों को पकड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त करना

अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि वह न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करती है और इस बात के लिए आश्वस्त है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले में न्याय हो, गृह मंत्री और कानून मंत्री को पत्र लिखा है।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने मरारीकुलम में चुनावों के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता द्वारा कथित रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान हमला किए जाने पर अलपुझा में एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "सरकार द्वारा कुछ भी नहीं करने पर मैं अत्यधिक खिन्न हूं।

उन्होंने कहा कि अभियुक्तों पर पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप काफी कमजोर थे और अभियुक्त पहले से ही जमानत पर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि इस प्रकार की घटना केरल जैसे अत्यधिक साक्षर राज्य में हुई है, यह घटना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक लज्जाजनक घटना है और काफी दुखदायी है।

यह बताते हुए कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस घटना के संबंध में राज्य सरकार तथा राज्य महिला आयोग से इस आशय की एक रिपोर्ट की मांग करेगा कि उनके द्वारा इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई, डॉ. व्यास ने कहा कि राज्य महिला आयोग को इस बात पर विचार किए बिना कि राज्य सरकार ने क्या किया या राज्य में कौन सी पार्टी सत्ता में है, स्वतः संज्ञान लेकर इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को भी इस मामले में एक विशेष मामला समझकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना पर रोक लगाई जा सके। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले में विस्तृत जांच– पड़ताल करने के लिए एक स्वतंत्र समिति का भी गठन करेगा।

आयोग द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकें/कार्यशाला

1. गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन पर 10 अप्रैल 2010 को उदयपुर में एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

उदयपुर, राजस्थान में गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय परामर्श सत्र को संबोधित करती हुई डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

उदयपुर, राजस्थान में गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय परामर्श सत्र के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास (बीच में)

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में 5–6 जुलाई 2010 को राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ दो–दिवसीय परामर्श सत्र का आयोजन किया।

वज्ञान भवन, नई दिल्ली में "राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ राष्ट्र स्तरीय परामर्श" के दौरान आयोजित एक पारस्परिक वार्ता सत्र (बाएं से तृतीय डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग; इनके दाईं ओर सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य तथा बाईं ओर सुश्री वानसुक सीएम, सदस्य और सुश्री जोहरा चटर्जी, सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग आसीन हैं।)

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ राष्ट्र स्तरीय परामर्श" के अवसर पर बाएं से डॉ. गिरिजा व्यास और माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (प्रभारी) सुश्री कृष्णा तीरथ

3. 20 जुलाई 2010 को लखनऊ में 'महिलाओं के प्रति अपराध' विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

4. मुंबई में अगस्त 2010 माह के दौरान 'विवाह कानूनों में संशोधन' विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

5. दिल्ली में अगस्त 2010 माह के दौरान 'मीडिया प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक परामर्श कार्यक्रम' आयोजित किया गया।

नई दिल्ली में "विवाह एवं दहेज से संबंधित कानून" विषय पर एक परामर्श सत्र को संबोधित करती हुई डॉ. गिरिजा व्यास (बाएं से तृतीय)। इनके दाईं ओर सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य तथा बाईं ओर सुश्री जोहरा चटर्जी सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग आसीन हैं।

6. दिल्ली में अगस्त 2010 माह के दौरान 'बालिकाओं की विवाहयोग्य आयु' विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

7. त्रिवेंद्रम में अक्तूबर 2010 माह के दौरान 'बालिकाओं की विवाहयोग्य आयु' विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

8. पुदुचेरी में अगस्त 2010 माह के दौरान 'बालिकाओं की विवाहयोग्य आयु' विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

9. लॉयर्स क्लेक्टिव और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 19 दिसंबर 2010 को महिलओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

10. कोलकाता में जनवरी 2011 माह के दौरान 'बालिकाओं की विवाहयोग्य आयु' विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

11. नई दिल्ली में 14 दिसंबर 2010 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु विधेयक पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने की, जिसमें राज्य सभा में पेश विवाह कानून संशोधन विधेयक, 2010 पर चर्चा की गई।

12. नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2010 को गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

13. फरवरी 2001 माह में महिलाओं से संबंधित कानूनों पर राष्ट्रीय महिला आयोग और वूमेन पावर कनेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

14. 24 मार्च 2011 को संसद सौंध, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सिफारिश किए गए विभिन्न कानूनों पर चर्चा करने के लिए महिला सांसदों की एक पारस्परिक परामर्श बैठक आयोजित की गई।

आयोग की अध्यक्ष ने अनेक राज्यों अर्थात केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ महिलाओं से संबंधित विषयों पर बैठकें की। आयोग की सदस्यों ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय आदि राज्यों का दौरा किया तथा उन्होंने भी महिलाओं से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें की। इसके साथ ही आयोग की सदस्य–सचिव ने कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बैठकें की।

3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों से निपटता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई वंचन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10(1)7(4) के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधि

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग में प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य, आदि जैसे ब्योरों को नोट किया जाता है। पंजीकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया और सी एंड आई प्रकोष्ठ के विभिन्न पराशर्मदाताओं के मध्य वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्या के साथ संबद्ध होता है, जो किसी विशेष मामले में निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है।

परामर्शदाता शिकायतों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बी टी आर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात परामर्शदाता उसमें निहित आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता/आवेदक को कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो शिकायत को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उसे बंद कर दिया जाता है। तथापि यदि शिकायतकर्ता कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है।

आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किसी घटना/ घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ उप–सचिव/ संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में और संबंधित सदस्य के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है। अंतिम निर्णय संबंधित सदस्य द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाएं अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि

समिति का गठन केवल अध्यक्ष द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विनियमों का ब्योरा "राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005, भाग–II (शिकायतों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया)" और शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया, (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ), 2010" में दिया गया है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त होने के पश्चात शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया सभी शिकायतों के संबंध में लागू होगी (जिसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिनमें आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया हो और आयोग को संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हो)।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

जिन विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करने में पुलिस द्वारा उदासीनता/निष्क्रियता बरती गई हो, उनसे संबंधित ब्योरा जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है;

पारिवारिक विवादों/ वैवाहिक विवादों को परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है;

गंभीर अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़िता को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। आयोग ऐसे मामलों को संबंधित राज्य सरकारों/ प्राधिकारियों के समक्ष उठाकर जांच समितियों की सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखता है;

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संबंधित संगठन/ विभाग को ***विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में,*** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ***(एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)*** के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो व्यथित महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच करेगी और आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोग ने विभिन्न राज्यों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया है जिसमें सरकारी के साथ–साथ निगमित/निजी क्षेत्रों में भी "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" से संबंधित मामलों में जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने पर बल दिया गया है।

महिलाओं से प्राप्त कुछ शिकायतें विभिन्न राज्य महिला आयोगों/ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा उनकी राज्य इकाइयों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती हैं। ये वे शिकायतें होती हैं जो महिलाओं को सीधे–सीधे उनको अधिकारों से वंचित करने से संबंधित नहीं होतीं।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शिकायतों को जल्द और आसानी से पंजीकृत कराए जाने की दृष्टि से स्थापित की गई है। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें पंजीकृत कराई जा सकती हैं।

अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस साइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल साइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शिकायतों पर ऑन–लाइन कार्यवाहीः

वर्ष 2010 में शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि की जांच की गई और यह विचार किया गया कि शिकायतों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से इस प्रकोष्ठ द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पंजीकृत शिकायतों के निपटारे हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, नियमों और विनियमों आदि के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आयोग के सी एंड आई प्रकोष्ठ द्वारा अपनाई जा रही क्रियाविधि में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

1. शिकायत दर्ज करने का फार्मेट (आरूप)
2. ऑन–लाइन दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट (आरूप)
3. श्रेणियों की सूची

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच और अध्ययन करने के पश्चात सी एंड आई प्रकोष्ठ के कार्यकरण के लिए उपयुक्तता और प्रयोज्यता के संदर्भ में एक व्यापक और समेकित रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके पश्चात कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त होने पर शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए **"शिकायतों को बंद करने के लिए क्रियाविधि, (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ), 2010"** तैयार की गई है और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2011 से इस प्रकोष्ठ में प्राप्त सभी शिकायतों पर ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में पत्र और अनुस्मारक तैयार करने/भेजने, कृत कार्रवाई रिपोर्ट को दर्ज करने आदि से संबंधित कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सीमित कर्मचारियों के होते हुए भी इस प्रकोष्ठ की दक्षता में वृद्धि हुई है। ,

ऐसी शिकायतें, जिन पर आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जातीः

निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती है:

क. ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुपचुप तरीके से की गई हों या छद्म नाम से की गई हों; या

ख. यदि उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामले) से संबंधित हो, जैसेकि संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामले;

ग. यदि उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

घ. यदि उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

ड. यदि मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो;

च. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग में लंबित हो;

छ. यदि मामले पर आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

ज. यदि मामला किसी अन्य आधार पर आयोग की परिधि से बाहर हो।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है:

आयोग में जिन श्रेणियों के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की जाती थीं, उनमें महिलाओं के साथ समय–समय पर किए जा रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2011 में संशोधन कर दिया गया है। इस संबंध में अपराधों को वर्तमान में निम्नलिखित श्रेणियों/उप–श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क्र.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
1.	तेजाब से हमला	
2.	व्यभिचार	
3.	हत्या का प्रयास	
4.	बलात्कार का प्रयास	अवयस्क के साथ बलात्कार का प्रयास
		सामूहिक बलात्कार का प्रयास
		वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत बलात्कार का प्रयास
5.	द्वि–विवाह	
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	ऑनर क्राइम अर्थात सम्मान के नाम पर अपराध
		ऑनर किलिंग अर्थात सम्मान के नाम पर हत्या
7.	ससुराल पक्ष द्वारा की गई शिकायतें	क. पति द्वारा की गई शिकायत
		ख. ससुर द्वारा की गई शिकायत
		ग. सास द्वारा की गई शिकायत
		घ. अन्य
8.	दंगा/सांप्रदायिक हिंसा के शिकार द्वारा की गई शिकायतें	
9.	साइबर अपराध	

क्र.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
10.	डायन प्रथा/जादू–टोना	
11.	संपत्ति अधिकारों से वंचित करना	
12.	पति द्वारा परित्याग	
13.	तलाक	
14.	घरेलू हिंसा	वैवाहिक विवाद से संबंधित
		वैवाहिक विवाद से संबंधित नहीं
15.	दहेज हत्या	
16.	दहेज की मांग/दहेज हेतु उत्पीड़न	
17.	बालिका भ्रूण हत्या/बालिका शिशु हत्या/लिंग चयन	
18.	लिंग आधारित भेदभाव	
19.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	सरकारी क्षेत्र
		निजी क्षेत्र
		असंगठित क्षेत्र
20.	विधवाओं का उत्पीड़न	
21.	महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार	
22.	स्त्री अशिष्ट रूपण	
23.	अपहरण/भगा ले जाना	
24.	लिव–इन रिलेशनशिप	
25.	भरण–पोषण से संबंधित दावा	
26.	बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामला	
27.	विविध	
28.	महिला के साथ छेड़छाड़ करना/उसे तंग करना/महिला की मर्यादा भंग करना/उसका चोरी–छिपे पीछा करना	
29.	हत्या	
30.	भरण–पोषण का भुगतान न करना	

क्र.सं.	श्रेणी	उप–श्रेणी
31.	पुलिस द्वारा उदासीनता	
32.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न/अत्याचार	
33.	विश्वास का विवाह–पूर्व भंग	
34.	संपत्ति	
35.	बलात्कार	अवयस्क के साथ बलात्कार
		सामूहिक बलात्कार
		विवाह संबंधों में बलात्कार
36.	सेवा संबंधी मामले	क. विधवाओं को पेंशन प्रतिपूर्ति का भुगतान न किया जाना
		ख. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति
37.	सेक्स स्कैंडल	सरकारी सेवक
		गैर–सरकारी सेवक
38.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
39.	पीड़िताओं को आश्रय एवं पुनर्वास	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
40.	आत्महत्या	आत्महत्या का प्रयास
		आत्महत्या के लिए उकसाना
41.	जादू–टोना प्रथा/काला जादू/ तंत्र–मंत्र	

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ में **15165** शिकायतें/ मामले दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग में दर्ज गई शिकायतों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–2** और **अनुलग्न–3** में दिया गया है, जहां शिकायतों को 31 श्रेणियों/ शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सर्वाधिक **3430** शिकायतें पुलिस की उदासीनता से संबंधित हैं, जिसके बाद घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद से संबंधित **3272** शिकायतें और संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन संपत्ति आदि) से संबंधित **1132** शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थीं। दहेज हत्या से संबंधित शिकायतों की संख्या **489**, महिलाओं के साथ छेड़छाड़/तंग करने के मामलों की संख्या **363,** अपहरण/ भगा ले जाने के मामलों की संख्या **118**, पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या **551** थी।

बलात्कार के प्रयास से संबंधित शिकायतों की संख्या **212** तथा बलात्कार से संबंधित मामलों की संख्या **593** थीं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या **110** थी जबकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या **570** थी। द्विविवाह/ व्यभिचार के मामलों की संख्या **96** थीं। तलाक के मामलों से संबंधित शिकायतों की संख्या **02** और परित्याग से संबंधित मामलों की संख्या **09** थीं। तेजाब से हमलों के **03** मामले दर्ज किए गए जबकि विविध शीर्ष के अंतर्गत **3431** शिकायतें दर्ज की गईं।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है:

क्र.सं.	श्रेणी*	शिकायतों की संख्या
1.	पुलिस की उदासीनता	3430
2.	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	3272
3.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि)	1132
4.	बलात्कार	593
5.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	570
6.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	551
7.	दहेज उत्पीड़न	499
8.	दहेज हत्या	489
9.	महिलाओं के साथ छेडछाड़ करना/ तंग करना	363
10.	बलात्कार का प्रयास	212

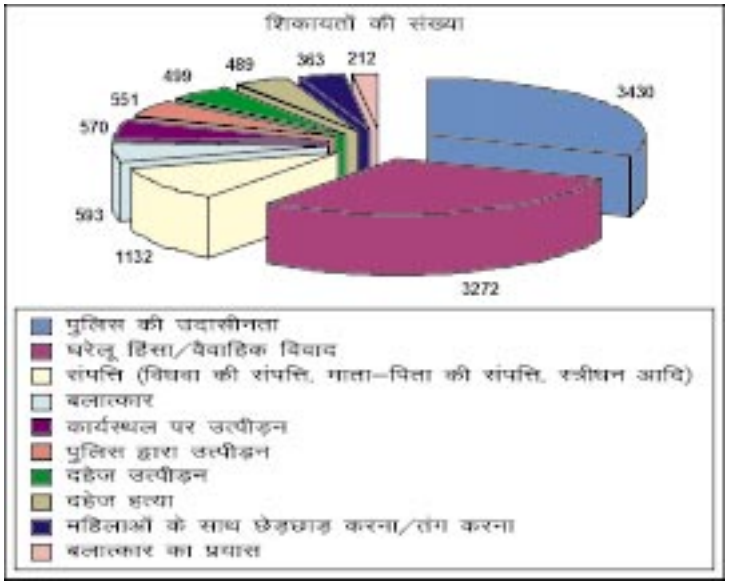

*टिप्पणी: उपर्युक्त सारणी में विविध/ अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग को प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/ मामलों को अनुलग्नक–3 में दर्शाया गया है।

आयोग को उत्तर प्रदेश से **7140** शिकायतें/मामले जबकि दिल्ली से **2333** शिकायतें, राजस्थान से **1493** शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर है, आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों के मामले में हरियाणा चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है, जहां से आयोग को क्रमशः **884** और **717** शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनके पश्चात बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब हैं, जहां से क्रमशः **457, 392, 340, 243** और **234** शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मेघालय, सिक्किम और लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है:

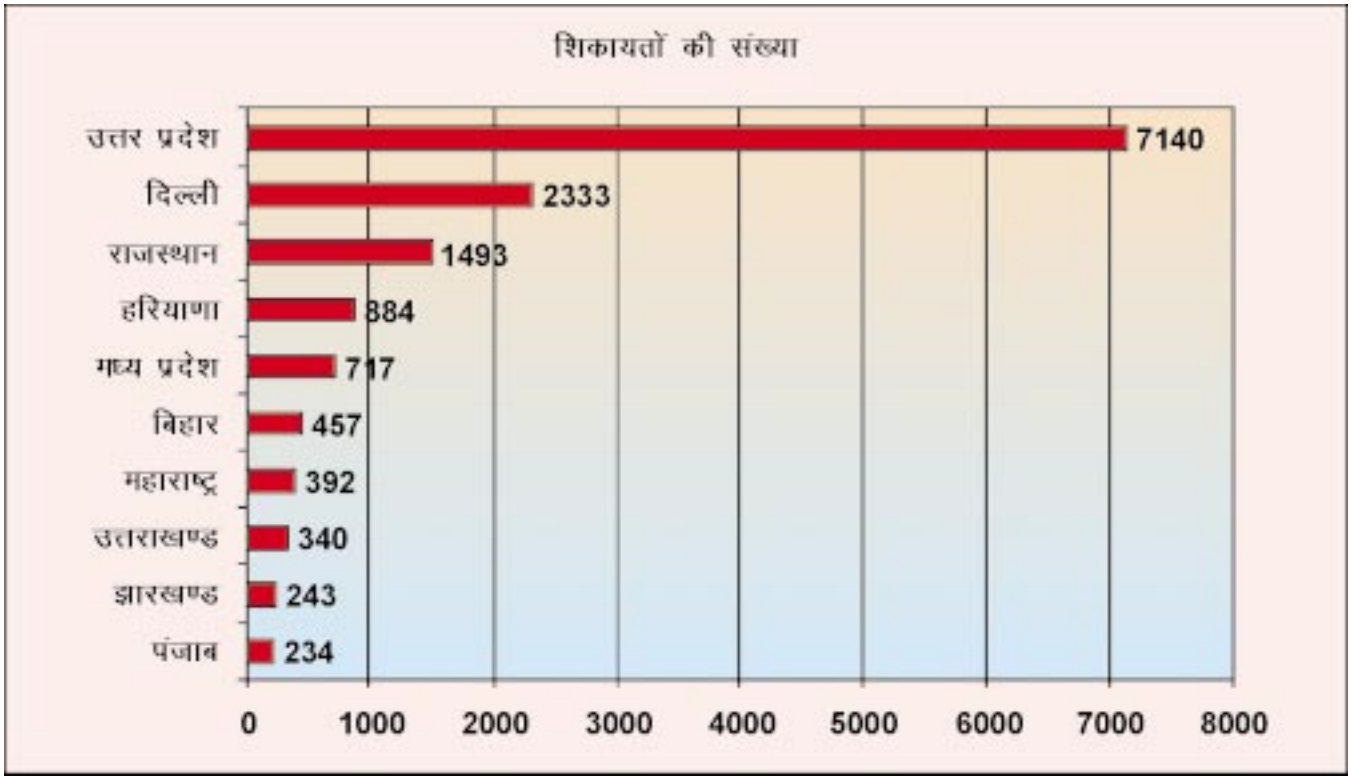

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा साथ ही समाज को भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/ प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ द्वारा निपटाए गए कुछ सफल मामले

- शिकायतकर्ता ने आयोग के कार्यालय में आकर इस आशय की शिकायत की कि एक श्रीमान एक्स ने उसका यौन शोषण/उत्पीड़न/विश्वास भंजन किया है तथा यह आरोप लगाया कि वह व्यक्ति किसी अन्य लड़की से विवाह भी कर रहा है। उक्त शिकायतकर्ता ने अपने स्वयं के परिवार और उस लड़के के परिवार से भी अपने जीवन को खतरा होने की आशंका व्यक्त की। शिकायत दर्ज करने के अगले दिन उस लड़की ने आयोग को टेलीफोन पर यह सूचना दी कि उसके माता–पिता उसे शारीरिक यातना दे रहे हैं। आयोग के हस्तक्षेप पर पुलिस ने उस लड़की को उसके माता–पिता के चंगुल से छुड़ाया और उसे एक आश्रय गृह में भेज दिया। यह भी सूचित किया गया कि पुलिस ने लड़के के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। जिस लड़की से उस लड़के का विवाह होना था, उसके पिता ने आयोग में उस लड़के के विरुद्ध शिकायत दर्ज होने के कारण उस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह न करने का निर्णय लिया।

- पीड़िता के पिता ने अपने दामाद और अपनी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध आयोग में एक मामला दर्ज कराया जिसमें उसने अपनी पुत्री के साथ घरेलू हिंसा/ गाली–गलौच/जीवन का खतरा आदि के संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग में दोनों ही पक्षों को परामर्श प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष एक उचित समाधान पर पहुंचे जिसके अंतर्गत लड़की ने अपने ससुराल में जाकर रहने का निर्णय लिया तथा लड़के के पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि वे भविष्य में लड़की के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा/दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि वे अगले 6 महीनों तक आपस में तालमेल बनाकर जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे उपयुक्त न्यायालय की शरण में जाएंगे।

- शिकायतकर्ता ने आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई की उसके माता–पिता उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उसने आयोग से अपने लिए एक आश्रय गृह की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया क्योंकि वह अपने माता–पिता का घर छोड़ चुकी थीं। उसने यह आरोप भी लगाया कि चूंकि वह एक शिक्षित लड़की है और नौकरी करना चाहती है, किंतु उसके माता–पिता उसे नौकरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वर ढूंढते समय एक समस्या का रूप ले लेगा (उनकी सामुदायिक परिस्थिति के अनुसार) क्योंकि वे अपनी शिक्षित लड़की के लिए एक शिक्षित और आत्मनिर्भर वर की तलाश करना चाहेंगे। इस मामले पर आयोग द्वारा विचार किया गया। उसी दिन सुनवाई आयोजित की गई और शिकायतकर्ता के माता–पिता को सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया तथा उसी दिन यह मामला सुलझा लिया गया। शिकायतकर्ता के माता–पिता ने शिकायतकर्ता को नौकरी करने तथा समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों के पश्चात शिकायतकर्ता ने आयोग को अपना धन्यवाद देते हुए एक ई–मेल भेजा।

- शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग में एक याचिका दायर करके अपने पति और सुसराल पक्ष के लोगों पर उसके साथ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसके सुसराल पक्ष के लोग दहेज संबंधी मांग और उसे कोई संतान न होने के कारण उसके साथ गाली–गलौच की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले पर आयोग द्वारा कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में सुनवाई आयोजित की गई। दोनों पक्ष सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी पक्ष ने लिखित में यह बयान दिया कि वह शिकायतकर्ता की इच्छा अनुसार मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अतः इस प्रकार मामला उसी दिन (पहली सुनवाई) सुलझ गया।

- शिकायतकर्ता ने आयोग में अपने माता–पिता और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध उसकी हत्या कराने, अपहरण और बलात तलाक कराने की आशंका व्यक्त करते हुए आयोग में याचिका दायर की क्योंकि उसने अपनी पसंद से जिस लड़के से शादी की है, वह 'क' समुदाय का है और शिकायतकर्ता 'ख' से संबंधित है। उसने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि अब उसके माता–पिता यह तथ्य जान चुके हैं कि वह अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी कर चुकी है, अतः उसके माता–पिता उसकी हत्या कर देने का प्रयास करेंगे या उसे दूसरा विवाह करने के लिए बाध्य करेंगे।

इस मामले पर आयोग द्वारा कार्रवाई की गई और शिकायतकर्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा गया। चूंकि यह मामला काफी संवेदनशील था और समुदायों से संबंधित एक सांप्रदायिक मामला था, अतः यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के माता–पिता को आयोग के कार्यालय में बुलाकर आयोग में एक सुनवाई आयोजित की जाए। दोनों पक्षों के माता–पिता आयोग में उपस्थित हुए और आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने तथा दोनों पक्षों के माता–पिता को परामर्श दिए जाने के पश्चात उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया तथा लिखित में यह बयान दिया कि वे शिकायतकर्ता और उसके पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखेंगी। इस प्रकार मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। बाद में शिकायतकर्ता के माता–पिता ने शिकायतकर्ता का उसके पति के साथ विवाह का एक उपयुक्त सामाजिक/वैवाहिक समारोह

आयोजित किया तथा उनका रिवाज के अनुसार विवाह कराने के प्रमाण के रूप में आयोग में उसके विवाह का निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया।

जांच रिपोर्टों हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने दक्षिणी राजस्थान (उदयपुर और डूंगरपुर जिले) से गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले में काम के लिए ले जाई गई आदिवासी लड़कियों की कथित रहस्यमय मृत्यु की घटना के संबंध में प्राथमिक जांच समिति रिपोर्ट को नोट किया। यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट में निहित सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाएं।
- सिलीगुड़ी महिला कॉलेज की छात्राओं का यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के संबंध में जांच रिपोर्ट नोट की गई। चूंकि आयोग ने इस मामले को पहले ही उपयुक्त कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की सिफारिशों को राज्य सरकार को भेज दिया है, अतः इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जानी है।
- आजमगढ़ जिले में लड़कियों के अपहरण के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट नोट की गई। आयोग ने इस मामले को पहले ही राज्य सरकार और संबंधित संगठन के समक्ष उठाया था तथा इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें रिपोर्ट की सिफारिशें भेज दी थीं।
- एयर इंडिया की कर्मचारी द्वारा लगाए गए इस आशय के आरोप कि उसका 03 अक्तूबर 2009 को एयर इंडिया (उड़ान संख्या आईसी 884) के पायलटों द्वारा यौन छेड़छाड़ और आक्रमण किया गया, के संबंध में गठित की गई जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई। इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
- कानपुर (उत्तर प्रदेश) में विद्यालय परिसर में 6ठी कक्षा की 12–वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी मृत्यु के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई। यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाए। जांच रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु मिसिल में अलग से प्रस्तुत किया जाए।
- बांदा (उत्तर प्रदेश) के विधायक के घर में 19–वर्षीय घरेलू कर्मचारी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और (4) के अंतर्गत 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान की गई जांच

राष्ट्रीय महिला आयोग मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर मामलों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। आयोग महिलाओं के अधिकारों की वंचना से संबंधित मामलों तथा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन नहीं किए जाने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। ऐसे मामलों में आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की जाती है जो संबंधित मामले में अंतर्निहित व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत करती है। ऐसे कुछ चुनिंदा मामलों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

1. राजस्थान की आदिवासी लड़कियों का गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापार:

आदिवासी लड़कियों का राजस्थान से गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापार {दक्षिण राजस्थान (उदयपुर और डूंगरपुर जिले) से काम के लिए गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले में ले जाई गई आदिवासी लड़कियों की कथित रहस्यपूर्ण मृत्यु की घटना के बारे में)}।

दक्षिण राजस्थान मजदूर यूनियन (डीआरएमयू), डूंगरपुर और प्रयास सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों और नवयुवतियों की मृत्यु की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि बच्चों और नवयुवतियों को बहुत अधिक संख्या में उत्तरी गुजरात में बीटी कपास (जी एम) फार्मों में पर–परागण (क्रॉस पॉलिनेशन) कार्य कराने के लिए, जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और जो कुल मिलाकर एक मौसमी कार्य है, प्रतिवर्ष जुलाई और सितंबर के महीनों में ले जाया जाता है।

गठित की गई जांच समिति में 6 सदस्य शामिल किए गए थे। जांच समिति ने राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों के माता–पिता सहित सभी संबंधितों से भेंट की। इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को उसकी सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई हेतु राजस्थान और गुजरात की सरकारों को अग्रेषित किया गया।

2. टूर आपरेटरों द्वारा यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, सिलीगुड़ी महिला कॉलेज :

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिलीगुड़ी महिला कॉलेज के तृतीय वर्ष (भूगोल ऑनर्स) की 13 छात्राओं के साथ घटी कथित घटना जिसमें उन छात्राओं ने यह आरोप लगाया था कि आगरा के एक टूर के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें अचानक अकेले छोड़ दिया और उन्हें आगरा में गेस्ट हाउस/होटल के कमरे में, टुंडला रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए सड़क मार्ग पर और बाद में रेलगाड़ी में काफी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

सिलीगुड़ी महिला कॉलेज की कुछ छात्राओं द्वारा प्रिंसिपल के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत के आधार एक जांच समिति गठित की गई। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बिना कोई उचित सुरक्षा व्यवस्था किए आगरा के दौरे के दौरान उन्हें बीच में ही अकेले छोड़ दिया और उन्हें टूर आप्रेटरों, रसोइयों आदि द्वारा यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

जांच समिति में केवल दो सदस्य थे अर्थात एक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य (समिति की अध्यक्ष) और दूसरा सदस्य उनका निजी सचिव, जिसे समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। समिति ने कॉलेज की सभी छात्राओं और प्रिंसिपल से मुलाकात की और उनके बयानों को दर्ज किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

सिफारिशें :

- कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती रुमा भौमिक को तत्काल कॉलेज से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने दार्जीलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 14.02.2010 को प्रस्तुत किए गए अपने उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था।
- पर्यटन विभाग को टूर आपरेटरों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देकर टूर आपरेटरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए क्योंकि छात्राओं द्वारा झेले गए उत्पीड़न के लिए वे भी उत्तरदायी थे।
- भूगोल ऑनर्स की तृतीय वर्ष की छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएं क्योंकि ये छात्राएं जीवन और शील के खतरे से जूझ रही हैं और साथ ही उन्होंने एक बड़े मनोवैज्ञानिक आघात को भी झेला है।
- छात्राओं को उनके द्वारा इस दौरे के लिए भुगतान की गई संपूर्ण राशि उन्हें लौटा दी जाए।

- राज्य सरकार से कॉलेज में सभी संकाय स्थापित करने का निर्देश दिया जाए। अभी 13,000 छात्राओं के इस कॉलेज में केवल दस लेक्चरर नियुक्त हैं। इस कॉलेज पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा यहां कोई कंप्यूटर प्रयोगशाला, इंटरनेट प्रयोगशाला और यहां तक कि भूगोल की प्रयोगशाला भी स्थापित नहीं की गई है। कॉलेज में सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि छात्राओं के दौरा कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक कॉलेज को धनराशि मंजूर करने के संबंध में उसके द्वारा एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

3. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लड़कियों का अपहरणः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11.09.2009 को नई दुनिया में छपी रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें यह कहा गया था कि आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से लड़कियों को मध्य–पूर्व के देशों में भेजने के लिए उनका अपहरण किया जा रहा है/ उन्हें भगा कर ले जाया जा रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक जांच समिति गठित की। इस समिति में चार सदस्य शामिल थे। समिति ने 15 सितंबर, 2009 को आजमगढ़ का दौरा किया। समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

4. "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के कथित आरोप के संबंध में एयर इंडिया की एयर होस्टेस सुश्री 'क' का मामलाः

एयर इंडिया की कर्मचारी सुश्री 'क' का एयर इंडिया के पायलट (पायलटों) (उड़ान सं. आईसी–884) द्वारा यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ करने/ यौन आक्रमण करने के कथित आरोप के संबंध में जांच करने के लिए आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई।

इस समिति में 6 सदस्य शामिल थे। जांच समिति ने 12.10.2009 को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एयर इंडिया के कार्यालय और जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी, उस स्थान का भी दौरा किया तथा कथित घटना के संबंध में पता लगाने के लिए एयर इंडिया के अधिकारियों तथा अभियुक्त और पीड़िता तथा उन सभी व्यक्तियों जो इसमें अंतर्निहित थे, से बयान लिया। आयोग को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न का आरोप तथ्यपरक नहीं पाया गया। समिति की रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है।

5. विद्यालय परिसर में छठी कक्षा की 12–वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने का मामला, कानपुर, उत्तर प्रदेशः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय ज्ञान स्थलीय स्कूल, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश की 12–वर्षीय छात्रा के साथ घटित घटना, जिसमें कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई, के संबंध में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति गठित की।

इस जांच समिति में तीन सदस्य शामिल थेः सुश्री वानसुक सैयम (समिति की अध्यक्ष), श्रीमती आरती दीक्षित और श्री नरेश त्रिपाठी जिनकी सहायतार्थ श्री विभास त्रिपाठी, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग को शामिल किया गया था।

जांच समिति ने घटनास्थल का 02 नवंबर 2010 को दौरा किया और मृतका की मां से मुलाकात की तथा आयोग को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट को रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया।

6. बांदा, उत्तर प्रदेश के विधायक के आवास में महिला कर्मचारी के साथ सामूहिक बलात्कार का मामलाः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में, जिसमें कि बांदा (उत्तर प्रदेश) के विधायक श्री पुरुषोत्तम द्विवेदी के आवास में 19 वर्षीया महिला कर्मचारी के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति गठित की। इस मामले में बलात्कार की शिकार लड़की पर अपराधियों द्वारा चोरी का गलत और मनगढंत आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया गया था। समिति ने 07.01.2011 को बांदा का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की तथा आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करवाने की संस्तुति की। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात चोरी के आरोप पर न्यायिक हिरासत में रखी गई पीड़िता को छोड़ दिया गया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक और उप–महानिरीक्षक (अपराध शाखा) से भी इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सभी अभियुक्तों को धारा 376/354/323/504/506 के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

4 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग को "अनिवासी भारतीय प्रतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) की सिफारिशों, जिस पर 07 जुलाई 2008 को हुई अंतर्मंत्रालयीय समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया, के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल 2009 के पत्र द्वारा अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इस दिशा में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में 24 सितंबर, 2009 को अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया गया। अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ भारत और विदेशों से प्राप्त ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करता है जिनमें भारतीय महिलाओं द्वारा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से विवाह किया गया है और जिनमें महिलाओं के अधिकारों की वंचना अंतर्निहित हो अथवा महिलाओं के साथ घोर अन्याय से संबंधित कोई मामला शामिल हो। बहुत सारी भारतीय महिलाओं का उनके पतियों जो अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। भोली–भाली पत्नियों को भारत में एक गलत आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि उसे उसके पति द्वारा बाद में ले जाया जाएगा या पति के देश में उसे पहुंचा दिया जाएगा तथा ऐसी महिलाएं विभिन्न प्रकार की निर्दयता का शिकार होती हैं। कुछ अन्य अनेक मामलों में, पति पहले से ही विवाहित होता है। विदेशों में रह रही ऐसी पत्नियां किसी स्थानीय सहायता के अभाव में स्वयं को असहाय पाती हैं। अतः यह मामला अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया है।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के कार्य

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं:

(क) यह प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए एक समन्वयक एजेंसी है।

(ख) यह संबंधित पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, उन्हें समझाने–बुझाने तथा शिकायतकर्ता को संबंधित विषयों पर सलाह देने सहित शिकायतकर्ता को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) व्यापक क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत और विदेशों में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों और राज्य महिला आयोगों के साथ कार्य करना, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना ताकि शिकायतकर्ताओं को आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(घ) यह राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों और मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों/ संगठनों के बीच समन्वित राय विकसित करने का प्रयास करता है।

(ङ) यह व्यथित महिला को कानूनी मुकदमों में सहायता तथा शिकायतकर्ता से संबंधित अन्य मुद्दों/मामलों में सहायता उपलब्ध कराता है।

(च) यह पंजीकृत मामलों का डेटा बैंक रिकार्ड रखता है।

(छ) यह राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से दर्ज कराई गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त करता है।

(ज) अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित किसी नीति या मामले के संबंध में सरकार को सलाह और अपनी अनुशंसा प्रदान करता है।

(झ) जब कभी आवश्यक हो, इस मामले से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करता है और इस विषय पर सरकार को सलाह देता है।

(ञ) यह भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं/ गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके परामर्शदात्री समिति का पैनल गठित करता है जो इस प्रकोष्ठ के कार्यकरण, दर्ज कराए गए मामलों और नीतिगत मुद्दों की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा।

(ट) आम जनता के बीच इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाना। इस प्रयोजनार्थ प्रकोष्ठ द्वारा सभी उपलब्ध मीडिया सेवाएं उपयोग में लाई जाएंगी।

(ठ) दोहरी नागरिकता से संबंधित शिकायतों, नए विधानों को अधिनियमित करने या अंतरराष्ट्रीय समझौतों, अन्य देशों के विवाह कानूनों आदि से संबंधित शिकायतों के मामलों जैसे संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहन/ समर्थन प्रदान करना।

(ड) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को विनियमित करना।

(ढ) आयोग/केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य को करना।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्रवाई करने की विधि

1. ऐसी शिकायतें जिन पर सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जातीः

निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों में आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जातीः

(1) ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुप–चुप तरीके से की गई हों या छद्म नाम से की गई हों;

(2) यदि उठाया गया मामला वैवाहिक विवाद, जिनमें दंपती अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्यक्ति हो, से संबंधित न हो;

(3) यदि उठाया गया मामला अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की क्रियाविधि के खंड 3 के उप–खंड (v) के अनुसार भारतीय महिलाओं द्वारा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से विवाह से संबंधित न हो;

(4) यदि उठाया गया मामला पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामला) से संबंधित हो, जैसेकि संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामला;

(5) यदि उठाया गया मामला संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हो;

(6) यदि उठाया गया विषय सेवा मामलों से संबंधित हो;

(7) यदि उठाया गया मामला श्रम/औद्योगिक विवाद से संबंधित हो;

(8) यदि उठाया गया मामला नागरिक सेवाओं और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से संबंधित हो;

(9) यदि उठाया गया मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायधीन हो। तथापि आयोग ऐसे मामलों में समन्वयक के रूप में कार्य करके शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने में सहायता कर सकता है;

(10) राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी मामले में जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य महिला आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी आयोग में लंबित हो;

(11) ऐसा मामला जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

(12) यदि मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की परिधि से बाहर हो;

(13) ऐसा मामला, जिसमें यात्रा टिकटों, विदेश में आश्रय गृहों के लिए केवल वित्तीय सहायता की मांग की गई हो;

(14) यदि मामला वीज़ा अनुरोधों से संबंधित हो क्योंकि वीज़ा जारी करना विदेश की सरकार का निर्णय है।

2. शिकायतों को प्राप्त करना और उनका पंजीकरणः

(i) आयोग, इसकी अध्यक्ष, सदस्यों या आयोग के किसी अन्य अधिकारी को नाम से या पदनाम से लिखित में संबोधित सभी प्रकार के पत्र/शिकायतें (चाहे वे किसी भी प्रकार से प्राप्त हुई हों), अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त की जाएंगी जहां पर प्राप्त हुई शिकायतों को ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली में दर्ज कर दिया जाएगा जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता और संगत ब्योरे, पीड़िता का नाम, पता और संगत ब्योरे, प्रत्यर्थी का नाम, पता और संगत ब्योरे, प्राप्ति की तारीख, मिसिल संख्या आदि जैसे विवरण दर्ज किए जाएंगे।

(ii) शिकायत डाक से प्राप्त होने की स्थिति में शिकायतकर्ता को शिकायत के पंजीकरण की तारीख से तीन दिनों के भीतर तत्संबंधी पावति भी दी जाएगी। अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं को उनके ई–मेल पते के जरिए तत्काल पावति दे दी जाती है।

3. शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया :

(i) शिकायतकर्ता शिकायत से संबंधित सभी मामलों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करेगा। आयोग संबंधित मामले में आवश्यक समझे जाने वाली अन्य कोई भी सूचना/शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(ii) शिकायत प्राप्त होने पर ऑनलाइन लॉग–इन में प्रदान की गई मिसिल संख्या के अनुसार एक मिसिल तैयार की जाएगी और एक नोट शीट पर शिकायत का संक्षिप्त सार लिखकर उसे मिसिल पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी मामले में कोई ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो संबंधित शिकायतकर्ता को ई–मेल या फोन कॉल के जरिए उससे अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इसके पश्चात मिसिल को परामर्शदाता को उसकी राय के लिए भेजा जाएगा।

(iii) किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी से विवरण या सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। तदनुसार शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाएगा।

(iv) आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों या आयोग के किसी अन्य अधिकारी को नाम से या पदनाम से सीधे प्राप्त हुई कोई भी शिकायत अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त की जाएगी जहां उस पर निर्धारित उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अंतर्गत कोई ऐसा मामला दर्ज कर लिया जाता हो जो विदेशी व्यक्तियों से विवाह से संबंधित न हो, तो ऐसी शिकायत को उपयुक्त कार्रवाई हेतु आयोग के संबंधित अनुभाग को अंतरित कर दिया जाएगा।

(vi) यदि शिकायत की जांच करने के पश्चात की गई शिकायत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसार नहीं पाई जाती हो तो उस शिकायत के संबंध में ऐसी प्रविष्टि दर्ज की जाएगी और उसे संबंधित मिसिल को बंद करने के लिए उप सचिव/संयुक्त सचिव को भेजा जाएगा।

(vii) मिसिलों को राय, टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए विधिक अधिकारी को भेजा जा सकता है।

4. शिकायतों पर प्रारंभिक विचार, नोटिस आदि जारी करना

(i) यदि शिकायतों की जांच के पश्चात उसका संज्ञान लिया जाता हो तो विरोधी पक्ष/पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे 15 दिनों के भीतर सूचना या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा नोटिस अनुलग्नक–2 के रूप में जारी किया जाएगा और उसके साथ शिकायत की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी। इस प्रकार भेजे गए नोटिस पर विधि अधिकारी/अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ii) यदि विरोधी पक्ष से रिपोर्ट/सूचना दिए गए समय के भीतर प्राप्त नहीं होती हो, तो उसे शिकायत की एक प्रति संलग्न करके फिर से नोटिस भेजा जाएगा तथा 10 दिनों के भीतर सूचना या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। दोबारा भेजे गए इस नोटिस पर उप सचिव/विधि अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि इस बार भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की क्रियाविधि के खंड 6 के अनुसार समन जारी किया जाएगा।

(iii) यदि विरोधी पक्ष/पक्षों द्वारा इस प्रकार के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता हो, तो उक्त नोटिस संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा।

5. प्रत्युत्तरः

शिकायत के संबंध में उत्तर प्राप्त होने पर उसे शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा, जो उस उत्तर के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

6. समनः

(i) आयोग के समक्ष कोई शिकायत दर्ज किए जाने पर विरोधी पक्ष/पक्षों को समन जारी करके उन्हें समन में उल्लिखित दिन को आयोग में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता के दावे पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(ii) ऐसा समन विरोधी पक्ष/पक्षों को दूसरी बार भेजे गए नोटिस का उत्तर देने में विफल रहने पर किया जाएगा। विरोधी पक्ष/पक्षों जिन्हें समन जारी किए गए हैं, वह/वे व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर या विधिवत प्राधिकृत किसी वकील के माध्यम से, यदि इस संबंध में आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो और यदि वह शिकायत से संबंधित सभी तथ्यगत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराएगा।

(iii) प्रत्येक समन के साथ शिकायत की एक प्रति या शिकायत से संबंधित संक्षिप्त विवरण संलग्न होगा। ऐसे समन पर विधि अधिकारी/अवसर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iv) यदि भेजे गए समन पर संबंधित पक्ष द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है, तो इस प्रकार का समन क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारी के माध्यम से उसे हस्तगत किया जाएगा। इस प्रकार भेजे गए समन का उत्तर नहीं दिए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

7. उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहारः

पुलिस

(i) यदि कोई मामला जांच के लिए लंबित पड़ा हो या संबंधित मामले में पंजीकृत शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई हो तो इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पुलिस थाने को पत्र लिखा जाएगा। इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से आयोग को चार सप्ताह के भीतर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए कहा जाएगा। ऐसे पत्रों पर विधि अधिकारी/ उप सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्राधिकारियों को सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आयोग में आने के लिए कहा जा सकता है, जिसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को आयोग से नोटिस जारी किया जाएगा।

विदेश में भारतीय दूतावास

(i) यदि यह निश्चित होता हो कि शिकायत को विदेश में स्थित भारतीय दूतावास को भेजा जाना है तो शिकायतकर्ता को इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराकर उसकी शिकायत संबंधित भारतीय दूतावास को भेजी जाएगी। कोई शिकायत विदेश में स्थित भारतीय दूतावास को भेजी जाती है, यदि–

क) शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों ही अनिवासी भारतीय हों और संबंधित देश में निवास कर रहे हों;

ख) शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों भारतीय नागरिक हों तथा तत्समय संबंधित देश में निवास कर रहे हों और प्रथम दृष्टया ऐसा सिद्ध होतो हो कि व्यथित पत्नी भारत नहीं आ सकती;

ग) पति अपनी पत्नी को परित्यक्त करके विदेश में रह रहा हो और उसके पते, ठिकाने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध न हो और उसके भारत में निवास कर रहे संबंधियों ने लिखित में यह दिया हो कि उन्हें अभियुक्त के पते, ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे उसके संपर्क में बिलकुल नहीं है;

घ) ऐसा कोई भी अन्य कारण जो उपयुक्त प्रतीत होता हो;

तथापि, ऐसी शिकायतों के मामले में संबंधित दूतावास से जब तक उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

(ii) विदेश में भारतीय दूतावासों द्वारा आयोग के उपयुक्त प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन से संबंधित देश के कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई हेतु पत्र भेजे जाएंगे।

मंत्रालयः

(i) जब कभी और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित समन, जारी किए गए वारंट या कोई अन्य आदेश तथा किसी अन्य संबंधित मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष को पत्र हस्तगत कराने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधिवत पत्र लिखा जाए।

(ii) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम के अनुसार पीड़िता को कानूनी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा जाए।

(iii) पासपोर्ट से संबंधित किसी मामले में पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा जाए।

8. शिकायत की सुनवाईः

(i) खंड 5 के अंतर्गत प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर शिकायत से संबंधित सभी पक्षों को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्य–सचिव द्वारा यथानिर्णीत सदस्य/सदस्य–सचिव/संयुक्त सचिव/उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्राथमिक सुनवाई के लिए बुलाया जाए।[1] सुनवाई के दौरान समन्वयक, परामर्शदाता और एक विशेषज्ञ सदस्य उपस्थित होंगे। सुनवाई की प्रक्रिया और उसके परिणाम को परामर्शदाता द्वारा विधिवत दर्ज किया जाएगा।

(ii) यदि किसी मामले में दूसरी बार सुनवाई करने या इससे भी अधिक बार सुनवाई करने की आवश्यकता होती हो तो संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जा सकता है।[2]

(iii) प्राथमिक सुनवाई के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी विरोधी पक्ष/पक्षों से इस बात को निश्चित करेगा कि क्या वह शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता/करती है अथवा नहीं।

(iv) ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा मामले के तथ्यों के समर्थन में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा या उससे यह कहा जाएगा कि वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्यों/ दस्तावेजों, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो, की सूची प्रस्तुत करे।

(v) तत्पश्चात शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहों से पूछताछ की जाएगी तथा विरोधी पक्ष को उस साक्षी से प्रति–प्रश्न पूछने का अधिकार होगा।

(vi) तत्पश्चात विरोधी पक्ष जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, उसे अपने बचाव में साक्षी प्रस्तुत करने के लिए और दस्तावेजों/साक्षियों की सूची, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(vii) जिस मामले में आगे की कोई कार्रवाई अपेक्षित न हो, ऐसी शिकायतेंः

क) शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए बंद कर दी जाएंगी;

ख) शिकायत संबंधी सरकार/अन्य प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ भेजी जाएं;

ग) संबंधित पुलिस/राज्य सरकार को भेजी जाएं।

---

[1] अनुमोदन के अध्यधीन

[2] तथैव

9. शिकायत की जांचः

शिकायत की जांच करते समय, आयोग

(i) ऐसी अवधि के भीतर जो उपयुक्त समझी जाए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है। किंतु यदि आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हो तो एक अनुस्मारक भेजा जाएगा, जिसके पश्चात यदि पुनः उत्तर प्राप्त न होता हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ii) यदि सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग को इस बात का समाधान हो जाता हो कि संबंधित मामले में आगे की कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है या की जा चुकी है तो आयोग ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेगा और शिकायतकर्ता को उसके मामले में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगा।

10. जांच से संबंधित शक्तियांः

(i) आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालयों में निहित समान शक्तियों का भोग करेगा, जो विशेषकर निम्नलिखित मामलों से संबंधित हों, अर्थात–

क) साक्षियों को आयोग में उपस्थित होने के लिए समन भेजने तथा उसे आयोग में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने तथा उसकी जांच करने;

ख) किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसे प्रस्तुत करने;

ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सरकारी रिकार्ड या उसकी प्रति की मांग करने;

ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों की जांच करने के लिए कमीशन जारी करने;

च) यथानिर्धारित कोई भी अन्य मामला।

(ii) आयोग किसी भी व्यक्ति से, तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति द्वारा दावा किए गए किसी भी विशेषाधिकार के होते हुए भी, ऐसी कोई भी सूचना या सामग्री जो आयोग की राय में जांच की विषय–वस्तु के संदर्भ में उपयोगी या संगत हो सकती हो, प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार अपेक्षित कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के आशय के अंतर्गत ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाएगा।

(iii) यदि आयोग की राय में या उसकी जानकारी में भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 में यथावर्णित कोई अपराध किया गया हो तो आयोग अपराध से संबंधित तथ्यों को दर्ज करके संबंधित मामले को उसके विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

11. जांच के पश्चात उठाए जाने वाले कदमः

आयोग इन विनियमों के अंतर्गत की गई कोई भी जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, अर्थातः

(i) यदि जांच के बाद यह ज्ञात होता हो कि किसी सरकारी सेवक द्वारा किसी अधिकार के उल्लंघन के निवारण में किसी अधिकार का उल्लंघन या अवहेलना हुई है तो आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को अभियोजन चलाने के लिए कार्यवाही आरंभ करने या संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग की नजर में उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी अन्य कार्रवाई करने के लिए पत्र लिख सकता है।

(ii) संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए कह सकता है।

(iii) आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को इस प्रकार की तत्काल राहत उपलब्ध कराने की सिफारिश कर सकता है, जो आयोग के विचार में आवश्यक हो।

(iv) उप–खड (v) के उपबंधों के अध्यधीन याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना।

(v) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति तथा अपनी सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा तथा संबंधित सरकार या प्राधिकारी एक माह के भीतर या आयोग द्वारा अनुमत अतिरिक्त समय–सीमा के भीतर रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां तथा कृत कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट की प्रति आयोग को उपलब्ध कराएगा।

(vi) आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तथा संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आयोग की सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट या प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा।

12. कार्यवाही की रिकार्डिंगः

मिसिल पर लगी नोट शीट से संबंधित मामले में की गई कार्रवाई प्रतिबिंबित होती है, अतः अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत के प्राप्त होने की तारीख के बाद से ही शिकायत के अंतिम निपटान तक अपनाई जाने वाली कार्यवाही, कार्यवाही का सार नोट शीट पर लिखा जाए, जिसके दृष्टिगत अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है किः

(i) संबंधित मामले में सभी आदेशों, नोटिसों, समन, दैनिक कार्यवाही आदि को नोट शीट पर स्पष्टतः रिकार्ड किया जाए।

13. पत्र व्यवहार का तरीकाः

यदि अन्यथा न निर्देशित किया गया हो तो आयोग द्वारा भेजे गए सभी समन/नोटिस पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से भेजे जाएंगे।

14. स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने से संबंधित क्रियाविधिः

इस शीर्ष के अंतर्गत अपनाई गई क्रियाविधि कुछ अपेक्षित संशोधनों के साथ आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की जाने वाली कार्रवाइयों हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के समान है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतें

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद से इस प्रकोष्ठ में 31 मार्च 2011 तक 594 मामले पंजीकृत किए गए हैं। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान एनआरआई प्रकोष्ठ में पाप्त हुई शिकायतों की राज्य–वार संख्या नीचे दर्शाई गई है:

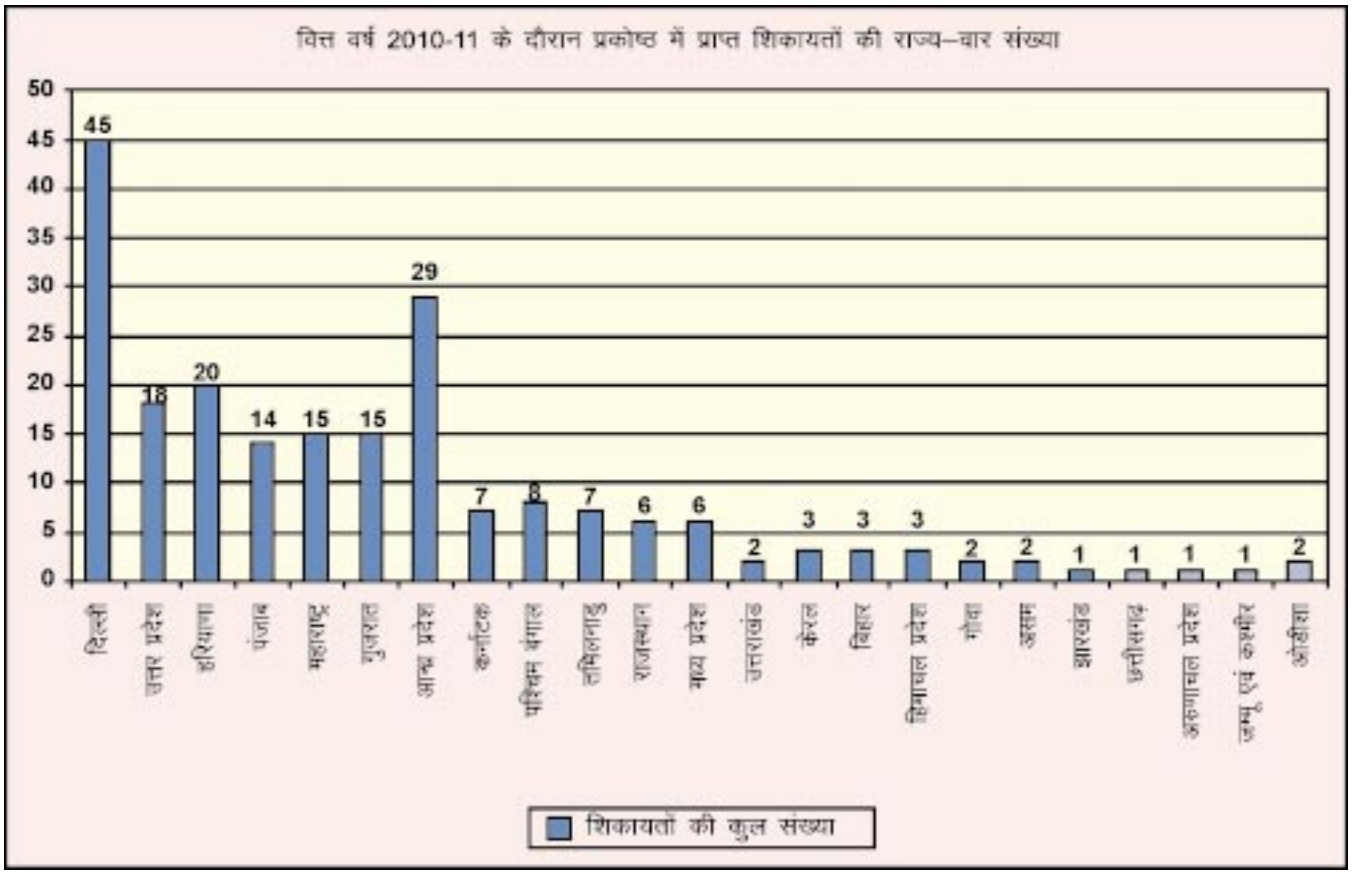

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों से एनआरआई प्रकोष्ठ में कुल 261 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 मामले दो या इनसे अधिक बार पंजीकृत हुए। 42 मामलों में शिकायतकर्ता का पूरा पता उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण शिकायतकर्ता से अतिरिक्त ब्योरे देने की मांग की गई। शिकायतों के कुल 261 मामलों में से 25 मामलों को बंद कर दिया गया है। जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों/मामलों की राज्य–वार सूची से यह ज्ञात होता है कि दिल्ली से सर्वाधिक 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके पश्चात आंध्र प्रदेश से 29, हरियाण से 20, उत्तर प्रदेश से 18, महाराष्ट्र और गुजरात में से प्रत्येक से 15 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसी वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व के विभिन्न देशों से कुल 327 शिकायतें (04 शिकायतें दोबारा या इससे अधिक बार पंजीकृत हुईं) प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ में प्राप्त देश–वार शिकायतों की संख्या के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि केवल भारत से ही सर्वाधिक 261 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका से 13, आस्ट्रेलिया से 09, संयुक्त अरब अमीरात

से 08, यूके से 07, थाईलैंड से 06 शिकायतें प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ में प्राप्त देश–वार शिकायतों से संबंधित विवरण नीचे दर्शाया गया है:

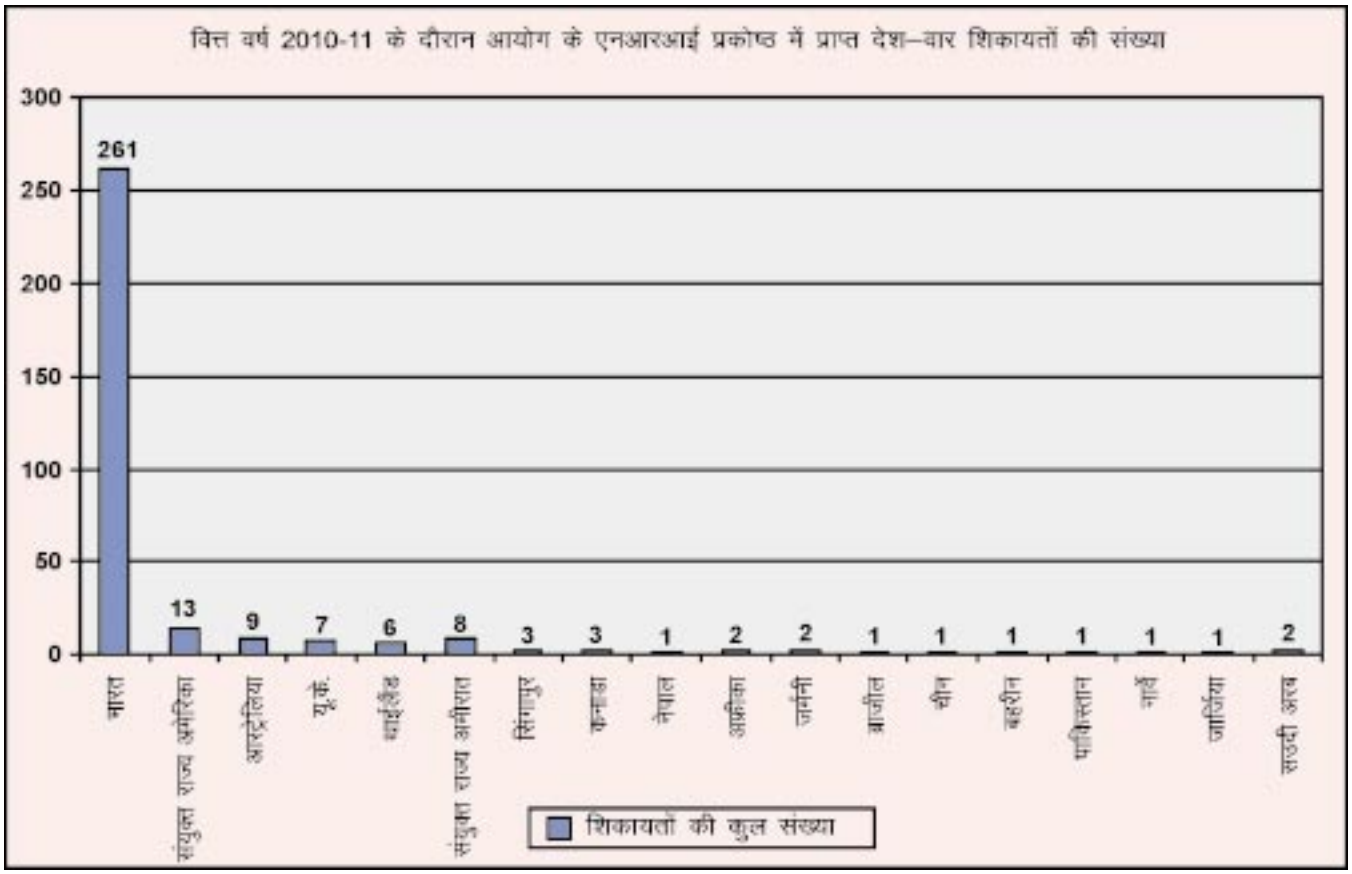

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा किए गए उपाय/पहल

(1) अनिवासी भारतीयों/प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं की शिकायतों का पंजीकरण और उस पर कार्रवाई करना। एनआरआई प्रकोष्ठ में शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती हैं ताकि भारत या विदेश में रह रही महिलाएं अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकें।

(2) शिकायतों पर संबंधित दूतावासों, कांसुलेटों/ मंत्रालयों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए कार्यवाही की जाती है।

(3) विधि और न्याय मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए गिरफ्तारी के वारंटों या आदेशों के निष्पादन हेतु संपर्क किया जा रहा है।

(4) संबंधित शिकायतों के मामले में की गई कार्रवाई या कार्रवाई न करने के कारणों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्ट।

(5) अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाली महिलाओं को दोहरा पासपोर्ट जारी करने की संभावना से संबंधित मामले को विदेश मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। तथापि विद्यमान पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं है, विदेश मंत्रालय ने निम्नलिखित आश्वासन दिए हैं:

(क) यदि कोई पत्नी उत्पीड़न की शिकार है और उसका उसके पति द्वारा त्याग कर दिया गया है तथा उसके पास अपना पासपोर्ट नहीं है और यदि उसे जारी किया गया मूल पासपोर्ट वैध हो, जो उसके पति द्वारा जब्त कर लिया गया हो, तो वह महिला इस संबंध में पासपोर्ट कार्यालय को आवेदन कर सकती है तथा यदि उस महिला के पास उसके पुराने पासपोर्ट का कोई रिकार्ड या उसकी फोटोप्रति न हो तो उसके द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराए गए पासपोर्ट संबंधी विवरणों का मूल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन के पश्चात उस महिला को नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।

(ख) यदि महिला के पास पुराने पासपोर्ट की फोटोप्रति और रिकार्ड हो तो व्यवस्था में मौजूद पुराने पासपोर्ट को रद्द करने के पश्चात उसे यथाशीघ्र नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक नहीं है।

(ग) यदि वह महिला आश्रित वीज़ा पर हो और वीज़ा रद्द कर दिया गया हो तो ऐसे मामले को संबंधित देश के साथ उठाया जाएगा।

(घ) यदि गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, उसके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी को सीधे आवेदन किया जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट पुनः जारी करना पासपोर्ट कार्यालय का विवेकाधिकार है।

(6) अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित समस्याओं तथा ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा झेली जा रही प्रक्रियागत समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए अंतर्मंत्रालयीय बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्नलिखित आश्वासन दिए हैं:

(क) हालांकि वीज़ा जारी करना संबंधित देश का संप्रभुत्वाधिकार है, तथापि जब कभी भी अपने मामले में अपनी बात रखने के लिए किसी परित्यक्त महिला द्वारा किसी देश में जाने के लिए वीज़ा के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तो भारत में अवस्थित उस देश के संबंधित दूतावास से अनुरोध करने के लिए मामले को उपयुक्त स्तर पर उठाने हेतु विदेश मंत्रालय के संबंधित प्रादेशिक प्रभाग तथा साथ ही विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग से संपर्क किया जाता है।

(ख) भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी न्यायिक प्रक्रिया या विदेश में रह रहे दोषी पति के पते–ठिकाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को उन प्राधिकारियों की सूची में लाया जाएगा जिनकी सिफारिशों पर विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग) यदि अपने अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय पति द्वारा परित्यक्त और उत्पीड़ित भारतीय महिला के पास पासपोर्ट न हो तो यदि उसे जारी किया गया मूल पासपोर्ट वैध हो और वह दोषी पति की अभिरक्षा में हो तो उसके द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराए गए पासपोर्ट संबंधी विवरणों का मूल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन के पश्चात उस महिला को नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा उस स्थिति में किया जाएगा, यदि उस महिला

के पास उसके पुराने पासपोर्ट का कोई रिकार्ड या उसकी फोटो प्रति न हो।

(घ) यदि पत्नी के पास पुराने पासपोर्ट की फोटोप्रति और रिकार्ड हो तो व्यवस्था में मौजूद पुराने पासपोर्ट को रद्द करने के पश्चात उसे यथाशीघ्र नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक नहीं है।

(ङ) यदि अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय के साथ विवाह से पीड़िता पत्नी आश्रित वीज़ा पर हो और वीज़ा रद्द कर दिया गया हो तो विदेश मंत्रालय द्वारा ऐसे मामले को संबंधित देश के दूतावास के साथ उठाया जाएगा।

(च) यदि गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, तो प्रभावित महिला द्वारा उसके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी को सीधे आवेदन किया जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट पुनः जारी करना पासपोर्ट कार्यालय का विवेकाधिकार है।

(7) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "**अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित मुद्दों**" पर सिफारिशें करने और इस संबंध में समस्याओं का समाधान करने के लिए अनिवासी भारतीयों/अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह में उत्पन्न होने वाली समस्याओं/मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए 15 फरवरी 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक **राष्ट्रीय सेमिनार** का आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्घाटन माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (प्रभारी) सुश्री कृष्णा तीरथ द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। इस सेमिनार में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तित्व देने वाले विभिन्न आमंत्रित सदस्यों/वक्ताओं ने श्री दीदार सिंह (सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय), श्री डी के सीकरी (सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), डॉ. गिरिज व्यास (अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग), श्री बसंत के. गुप्ता (अपर सचिव, विदेश मंत्रालय), श्री अनिल गोस्वामी (अपर सचिव, गृह मंत्रालय), सुश्री बरखा सिंह (अध्यक्ष, दिल्ली राज्य महिला आयोग), डॉ. रंजना कुमारी (सामाजिक अध्ययन केंद्र) आदि शामिल थे। राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशें **अनुलग्नक–15** में दी गई हैं।

राष्ट्रीय सेमिनार के कार्यवृत्त/सिफारिशें को सुझाए गए कार्य बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और प्राधिकरणों को भेजा गया।

(8) यह स्कीम भारतीय मूल की विपदाग्रस्त महिलाओं को स्थानीय भारतीय समुदाय के लोगों को शामिल करके तथा सरकार से कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी स्कीम है। यह स्कीम उन महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त हैं या विदेश में तलाक की कार्यवाही का सामना कर रही हैं। यह स्कीम विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है जैसेकि यदि महिला भारतीय पासपोर्ट धारक हो और उसका विवाह भारत में संपन्न हुआ हो, यदि महिला को विवाह के पांच वर्ष के भीतर भारत में या विदेश पहुंचने के पश्चात परित्यक्त कर दिया गया हो, प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के पांच वर्ष के भीतर तलाक की कार्यवाही शुरू की गई हो, विवाह के 10 वर्ष के भीतर प्रवासी भारतीय पति द्वारा एकपक्षीय तलाक प्राप्त कर लिया गया हो तथा भरण–पोषण और निर्वाह व्यय के संबंध में मामला दर्ज कराया जाना हो। आपराधिक आरोपों का सामना कर रही या ऐसी महिला जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला सिद्ध हो चुका हो, को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के लिए पात्र महिला का आवेदन करते समय अपने प्रवासी भारतीय पति के देश का या भारत का निवासी होना आवश्यक है। आवेदकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर वरीयता दी जाए।

उपलब्ध कराई गई सहायता भारतीय महिला संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उस महिला की ओर से मामले के संबंध में दस्तावेज तैयार करने और मामले को दर्ज कराने के लिए आरंभिक लागत और आनुषंगिक खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाएगी। दी गई सहायता प्रति मामला 1500 अमरीकी डालर तक सीमित होगी और यह राशि भारतीय समुदाय के सगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को जारी की जाएगी ताकि उसके द्वारा मामले को दर्ज कराने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य आरंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए महिला को सहयता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें। महिला संगठन/गैर–सरकारी संगठन समुदाय के अधिवक्ताओं, विशेषकर महिला अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने का प्रयास करेंगे ताकि बिना भुगतान आधार पर न्यायालय में कानूनी सहायता/उपस्थित होने आदि के संबंध में सुविधा उपलब्ध हो सके। विदेश में परित्यक्त महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह प्रस्ताव किया कि इस स्कीम के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और इस तथ्य को विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के समक्ष उठाया जाना अपेक्षित है। इस स्कीम को प्रवासी भारतीयों से विवाह में उत्पन्न समस्याओं/ प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/ वित्तीय सहायता/ पुनर्वास उपलब्ध कराने की स्कीम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाए। स्कीम में संशोधन के सुझाव को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा गंभीरता से लिया गया है (अनुलग्नक–14)।

(9) राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस समस्या पर "नोव्हेयर ब्राइड्स – अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह पर एक रिपोर्ट" नामक एक पुस्तक तथा "अनिवासी भारतीयों से विवाह में उत्पन्न समस्याएं – क्या करें और क्या न करें" विषय पर एक विवरणिका प्रकाशित की है, जिनका व्यापक परिचालन किया जा रहा है।

(10) राष्ट्रीय महिला आयोग उन गैर–सरकारी संगठनों और विदेश में कार्य कर रहे सामुदायिक संगठनों के साथ और अधिक सक्रिय संबंध स्थापित करने के लिए पहल कर रहा है, जो विदेश में परित्यक्त भारतीय महिलाओं को सहायता उपलब्ध करा सकते हों। विधि एवं न्याय मंत्रालय को इस संबंध में 'क्या करें और क्या न करें' विषय पर प्रकाशित की गई विवरणिका की लगभग 100 प्रतियां सभी राज्य सरकारों में परिचालित करने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा निपटाए गए कुछ सफल मामले

1. सुश्री 'ए' नामक महिला का मामला

शिकायतकर्ता एक निर्धन भारतीय महिला है, जिसका एक ब्रिटिश नागरिक से विवाह हो गया। उसका पति और ससुर उसे उसके पिता के बीमार होने का झूठ बहाना करके उसे भारत ले जाए और उसके दो अवयस्क बच्चों को यूके में ही छोड़ दिया। उसके पति और ससुर ने उससे उसका पासपोर्ट छीन लिया तथा वापस चले गए और यूके के न्यायालय में तलाक और बच्चों की अभिरक्षा का मामला दायर कर दिया। इस परित्यक्ता के मामले की प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस द्वारा उदासीनता व्यक्त करने पर यह महिला शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष पहुंची।

आयोग ने विदेश मंत्रालय के सीपीसी प्रभाग से संपर्क किया, जहां से उस महिला को सहायता प्राप्त हुई और उसे एक दिन के भीतर नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया। किंतु इस दुखियारी महिला की दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं हुई, उसके पति द्वारा यूके के लिए उसका प्रायोजन रद्द कर दिया गया और वह अपने खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही में अपना पक्ष रखने के लिए यूके नहीं जा पाई। तत्पश्चात आयोग ने उसके मामले को यूके न्यायालय में भेजा और न्यायालय को उस महिला

द्वारा कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ होने के संबंध में अवगत कराया। उसकी शिकायत लंदन स्थित कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को भी भेजी गई। आयोग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप उसका मामला गुड ह्युमन फाउंडेशन नामक एक गैर–सरकारी संगठन को यूके की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सौंपा गया है।

2. सुश्री 'बी' नामक महिला का मामला:

शिकायतकर्ता अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों द्वारा दी जा रही घोर मानसिक और शारीरिक यातना का दो वर्षों से सामना कर रही थी। उसे न्यूजीलैंड की पुलिस द्वारा उसके वैवाहिक गृह से मुक्त भी करा दिया गया था। उसके पति ने एक झूठा चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता को पागल सिद्ध कर दिया और उसके अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त कर ली। जब शिकायतकर्ता भारत वापस आई तो पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज करने में रुचि नहीं ली और उसके साथ ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे धमकी दी जाती रही और उसका उत्पीड़न किया जाता रहा। इस परिस्थिति में आयोग के हस्तक्षेप से उस महिला की प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकी। आज भी आयोग भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों में शिकायतकर्ता की शिकायत पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

3. सुश्री 'सी' नामक महिला का मामला:

शिकायतकर्ता को दहेज की मांग पूरी न करने के कारण उसके पति और सुसराल पक्ष के लोागें द्वारा परित्यक्त कर दिया गया। आयोग ने उसकी शिकायत सैनफ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्थित कांसुलेटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजी। आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे कानूनी सलाह उपलब्ध कराई और उसे गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से अमेरिका की अदालत में अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम के लिए आवेदन करने का परामर्श दिया।

4. सुश्री 'डी' नामक महिला का मामला:

शिकायतकर्ता को उसके संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक पति द्वारा भारत में परित्यक्त कर दिया गया। उसके पति ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए उसके वीज़ा को भी रद्द करा दिया। इस मामले में आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए उसकी शिकायत संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास को भेज दी। आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में समझौता हो गया और शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसकी शिकायत बंद कर दी गई।

5. सुश्री 'ई' नामक महिला का मामला:

शिकायतकर्ता के ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे थे। जबकि उसका पति कुवैत में था और उसके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं कर रहा था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर आयोग ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

5 विधिक प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2009–10 के दौरान अनेक कानूनों की समीक्षा की। आयोग द्वारा महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले नए कानूनों/ नीतियों के अधिनियमन और साथ ही मौजूदा कानूनों में संशोधन के संबंध में की गई सिफारिशों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

1. बलात्कार की पीड़िताओं हेतु राहत और पुनर्वास की स्कीम

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पोछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण के कारण रोजगार खो देने के कारण आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया ताकि उसे अंतिम रूप दिया जा सके। तत्पश्चात्, इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गए:

(1) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(3) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(4) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(5) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(6) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(7) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। "बलात्कार पीड़िताओं हेतु राहत और पुनर्वास हेतु न्याय उपलब्ध कराने" विषय पर विचार–विमर्श करने के लिए 7 मार्च, 2010 को एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। संशोधित स्कीम 16 अप्रैल, 2010 को मंत्रालय को भेजी गई।

बलात्कार पीड़िताओं हेतु राहत और पुनर्वास की स्कीम से संबंधित विवरण **अनुबंध–4** पर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि यह स्कीम तेजाब से हमले की पीड़िताओं और दहेज मांग हेतु महिलाओं को जानबूझ कर जला देने से संबंधित अपराध के संबंध में भी लागू होंगी।

2. सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010

आयोग का यह मानना है कि जैसेकि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक अलग से कानून निर्मित किया गया, हालांकि इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/306 के अंतर्गत रखा जा सकता था, उसी प्रकार सम्मान और परंपरा के नाम पर किए जाने वाले अपराधों को जड़ से समाप्त करने के लिए इसके संबंध में एक पृथक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार आयोग ने सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010 नामक एक विधेयक का प्रस्ताव किया है। विधेयक का प्रारूप मंत्रालय को 18 अगस्त, 2010 को भेजा जा चुका है। यह विधेयक सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराध न कि केवल हत्या किए जाने से संबंधित विधेयक है और इस विधेयक में इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि युवा पुरुषों और महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का अधिकार, स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सहयोजन या संगम का अधिकार, देशभर में कहीं भी आने–जाने और शारीरिक समग्रता का अधिकार है। इस विधेयक के अंतर्गत न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और इस विधेयक के अंतर्गत पीड़िता के परिवार के किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जो परिवार के किसी सदस्य या किसी निकाय के सदस्य अथवा किसी वंश या कुल के समूह या समुदाय या जाति पंचायत (इसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो किसी महिला या उसके साथी (या उसके या उनके साथ रह रहे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों) की हत्या करता हो या करते हों अथवा उसे या उन्हें गंभीर चोट या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता हो या उसे कोई सजा सुनाता हो, को शामिल किया गया है। प्रस्तावित कानून का ब्योरा अनुलग्नक–5 में दिया गया है।

3. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहली बार वर्ष 2000 में इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। मंत्रालय से विचार–विमर्श करने के पश्चात संशोधित रूप में संशोधनों को एक बार फिर से वर्ष 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया। जिन मुख्य बिंदुओं पर संशोधनों का सुझाव दिया गया है, वे हैं:

1. अधिनियम की अनुप्रयोज्यता इंटरनेट सहित श्रव्य–दृश्य माध्यमों और कंप्यूटर के लिए भी लागू की जाए।
2. "प्रकाशन" को परिभाषित करते हुए एक नया वाक्यांश समाविष्ट किया जाए जिसका आशय श्रव्य–दृश्य माध्यमों, कंप्यूटर, उपग्रह–संबद्ध/संचालित इंटरा या इंटरनेट संचारों को सम्मिलित करना होगा।

3. प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी, मीडिया समूह, उत्पादन गृह, "प्रकाशन एवं विज्ञान समूह" का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा एक स्व–नियामक तंत्र सृजित और अनुरक्षित किया जाए।

4. एक केंद्रीय प्राधिकरण प्रस्तावित किया गया है जिसकी स्थापना स्त्री अशिष्ट रूपण का विनियमन/प्रतिषेध करने के लिए की जाए।

संशोधित संशोधनों को मंत्रालय को वर्ष 2010 में भेजा गया है।

4. घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

घरेलू महिला और बाल कर्मचारियों के शोषण से संबंधित मामला बार–बार और नियमित रूप से प्रकाश में आता रहता है। चूंकि इनके कल्याणार्थ कोई कानून निर्मित नहीं किए गए हैं जिससे इन्हें कोई अधिकार दिया जा सके, अतः अधिकांश घरेलू कर्मचारी अपने मालिकों का तत्कालीन गुलाम बनकर रह जाते हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि स्थापन एजेंसियां जो किसी भी प्रतिबंध और नियमन के बिना स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार और शोषण करने में भी सन्नद्ध हैं।

घरेलू कर्मचारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्रक का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस क्षेत्र में विशेषकर महिलाएं अपने परिवार के बोझ को बांटने के लिए कार्य करने के लिए सक्षम होकर अर्थव्यवस्था पर एक गुणनात्मक प्रभाव डालती हैं, के संबंध में उनके पंजीकरण सहित उनके कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए विशेष रूप में तैयार किए गए एक व्यापक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है ताकि घरेलू कर्मचारियों के शोषण का अंत होना सुनिश्चित किया जा सके।

इस क्षेत्र में झेली जा रही समस्याओं और इस क्षेत्र के असंगठित स्वरूप पर विचार करते हुए अनेक समस्याओं के समाधान और इस क्षेत्र को अपेक्षित मान्यता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस कानून से इस क्षेत्र से संबद्ध कठिनाइयों को समाप्त करना सुनिश्चित होगा तथा साथ ही सभी संबंधितों को उपयुक्त रक्षा और सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इस संबंध में विधेयक का प्रारूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सितंबर, 2010 में भेजा गया है (अनुलग्नक–6)।

5. वृंदावन की विधवाओं पर अध्ययन

रिट याचिका (सिविल) संख्या 2007 का 659, एनवायरनमेंट एंड कंजूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली को "इन महिलाओं की समस्याओं का एक व्यापक सर्वेक्षण करने और न्यायालय में एक रिपोर्ट दायर करने ..... जिसमें इन विधवाओं के आयु वर्ग, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और ऐसी सभी सूचनाएं जो इस न्यायालय के प्रयोजनार्थ तथ्यगत रूप से संगत हों, शामिल की जाए", का निर्देश दिया (दिनांक 14.11.2008/06.12.2008)।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 23.12.2008 के आदेश संख्या 8/4 (62)/सी एवं 1/2008 – एनसीडब्ल्यू द्वारा दिसंबर, 2008 में "उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में रह रही विधवाओं की दुर्दशा के संबंध में जांच करने" के लिए सात सदस्यीय एक जांच समिति गठित की और इस मामले में एक विस्तृत अनुसंधान अध्ययन किया। प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया तथा तत्संबंधी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

सिफारिशें:

1) **आश्रय** महिलाओं की प्रमुख आवश्यकता है। वृंदावन में रह रही महिलाओं के लिए इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि उन्हें एक आश्रय उपलब्ध कराया जाए जिसके भीतर वे बिना किसी भय के आ–जा सकें, उन्हें आराम प्राप्त हो और उत्पीड़न की किसी आशंका और शोषण की किसी संभावना के बिना वहां उनकी देखभाल हो। आश्रय की समस्या का समाधान वृद्धाश्रम और रैन बसेरे खोल कर तथा उनके लिए मौजूदा सुविधाओं को उन्नत बनाकर तथा शौचालय, बिजली, साफ पानी तथा चिकित्सकों, नर्सों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सहायक सेवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

2) महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम चलाने वाले और सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति, सेवा और उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में मानदंड निर्धारित किए जाएं।

3) परामर्शदात्री सेवाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। परामर्शदात्री सेवाएं परामर्शदाताओं के नियोजन और स्थापन के जरिए कार्य स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, वर्तमान में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्य में अत्यधिक अनियमित पाया गया, निवासियों का मामला पूर्ववृत्त फाइल अपूर्ण पाई गई तथा परामर्श प्रदान करने और सामूहिक क्रियाकलाप के संबंध में कोई भी व्यवस्थित प्रक्रिया प्रचालन में नहीं पाई गई।

4) महिलाओं के लिए **स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था** के अंतर्गत उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और यह सुविधा बिना कोई बोझिल औपचारिकता को अपनाए सभी के लिए सुगम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अस्पताओं और संस्थाओं में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

5) महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर काफी सीमित हैं जिसका कारण केवल यह नहीं है कि महिलाएं काफी अधिक संख्या में अशिक्षित हैं बल्कि कौशल प्रशिक्षण, विपणन और निरंतर प्रबंधन सहायता जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी महिलाओं को अनुपलब्ध होती हैं। राज्य सरकार और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने जाने चाहिए। इसके साथ ही, महिलाओं के स्व–सहायता समूहों का भी सृजन किया जाना चाहिए। आय सृजन से संबंधित क्रियाकलापों के साथ प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी संबद्ध हो। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर को व्यापक बनाने वाले सूक्ष्म उद्यम समूहों, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए लिंग संवेदी स्कीमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6) भजन आश्रमों के कार्यकलापों तथा उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन–देन की जांच करने के लिए जिला स्तर पर विशेष लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाए।

6. पेंशन स्कीम :–

(क) संयुक्त छमाही (बैंक और विभाग) समीक्षा और पेंशन लेखाओं को अद्यतन बनाना।

(ख) वृंदावन में एकल खिड़की कार्यालय/ सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था।

(ग) बैंक खाता खोलना पेंशन प्राप्तकर्ता का दायित्व है और पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए यह एक अपेक्षा है।

तथापि अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं और उन्हें जब तक सहायता उपलब्ध न कराई जाए, वे बैंक में अपना खाता खोलने में काफी कठिनाई महसूस करती हैं। धनराशि का आहरण केवल पेंशनधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप में ही उपस्थित होकर किया जा सकता है और आहरण पर्ची के साथ पासबुक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथापि बैंक में भीड़–भाड़ होने, कंप्यूटर फेल हो जाने और सीमित मानव संसाधनों के कारण पासबुक को तत्काल अद्यतन करने में समस्या हो सकती है।

(घ) बैंकों और कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से सभी खाताधारकों से संबंधित ब्योरों को त्रुटिमुक्त किया जाए।

(ङ) एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा पेंशन बहियों की वार्षिक समीक्षा की जाए।

(च) बैंक और कल्याण विभाग द्वारा पेंशन बहियों की संयुक्त वार्षिक समीक्षा की जाए।

(छ) क्लस्टर में रह रहे चल–फिर सकने में असमर्थ और वृद्ध पेंशनधारकों के लिए सचल बैंकिंग सेवा की व्यवस्था की जाए।

(ज) पेंशन बहियों की देख–रेख के लिए बैंक में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो।

(झ) बिस्तर पकड़ चुके और वृद्ध पेंशनधारकों के लिए सचल बैंकिंग सेवा शुरू की जाए।

7. स्व–आधार स्कीम

(क) भारत सरकार की स्व–आधार स्कीम में कमी को राज्य सरकारों द्वारा बिजली, पानी और रखरखाव हेतु बजट परिव्यय उपलब्ध कराकर और वृद्धाश्रमों में प्रशिक्षित और योग्य सुश्रुषा करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करके पूरा करने की आवश्यकता है।

(ख) स्व–आधार स्कीम जिला मजिस्ट्रेट के सीधे नियंत्रण में होती है और इसे जिला कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को भोजन के लिए 500 रुपए, जेबखर्च, आश्रय और बिछावन के लिए 50 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक डिस्पेंसरी के जरिए चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। 2007–08 का बजट अध्ययन के समय जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को एक वर्ष तक उनका देय भाग प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) स्कीम के अंतर्गत भवन और परिसम्पत्तियों जैसेकि पानी का पंप और बिजली और पानी के बिल के भुगतान के लिए परिव्यय प्रदान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन आश्रमों को चलाने वाले व्यक्ति को महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है और उसे इन उपयोगी सेवाओं के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

8. उत्तर प्रदेश सरकार की मीरा सहभागिनी स्कीम में संशोधन किए जाने की और महिलाओं के लिए मासिक भोजन भत्ता शामिल करने के लिए तथा वृद्धाश्रमों में प्रशिक्षित और योग्य सुश्रुषकों को तैनात करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है।

9. इन दोनों स्कीमों को प्रचालन में लाने और इनके उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु नियम और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण/विशेषज्ञ समूह गठित किए जाने की आवश्यकता है।

10. वृंदावन में सभी सेवाओं को एक स्थान से प्रदान किए जाने की व्यवस्था शुरू की जानी है जहां विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बीच सामंजस्य होगा और वृंदावन में पहुंचने वाली महिलाओं के पंजीकरण और उनकी तलाश करने के लिए एक तंत्र मौजूद होगा।

11. महिलाओं के लिए आश्रय स्थलों और संस्थाओं के प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों और योग्य व्यक्तियों की भागीदारी में वृद्धि की जाए।

12. महिलाओं के लिए मिट्टी के तेल का कोटा प्रति माह 3 लीटर से बढ़ाकर 5 लीटर कर दिया जाए और वृंदावन में रह रही महिलाओं के लिए 14 किलो ग्राम मासिक राशन कोटा में संशोधन किया जाए, हालांकि शेष मथुरा जिले के लिए यह मात्रा 35 किलो ग्राम है। महिलाओं को 8 किलो ग्राम गेहूं, 6 किलो ग्राम चावल, 3 लीटर मिट्टी का तेल और 800 ग्राम चीनी आबंटित की जाती है। वृंदावन में प्रत्येक महिला को 14 किलो ग्राम राशन मिलता है जबकि मथुरा जिले के शेष भाग में यह मात्रा 35 किलो ग्राम है। वृंदावन की प्रत्येक विधवा को राशन कार्ड जारी किया जाए।

13. वयस्क साक्षरता कक्षा आयोजित करना।

6. भरण–पोषण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रस्तावित संशोधनः

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125/127 में संशोधन हेतु नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु के सहयोग से क्रमशः **11 अक्तूबर, 2009 और 17 अप्रैल, 2010** को दो परामर्श सत्र आयोजित किए गए। पहले परामर्श सत्र का उद्घाटन कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री एच आर भारद्वाज द्वारा किया गया और इसमें विधिक क्षेत्र के न्यायविदों और शिक्षाविदों ने भाग लिया तथा दूसरे परामर्श सत्र का उद्घाटन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.के. रेड्डी द्वारा किया गया जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के न्यायिक मजिस्ट्रेटों और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। दूसरे परामर्श सत्र के दौरान संशोधनों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से पहले परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशें पर विचार–विमर्श किया गया।

विभिन्न मामलों के संबंध में की गई सिफारिशें अनुलग्नक–7 पर दी गई हैं।

7. विवाह योग्य आयुः

(i) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह निषिद्ध है।

(ii) उपर्युक्त उपबंध निम्नलिखित अधिनियमों की अन्य धाराओं के अनुरूप नहीं हैः

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
2. हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
3. भारतीय विशेष विवाह अधिनियम, 1954
4. भारतीय दंड संहिता
5. किशोर न्याय अधिनियम, 1986

इन अधिनियमों के अंतर्गत दुल्हन, दूल्हा, अवयस्क, बच्चा, किशोर आदि के अर्थ के संबंध में भिन्न–भिन्न आयु निर्धारित की गई है:

- अनुरूपता नहीं होने के कारण कानून को लागू करने में कठिनाई होती है क्योंकि दंड संहिता इसे अपराध नहीं मानती और स्वीय कानून इसकी इजाजत देते हैं। विभिन्न न्यायालयों के निर्णय प्रायः परस्पर विरोधी स्वरूप के होते हैं।
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 11 किसी भी न्यायालय को इस आधार पर कि वैवाहिक बंधन में बंधा कोई भी पक्ष अल्पायु का है, किसी भी विवाह को गैर–कानूनी घोषित करने का प्राधिकार नहीं देता।
- 15 से 18 वर्ष की आयु की अवयस्क बालिका के विवाह के मामले में हिंदू अवयस्क और अभिभावक अधिनियम, 1956 में यह कहा गया है कि उसका प्राकृतिक अभिभावक उसका पति होगा। तथापि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अवयस्क बालिका के माता–पिता उसके "पति" के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज करा सकते हैं (लज्जा देवी मामला)। अस्पष्ट स्थिति होने के कारण अवयस्क बालिका को अंततः उसके माता–पिता या उसके पति के संरक्षण में न भेजकर उसे संरक्षण गृह में भेज दिया जाता है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और जाने–माने लोगों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है ताकि विवाह की उपर्युक्त आयु के संबंध में सिफारिशें सामने आ सकें। अब तक 4 क्षेत्रीय परामर्श सत्र आयोजित किए गए हैं:

  (i) नई दिल्ली – सितंबर, 2010

  (ii) त्रिवेंद्रम – अक्तूबर, 2010

  (iii) पांडिचेरी – अक्तूबर, 2010

  (iv) कोलकाता – जनवरी, 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अंतिम रूप में की गई सिफारिशों को विशेषज्ञ समिति के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8. वैवाहिक संबंधों का असुधार्य सीमा तक खराब हो जाना – तलाक का एक आधार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने के आधार पर तलाक के मामले में वैवाहिक संपत्ति अधिकारों तथा भरण–पोषण से संबंधित मामलों के निपटान के संबंध में विशिष्ट उपबंधों का प्रारूप तैयार करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, राष्ट्रीय विधि संस्थानों तथा विधि आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक **विशेषज्ञ समिति** गठित की है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु विधेयक पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 14 दिसंबर 2010 को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने की, जिसमें राज्य सभा में पेश किए गए विवाह कानून संशोधन विधेयक, 2010 पर चर्चा की गई। इस समिति के कार्यक्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी 2011 के आदेश द्वारा और अधिक विस्तार किया गया है, यह समिति निम्नलिखित के संबंध में यथा अपेक्षित संशोधनों के प्रारूप भी विचार करेगी:

(क) दहेज संबंधी कानून

(ख) अनिवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित मामले

(ग) विवाह योग्य आयु

(घ) विवाह का अनिवार्य पंजीकरण

(ङ) समिति को सौंपा गया कोई भी अन्य मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी टिप्पणियां "**कार्मिक एवं लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति**" को भेज दी हैं और उनसे वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने को तलाक के एक आधार के रूप में शामिल करने के लिए कोई उपबंध निर्मित करने से पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की राय को ध्यान में रखने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने को तलाक के एक आधार के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है बशर्ते इसके साथ ही निम्नलिखित हेतु आवश्यक रक्षोपाय किए जाएं:–

(i) पत्नियों और बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा

(ii) संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्पष्ट सिद्धांत

विधेयक पहली बार **वर्ष 1981 में** पुरःस्थापित किया गया किंतु यह व्यपगत हो गया। अपने कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने को तलाक के आधार के पक्ष में ठोस तर्क दिए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी यह एक आम राय व्यक्त की है कि वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने को तलाक का आधार मानने से संबंधित अवधारणा स्वीकार्य हो सकती है, यदि महिलाओं को इसके दुरुपयोग के संबंध में पर्याप्त संरक्षण और रक्षोपाय उपलब्ध कराए जाएं। जिन दशाओं में यह अवधारणा क्रियान्वित की जा सकती है, वे निम्नवत हैं:

- "वैवाहिक संबंधों के असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने" पद को परिभाषित करने की आवश्यकता।
- महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसे परिभाषित भी किया जाए।
- इस आधार पर तलाक के संबंध में डिक्री प्रदान करते समय न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह पहले स्वयं संतुष्ट हो जाए और किसी भी परिस्थिति में एकपक्षीय डिक्री पारित न करे।
- तलाक से संबंधित डिक्री पारित करने से न्यायालय द्वारा इनकार किया जा सकता है यदि न्यायालय यह महसूस करता हो कि पति पत्नी के फिर से एक साथ रहने की उपयुक्त संभावना है। इसके लिए डिक्री देने से पहले कम से कम 6 माह की अवधि की शर्त रखी जाए।
- प्रस्तावित विधेयक केवल बच्चों के भरण–पोषण की बात करता है और यह विधेयक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले पर मूक है। संपत्ति के बंटवारे से संबंधित सिद्धांत तय किया जाना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, भरण–पोषण केवल बच्चों, जो न केवल अवयस्क हों बल्कि शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य के कारण जिनकी देखभाल की आवश्यकता है, तक ही सीमित है। पर्याप्त साधन संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने

का अधिकार सभी अविवाहिक पुत्रियों को उनके द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात भी यदि वे स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, उपलब्ध कराया जाए।

गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई नवीनतम पहलः

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर उदयपुर में 10 अप्रैल 2010 को एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया। इस परामर्श सत्र का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा किया गया तथा परामर्श सत्र की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

(2) गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 13 दिसंबर 2010 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में कुछ कार्य बिंदुओं की भी पहचान की गई (अनुलग्नक–16)।

(3) राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति (एनआईएमसी) का सदस्य है और इसने उत्तर प्रदेश और राजस्थान प्रत्येक के दो जिलों का दौरा किया तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो, दंडात्मक कार्रवाई की गई।

(4) राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर चंडीगढ़ में एक सेमिनार का भी आयोजन किया तथा अधिनियम में अपेक्षित संशोधनों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें की गई।

(5) राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 में संशोधनों को शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर उच्चतम स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष ने माननीय प्रधान मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 05 अप्रैल के पत्र की प्राप्ति की सूचना दी है।

9. पुनर्विचार याचिका

पीड़िता के साथ समझौता हो जाने के पश्चात बलात्कार के अभियुक्त को छोड़ दिए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए बलदेव सिंह के मामले में 17 मार्च, 2011 को दायर की गई **पुनर्विचार याचिका** : राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 2007 के मामला संख्या 749 में आपराधिक अपील बलदेव सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में हाल में दिए गए एक निर्णय, जिसमें सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों की कैद की सजा को दस वर्षों से घटाकर साढ़े तीन वर्ष कर दिया गया, पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की है।

10. यौन आक्रमण की पीड़िता की चिकित्सीय जांच के दौरान "फिंगर टेस्ट":

भारत में फोरेंसिक विशेषज्ञ और चिकित्सक बलात्कार पीड़िताओं की उनके साथ हुए बलात्कार की जांच करने के लिए गरिमाहीन और बर्बर विधि "फिंगर टेस्ट" (उंगली से जांच) करते रहे हैं। यह प्रक्रिया अमानवीय, महिला की गरिमा के विरुद्ध तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठाया है।

11. यौन आक्रमण विधेयक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने के पश्चात भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों, विशेषकर 375 (बलात्कार) और 376 में संशोधन करने के लिए यौन आक्रमण विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। विधि कार्य विभाग ने विधि आयोग की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर दांडिक कानून संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। इस विभाग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के विधेयक के प्रारूप में यथा प्रस्तावित अधिकांश राय को शामिल किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की राय पर प्रारूप में शामिल किए गए महत्त्वपूर्ण संशोधन निम्नवत हैं:

- तेजाब से हमले के मामले में एक अलग खंड 326ख शामिल करना, जिसके द्वारा अपराधी को न्यूनतम 7 वर्षों के कारावास और/या जुर्माना जिसकी राशि 5.00 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, की सजा देना।
- सीईडीएडब्ल्यू सभी प्रकार के यौन दुराचार को समाप्त करने की सिफारिश करता है और इसने विशेष तौर पर "वैवाहिक संबंधों में बलात्कार" के उन्मूलन हेतु कानून बनाने की सिफारिश की है। तदनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में आपवादिक खंड के लोप की सिफारिश की है। प्रस्तावित मसौदे में जिस आयु से कम आयु की महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित करना अपराध की परिधि में है, उसे 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 509(ख) शामिल करने से संबंधित है, जिसके द्वारा किसी भी महिला का चोरी–छिपे पीछा करना एक अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता में प्रस्तावित नई धारा 326ख और 509ख का प्रारूप मंत्रालय को भेजा गया है।

धारा 509 (ख) : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो (क) किसी महिला को या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान पहुंचाने की मंशा से या (ख) उस महिला या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान की आशंका या भय से उस महिला का चोरी–छिपे पीछा करता हो तो उसे अधिकतम 7 वर्षों की सजा या जुर्माना या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है। इस प्रारूप को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित 326ख : जो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर ऐसे आशय या ऐसी परिस्थिति में तेजाब फेंकने या उसके ऊपर तेजाब का इस्तेमाल का प्रयास करता हो और उसके इस प्रयास या कृत्य से ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग को अस्थायी या आंशिक क्षति या रूपण, अपरूपण या निशक्तता उत्पन्न होती हो या हो सकती हो तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक जिसे 10 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना जिसकी राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जाती है, जो ऐसे मामले में भी आरोपित की जा सकती है जिनमें पीड़िता के शरीर का कोई हिस्सा वास्तव में न जला हो या उसे कोई गंभीर चोट न पहुंची हो।

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन : राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 विषय पर एक सम्मेलन प्रायोजित किया, जिसे इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में 19 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग और लॉयर्स क्लेक्टिव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती मीरा कुमार, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया गया, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती यास्मीन अबरार ने "महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 विषय पर जीवंत रहें – चौथी निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट" का विमोचन किया। श्रीमती अबरार ने रिपोर्ट की पहली प्रति माननीय अध्यक्ष को सौंपी। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने यह कहा कि अब वह समय आ गया है जबकि सांस्कृतिक पूर्व धारणा को बदला जाए, नीति निर्माण में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए और लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु नीतियां निर्मित की जाएं तथा महिलाओं के प्रति हिंसा के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इस अवसर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जोहरा चटर्जी तथा यूनिफेम की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री ऐनी एफ. स्टेनहैमर ने भी उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। इस सम्मेलन में पर्याप्त संख्या में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों, राज्य महिला आयोगों से प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में देशभर के संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, वकीलों ने काफी अधिक संख्या में भाग लिया।

रिपोर्ट की मुख्य–मुख्य बातें अनुलग्नक–7क में दी गई हैं।

12. महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को तदनुरूपी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस):

लॉयर्स क्लेक्टिव द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन और बजट प्रावधान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जैसाकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में परिकल्पना की गई है, स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों का तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक स्कीम का प्रारूप तैयार किया है।

इस प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक खंड स्तरीय पुलिस थाने में दो परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे। इस विशेष प्रकोष्ठ का पर्यवेक्षण और समन्वयन महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथापरिकल्पित एक स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो इस कार्य में जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सहायक कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं। इनके लिए वेतन के भुगतान की व्यवस्था केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत तदनुरूपी सहायता से की जाएगी। राष्ट्र/राज्य स्तरीय सहायक संस्थाओं/ गैर–सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है। यह आशा व्यक्त की गई है कि यह स्कीम राज्य सरकारों को आवश्यक बजटीय प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। ऐसा इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों ने अभी तक संरक्षण अधिकारियों का प्रशासनिक तंत्र स्थापित नहीं किया है और न ही कोई बजटीय प्रावधान किया है।

प्रस्तावित स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विचारार्थ भेजी गई है और इसे टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोगी की वेबसाइट में डाला गया है।

विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन/परामर्श सत्र/ बैठक

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर में 10 अप्रैल 2010 को गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया।
2. राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ 5 और 6 जुलाई 2010 को एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।
3. "महिलाओं के साथ अपराध" विषय पर 5 और 6 जुलाई 2010 को लखनऊ में एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।
4. "विवाह कानूनों में संशोधन" विषय पर अगस्त 2010 में मुंबई में एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।
5. मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अगस्त 2010 में एक पारस्परिक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।
6. "बालिकाओं की विवाहयोग्य आयु" विषय पर अगस्त 2010 में दिल्ली में एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र. का आयोजन किया गया।
7. "महिलाओं के साथ अपराध" विषय पर सितंबर 2010 को त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।
8. "बालिकाओं के लिए विवाहयोग्य आयु" विषय पर अक्तूबर 2010 में त्रिवेंद्रम में एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र. का आयोजन किया गया।
9. "बालिकाओं के लिए विवाहयोग्य आयु" विषय पर अक्तूबर 2010 में पुदुचेरी में एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र. का आयोजन किया गया।
10. "महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005" विषय पर 19 दिसंबर 2010 को लॉयर्स क्लेक्टिव और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
11. "बालिकाओं के लिए विवाहयोग्य आयु" विषय पर जनवरी 2011 में कोलकाता में एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र. का आयोजन किया गया।
12. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु विधेयक पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 14 दिसंबर 2010 को आयोजित की गई।
13. गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर 13 दिसंबर 2010 को एक बैठक आयोजित की गई।
14. "गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन और अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में उत्पन्न समस्याओं" विषय पर चंडीगढ़ में 16 और 17 फरवरी, 2011 को एक क्षेत्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया और इसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई।

15. "अनिवासी भारतीयों से विवाह" विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 25 फरवरी 2011 को एक राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया।

16. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं, विशेषकर छात्राओं के साथ बलात्कार और यौन आक्रमण के बढ़ते मामले विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में 23.03.2011 को एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजित किया।

17. "महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन" विषय पर उदयपुर में 31 मार्च 2011 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

महिला सांसदों के साथ 24.03.2011 को बैठक : राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग द्वारा संस्तुत महिलाओं से संबंधित विभिन्न विधेयकों के प्रारूपों, जिस पर सरकार/संसद का अनुमोदन लंबित है, पर विचार–विमर्श करने के लिए संसद सौध में महिला सांसदों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में लगभग 22 महिला सांसदों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने बैठक में शामिल महिला सांसदों को महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों, विधेयकों, अधिनियमों, संशोधनों, बलात्कार तथा तेजाब से आक्रमण की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम, सम्मान एवं परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010 तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने महिला सांसदों को अपनी दलगत निष्ठा से अलग रहकर संसद में महिलाओं से संबंधित इन विधेयकों का समर्थन करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने बलात्कार की दोषसिद्ध अपराधियों के दंड को कम करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है क्योंकि यह समाधेय निर्णय नहीं है तथा इस निर्णय से ऐसे मामलों में गलत नजीर स्थापित होगी। आयोग की अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिला सांसद संबंधित विधेयकों/ अधिनियमों तथा महिलाओं से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान देने के लिए छोटे समूह गठित कर सकती हैं और इस संबंध में सकारात्मक राय सृजित कर सकती हैं।

सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति हुई कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर राजनीतिक भेदभाव को भुलाते हुए महिलाओं का एक समूह गठित किया जाए। महिला सांसद महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दों पर एकजुट हों और अपनी एक राय बनाएं ताकि इस संबंध में विधेयक को संसद में पारित कराया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि महिला सशक्तीकरण हेतु गठित महिला समिति में और अधिक संख्या में महिला सांसदों को शामिल किया जाए।

महिला सांसदों ने इन सुझावों का स्वागत किया तथा आयोग की अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि वे संसद में महिलाओं से संबंधित विधेयक को पारित कराने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करेंगी। उन्होंने आयोग द्वारा किए गए कार्यों तथा की गई बहुत सी पहलों की सराहना भी की।

6 अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ज) के अंतर्गत, आयोग संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान का कार्य करता है जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जा सकें और उन कारकों की पहचान की जा सके जो उनके विकास में रुकावट के लिए जिम्मेवार हैं। इस संबंध में आयोग ने अनेक सेमिनार, जन सुनवाइयां, कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए हैं ताकि महिला–पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों के उच्च प्राथमिकता वाले विषयों पर सुसंगत जानकारी प्राप्त की जा सके।

वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। पिछड़े और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकांश लोग अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया। कुल 09 जागरूकता कार्यक्रम तथा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 143 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3 पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की गईं। इसके अलावा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर 76 सम्मेलन, गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं तथा 20 अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम भी प्रायोजित किए गए जिनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं से संबधित मुद्दों और समस्याओं पर जनता को संवेदित करना था।

वर्ष 2010–11 के दौरान जिन संगठनों को जागरूकता कार्यक्रम, जन सुनवाई, सेमिनार/ कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की गई, उनसे संबंधित ब्योरा क्रमशः **अनुलग्नक–8, 9 और 10** में दिया गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रायोजित सेमिनार की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	सेमिनारों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	02	–
2.	असम	01	–
3.	बिहार	03	–
4.	दिल्ली	14	01
5.	हरियाणा	05	–
6.	हिमाचल प्रदेश	01	–
7.	जम्मू एवं कश्मीर	01	–
8.	झारखंड	01	–
9.	मध्य प्रदेश	01	–

क्र.सं.	राज्य का नाम	सेमिनारों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या
10.	महाराष्ट्र	05	–
11.	मणिपुर	02	–
12.	मेघालय	01	01
13.	मिजोरम	–	01
14.	ओडीशा	07	–
15.	पुदुचेरी	01	01
16.	राजस्थान	09	01
17.	तमिलनाडु	01	–
18.	त्रिपुरा	02	–
19.	उत्तर प्रदेश	19	03
20.	पश्चिम बंगाल	–	01
	कुल	**76**	**09**

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एल ए पी) और पारिवारिक महिला लोक अदालत (पी एम एल ए)

आयोग ने वर्ष 2010–11 के दौरान 143 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों (एलएपी) और 3 पारिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) को अनुमोदन प्रदान किया है। जिन गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष 2010–11 के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालत और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनकी सूची क्रमशः अनुलग्नक–11 और अनुलग्नक में दी गई है। अनुमोदित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र.सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
1.	असम	10	–
2.	आंध्र प्रदेश	05	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	04	02
4.	बिहार	06	–
5.	छत्तीसगढ़	03	–

क्र.सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
6.	दिल्ली	12	–
7.	गुजरात	01	–
8.	हरियाणा	24	–
9.	हिमाचल प्रदेश	03	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	01	–
11.	झारखंड	02	–
12.	कर्नाटक	02	–
13.	मध्य प्रदेश	06	–
14.	महाराष्ट्र	05	–
15.	मेघालय	02	–
16.	मणिपुर	04	–
17.	नागालैंड	01	
18.	उड़ीसा	08	–
19.	राजस्थान	12	–
20.	तमिलनाडु	02	–
21.	त्रिपुरा	02	–
22.	उत्तर प्रदेश	21	01
23.	उत्तराखंड	02	–
24	पश्चिम बंगाल	05	–
	कुल	**143**	**03**

"घर बचाओ परिवार बचाओ" परियोजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की है जिससे संबंधित कार्य को इस वर्ष भी जारी रखा गया। "घर बचाओ परिवार बचाओ" नामक इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाना के स्तर पर पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना है ताकि वह महिलाओं से संबंधित मामलों में प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सके। दिल्ली में महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए परियोजना का

चरण–2 मार्च 2009 में शुरू किया गया। इन प्रकोष्ठों के प्रमुख कार्य महिलाओं के साथ हुए हिंसात्मक व्यवहारों, आपराधिक शिकायतों के प्राप्त होने पर पुलिस सहायता का प्रावधान, परिवार सेवा एजेंसियों को संदर्भ भेजने तथा महिलाओं के साथ हिंसा के मामले में परामर्श उपलब्ध कराने, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित मामले होंगे। इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है, जो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (टी आई एस एस) के सहयोग से यह कार्य रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान यह परियोजना दिल्ली के 11 जिलों में कार्यान्वित की गई है।

शिक्षा समिति

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में देश में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों और मुद्दों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति गठित की गई है। यह समिति 13–सदस्यीय समिति है, जिसमें आयोग की अध्यक्ष, तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिसंख्यक सदस्य तथा शिक्षा के क्षेत्र से सदस्य शामिल किए गए हैं।

अनुसंधान अध्ययन हेतु बैंक गारंटी शुरू करना : यह ध्यान में आया कि अनेक गैर–सरकारी संगठनों ने अनुमोदित राशि की पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हो जाने के पश्चात भी अनुसंधान अध्ययनों से संबंधित अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं। इस मामले को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने काफी गंभीरता से लिया है और चूककर्ताओं से वसूली की सलाह दी है।

तदनुसार आयोग ने 23.04.2010 को सम्पन्न अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि चयनित गैर–सरकारी संगठनों से कहा जाए कि वे उन्हें निधि जारी करने से पूर्व संस्वीकृत राशि के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करें ताकि चूक/विलंब की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी भुनाई जा सके। अतः अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों के लिए अक्तूबर, 2010 से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की बात लागू की गई है।

वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। इन अनुसंधान अध्ययनों का सार नीचे दिया गया है:

1. ओडीशा और दिल्ली में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की प्रकृति, विस्तार और प्रभाव के संबंध में प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन – एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा संचालित

अध्ययन के उद्देश्यः

1. महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की प्रकृति, विस्तार और घटना का अध्ययन करनाः

   i. परंपरागत लिंग आधारित भूमिकाओं और घरेलू हिंसा के बीच संबंध ज्ञात करना।

   ii. यह ज्ञात करना कि क्या निर्भरता, चाहे वह व्यक्तिपरक हो या व्यक्ति–सापेक्ष या दोनों, घरेलू हिंसा के कारण, परिस्थिति या प्रेरक कारण है।

   iii. यह ज्ञात करना कि क्या दुर्व्यवहार की शिकार महिला अनौपचारिक या औपचारिक एजेंसियों की सहायता लेती है और ये एजेंसियां दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की समस्याओं के समाधान में किस हद तक सफल होती हैं।

iv. उन कारणों का पता लगाना, जिसके कारण दुर्व्यवहार की शिकार महिलाएं अपने बिगड़ चुके संबंधों के बावजूद अपने उस घर में रहना चाहती हैं।

v. दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं, उनके बच्चों तथा परिवार के भीतर संबंधों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव का पता लगाना।

vi. महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करने, उसे न्यूनतम करने, यदि संभव हो तो उसके उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव देना।

क्रियाविधिः

- मौजूदा अध्ययन चयनित राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया गया।
- परियोजनात्मक यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के माध्यम से 500 परिवारों का चयन किया गया ताकि चयनित परिवार विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों और धर्मों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करें।
- प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपायों और तकनीकों का प्रयोग किया गयाः

1. महिला प्रत्यर्थियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम।
2. जांचकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षण कार्यक्रम।
3. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ अनौपचारिक विचार–विमर्श।
4. जिन महिलाओं का साक्षात्कार किया गया, उन्हें छोड़कर, अन्य महिलाओं के साथ केंद्रित समूह विचार–विमर्श।
5. द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण समन्वयक और अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया।

निष्कर्ष

- चयनित राज्यों (दिल्ली और उड़ीसा) में 504 प्रत्यर्थियों में से 167 (लगभग 33 प्रतिशत) 25–30 वर्ष की आयु–समूह की हैं, जिनके पश्चात 25 प्रतिशत (127) प्रत्यर्थी 31–35 वर्ष की आयु–समूह के तथा लगभग 18 प्रतिशत 18–24 वर्ष की आयु–समूह की हैं।
- चयनित प्रत्यर्थियों में से 46 प्रतिशत निरक्षर तथा 27 प्रतिशत शिक्षित थी।
- राज्य–वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि दिल्ली में 250 प्रत्यर्थियों में से 90 प्रतिशत घरेलू महिलाएं थीं, 4.4 प्रतिशत नौकरी में थीं, 3.2 प्रतिशत घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं तथा 1.6 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी थीं एवं 1 प्रतिशत से भी कम अर्थात 0.4 प्रतिशत महिलाएं अपने कारोबार में लगी थीं। ओडीशा के मामले में, लगभग 73 प्रतिशत महिलाएं गृहणियां थीं, 14 प्रतिशत महिलाएं नैमित्तिक मजूदरी से जुड़ी थीं, 4.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी में, 3 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कर्मचारी के रूप में तथा 2.8 प्रतिशत महिलाएं कृषि श्रमिक थीं।
- जाति–वार आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 83 प्रतिशत महिलाएं हिंदू जाति, 14 प्रतिशत मुस्लिम जाति, 3 प्रतिशत ईसाई तथा 2 और 1 प्रतिशत महिलाएं क्रमशः सिख और जैन धर्मावलंबी थीं।

- राज्य–वार आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि दिल्ली में 19 प्रतिशत प्रत्यर्थियों और ओडीशा में 29 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने यह बात बताई कि उनकी ससुराल के लोग उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जबकि दिल्ली में 81 प्रतिशत तथा ओडीशा में 71 प्रतिशत प्रत्यर्थियों को ऐसी कोई शिकायत नहीं थी।
- 9 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने यह बात बताई कि वे विवाह से पूर्व यौन दुराचार का शिकार हुई हैं। तथापि, राज्य–वार आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि ओडीशा में 17 प्रतिशत प्रत्यर्थियों को विवाह–पूर्व यौन दुराचार का शिकार होना पड़ा है जबकि दिल्ली के संबंध में यह आंकड़ा केवल 0.8 प्रतिशत का है।
- पैर से ठोकर मारने, चीजों को फेंक कर मारने और जलाने जैसी शारीरिक हिंसा की घटना क्रमशः 27 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 11 प्रतिशत सूचित की गई। डंडे से मारने और रस्सी से बांधने की घटना के संबंध में केवल ओडीशा से सूचना प्राप्त हुई। ओडीशा में यौन संघर्ष का प्रतिशत (लगभग 11 प्रतिशत) दिल्ली (19 प्रतिशत) की तुलना में कम है।
- घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी कुछ महत्त्वपूर्ण कारणों में पति का शराब का व्यसनी होना (49 प्रतिशत), पति का बेकार रहना (40 प्रतिशत), कार्यस्थल पर समस्याओं के कारण पति का निरंतर दबाव में रहना और तनावपूर्ण रहना (23 प्रतिशत), दहेज (31 प्रतिशत) प्रत्यर्थियों का विवाह–पूर्व प्रेम संबंध रखने की आशंका (25 प्रतिशत), शिक्षा की कमी (22 प्रतिशत), प्रत्यर्थियों द्वारा यौन दुराचार का प्रतिरोध करना (20 प्रतिशत), परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में अक्षमता (18 प्रतिशत) शामिल हैं।
- अध्ययन रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि आय अर्जित नहीं करने वाली महिलाओं के मामले में हिंसा की घटनाएं सर्वाधिक हैं, जिसका प्रतिशत लगभग 90 है और ऐसी महिलाओं के बारे में यह भी सूचित हुआ है कि वे सभी प्रकार की यातनाओं को सहन करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उनके पास घर से बाहर जाकर काम करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है।

2. महिला सशक्तीकरण पर रिपोर्ट – पंचायतों में महिलाओं की अधिक भागीदारी – उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन – बिंदु, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा संचालित

अध्ययन का उद्देश्यः

- पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार करना और निम्नलिखित उद्देश्यों से उसका विश्लेषण करनाः
  - ❖ समस्या और उसकी गंभीरता इंगित करना।
  - ❖ उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहां सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है – आवश्यकता मूल्यांकन।
- भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं के जीवन पर हुए प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- संस्थागत ढांचे पर विशेष बल देते हुए तथा इस ढांचे में महिला पंचायत सदस्यों की भूमिका के साथ प्रबंध तंत्र में परिवर्तन का अध्ययन करना।
- चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की क्षमता सुदृढ़ करने के लिए सिफारिश करना।
- मौजूदा परिस्थितियों में सुधार लाने और नीतिगत स्तर पर आयोजना को सुकर बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देना।

क्रियाविधिः

इस अध्ययन हेतु सूचनाओं के प्राथमिक और उसके साथ ही द्वितीयक स्रोतों का भी उपयोग किया गया। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से सूचना के संग्रहण हेतु संरचित आरूपों का प्रयोग किया गया। संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए महिला ग्राम प्रधान और खंड विकास सदस्यों के साथ एक परस्पर क्रियात्मक कार्यशाला आयोजित करने की योजना है। संक्षेप में, आंकड़ा संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया गयाः

- 100 ग्राम पंचायतों का क्षेत्रीय दौरा।
- 100 महिला पंचायत सदस्यों का साक्षात्कार।
- 10 समूह बैठकें।
- एक कार्यशाला।
- सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक।
- उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों/अध्ययनों की समीक्षा

निष्कर्ष :

- उत्तराखंड राज्य में पहला पंचायत चुनाव मार्च, 2003 में हुआ था, जिसमें 35.24 प्रतिशत महिलाओं महिलाओं का प्रतिनिधित्व था।
- **जनसंख्या आकार :** उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या में पर्याप्त बदलाव आया है – 100 से भी कम से लेकर (कुछ मामलों में इनकी संख्या 43, 47 और 52 जितनी कम थी जबकि प्रत्येक परिवार में एक सदस्य परिवार का सदस्य था) से लेकर 1991 की जनगणना के अनुसार 10000 से भी अधिक।
- **प्रत्यर्थियों का प्रोफाइल :** सभी सर्वेक्षित 102 पंचायत प्रधानों में से अधिकतम 52.94 प्रतिशत 30–54 आयु–समूह के अंतर्गत हैं।
- कवर की गई संख्या में 52.82 प्रतिशत सामान्य जाति श्रेणी के हैं।
- लगभग 26 प्रतिशत पंचायत प्रमुख निरक्षर या केवल साक्षर मात्र हैं।
- सभी संरक्षित महिला ग्राम प्रधानों में से लगभग 35.29 प्रतिशत शिक्षित हैं, जिनमें से 7.84 प्रतिशत स्नातक है।
- प्रत्यर्थियों के शिक्षा प्रोफाइल से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश शिक्षित महिला पंचायत प्रमुख सामान्य जाति समूह की हैं।
- शिक्षित श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की केवल दो पंचायत प्रमुख हैं।
- एक आश्चर्यजनक तथ्य यह ज्ञात हुआ कि जिन पांच महिलाओं ने दूसरी बार पंचायत प्रमुख का चुनाव जीता और जिनका साक्षात्कार लिया गया, उनकी शैक्षणिक योग्यता काफी कम थी और वे पिछड़ी जाति से थीं और 34–40 वर्ष की आयु–समूह के बीच की थीं।

- लगभग 37 प्रतिशत महिला पंचायत सदस्यों ने "आरक्षण" के प्रावधान का उपयोग किए बिना आगामी पंचायत चुनाव लड़ने में अपनी रुचि दर्शाई।
- एक अन्य बात यह भी ज्ञात हुई कि लगभग 80 प्रतिशत मौजूदा महिला पंचायत सदस्यों ने सकारात्मक रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे अपने–अपने गांवों में महिला उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी।
- गढ़वाल मंडल में क्षेत्रीय और जिला पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या संस्तुत संख्या से कहीं अधिक है तथा आधार स्तरीय राजनीति में ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम प्रधानों की संख्या अधिक है।
- अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि आरक्षण महिलाओं को "सत्ता और राजनीति" में रुचि लेने के लिए महिलाओं को वस्तुतः सशक्त बनाता है। इससे महिलाओं को सामुदायिक विकास हेतु अवसर प्राप्त होता है तथा उन्हें अगले कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने/ महिला उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए साहस प्राप्त होता है।
- देहरादून और हरिद्वार जिले में ग्राम सभा के चुनाव में पहले से विद्यमान महिला ग्राम प्रधानों को सर्वाधिक संख्या में दूसरी बार चुना गया।
- बहुत अधिक संख्या में महिला पंचायत प्रधानों ने यह कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान "सामुदायिक सम्मान" उनके लिए सर्वाधिक लाभकारी उपलब्धि थी।
- राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता महिला ग्राम प्रधानों ने कहा कि "राज्य के भीतर और राज्य से बाहर सरकारी विभाग और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई 'औपचारिक प्रशिक्षण सुविधा और कार्य की दशाओं से परिचय' से उन्हें वास्तविक अर्थों में सशक्तीकरण प्राप्त हुआ है।
- पंचायत राज के सदस्यों ने यह महसूस किया कि राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हुई हैं।
- लगभग 24.2 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने कहा कि पंचायतों के पास पंचायत क्षेत्र के भीतर छोटे–छोटे विवादों का समाधन करने के लिए शक्तियां होनी चाहिए।
- इन पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा विनियमों से संबंधित ज्ञान की गुणवत्ता ऐसी नहीं है कि वे पंचायत से संबंधित कार्यों का पारदर्शी रूप में निपटान कर सकें। निष्कर्ष यह है कि पंचायत के कार्यक्रम की संवैधानिक प्रक्रिया का कम ज्ञान तथा सामुदायिक कार्य को निपटाने के लिए अनुभव की कमी आदि से पंचायत के क्रियाकलापों को निपटाने में कठिनाइयां आती हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श करने तथा आंकड़ों के प्रक्रमण तथा विश्लेषण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि "महिलाएं अनेक बाधाओं का सामना करने के बावजूद राजनीति में बहुत अधिक रुचि ले रही हैं।"

3. दक्षिणी राजस्थान में पुरुष सदस्यों के प्रवास के कारण ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन – जतन संस्थान, राजसमंद, राजस्थान द्वारा संचालित अध्ययन कार्यक्रम

अध्ययन के अद्देश्यः

1. दक्षिणी राजस्थान प्रवासी पुरुषों के परिवारों में महिलाओं की स्थिति ज्ञात करना।

2. पुरुषों के उपस्थित न होने से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समग्रता से समझना।

3. इन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन करना।

4. इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की तलाश करना और तत्संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

क्रियाविधिः

- अध्ययन कार्यक्रम उदयपुर और राजसमंद जिलों के चार खंडों में आयोजित किया गया। अनुमानित प्रवसन दर के आधार पर इन दोनों जिलों में यादृच्छिक रूप से 10 जिलों का चयन किया गया।
- 10 गांवों से कुल पर्यवेक्षित परिवारों की संख्या 160 थी।
- महिलाओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक स्वयं तैयार की गई प्रश्नावली का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इन चुनी गई महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए।

निष्कर्षः

- जिले में प्रति व्यक्ति आय 5125 रुपए परिकलित की गई।
- लगभग 55.2 प्रतिशत आबादी कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय से जुड़ी है।
- अधिकांश श्रमिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं।
- अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि प्रवसन करने वाले श्रमिकों में सर्वाधिक संख्या राजपूत जाति के लोगों की होती है, जिनके पश्चात गामिट और मीणा समुदाय के लोगों की संख्या है। इन तीनों जातियों के लोग मुख्य रूप से कृषक हैं जबकि अन्य जातियों से जुड़े लोग आमतौर पर व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं।
- इन कुल 160 परिवारों में से 37 परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार थे। औसतन परिवार आकार प्रति परिवार चार बच्चों का था। औसतन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में कम थी।
- प्रवसन के लिए उत्तरदायी कारणों को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता हैः
  - ❖ **दबाव कारक** : लोग आमतौर पर गरीबी, जमीन पर जनसंख्या का घटता दबाव, बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाएं जैसेकि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवसन करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त, सूखे आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रवसन हेतु अतिरिक्त कारण था।
  - ❖ **प्रवास हेतु आकर्षण के कारण** : बेहतर अवसर, नियमित कार्य की उपलब्धता तथा अपेक्षाकृत रूप में उच्च दर पर मजदूरी। शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत उपलब्ध होने के कारण प्रवसन को बल मिला।
- अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और बंगलौर जैसे बड़े शहरों ने नाथद्वारा, हंडेलिया, चोटिला आदि जैसे छोटे शहरों की तुलना में अधिक संख्या में प्रवासियों को आकर्षित किया है।

- प्रवासी व्यक्तियों की मासिक आय 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच है, जो संबंधित शहर और व्यक्ति द्वारा अपनाए गए पेशे पर निर्भर है।
- यह ज्ञात हुआ कि 64 प्रतिशत परिवार प्रवासी व्यक्ति की आय पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इन परिवारों के पास आय का कोई भी दूसरा स्रोत उपलब्ध नहीं है।
- यह ज्ञात हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मौसमी बीमारियों और बुखार आदि से पीड़ित रहती हैं। कमजोरी, शरीर और हाथ–पैरों में दर्द, सर्दी–जुकाम आदि इन सर्वेक्षित गांवों में आमतौर पर पाए जाने वाली समस्याएं हैं।
- 160 महिलाओं में से 70 महिलाओं ने यह सूचित किया है कि उन्हें कभी भी अपने में आत्मविश्वास की कमी महसूस नहीं हुई।

4. सामाजिक, आर्थिक और भूमि की असमानता के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की दशा : कुमाऊँ की पहाड़ियों के संबंध में एक मामला अध्ययन – कुमाऊँ एडवेंचर एंड एनवायरनमेंट फेलोशिप खत्यारी टॉप, विवेकानंदपुरी, अल्मोड़ा–263601, उत्तराखंड द्वारा संचालित अध्ययन कार्यक्रम

अध्ययन के उद्देश्यः

1. कृषि कार्य में लगी महिलाएं : परिवार, गांव और समग्रतः कुमाऊँनी समाज में सामाजिक और स्थानीय क्षेत्र से प्रवास के संदर्भ में उनकी स्थिति ज्ञान करना।
2. ग्रामीण कुमाऊँ (पहाड़ी) क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका ज्ञात करना।
3. महिला–कृषि–वन के बीच गतिक संदर्भों का अध्ययन।
4. पारस्परिक संबंध ।
5. पहाड़ी क्षेत्र में कृषि पर पर्यावरण के प्रभाव तथा ग्रामीण महिलाओं द्वारा कड़ी मजदूरी, उनके सामाजिक जीवन और पारिवारिक मामलों पर इसके निवल प्रभाव का अध्ययन करना।
6. कृषि महिलाओं के कार्यकरण का प्रोफाइल। स्थान–कालिक प्रणाली तथा कार्य पैटर्न में परिवर्तन।
7. कृषि महिलाएं तथा कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में उनकी सोच।
8. कृषि के संबंध में विभिन्न आय समूहों की महिलाओं की बदलती हुई प्रवृत्ति।
9. कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों में लगी महिलाओं की दशा में सुधार और विकास लाने के लिए उपचारात्मक उपाय तथा जिला, राज्य, केंद्र प्राधिकरणों और संबंधित विभागों के लिए सिफारिशों का प्रारूप तैयार करना।

क्रियाविधिः

- कुमाऊँ पहाड़ी में ग्रामीण महिलाओं की दशा समझने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े संगृहीत किए गए।
- सर्वेक्षण परिवार स्तर पर किया गया तथा परिवारों का चयन इस प्रकार किया गया कि तीनों सामाजिक श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य) के प्रतिनिधि कवर किए जा सकें।

- चार अंचलों में यादृच्छिक रूप से कुल 54 गांवों का चयन किया गया, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:
  - ❖ शिवालिक अंचल – 5 गांव
  - ❖ लघु हिमाचल अंचल – 30 गांव
  - ❖ बृहद हिमाचल अंचल – 12 गांव
  - ❖ हिमाचल पार के अंचल – 7 गांव

निष्कर्ष:

- कुमाऊँ क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को इस क्षेत्र की भू–भौतिक दशाओं के कारण अत्यधिक कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कृषि कार्य में महिलाओं की भूमिका इस पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- महिलाओं के जगे रहने के घंटों की वार्षिक औसत अवधि 16.39 घंटा है। इसमें से 10.53 घंटे घर से बाहर क्रियाकलापों, 5.08 घंटे घर के भीतर किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा केवल 0.38 घंटे (38 मिनट) का समय आराम से बैठने या मनोरंजन से जुड़े क्रियाकलापों को करने में व्यतीत होता है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 65.36 प्रतिशत, 30.83 प्रतिशत और 3.80 प्रतिशत है।
- घर से बाहर किए जाने वाले संपूर्ण क्रियाकलापों के लिए समय (10.53 घंटे) में से सर्वाधिक समय (52.68 प्रतिशत) कृषि कार्य में व्यतीत होता है, जिसके बाद चारा संग्रहण हेतु व्यतीत समय (16.54 प्रतिशत) और पशुपालन पर व्यतीत समय (13. 78 प्रतिशत) का स्थान है। घर से बाहर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में से, इन महिलाओं का जलावन, लकड़ी एकत्र करने में सर्वाधिक कम समय (9.0 प्रतिशत) व्यतीत होता है।
- भू–उपयोग आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुमाऊँ क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक (18.9 प्रतिशत) है, जिसके पश्चात पिथौरागढ़ (13.5 प्रतिशत) और नैनीताल (7.74 प्रतिशत) का स्थान आता है।
- इस क्षेत्र में जोत छोटे आकार के हैं और कई टुकड़ों में बंटे हैं। छोटे–छोटे जोत होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र में कृषि का कार्य अधिक लाभकारी नहीं है तथा खेत के बहुत छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण महिलाओं को अत्यधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुर्भाग्य से छोटे–छोटे जोत और भी छोटे होते जा रहे हैं तथा इनका दिनानुदिन और अधिक संख्या में विभाजन किया जा रहा है।
- विभिन्न आकार समूह में जोतों के वितरण पैटर्न से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 24 प्रतिशत भाग में जोत का आकार एक हेक्टेयर से कम है। लगभग 16 प्रतिशत जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है।
- फसल पैटर्न में हिमालय पार की घाटियों को छोड़कर, जहां फसल बोने की केवल एक ही ऋतु उपलब्ध होती है, को छोड़कर, विभिन्न घाटियों और विभिन्न अंचलों में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है।
- 38 प्रतिशत प्रत्यर्थियों की यह राय थी कि "सिंचाई की कमी" या वर्षा आधारित कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की स्थिति दयनीय होने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है।

- ग्रामीण कुमाऊँ क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य की समग्र तस्वीर यह दर्शाती है कि 64.13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का स्वास्थ्य औसत है जबकि इस क्षेत्र के 20 प्रतिशत निवासियों का स्वास्थ्य उत्तम श्रेणी का और इस क्षेत्र में कुल आबादी के 1/6 भाग का स्वास्थ्य निम्न श्रेणी का है।

5. दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विकल्पों के संबंध में अनुसंधान अध्ययन – डॉ. एल.एन. दधीच द्वारा संचालित

अध्ययन का उद्देश्यः

1. दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की स्थिति तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विकल्पों का अध्ययन करना।
2. दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आकलन करना।
3. दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत उपायों का सुझाव देना।

क्रियाविधिः

- अध्ययन संगृहीत प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर किया गया तथा दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) क्षेत्र में चुनिंदा गांवों और परिवारों के स्तर पर पीआरए आयोजित किया गया।
- यह अध्ययन कार्यक्रम उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ जिलों में एवं झाडौल, कुशलगढ़, बागीडोरा, धारियावाड़ और डूंगपुर तहसीलों में आयोजित किया गया। प्रत्येक चयनित तहसील में इस अध्ययन हेतु दो ग्रामीणों का चयन किया गया। चुने गए गांवों में इस अध्ययन हेतु 15 परिवारों का चयन किया गया। इस अध्ययन हेतु कुल मिलाकर 150 परिवारों का चयन किया गया।

निष्कर्ष

- जनजातीय परिवार का औसत आकार 6 सदस्यों का है तथा महिला सदस्यों की संख्या पुरुष सदस्यों की संख्या से अधिक है। जनजातीय परिवारों के समग्र लैंगिक संघटन से यह ज्ञात होता है कि इन परिवारों में लड़कों और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
- 380 पुरुष सदस्यों में से 26.32 प्रतिशत पुरुष जनजातीय आबादी निरक्षर है। इसी प्रकार, 382 महिला सदस्यों में से 44. 50 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। पुरुष सदस्यों के मामले में 30.5 प्रतिशत, 21.8 प्रतिशत, 14.1 प्रतिशत आबादी क्रमशः प्राथमिक विद्यालय के स्तर, मध्य विद्यालय के स्तर तथा उच्च विद्यालय के स्तर तक शिक्षित है।
- शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव का परिकलन शिक्षित पुरुष–महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। संपूर्ण प्रतिदर्श में से औसतन 1.55 पुरुष तथा 1.01 महिलाएं शिक्षित थीं।
- कृषि जोतों का समग्र औसतन आकार लगभग 4 बीघा या 1 हेक्टेयर था, जिसमें से 1.39 बीघा सिंचित भूमि, 2.49 असिंचित भूमि थी और 0.11 बीघा भूमि में कृषि कार्य नहीं किया जाता था। झिकली (कुशलगढ), डुंगियों की सेर (बागीडोरा) और भोकलापाल (डूंगरपुर) जैसे गांवों में कृषि जोत का अधिकांश भाग असिंचित था। सिंचाई का स्रोत मुख्य रूप से कुएं का जल था।

- जनजातीय परिवार कृषि कार्यों के लिए मुख्य रूप से पशुओं पर आधारित हैं। चयनित 150 जनजातीय परिवारों में से 76 परिवारों के पास गाय, 64 परिवारों के पास भैंस, 113 परिवारों के पास बकरियां, 18 परिवारों के पास भेढ़, 112 परिवारों के पास बैल और 82 परिवारों के पास मुर्गियां थीं।

- चयनित 150 परिवारों में से 110 परिवारों ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में रुचि दिखाई। औसत महिलाओं के कार्य समय का 29 प्रतिशत घरेलू कार्य को करने में व्यतीत होता है। वे लगभग 41 प्रतिशत समय कृषि कार्य में लगाती हैं।

- जनजातीय महिलाएं प्रतिदिन 10–11 घंटे तक कार्य करती हैं। फसल उत्पादन से संबंधित कार्य पर उनके द्वारा व्यतीत किया गया समय सर्वाधिक व्यस्तता वाली अवधि में 4.8 घंटे प्रतिदिन और अव्यस्त अवधि में 1.7 घंटे प्रतिदिन है। मवेशियों की देखभाल के लिए उनके द्वारा क्रमशः 1.2 घंटे और 2.2 घंटे व्यतीत किए जाते हैं। दोनों अवधियों में जलावन के लिए सामग्री संग्रहण पर लगभग एक घंटे का समय व्यतीत किया जाता है। इसी प्रकार घरेलू कार्यों में भी उनका प्रतिदिन लगभग 2 घंटे का समय व्यतीत होता है। उनके श्रम के घंटों में एक निश्चित अंतर दिखाई देता है तथा सर्वाधिक व्यस्तता की अवधि में यह समय 0.5 घंटे प्रतिदिन तथा अव्यस्त अवधि में यह समय 2.9 घंटे प्रतिदिन का है।

- 10 गांवों में से 6 गांवों में परिवार के सदस्य काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर प्रवसन करते हैं। इसमें कृषि कार्य हेतु निकट स्थित राज्यों में मौसमी और वार्षिक प्रवसन तथा मजदूरी का काम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवसन शामिल है।

- अधिकांश जनजातीय महिलाएं आमतौर पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए और विशेषकर जनजातीय महिलाओं के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रमों के बारे में अवगत नहीं हैं। कुछ महिलाओं को "आंगनवाड़ी", "जननी सुरक्षा" आदि जैसे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी है। लगभग सभी जनजातीय महिलाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चलाए जाने वाली योजनाओं के बारे में जानती हैं।

6. संसाधनों की समान रूप से उपलब्धता में लिंग आधारित आंकड़ों में अंतराल विषय पर अनुसंधान अध्ययन करना : साथी ऑल फॉर पार्टनरशिप (एसएएफपी) – ई–09, आनंद लोक, मयूर विहार, फेस–1, नई दिल्ली द्वारा संचालित

अध्ययन का उद्देश्यः

1. महिला कामगारों की भूमि और गृह संपत्ति पर स्वामित्व संबंधी मामलों का गुणात्मक रूप में आकलन करना;
2. कामकाजी महिलाओं की नौकरियों, कौशल प्रशिक्षण, ऋण और अन्य सेवाओं सहित आजीविका के संसाधनों तक पहुंच की स्थिति का आकलन करना; और
3. उन उपायों की पहचान करना, जिनके द्वारा महिलाओं की पहुंच और आजीविका के संसाधनों पर उनके स्वामित्व में वृद्धि की जा सके और उन्हें अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

क्रियाविधिः

- वर्तमान अध्ययन हेतु चेन्नै, फरीदाबाद, मेरठ और लखनऊ, अगरा, कानपुर, पटना, लुधियाना, भोपाल, सूरत, जयपुर और दिल्ली का चयन किया गया। अध्ययन के उद्देश्य से एसएएफपी ने प्रत्येक श्रेणी में से प्रतिदर्श का चयन किया।

- अध्ययन हेतु द्वितीयक और प्राथमिक आंकड़े संग्रहीत किए गए। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम, लक्षित समूह के साथ विचार–विमर्श और विशेष मामला अध्ययन के जरिए निर्माण उद्योग में या या घरेलू कर्मचारियों के रूप में काम कर रही महिलाओं से किया गया।

- साक्षात्कार कार्यक्रमों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण मुख्य रूप से हार्बर्ड ढांचे के अनुरूप किया गया। समुदाय में लक्षित समूह के साथ और शिक्षाविदों के साथ विचार–विमर्श के दौरान परिवार और समुदाय के भीतर संसाधन वितरण के संबंध में एक समझ विकसित करने के लिए लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स का काफी अधिक प्रयोग किया गया।

- 130 चयनित प्रत्यर्थी निर्माण श्रमिकों, घरेलू कर्मचारियों, कपड़े धोने के कार्य में लगी महिलाओं, महिला विक्रेताओं और उद्यमियों, सूखे मेवों की साफ–सफाई और पैकिंग के कार्य में जुड़ी दिहाड़ी श्रमिकों और महिला दर्जियों की श्रेणी से थे जबकि 34 महिला प्रत्यर्थी 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक आय–समूह से संबंधित थीं।

निष्कर्ष:

- स्कूली शिक्षा तक पहुंच के मामले में लिंग संसाधन के बीच अंतराल लगभग चेन्नै और दिल्ली के समान है जबकि भोपाल में यह अंतराल काफी अधिक है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि **संसाधन विकसित किए गए हैं और उन तक महिलाएं पहुंच रही हैं।** लैंगिक विषमता शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्धि के स्तर में दिखाई देती है जिससे यह ज्ञात होता है कि तीनों शहरों में विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का अनुपात अधिक है। तथापि, विद्यालय में ऊंची कक्षाओं में अर्थात मध्य और माध्यमिक स्तर तक आते–आते लैंगिक संसाधन अंतराल में वृद्धि होती है जो महिलाओं के प्रतिकूल है।

- सर्वेक्षित परिवारों के सभी कामकाजी सदस्यों के व्यावसायिक पैटर्न से यह ज्ञात होता है कि महिलाएं निम्न कौशल के रोजगारों में लगी हैं। उच्च कौशल वाले रोजगारों में उनका प्रतिशत कम है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि महिलाएं की ऐसे संसाधनों तक पहुंच नहीं है जिनसे कौशल प्राप्त होता हो या उसका स्तरोन्नयन होता हो।

- महिलाओं के लिए अनुपयुक्त व्यवसाय के संदर्भ में लैंगिक संसाधन अंतराल में निम्नलिखित शामिल हैं:

  - ❖ कौशल संवर्धन के स्रोतों तक पहुंच में कमी।
  - ❖ रोजगार हेतु विभिन्न/वैकल्पिक अवसरों तक पहुंच में कमी।
  - ❖ कम कौशल वाले कामों में रोजगार और मजदूरी के संदर्भ में महिलाओं का नियंत्रण कम या मध्यम होना।

- परिवार में महिलाओं द्वारा कार्य हेतु लगाया गया समय।

  - ❖ 90 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सूचित किया गया कि वे इस संबंध में 9 घंटे का समय लगाती हैं।
  - ❖ 8 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सूचित किया गया कि वे इस संबंध में 10–11 घंटे का समय लगाती हैं।
  - ❖ 2 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सूचित किया गया कि वे इस संबंध में 14 घंटे का समय लगाती हैं।

- आजीविका के संसाधनों की जानकारी

  - ❖ कोई भी महिला प्रत्यर्थी क्षेत्र में आजीविका के किसी भी अन्य संसाधन उन तक पहुंच और स्वामित्व स्थापित करने के संबंध में अवगत नहीं थी। इस संबंध में पुरुषों को जानकारी, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध उपलब्ध थे। शिक्षित पुरुष, समाचारपत्र, पत्रिका आदि पढ़ते थे तथा उनके पास इंटरनेट खंगलाने का भी समय उपलब्ध था।

- महिलाओं की आय की अभिरक्षा
  - ❖ 52 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अपने पैसे अपने पास रखती हैं।
  - ❖ 16 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का कहना है कि वे अपनी और अपने पति की आय एकसाथ रखती हैं।
  - ❖ 31 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अपने द्वारा अर्जित धन को अपने पति या ससुराल के लोगों को सौंप देती हैं।
- महिला द्वारा अर्जित धन का व्ययन
  - ❖ 63 प्रतिशत महिलाएं अपनी आय को पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करती हैं।
  - ❖ 16 प्रतिशत महिलाओं ने विशेष तौर पर यह कहा कि वे अपनी आय को बच्चों की शिक्षा पर व्यय करती हैं।
  - ❖ 9 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे अपनी आय को मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु व्यय करती हैं।
- खरीद–फरोख्त के संबंध में निर्णय
  - ❖ 56 प्रतिशत महिलाओं का निर्णय घरेलू वस्तुओं की खरीद के मामले में सर्वमान्य होता है, किंतु संपत्ति और परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में 38 प्रतिशत महिलाओं द्वारा राय दी जाती है।
  - ❖ आजीविका से संबंधित वस्तुओं और उपकरणों की खरीद के मामले में यह प्रतिशत घटकर 18 प्रतिशत हो जाता है।
- संपत्ति की रक्षा
  - ❖ 22 प्रतिशत महिलाएं पैसे को बचा पाने में सक्षम नहीं होती।
  - ❖ केवल 15 प्रतिशत महिलाओं की बैंकों तक पहुंच है।
  - ❖ अधिकांश महिलाएं अपनी बचत राशि को अपने पास रखना चाहती हैं (44 प्रतिशत) या उस राशि को अपने मायके में सुरक्षित रखने के लिए भेजना पसंद करती हैं (17 प्रतिशत)।
- ऋण लेने का स्रोत
  - ❖ 28 प्रतिशत महिलाएं अपने पड़ोसियों से ऋण लेती हैं और केवल 5 प्रतिशत प्रत्यर्थी ऋण लेने के लिए बैंकों तक पहुंचते हैं।
  - ❖ एक बडी संख्या में महिलाएं (38 प्रतिशत) अपने नियोक्ता से ऋण लेती हैं, जिसके कारण रोजगार की शर्तों के संबंध में अपने नियोक्ता से बात करने की उनकी क्षमता और अधिक कमजोर हो जाती है।
  - ❖ महिलाएं केवल उन्हीं बाजारों तक जाती हैं जहां वे ग्राहक के रूप में आती रहती हैं। अन्य संस्थाओं के मामले में, चाहे वह सरकारी संस्था हो या गैर–सरकारी, उनकी पहुंच लगभग न्यूनतम है।
- कार्यस्थल हेतु सुविधा

  कार्यस्थल की सुविधा के बारे में पूछे जाने पर महिलाओं ने स्पष्टतः यह कहा कि:
  - ❖ कार्यस्थल उनके निवास स्थान के निकट होना चाहिए।
  - ❖ कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए, दिल्ली की मुस्लिम महिलाओं ने कार्यस्थल के चारों और चारदीवारी और प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में विशेष रूप से बल दिया।

- ❖ वहां सामान आदि रखने की जगह होनी चाहिए।
- ❖ वहां विक्रय और क्रय केंद्र होने चाहिए।
- ❖ वहां कुछ उत्पादन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- ❖ इसका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए।
- ❖ ओखला क्षेत्र में रहने वाली प्रत्यर्थियों ने कहा कि ऐसी सुविधाओं के उपयोग हेतु कोई शुल्क नहीं होना चाहिए, किंतु दिल्ली में और चिल्ला गांव में महिलाएं काम शुरू होने के बाद इस संबंध में इच्छुक थी (काम जम जाए, फिर फीस देंगे)।
- ❖ कम से कम 20 महिलाएं एकसाथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।

- 80–90 प्रतिशत निर्धन महिलाओं को काम करने की आवश्यकता है ताकि वे परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समर्थ बना सकें। जब उन्होंने शहर का रुख किया था, तो उसके पास कोई कौशल नहीं था। अतः जिस सर्वाधिक आसान काम को वे कर सकते हैं, वह है नैमित्तिक मजदूर के रूप में या घरेलू कर्मचारी के रूप में काम करना।

"उत्तराखंड में महिलाओं से संबंधित समस्याओं" पर सेमिनार का आयोजन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 28.03.2011 को देहरादून में "उत्तराखंड में महिलाओं से संबंधित समस्या" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें 350 लोगों ने भाग लिया, जिनमें उतराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, उत्तराखंड की प्रथम महापौर (मेयर) श्रीमती मनोरमा गैदरियाल शर्मा और अन्य अनंक गणमान्य सदस्य शामिल थे।

देहरादून में "उत्तराखंड में महिलाओं से संबंधित समस्या और महिला सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करती हुई आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास (बाएं से)

इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में संपूर्ण स्थिति पर चर्चा की गई। दहेज अधिनियम के एक हिस्से के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क से संबंधित मामला उठाया गया और इस बात पर बल दिया गया कि इसका कार्यान्वयन उपयुक्त रूप में किया जाए तथा महिलाओं की ससुराल पक्ष के लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए इसका दुरुपयोग न किया जाए। यह पाया गया कि हालांकि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अपराध के मामलों की संख्या काफी कम है, किंतु इस संबंध में प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है तथा महिलाओं के साथ अपराध से संबंधित मामलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को पंजीकृत न करके उदासीनता बरती जा रही है और पुलिस द्वारा आंकड़े और रिकार्ड के प्रयोजनार्थ ऐसे मामलों को दबाया जा रहा है ताकि राज्य में अपराध की दर को कम करके दिखया जा सके। कुछ ऐसे मामले भी हुए जिनमें पुलिस तंत्र द्वारा कोई विशेष अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि औपचारिकता के रूप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। कुछ मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और यदि दर्ज भी गई तो पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता से छानबीन नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप अपराधी न्यायालय से छूट गया।

इस बात पर बल दिया गया कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र पंजीकृत की जानी चाहिए तथा पीड़ित पक्ष का बयान 3 से 7 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए तथा अपराधी पर 21 दिनों के भीतर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों का निपटान फास्ट ट्रैक न्यायालय में किया जाए।

यह देखा गया कि राज्य में महिलाओं के अनैतिक व्यापार का मामला काफी कम है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तराखंड को अपनी प्राथमिकता की सूची में रखा है। यह ज्ञात हुआ कि इस राज्य से गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के अंतर्गत एक भी दोषसिद्धि का मामला सूचित नहीं हुआ है जबकि यह समझा जाता है कि बालिका शिशु हत्या की घटनाएं गांवों में बड़ी–बूढ़ी अनुभवी महिलाओं की सहायता से घटित होती हैं जिनमें ये महिलाएं नवजात बालिका शिशु की गला घोंटकर या अन्य तरीकों आदि को अपनाकर हत्या कर देती हैं। यह सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एक निगरानी समिति गठित की जाए।

अंत में इस बात पर बल दिया गया कि इस कानून की समीक्षा करने और यदि ये अप्रभावी पए जाते हों तो इनमें आवश्यक संशोधन करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका एवं स्वास्थ्य और चिकित्सीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करे तथा महिलाओं में क्षेत्र स्तर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उत्तराखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा जाए।

उत्तराखंड के मुख्य मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उनसे यह अपील की कि राज्य की रहने वाली सभी महिलाओं के लिए उनकी जाति, वर्ण और उनकी आर्थिक हैसियत पर ध्यान दिए बिना 108 एम्बुलैंस सेवा उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुविधा महिलाओं के प्रति हिंसा की शिकार पीड़िताओं के लिए भी उपलब्ध हो। माननीय मुख्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को दो वर्ष का संतान देखभाल अवकाश प्रदान किया जाए जैसाकि केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा किया जा रहा है।

7 राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान हमारे समाज के सभी वर्गों को न्याय और बराबरी की गारंटी देता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, रंग और लिंग कुछ भी हो। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन निवारक उपायों के बावजूद, महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे दहेज मृत्यु, तेजाब से हमले, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के साथ अत्याचार आदि जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों के अनुमोदन और संरक्षण के लिए आयोग को प्राप्त अधिदेश के अनुसरण में स्टेकहोल्डरों से व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात वर्ष 2010–11 के दौरान, वैधानिक पहलुओं के संबंध में नीचे उल्लिखित सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ष के दौरान महिलाओं के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययनों को भी प्रायोजित किया है और इन अध्ययनों से प्राप्त सिफारिशों का भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने के लिए नीचे उल्लेख किया गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान विधिक प्रकोष्ठ द्वारा की गई सिफारिशें:

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत एवं पुनर्वास की संशोधित स्कीम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपर्युक्त स्कीम दिल्ली डोमेस्टिक वूमेंस फोरम बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका संख्या 362/93) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में तैयार की थी। इस स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को परामर्श तथा पुनर्वास हेतु वित्तीय प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। पीड़िता के पुनर्वास में उसे परामर्श, चिकित्सीय और कानूनी सहायता तथा आश्र उपलब्ध कराना शामिल है। "बलात्कार की पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास हेतु न्याय तक पहुंच" विषय पर 7 मार्च 2010 को एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस संबंध में संशोधित स्कीम 16 अप्रैल 2010 को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से इस स्कीम के क्रियान्वयन का प्रस्ताव किया गया था। इस स्कीम की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- इस स्कीम को "बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम, 2010" कहा जाएगा;
- यह स्कीम संपूर्ण भारत पर लागू होगी;
- यह स्कीम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी होगी;
- यह स्कीम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी;
- इस स्कीम में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनमें आवेदन चाहे स्वयं बलात्कार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए हों अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति/ संगठन/ विभाग/ आयोग द्वारा;
- "बलात्कार" का तात्पर्य वही होगा जैसाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 में परिभाषित किया गया है।
- इस संबंध में जिला बोर्ड, राज्य बोर्ड और राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा;

- बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान करने का और साथ ही पीड़िता के पुनर्वास हेतु व्यवस्था करने का अधिनिर्णय कर सकता है;
- राहत की राशि 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, और यदि खंड 16 के अंतर्गत विशिष्ट उल्लेख किया गया हो, तो यह राशि अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है;
- जिला बोर्ड 15 दिनों से लेकर तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पीड़िता के पक्ष में 20,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा;
- पीड़िता की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर और उसकी जांच कर लिए जाने के पश्चात बोर्ड पीड़िता के पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के संबंध में निर्णय करेगा जिस पर अधिकतम 50,000 रुपए का व्यय हो सकता है;
- अभियोजिका द्वारा आपराधिक विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर या आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतिम किस्त के रूप में 1,30,000 रुपए तक की शेष राहत राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा।
- **बोर्ड निम्नलिखित मामलों में अधिकतम 3.00 लाख रुपए की वर्धित राशि प्रदान करता है:**
  - 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अपराध;
  - मानसिक रूप से विकल/निःशक्त महिलाओं तथा बच्चों के साथ अपराध, जिसमें विशेष उपचार अंतर्निहित हो;
  - जिसमें पीड़िता एचआईवी/एड्स सहित यौन संसर्गज रोगों से संक्रमित हो जाती हो।
  - जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो जाए और उसे उस बच्चे को जन्म देना पड़े।
  - जिन मामलों में पीड़िता को गंभीर चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़े।
- **बलात्कार के परिणामस्वरूप बलात्कार पीड़िता की मृत्यु हो जाने के मामले में बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले पैरामीटर।**
  - यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाने वाली सदस्य न हो तो बोर्ड द्वारा राहत के रूप में 1.00 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
  - यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाने वाली सदस्य हो तो उसके अवयस्क बच्चों की सहायता के लिए 2.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  - राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इस स्कीम के कार्यक्षेत्र को तेजाब से हमले की पीड़िताओं तथा साथ ही गंभीर रूप में जल गई पीड़िताओं के मामले में भी विस्तारित किया जाए।

इसके पश्चात मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

1. कि बलात्कार की पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना स्कीम तैयार की जाएगी तथा स्कीम के अंतर्गत अंतरिम राहत की व्यवस्था भी की जाएगी।

2. राहत की राशि के संबंध में निर्णय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

3. इस स्कीम के लिए बजटीय अपेक्षाओं हेतु प्रावधान किए जाएंगे तथा निधि सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित की जाएगी।

4. किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

5. राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

6. गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आलोक में स्कीम का प्रारूप फिर से तैयार किया है तथा स्कीम का प्रारूप तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में आयोग द्वारा किए गए स्व–मूल्यांकन से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

2. महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने की स्कीम

लॉयर्स क्लेक्टिव द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन और बजट प्रावधान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जैसाकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में परिकल्पना की गई है, स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों का तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक स्कीम का प्रारूप तैयार किया है।

इस प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक खंड स्तरीय पुलिस थाने में दो परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे। इस विशेष प्रकोष्ठ का पर्यवेक्षण और समन्वयन महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथापरिकल्पित एक स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो इस कार्य में जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सहायक कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं। इनके लिए वेतन के भुगतान की व्यवस्था केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत तदनुरूपी सहायता से की जाएगी। राष्ट्र/राज्य स्तरीय सहायक संस्थाओं/ गैर–सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है। यह आशा व्यक्त की गई है कि यह स्कीम राज्य सरकारों को आवश्यक बजटीय प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। ऐसा इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों ने अभी तक संरक्षण अधिकारियों का प्रशासनिक तंत्र स्थापित नहीं किया है और न ही कोई बजटीय प्रावधान किया है।

प्रस्तावित स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विचारार्थ भेजी गई है और इसे टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोगी की वेबसाइट में डाला गया है।

3. सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010

आयोग का यह मानना है कि जैसेकि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक अलग से कानून निर्मित किया गया, हालांकि इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/306 के अंतर्गत रखा जा सकता था, उसी प्रकार सम्मान और परंपरा के नाम पर किए जाने वाले अपराधों को जड़ से समाप्त करने के लिए इसके संबंध में एक पृथक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार आयोग ने सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010 नामक एक विधेयक का प्रस्ताव किया है। विधेयक का प्रारूप मंत्रालय को 18 अगस्त, 2010 को भेजा जा चुका है। यह विधेयक सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराध न कि केवल हत्या किए जाने से संबंधित विधेयक है और इस विधेयक में इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि युवा पुरुषों और महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का अधिकार, स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सहयोजन या संगम का अधिकार, देशभर में कहीं भी आने–जाने और शारीरिक समग्रता का अधिकार है। इस विधेयक के अंतर्गत न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और इस विधेयक के अंतर्गत पीड़िता के परिवार के किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जो परिवार के किसी सदस्य या किसी निकाय के सदस्य अथवा किसी वंश या कुल के समूह या समुदाय या जाति पंचायत (इसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो किसी महिला या उसके साथी (या उसके या उनके साथ रह रहे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों) की हत्या करता हो या करते हों अथवा उसे या उन्हें गंभीर चोट या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता हो या उसे कोई सजा सुनाता हो, को शामिल किया गया है।

4. वृंदावन की विधवाओं पर अध्ययन

रिट याचिका (सिविल) संख्या 2007 का 659, एनवायरनमेंट एंड कंजूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली को "इन महिलाओं की समस्याओं का एक व्यापक सर्वेक्षण करने और न्यायालय में एक रिपोर्ट दायर करने ..... जिसमें इन विधवाओं के आयु वर्ग, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और ऐसी सभी सूचनाएं जो इस न्यायालय के प्रयोजनार्थ तथ्यगत रूप से संगत हों, शामिल की जाए", का निर्देश दिया (दिनांक 14.11.2008/ 06.12.2008)।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 23.12.2008 के आदेश संख्या 8/4 (62)/सी एवं 1/2008 – एनसीडब्ल्यू द्वारा दिसंबर, 2008 में "उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में रह रही विधवाओं की दुर्दशा के संबंध में जांच करने" के लिए सात सदस्यीय एक जांच समिति गठित की और इस मामले में एक विस्तृत अनुसंधान अध्ययन किया। प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया तथा तत्संबंधी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

सिफारिशें:

1. **आश्रय :** महिलाओं की प्रमुख आवश्यकता है। वृंदावन में रह रही महिलाओं के लिए इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि उन्हें एक आश्रय उपलब्ध कराया जाए जिसके भीतर वे बिना किसी भय के आ–जा सकें, उन्हें आराम प्राप्त हो और उत्पीड़न की किसी आशंका और शोषण की किसी संभावना के बिना वहां उनकी देखभाल हो। आश्रय की समस्या का समाधान वृद्धाश्रम और रैन बसेरे खोल कर तथा उनके लिए मौजूदा सुविधाओं को उन्नत बनाकर तथा शौचालय, बिजली, साफ पानी तथा चिकित्सकों, नर्सों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सहायक सेवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

2. महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम चलाने वाले और सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति, सेवा और उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में मानदंड निर्धारित किए जाएं।

3. परामर्शदात्री सेवाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। परामर्शदात्री सेवाएं परामर्शदाताओं के नियोजन और स्थापन के जरिए कार्य स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, वर्तमान में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्य में अत्यधिक अनियमित पाया गया, निवासियों का मामला पूर्ववृत्त फाइल अपूर्ण पाई गई तथा परामर्श प्रदान करने और सामूहिक क्रियाकलाप के संबंध में कोई भी व्यवस्थित प्रक्रिया प्रचालन में नहीं पाई गई।

4. महिलाओं के लिए **स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था** के अंतर्गत उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और यह सुविधा बिना कोई बोझिल औपचारिकता को अपनाए सभी के लिए सुगम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अस्पताओं और संस्थाओं में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

5. महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर काफी सीमित हैं जिसका कारण केवल यह नहीं है कि महिलाएं काफी अधिक संख्या में अशिक्षित हैं बल्कि कौशल प्रशिक्षण, विपणन और निरंतर प्रबंधन सहायता जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी महिलाओं को अनुपलब्ध होती हैं। राज्य सरकार और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराने जाने चाहिए। इसके साथ ही, महिलाओं के स्व–सहायता समूहों का भी सृजन किया जाना चाहिए। आय सृजन से संबंधित क्रियाकलापों के साथ प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी संबद्ध हो। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर को व्यापक बनाने वाले सूक्ष्म उद्यम समूहों, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए लिंग संवेदी स्कीमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. भजन आश्रमों के कार्यकलापों तथा उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन–देन की जांच करने के लिए जिला स्तर पर विशेष लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाए।

7. **पेंशन स्कीम** :–

(i) संयुक्त छमाही (बैंक और विभाग) समीक्षा और पेंशन लेखाओं को अद्यतन बनाना।

(ii) वृंदावन में एकल खिड़की कार्यालय/ सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था।

(iii) बैंक खाता खोलना पेंशन प्राप्तकर्ता का दायित्व है और पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए यह एक अपेक्षा है।

तथापि अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं और उन्हें जब तक सहायता उपलब्ध न कराई जाए, वे बैंक में अपना खाता खोलने में काफी कठिनाई महसूस करती हैं। धनराशि का आहरण केवल पेंशनधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप में ही उपस्थित होकर किया जा सकता है और आहरण पर्ची के साथ पासबुक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथापि बैंक में भीड़–भाड़ होने, कंप्यूटर फेल हो जाने और सीमित मानव संसाधनों के कारण पासबुक को तत्काल अद्यतन करने में समस्या हो सकती है।

(iv) बैंकों और कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से सभी खाताधारकों से संबंधित ब्योरों को त्रुटिमुक्त किया जाए।

(vi) एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा पेंशन बहियों की वार्षिक समीक्षा की जाए।

(vii) बैंक और कल्याण विभाग द्वारा पेंशन बहियों की संयुक्त वार्षिक समीक्षा की जाए।

(viii) क्लस्टर में रह रहे चल–फिर सकने में असमर्थ और वृद्ध पेंशनधारकों के लिए सचल बैंकिंग सेवा की व्यवस्था की जाए।

(ix) पेंशन बहियों की देख–रेख के लिए बैंक में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो।

(x) बिस्तर पकड़ चुके और वृद्ध पेंशनधारकों के लिए सचल बैंकिंग सेवा शुरू की जाए।

8. **स्व–आधार स्कीम**

(i) भारत सरकार की स्व–आधार स्कीम में कमी को राज्य सरकारों द्वारा बिजली, पानी और रखरखाव हेतु बजट परिव्यय उपलब्ध कराकर और वृद्धाश्रमों में प्रशिक्षित और योग्य सुश्रुषा करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करके पूरा करने की आवश्यकता है।

(ii) स्व–आधार स्कीम जिला मजिस्ट्रेट के सीधे नियंत्रण में होती है और इसे जिला कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को भोजन के लिए 500 रुपए, जेबखर्च, आश्रय और बिछावन के लिए 50 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक डिस्पेंसरी के जरिए चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। 2007–08 का बजट अध्ययन के समय जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को एक वर्ष तक उनका देय भाग प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) स्कीम के अंतर्गत भवन और परिसम्पत्तियों जैसेकि पानी का पंप और बिजली और पानी के बिल के भुगतान के लिए परिव्यय प्रदान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन आश्रमों को चलाने वाले व्यक्ति को महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है और उसे इन उपयोगी सेवाओं के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

9. उत्तर प्रदेश सरकार की मीरा सहभागिनी स्कीम में संशोधन किए जाने की और महिलाओं के लिए मासिक भोजन भत्ता शामिल करने के लिए तथा वृद्धाश्रमों में प्रशिक्षित और योग्य सुश्रुषकों को तैनात करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है।

10. इन दोनों स्कीमों को प्रचालन में लाने और इनके उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु नियम और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण/विशेषज्ञ समूह गठित किए जाने की आवश्यकता है।

11. वृंदावन में सभी सेवाओं को एक स्थान से प्रदान किए जाने की व्यवस्था शुरू की जानी है जहां विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बीच सामंजस्य होगा और वृंदावन में पहुंचने वाली महिलाओं के पंजीकरण और उनकी तलाश करने के लिए एक तंत्र मौजूद होगा।

12. महिलाओं के लिए आश्रय स्थलों और संस्थाओं के प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों और योग्य व्यक्तियों की भागीदारी में वृद्धि की जाए।

13. महिलाओं के लिए मिट्टी के तेल का कोटा प्रति माह 3 लीटर से बढ़ाकर 5 लीटर कर दिया जाए और वृंदावन में रह रही महिलाओं के लिए 14 किलो ग्राम मासिक राशन कोटा में संशोधन किया जाए, हालांकि शेष मथुरा जिले के लिए यह मात्रा

35 किलो ग्राम है। महिलाओं को 8 किलो ग्राम गेहूं, 6 किलो ग्राम चावल, 3 लीटर मिट्टी का तेल और 800 ग्राम चीनी आबंटित की जाती है। वृंदावन में प्रत्येक महिला को 14 किलो ग्राम राशन मिलता है जबकि मथुरा जिले के शेष भाग में यह मात्रा 35 किलो ग्राम है। वृंदावन की प्रत्येक विधवा को राशन कार्ड जारी किया जाए।

14. वयस्क साक्षरता कक्षा आयोजित करना।

5. घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

घरेलू महिला और बाल कर्मचारियों के शोषण से संबंधित मामला बार–बार और नियमित रूप से प्रकाश में आता रहता है। चूंकि इनके कल्याणार्थ कोई कानून निर्मित नहीं किए गए हैं जिससे इन्हें कोई अधिकार दिया जा सके, अतः अधिकांश घरेलू कर्मचारी अपने मालिकों का तत्कालीन गुलाम बनकर रह जाते हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि स्थापन एजेंसियां जो किसी भी प्रतिबंध और नियमन के बिना स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार और शोषण करने में भी सन्नद्ध हैं।

पिछले कुछ दशकों में घरेलू कर्मचारियों की मांग काफी बढ़ी है जिसके कारण लाखों महिलाओं और बच्चों (बालक और बालिकाओं, दोनों) का अनैतिक व्यापार हुआ है और उनका अन्य रूपों में शोषण किया गया है तथा इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक राज्यों के महानगरों में घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए हजारों स्थापन एजेंसियां खुल गई हैं जिनके द्वारा इन घरेलू कर्मचारियों का अनेक प्रकार से शोषण और अनैतिक व्यापार किया जाता है तथा बावजूद इसके ये एजेंसियां किसी भी प्रकार के कानूनी नियंत्रण की परिधि से बाहर रहती हैं।

किसी भी कानूनी संरक्षण की अनुपस्थिति में महिलाओं और बच्चों का घोर शोषण हो रहा है जिसमें घरेलू कर्मचारियों को उनके पूर्ण वेतन से वंचित रखना, प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक काम कराना, उचित भोजन और रहने/सोने का उचित इंतजाम न होना, उनके परिवार के सदस्यों से उन्हें बलपूर्वक अलग–थलग रखना, उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करना, एजेंट द्वारा उन्हें नियोजक तक पहुंचाने के दौरान, एजेंसी के कार्यालय में और नियोजक के घरों में कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण करना शामिल है। इनके शोषण की सूची अनंत है और इस संबंध में मीडिया में रिपोर्टें प्रायः आती रहती हैं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत घरेलू कार्य में बाल श्रमिकों के निषेध पर हाल में जारी की गई अधिसूचना जैसे कानूनी उपायों को इस अधिनियम में किसी क्रियान्वयन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण लागू नहीं किया जा सकता। हाल ही में, कुछ राज्य सरकारों ने अपनी अलग–अलग पहलें की हैं, जैसेकि घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी की गई अधिसूचना की परिधि में लाना। किंतु केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा कानून जो सभी घरेलू कर्मचारियों तक पहुंचने में सक्षम हो, की अनुपस्थिति में राज्य स्तर पर किए गए किसी भी उपाय से घरेलू कर्मचारियों को वस्तुतः कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

घरेलू कर्मचारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है और यह कार्य क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं को परिवार के आर्थिक बोझ को वहन करने में साझेदारी करने में सक्षम बनाकर अर्थव्यवस्था पर एक वृद्धिकारी प्रभाव डालता है। घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण सहित उनके कार्य की दशाओं को उपयुक्त बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक **व्यापक केंद्रीय कानून** द्वारा ही उनके शोषण का अंत सुनिश्चित किया जा सकता है।

जिन स्थापन एजेंसियों के माध्यम से घरेलू कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, उन्हें जनहित में निश्चित रूप से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन घरेलू कर्मचारियों के कार्य और जीवनयापन की दशाओं में सुधार लाने की

आवश्यकता है तथा इनके रोजगार का नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में विधेयक का प्रारूप सितंबर 2010 माह में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

6. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहली बार वर्ष 2000 में इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था। मंत्रालय से विचार–विमर्श करने के पश्चात संशोधित रूप में संशोधनों को एक बार फिर से वर्ष 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया। जिन मुख्य बिंदुओं पर संशोधनों का सुझाव दिया गया है, वे हैं:

(i) अधिनियम की अनुप्रयोज्यता इंटरनेट सहित श्रव्य–दृश्य माध्यमों और कंप्यूटर के लिए भी लागू की जाए।

(ii) "प्रकाशन" को परिभाषित करते हुए एक नया वाक्यांश समाविष्ट किया जाए जिसका आशय श्रव्य–दृश्य माध्यमों, कंप्यूटर, उपग्रह–संबद्ध/संचालित इंटरा या इंटरनेट संचारों को सम्मिलित करना होगा।

(iii) प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी, मीडिया समूह, उत्पादन गृह, "प्रकाशन एवं विज्ञान समूह" का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा एक स्व–नियामक तंत्र सृजित और अनुरक्षित किया जाए।

(iv) एक केंद्रीय प्राधिकरण प्रस्तावित किया गया है जिसकी स्थापना स्त्री अशिष्ट रूपण का विनियमन/प्रतिषेध करने के लिए की जाए।

7. भरण–पोषण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रस्तावित संशोधनः

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125/127 में संशोधन हेतु नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु के सहयोग से क्रमशः 11 अक्तूबर, 2009 और 17 अप्रैल, 2010 को दो परामर्श सत्र आयोजित किए गए। पहले परामर्श सत्र का उद्घाटन कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री एच आर भारद्वाज द्वारा किया गया और इसमें विधिक क्षेत्र के न्यायविदों और शिक्षाविदों ने भाग लिया तथा दूसरे परामर्श सत्र का उद्घाटन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.के. रेड्डी द्वारा किया गया जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के न्यायिक मजिस्ट्रेटों और गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। दूसरे परामर्श सत्र के दौरान संशोधनों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से पहले परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशें पर विचार–विमर्श किया गया।

सेमिनार के दौरान की गई सिफारिशें निम्नवत हैं:

1. परिभाषा 125(1) जिसमें यह कहा गया है कि "यदि पर्याप्त साधन–संपन्न कोई व्यक्ति अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चे जो विवाहित हों या नही किंतु जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो, की अवहेलना करता हो अथवा उसकी देखरेख करने से इनकार करता हो", में "सौतेली संतान", "गोद ली गई संतान", "दादा–दादी" शब्दों को समावेश करने की आवश्यकता है। धारा 125(1)(ख),(ग) और (घ) में "**सौतेली संतान", "गोद ली गई संतान", "दादा–दादी"** शब्द शामिल किए जाएं।

2. "उसकी वैधानिक या अवैधानिक संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, जबकि ऐसी संतान **किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति** के कारण अपने स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो" से **"किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण"** शब्दों का लोप कर दिया जाए। **धारा 125(ग)**

3. एक नया उपबंध धारा **125(1)(ड.) "ऐसी कोई महिला जो प्रतिवादी के साथ वैवाहिक स्वरूप के संबंध में रह रही है या रह चुकी है"** का समावेश करना।

4. **धारा 125(4) अब धारा 125(5) बन गई है जिसमें "आरोप यह हो कि पत्नी किसी परपुरुष के साथ रह रही हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा बंद कमरे में सुनवाई की जाएगी"** शब्द शामिल किए जाएं।

5. **धारा 125(5) अब धारा 125(6) बन गई है जिसमें "यदि पत्नी पर किसी परपुरुष के साथ रहने का आरोप सिद्ध नहीं होता हो तो पति द्वारा पत्नी को हर्जाना देय होगा"** शब्द शामिल किए जाएं।

6. धारा 125 का नया स्पष्टीकरण (घ) में **"संपदा"** शब्द की परिभाषा में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, सावधि जमा से प्राप्त आय, शेयर और डीमेट खाते का विवरण, किराया और कमीशन, बांड, विक्रय और खरीद से संबंधित विवरण स्वयं के स्वामित्वाधीन संपत्ति सहित अचल संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति को शामिल किया जाए।

7. **"नियोक्ता" शब्द को शामिल किया जाना** – प्रस्ताव है कि भरण–पोषण देने के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्ति के नियोक्ता, यदि कोई हो, को इस आशय का निर्देश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान की जाए कि वह अपने कर्मचारी के मासिक वेतन से देय मासिक भत्ते की राशि की कटौती करके जिसके पक्ष में अवार्ड दिया गया हो, उसे विनिर्दिष्ट तरीके से भुगतान करे।

8. **धारा 126(1)** धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी जिले में की जा सकती है जो –

   1) जिस जिले में वह व्यक्ति रह रहा हो

   2) जिस जिले में वह या उसकी पत्नी या **इस संबंध से उत्पन्न हुए बच्चे या माता–पिता** रह रहे हों, या

   3) जिस जिले में वह अपनी पत्नी या जैसी स्थिति हो, अवैधानिक संतान की माता के साथ पिछले कुछ समय के दौरान रहा हो

   इस धारा में "**इस संबंध से उत्पन्न हुए बच्चे या माता–पिता**" शब्द शामिल किए जाएं।

9. **धारा 125 (3) जो अब धारा 126(3) बन गई है, में** "यदि पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह का अनुबंध किया हो या उसने कोई उप–पत्नी रख ली हो या **महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बनाता रहा हो,** तो इसे उसकी पत्नी के उसके साथ रहने से इनकार करने का उपयुक्त आधार समझा जाएगा।"

   यहां "**महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बनाता रहा हो**" शब्द शामिल किए गए हैं क्योंकि घरेलू हिंसा भी किसी पत्नी के लिए अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का अत्यधिक ठोस कारण है।

10. **नया उपबंध शामिल किया जाएः 126 (8)** मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को अपनी रक्षा का मौका देते समय प्रतिवादी या नियोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, को उसकी पत्नी या उस पत्नी के साथ संबंध से उत्पन्न संतान, माता या पिता को मासिक भत्ता, भरण–पोषण और अदालती कार्यवाही का व्यय के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझी जाने वाली राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसी एकमुश्त राशि जो आवश्यक समझी

जाए, जमा करा दी जाए **और प्रतिवादी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी संपत्ति के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत करे।**

11. 126 (9) केवल ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जो संबंधित पक्षकार के नियंत्रण से परे हो, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर स्थगन की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी और ऐसी मंजूरी यदि दी जाए, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली राशि का दूसरे पक्षकार को भुगतान करना होगा। तथापि ऐसा कोई भी स्थगन किसी भी पक्षकार को उसके आवेदन की सुनवाई के दौरान तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपर्युक्त के आधार पर अपनी सिफारिशें मार्च 2011 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं।

8. यौन आक्रमण विधेयक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी संबंधितों से पूर्णतः विचार–विमर्श करन के पश्चात यौन आक्षेप विधेयक का प्रस्ताव किया है ताकि यौन आक्षेप विधेयक के इस प्रारूप के जरिए भारतीय दंड संहिता, विशेषकर धारा 375 (बलात्कार) और 376 से संबंधित कुछ उपबंधों में संशोधन किया जा सके। विधिक कार्य विभाग ने विधि आयोग की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन विधेयक तैयार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के विधेयक के प्रारूप में यथाप्रस्तावित अधिकांश विचारों को समाहित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुरोध पर किए गए महत्त्वपूर्ण संशोधन निम्नवत हैं:

- तेजाब से हमले के लिए न्यूनतम दंड आरोपित करने के लिए अलग से खंड 326ख शामिल करना।

सीईडीएडब्ल्यू ने सभी प्रकार के यौन अपराधों को समाप्त करने तथा विशेष रूप से "वैवाहिक बलात्कार" के निराकरण हेतु कानून बनाए जाने की सिफारिश की है। तदनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अंतर्निहित अपवाद का लोप करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित प्रारूप में वह आयु जिससे कम की महिला के साथ सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित करने को अपराध करार दिया गया है, उसे 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 509 (ख) शामिल करने के बारे में थी ताकि महिलाओं का चोरी–छिपे पीछा करना एक अपराध बनाया जा सके। भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं 326 (ख) और 509 (ख) से संबंधित प्रस्तावित प्रारूप मंत्रालय को भेज दिया गया है।

धारा 509 (ख) : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो (क) किसी महिला को या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान पहुंचाने की मंशा से या (ख) उस महिला या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान की आशंका या भय से उस महिला का लुक–छिपकर पीछा करता हो तो उसे अधिकतम 7 वर्षों की सजा या जुर्माना या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है। इस प्रारूप को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित 326ख : जो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर ऐसे आशय या ऐसी परिस्थिति में तेजाब फेंकने या उसके ऊपर तेजाब का इस्तेमाल का प्रयास करता हो और उसके इस प्रयास या कृत्य से ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग को अस्थायी या आंशिक क्षति या रूपण, अपरूपण या निशक्तता उत्पन्न होती हो या हो सकती हो तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक जिसे 10 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना जिसकी राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जाती है, जो ऐसे मामले में भी आरोपित की जा सकती है जिनमें पीड़िता के शरीर का कोई हिस्सा वास्तव में न जला हो या उसे कोई गंभीर चोट न पहुंची हो।

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधन

राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात से अवगत है कि राज्य सभा की याचिका समिति इस आशय की एक याचिका पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधन का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह प्रार्थना की है कि धारा 498क में संशोधन किया जाए ताकि इसे जमानती, असंज्ञेय और प्रशम्य बनाया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग का यह मानना है कि धारा 498क निर्दयता और यातना पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को उपलब्ध एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कानूनी उपाय है। आयोग इस धारा में किसी संशोधन या इसके प्रावधानों में कोई कमी के पक्ष में नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत की गई शिकायतों पर किसी भी अन्य गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले में की गई शिकायतों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। याचिका में इस धारा के दुरुपयोग से संबंधित प्रश्न उठाया गया है। तथापि, प्रावधानों का दुरुपयोग देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन की एक आम समस्या है तथा किसी भी एक धारा को संशोधन के लिए अलग से नहीं समझा जा सकता, विशेषकर तब जबकि उसके संबंध में यह सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध न हो कि उसका अन्य धाराओं की तुलना में अधिक दुरुपयोग हो रहा है। वास्तविक समस्या पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा को उपयुक्त रूप में प्रवृत्त करने से संबंधित है।

धारा 498क के कथित दुरुपयोग के संबंध में आयोग द्वारा कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में सिफारिश की गई है, जिसे इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कथित दुरुपयोग के संबंध में आयोग की राय राष्ट्रीय महिला आयोग के दिनांक 29 दिसंबर 2010 के पत्र द्वारा भेजी गई है (अनुलग्नक–13)।

अतः आयोग इस बात को काफी सुदृढ़ रूप में महसूस करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधन या उसके उपबंधों में कोई ढिलाई न की जाए। यह अनुरोध किया गया है कि समिति द्वारा इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की राय पर विचार किया जाए।

10. गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियमः

1. स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा, इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करेंगे।

2. स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य प्राधिकारियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर विचार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य मंत्रालय इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सचिव स्तरीय अंतर्मंत्रालयीय समिति का गठन करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गैर–सरकारी संगठनों, राज्य महिला आयोगों और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

4. स्वास्थ्य मंत्रालय के उस परिपत्र की समीक्षा की जाएगी जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जिला समितियों की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाए।

5. फार्म 'एफ' की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए क्योंकि फार्म 'एफ' को अपने पास न रखना अपने आप में ही दोष स्वीकार करने के समान है तथा इस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी करेगा।

6. राज्यों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों में दोषसिद्धियों की संख्या तथा दर्ज की गई अपीलों की संख्या का भी उल्लेख किया जाए।

7. मंत्रालय के गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक प्रकोष्ठ की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की जाए।

8. 'स्वास्थ्य मंत्रालय बालिका बचाओ' विषय पर मीडिया द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों का वित्तपोषण करे। इस अभियान में राष्ट्रीय महिला आयोग अपना सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में प्रचारित संदेश में चिकित्सकों को भी लक्षित किया जाए ताकि उनमें इस अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 'अपराध भावना' जागृत की जा सके। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता एक खिलाड़ी उदाहरण के लिए साइना नेहवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए।

9. इंटरनेट पर प्रचारित विज्ञापनों सहित अन्य विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए।

10. गृह मंत्रालय से गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका, जिसमें अपराधी को प्रलोभन देकर फसाने हेतु की जाने वाली पुलिस कार्रवाई शामिल है, के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया जाए।

11. आयातित अल्ट्रासाउंड मशीनों का निरीक्षण करने के संबंध में कस्टम अधिकारियों को जारी करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिशानिर्देशों का प्रारूप भी तैयार किया जाए।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जनगणना पंजीयक को आगामी जनगणना के दौरान लिंग अनुपात का विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए एक पत्र भेजा जाए।

13. जन्म पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर इससे संबंधित प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

11. अनिवासी भारतीयों से विवाह के मामले में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु स्कीमः

प्रवासी भारतीयों पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम

यह स्कीम भारतीय मूल की विपदाग्रस्त महिलाओं को स्थानीय भारतीय समुदाय के लोगों को शामिल करके तथा सरकार से कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी स्कीम है। यह स्कीम उन महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त हैं या विदेश में तलाक की कार्यवाही का सामना कर रही हैं। यह स्कीम विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है जैसेकि यदि महिला भारतीय पासपोर्ट धारक हो और उसका विवाह भारत में संपन्न हुआ हो, यदि महिला को विवाह के पांच वर्ष के भीतर भारत में या विदेश पहुंचने के पश्चात परित्यक्त कर दिया गया हो, प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के पांच वर्ष के भीतर तलाक की कार्यवाही शुरू की गई हो, विवाह के 10 वर्ष के भीतर प्रवासी भारतीय पति द्वारा एकपक्षीय तलाक प्राप्त कर लिया गया हो तथा भरण–पोषण और निर्वाह व्यय के संबंध में मामला दर्ज कराया जाना हो। आपराधिक आरोपों का सामना कर रही या ऐसी महिला

जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला सिद्ध हो चुका हो, उसे इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के लिए पात्र महिला का आवेदन करते समय अपने प्रवासी भारतीय पति के देश का या भारत का निवासी होना आवश्यक है। आवेदकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर वरीयता दी जाए। उपलब्ध कराई गई सहायता भारतीय महिला संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उस महिला की ओर से मामले के संबंध में दस्तावेज तैयार करने और मामले को दर्ज कराने के लिए आरंभिक लागत और आनुषंगिक खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाएगी। दी गई सहायता प्रति मामला 1500 अमरीकी डालर तक सीमित होगी और यह राशि भारतीय समुदाय के सगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को जारी की जाएगी ताकि उसके द्वारा मामले को दर्ज कराने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य आरंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए महिला को सहयता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें। महिला संगठन/गैर–सरकारी संगठन समुदाय के अधिवक्ताओं, विशेषकर महिला अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने का प्रयास करेंगे ताकि बिना भुगतान आधार पर न्यायालय में कानूनी सहायता/उपस्थित होने आदि के संबंध में सुविधा उपलब्ध हो सके।

इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित देश में भारतीय मिशन विपदाग्रस्त पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऐसे विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय संघों/ गैर–सरकारी संगठनों और उनके सदस्य अधिवक्ताओं, जिनमें महिला अधिवक्ताओं को वरीयता दी जाए, जिनके नामों को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, को शामिल करके एक पैनल तैयार करेगा। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी और संबंधित देश में स्थित विपदाग्रस्त महिला को कानूनी सहायता और समर्थन उपलब्ध कराने के लिए ऐसे मामलों के संबंध में संबंधित मिशन को सिफारिश भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस स्कीम की जांच की है तथा प्रस्तावित संशोधनों को संशोधित स्कीम के प्रारूप में उपयुक्त रूप में शामिल कर लिया गया है। मूल स्कीम तथा संशोधित स्कीम के प्रारूप में उल्लिखित उपबंधों का अनुलग्नक–14 में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

12. सामान्य

वर्ष के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कानूनों और संशोधनों की एक अनुसूची **अनुलग्नक–17** पर संलग्न है। आयोग यह सिफारिश करता है कि इसकी सिफारिशों पर तेजी से कार्रवाई की जाए तथा नियमित समीक्षा एवं उससे प्राप्त निष्कर्षों को कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने के लिए अंतर्मंत्रालयीय समिति गठित की जाए।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों द्वारा की गई तथा अंतिम रूप दी गई मुख्य सिफारिशें

1. दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विकल्पों के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : डॉ. एल.एन. दधीच द्वारा संचालित अध्ययन कार्यक्रम

जनजातीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उपलब्ध विकल्पों के मूल्यांकन पर बल देते हुए एक अन्वेषण किया गया, जिसका उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आकलन करना तथा दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नीतिगत उपायों के संबंध में सुझाव देना था। इस अध्ययन के अंतर्गत 5 खंड, 10 गांव, 150 परिवार शामिल किए गए।

सिफारिशें:

पिछले अनेक वर्षों की अवधि के दौरान दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कुछ सामाजिक अवसंरचना जैसेकि सड़क, विद्यालय, अस्पताल, छात्रावास, पशु चिकित्सालय, हैंड पम्प आदि संस्थापित और विकसित की गई। इसी दौरान बंटवारे और विभाजन के फलस्वरूप परिवार के संसाधन, विशेषकर प्रति परिवार कृषियोग्य भूमि का आकार कम हुआ है। अधिकांश जनजातीय परिवारों में अभी भी जनजातीय कृषि प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन और मुर्गी पालन के कार्य शामिल हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नजदीकी राज्यों के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मजदूरी करके आय अर्जित करते हैं। जनजातीय परिवारों में कृषि कार्य से जुड़े लोगों द्वारा कृषि आधारित क्रियाकलापों को छोड़कर व्यवसाय, नौकरी आदि जैसे कार्यों से जुड़ने की प्रक्रिया काफी धीमी रही है। इस संबंध में प्रक्रिया में बदलाव लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इनके कार्यबल को भू–आधारित क्रियाकलापों से हटाकर लाभकारी व्यवसायों में लगाने की अत्यधिक आवश्यकता है। यह कार्य जनजातीय महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के जरिए किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप आमतौर पर जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकीय और ज्ञान आधारित सशक्तीकरण में सहायता प्राप्त होगी।

(i) कक्षा–वार प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करके, छात्राओं के लिए उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के निकट अधिकाधिक संख्या में छात्रावास स्थापित करके जनजातीय परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय महिलाओं का कार्यबल धीरे–धीरे भूमि आधारित क्रियाकलापों से हटकर नौकरी, व्यवसाय, कुटीर उद्योगों में अंतरित हो सके। जनजातीय महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रही जनजातीय लड़कियों को भी लाभ एवं प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जाए।

(ii) इन क्षेत्रों में स्वरोजगार और सामूहिक रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर परिधान डिजाइनिंग वस्त्र, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, बागबानी, नर्सरी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से कुछ हद तक कार्यबल को परंपरागत भूमि आधारित व्यवसायों से हटाया जा सकता है।

(iii) निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोणों के जरिए जनजातीय महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार एवं स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जाए।

(iv) स्थानीय सरकारी निकायों में चुनी गई जनजातीय महिला प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आदि के माध्यम से समर्थ बनाया जाए ताकि वे अपने संबंधित क्षेत्र और समुदाय के लाभार्थ विकासात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन कर सकें, निर्णयन की प्रक्रिया में पुरुषों के वर्चस्व से बाहर निकलकर अधिकार का पूर्णतः उपयोग कर सकें।

(v) सरल प्रौद्योगिकीय युक्तियों जैसेकि धुआंरहित चूल्हा, चारा काटने की मशीन, घरेलू उपयोग हेतु सौर कुकर तथा जहां अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में सामुदायिक आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बायोगैस संयंत्रों आदि को स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

(vi) सामान्यतः जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं के ज्ञान आधारित सशक्तीकरण के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, टच स्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से "ग्रामीण ज्ञान केंद्र" की स्थापना।

(vii) घर के अहाते में मौजूदा छोटे पैमाने पर किए जा रही मुर्गीपालन को स्व–सेवा समूह या सहकारी समितियों की सहायता से बेहतर रूप में संगठित किया जा सकता है और इसे जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है। बकरा पालन, जो इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, को भी सहकारी समितियों की सहायता से और विशेषकर इस पशुधन के प्रभावी विपणन के लिए विकसित कियाजा सकता है।

(viii) आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण हेतु, जिससे जनजातीय समुदाय की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, जनजातीय महिलाओं के लिए नरेगा और नरेगा से संबद्ध बचत स्कीमों में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना।

(ix) स्थानीय कृषि उत्पादों जैसेकि अदरक, हल्दी, लहसुन, कम मात्रा में प्राप्त वनोत्पाद आदि जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु परिवार स्तर पर केवीके, गैर–सरकारी संगठनों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य कर रही अन्य संस्थाओं के सहयोग से कृषि प्रसंस्करण क्रियाकलापों को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाए।

(x) राज सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर घरेलू उपयोग हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया जाए ताकि वन संरक्षण के साथ–साथ जनजातीय महिलाओं द्वारा इस प्रयोजनार्थ की जा रही कड़ी मेहनत में कमी लाई जा सके।

2. उड़ीसा और दिल्ली में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की प्रकृति, विस्तार और प्रभाव के संबंध में अनुसंधान अध्ययन – एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनीशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं की प्रकृति, विस्तार और स्वरूप का अध्ययन करना था। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना भी था कि क्या दुर्व्यवहार की शिकार महिला अनौपचारिक या औपचारिक एजेंसियों की सहायता लेती है और ये एजेंसियां दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की समस्याओं के समाधान में किस हद तक सफल होती हैं। परियोजनात्मक यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के माध्यम से 500 परिवारों का चयन किया गया ताकि चयनित परिवार विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों और धर्मों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करें।

सिफारिशें:

सरकार

- राज्य सरकारों को महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए ऐसी व्यापक कार्यनीति के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना चाहिए जो पीड़िताओं की आवश्यकताओं और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हों तथा जिनसे अपराधियों को उनके अपराध के लिए उत्तरदायी सिद्ध किया जा सके।
- सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध कानूनों का जनता में प्रचार किया जाना चाहिए।
- सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के व्यापक हस्तक्षेप के बावजूद प्रत्यर्थियों की एक बड़ी संख्या घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अतः जागरूकता कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने के लिए पहल की जानी चाहिए ताकि उससे जागरूकता स्तर में वास्तव में वृद्धि हो सके।

- केंद्र और राज्य सरकारों को विधि प्रवर्तन अधिकारियों, न्यायाधीशों, न्यायालय में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों और अभियोजकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि ये लोग संबंधित अपराधियों की पहचान कर सकें और विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के मामलों में और सामान्यतः महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक कृत्यों के मामले में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। विशेषकर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के लिए लक्षित विधि प्रवर्तन अधिकारियों की यूनिटें गठित की जानी चाहिए तथा उन्हें विकसित, प्रशिक्षित और विस्तारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की पहचान करने के उद्देश्य से पुलिस, अभियोजकों और न्यायालयों को संयोजित करके आंकड़ा संग्रहण और संचार प्रणाली शीघ्रातिशीघ्र स्थापित की जानी चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकारें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को विकसित, विस्तारित और सुदृढ़ करें।

पुलिसः

- पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पीड़िता से पूछताछ करने या उसके मामले पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) को महिला के प्रति सदभावनापूर्ण होना चाहिए ताकि पीड़िता स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी भय के अपने अनुभव और अपनी बातें बता सके।
- महिला और शिशु डेस्क में कार्य करने वाले कार्मिकों और संरक्षण अधिकारियों को अभिमुखीकरण/पुनर्विन्यासीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाना चाहिए ताकि कानून के संबंध में उनकी जानकारी अद्यतन बनी रहे।
- नियमों और विनियमों और साथ ही उपलब्ध उपबंधों के संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि आम जनता, विशेषकर प्राथमिकी आदि दर्ज कराने में पुलिस थाने में पहुंचने से संबंधित क्रियाविधि के बारे में अवगत हो।

उपलब्ध कानूनी उपायः

- इसके अतिरिक्त, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनके उत्पीड़न से संबंधित संपूर्ण कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों और अपेक्षाओं के आलोक में एक व्यापक और समग्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
- घरेलू हिंसा की शिकार अधिकांश पीड़िताएं अशिक्षित, पिछड़ी हुई और आर्थिक दृष्टि से विपन्न होती हैं। इन पीड़िताओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सिविल समाजः

- यह एक उपयुक्त समय है कि प्रत्येक व्यक्ति, महिलाओं और उनसे अधिक पुरुषों को यह समझ लेना चाहिए कि घरेलू हिंसा का वर्तमान और साथ ही भावी पीढ़ी पर भी अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है।
- यदि घरेलू हिंसा से संबंधित मामले को परिवार के भीतर सुलझाना संभव न हो तो परिवार में घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संवेदनशील बनाने और एक उचित समाधान पर पहुंचने के लिए स्थिति को समझने के लिए समुदाय या किसी सिविल समाज के सदस्य को अनौपचारिक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।

- सिविल समाज को कानूनी उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिक सतर्क रहना चाहिए और सेवा प्रदायी तंत्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखनी चाहिए।

- महिलाओं के साथ सामान्य तौर पर होने वाली हिंसा और विशेषकर घरेलू हिंसा की वर्तमान प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि सिविल समाज, गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय, धार्मिक नेताओं, महिला संगठनों, राष्ट्रीय सेवा स्कीम और सभी स्तरों पर राय बनाने वाले समूहों को शामिल करके एक व्यापक और आवधिक जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। इससे जागरूकता का सृजन होगा और साथ ही, समाज में एक अनुकूल परिस्थिति भी पैदा होगी।

- वर्तमान अध्ययन जिन दो राज्यों में किया गया, उन दोनों ही राज्यों में यह देखा गया कि घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताएं विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध राहत की मांग करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष नहीं पहुंचतीं क्योंकि वें इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हैं कि कानून की सहायता से उन्हें पर्याप्त और स्थायी राहत प्राप्त होगी। अतः यह देखना आवश्यक है कि घरेलू हिंसा को करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनों और आदेशों को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी भी दोषी व्यक्ति को दंडित किए बिना न छोड़ा जाए।

- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय द्वारा प्रेरित पहलों को क्रियान्वित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने से संबंधित प्रयास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में ऐसे गैर–सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने पास महिलाओं से संबंधित समस्याओं को उज़ागर करने और उसके समाधान हेतु उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाकर पर्याप्त योगदान किया है और जिनके पास आधार स्थल पर कार्य करने की विशेषज्ञता और अनुभव उपलब्ध है। ऐसे संगठनों की सेवाओं को प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की बुराई का उन्मूलन वस्तुतः एक राष्ट्रीय और साथ ही जनता का भी आंदोलन बन जाए।

- पांच राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक अत्यधिक चिंता का विषय यह है कि उन्हें अपने परिवार के शराब के नशे में धुत पुरुषों द्वारा घोर शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का सामना करना पड़ता है। परिवार को शराब के व्यसन से मुक्त कराना ऐसी महिला की पहली आवश्यकता है। राज्य सरकारों को महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने के अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए नशाबंदी कानूनों को अधिक प्रभावी और व्यापक रूप में लागू करना चाहिए।

3. महिला सशक्तीकरण पर रिपोर्ट – पंचायतों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व – उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन – बिंदु, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा संचालित

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना था। इस अध्ययन में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों को शामिल किया गया था। अध्ययन हेतु पंचायती राज संस्थाओं में कार्य कर रही 102 महिलाओं का चयन किया गया था।

सिफारिशें:

1. **केंद्र सरकार**

- पर्याप्त आबंटन
- निधियों को समय से निर्मुक्त करना
- न्यूनतम अवरोध उत्पन्न करना
- महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण हेतु विशेष बजट प्रावधान करना

2. **राज्य सरकार**

- किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए।
- निधि का पर्याप्त मात्रा में आबंटन हो।
- राज्य पंचायत अधिनियम को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए तैयार किया जाए और उसे अनुमोदन प्रदान किया जाए।
- महिला पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिला संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए।

3. **स्थानीय स्व–शासन**

- निधि, प्रकार्यों और कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी।
- पंचायत सदस्यों की अधिक सक्रिय भागीदारी।
- अधिक सूचना और जागरूकता।
- कार्यकरण में अधिक स्वतंत्रता।

4. **कोई अन्य एजेंसी**

- स्थानीय लोगों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त और जागरूक।
- अधिक उत्तरदायी स्थानीय सिविल समाज संगठन।
- प्रत्येक द्वारा क्षमता सृजन हेतु प्रयास किए जाने के लिए अधिक प्रावधान।

4. दक्षिणी राजस्थान में पुरुष सदस्यों के प्रवास के कारण ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन – जतन संस्थान, राजसमंद, राजस्थान द्वारा संचालित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में पुरुषों द्वारा प्रवास के कारण परिवार की महिलाओं की स्थिति तथा इन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना था। यह अध्ययन उदयपुर और राजसमंद जिले के चार खंडों में चलाया गया। 10 चुनिंदा गांवों के 160 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया।

सिफारिशें:

- प्रवास और अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाने के संबंध में निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के लिए उन्हें सशक्त बनाए जाने की दृष्टि से उपयुक्त नीति तैयार की जाए।

- प्रवासी श्रमिकों की, विशेषकर उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, यौन शोषण, अनैतिक व्यापार, अनैच्छिक देह व्यापार और शोषण की अन्य स्थितियों से संरक्षण हेतु सुरक्षा की जाए और साथ ही उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किए जाने के उपाय किए जाएं ताकि वे अपने और अपने परिवार की गरिमामय और सुरक्षित रूप में सहायता कर सकें।
- महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में और अपनी स्वास्थ्य दशाओं तथा विशेषकर प्रजननात्मक स्वास्थ्य में सुधार के संबंध में जागरूक बनाया जाए।
- समुदाय के कौशल और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्यक्रम सुनियोजित किए जाएं और उनका कार्यान्वयन किया जाए।
- उनके मूल समुदाय में संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए अन्य सेवाओं सहित रोज़गार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए "अपने मूल निवास क्षेत्र" में रहने के लिए विभिन्न तरीकों और उपायों की तलाश की जाए।
- महिलाओं और उनके द्वारा झेली जाने वाली लिंग आधारित समस्याओं की पहचान एक अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की जाए और समाज में लिंग के आधार पर महिलाओं को कम महत्त्व देने के मुद्दे पर वार्ता शुरू की जाए क्योंकि यह स्थिति एक अन्यायपूर्ण स्थिति है, जिसे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों स्तरों पर समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में ऐसे तंत्रों की संपरीक्षा करने, उनसे प्रश्न पूछने, उन पर ध्यान देने और ऐसे तंत्रों में बदलाव लाने और उन्हें पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को कम महत्त्व प्रदान करने को विधिसम्मत, सहज और महिलाओं की प्रकृति में निहित तथ्य मानते हैं।
- प्रवासी परिवारों के लिए कल्याणकारी स्कीमों और सहायक सेवाओं के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- ज्ञान, प्रवृत्ति और कौशल संवर्धन के जरिए गुणात्मक जीवनयापन करने के विषय में कार्य किए जाएं।

5. संसाधनों की समान रूप से उपलब्धता में लैंगिक आधार पर भेदभाव करने के संबंध में अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम – साथी फॉर ऑल पार्टनरशिप (एसएएफपी), नई दिल्ली द्वारा संचालित कार्यक्रम। इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की परिधि के भीतर लिंग आधारित योजना और लिंग आधारित बजट तैयार करना, लैंगिक आधार पर भेदभाव की स्थिति के समाधान और साथ ही आवासी क्षेत्रों के निकट स्थित स्थानीय उद्यम इकाइयों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए एक मुख्य उपाय है।

स्थानीय स्व–शासन (शहरी स्थानीय निकाय या यूएलबी)

क. मीडिया द्वारा किया गया प्रचार:

समावेशी क्षेत्र विकास योजनाओं को प्रभावित करने के लिए मीडिया द्वारा प्रचार अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अभियान से स्थानीय आर्थिक विकास में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए कि आर्थिक विकास में महिलाओं के अधिकार को

संवर्धन प्राप्त हो तथा महिलाओं की अवसंरचनाओं और जल संसाधनों, सामुदायिक केंद्रों, विक्रय स्थानों और परिवहन सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि हो सके।

1. **पोस्टर** : राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पोस्टरों का एक सेट तैयार किया जाना चाहिए और उसे प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय को देना चाहिए और पार्षदों को भी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे उसे सामुदायिक केंद्रों में रख सकें। इन पोस्टरों में विशाखा मामले में किए गए निर्णय, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा लैंगिक समानता हेतु स्थानीय आर्थिक क्षेत्रीय विकास योजनाओं का विवरण दिया जाए।

2. **फिल्म** : शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण के संबंध में विज्ञापन से महिला संगठनों को बीएसयूपी, आरएवाई, एसजेएसआरवाई और अन्य स्कीमों को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। फिल्म में महिलाओं से यह कहा जाएगा कि वे शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय में प्रवेश करते समय अपने हस्ताक्षर करना न भूलें जिससे उन्हें इस बात की जानकारी हो जाए कि शहरी स्थानीय निकायों में उनका विवरण स्वागतयोग्य और आवश्यक है।

ख. लैंगिक समानता पर निगरानी रखना और शहरी स्थानीय निकायों में इसका समावेश करना:

1. **स्थानीय लैंगिक समानता कार्ययोजना** : पुरुषों और लड़कों की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति के संबंध में साक्ष्य आधारित सूचना स्थानीय योजना के एक हिस्से के रूप में शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय की दीवार पर नियमित रूप से अद्यतन की जाए।

2. **यह ज्ञात करना कि महिला और पुरुष अलग–अलग किस बात की अपेक्षा करते हैं:** शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों द्वारा महिलाओं और पुरुषों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों के उपयोग जिसमें यह बात कि वे अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक तथा वापसी की यात्रा किस प्रकार करते हैं, शामिल हो, के संबंध में पुरुषों और महिलाओं पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

ग. स्थानीय शहरी प्रशासन हेतु प्रशिक्षण योजना:

1. उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार के लिए महिलाओं की भागीदारी को संवर्धन प्रदान करना।

2. शहरी स्थानीय निकायों के लिए महिलाओं को मुख्यधारा में लाने विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षमता निर्माण करना।

3. क्षेत्रीय विकास योजना में छूट गई बातों पर संबंधित पक्षों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. समावेशी आर्थिक विकास योजना पर नेताओं और बाजार प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करना।

घ. स्थानीय शहरी सेवा कार्य करने के लिए भागीदारी में वृद्धि करना

समुदाय बेहतर ईंधन उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और जल तथा स्वच्छता व्यवस्था हेतु योजना तैयार कर सकता है तथा पीपीपी और यूएलबी की सहायता से अपने झोंपड़–पट्टी विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ा सकता है। यह निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है:

1. पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भिन्न प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर ध्यान देकर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं के संबंध में बेहतर प्रशासन और अवसंरचना स्थापित करना।

2. यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं सेवाओं के अभिकल्पन, प्रबंधन और मूल्यांकन कार्यों से जुड़ी हैं।

3. स्थानीय स्तर पर सेवाओं की लिंग–अनुक्रियाशील आयोजना, बजटिंग और कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में जल और स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. जल प्रयोक्ताओं की समितियों, जो जल की कमी और आवश्यकताओं का निर्धारण करती है, जल के नए अभिगम स्थलों के संस्थापन का पर्यवेक्षण करती हैं और मौजूदा जल अभिगम स्थलों तथा जलाशयों आदि की देखरेख करती हैं, उनकी सदस्य बनने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। स्वच्छता, सूचना और प्रशिक्षण केंद्रों, उत्पादन केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों तथा माता एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए इसी प्रकार की योजना तैयार की जा सकती है।

5. विद्यालय में छात्राओं के लिए तथा यूएलबी कार्यालय और बाजार स्थलों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने के लिए बजट में वृद्धि करना क्योंकि ऐसा करने से इन स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

ङ. समावेशी स्थानीय क्षेत्र और नगरपालिका अवसंरचना और भूमिः

1. उपर्युक्त भूमिका को पूरा करने के लिए यूएलबी प्रत्येक वार्ड के विकास में जुटेगा जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. आरएवाई के अंतर्गत महिला और युवा सुरक्षा समूहों के सशक्तीकरण तथा हाउसिंग समितियों पर विशेष ध्यान देने की योजना इस प्रकार तैयार की जा सकती है कि समुदाय को सतत पोषणीय घरेलू और परिवेशी अवसंरचना डिजाइन से लाभ प्राप्त हो सके तथा शहरी निर्धन व्यक्ति विशेष हाउसिंग वित्त पहलों का लाभ उठा सकें।

3. अन्य राज्यों की भांति इन हाउसों परिवार की महिला के नाम से पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।

4. मुख्यधारा बैंकिंग प्रणाली स्थापित करना ताकि महिलाएं वहां से ऋण प्राप्त कर सकें और विशेष ऋणों और ऋण गारंटी स्कीमों के जरिए कार्यस्थलों और सामुदायिक स्थलों तक अपनी पहुंच स्थापित कर सकें।

च. शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लैंगिक अनुक्रियाशीलताः

1. शहरी स्थानीय निकायों में व्यावसायिक और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों सहित संपूर्ण स्टाफिंग प्रक्रिया में लैंगिक आधार पर संतुलन की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

2. शहर के स्तर पर कार्मिकों और चुने गए प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व तंत्र में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और लैंगिक आधार पर संतुलन स्थापित करने की स्थिति पर निगरानी रखना।

3. कर्मचारियों को वर्तमान में अन्य राज्यों में अपनाई जा रही स्थानीय लैंगिक और समावेशी प्रथाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उनके सशक्तीकरण के संबंध में फील्ड

क्रियाकलापों से अनुभवों के आदान–प्रदान के जरिए प्राप्त हुई यह जानकारी यूएलबी की भूमिका को संवर्धन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी तथा वर्तमान में यह स्थिति उपलब्ध नहीं है।

4. इस क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में जेएनएनयूआरएम, बीएसयूपी, एसजीआरवाई, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और अन्य नकद राशि प्रदान करने वाली लैंगिक अनुक्रियाशील कार्यक्रमों को विकसित करना, उन पर निगरानी रखना और महिलाओं की लैंगिक समानता और शहरी स्थानीय निकायों में लैंगिक आधार पर संतुलन स्थापित करना शामिल है।

जिला स्तरीय योजना निर्माण हेतु राज्य सरकारों के लिए सिफारिशें

असंगठित मजदूरों के विभिन्न तबकों और सर्वाधिक असुरक्षित स्थिति में स्थित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर निम्नलिखित की आवश्यकता है:

1. विकेंद्रीकृत श्रम कल्याण बोर्ड जहां यौन उत्पीड़न के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु एक शिकायत समिति स्थापित की गई हो।

2. मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों को जिला स्तर पर निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाए, जिनके संबंध में धारणीय और न्यायोचित तरीके से प्रयोग हेतु योजना तैयार की गई हो और जिसमें निम्नलिखित के माध्यम से महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई हो:

   - सृजनात्मक आयोजना और क्रियान्वयन को संवर्धन प्रदान करने की दृष्टि से महिलाओं और स्थानीय समुदायों के साथ सहभागी योजना तैयार करना। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र को धारणीय विकास ज़ोन के रूप में विभाजित किया जाए जिसमें सार्वजनिक मुख्य स्थलों, वन, जलाशयों, कृषि भूमि और भूमिहीन महिलाओं को आबंटित आवासीय गृहों सहित अवसंरचना सृजन किया जाए तथा सामूहिक उत्पादन और पुनर्सृजन पर ध्यान लक्षित किया जाए।

   - महिला कृषकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और वन श्रमिकों को अपने नाम से दर्ज भूमि/वन अधिकार की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त, कृषि कार्य में विस्तार सेवाएं तथा साथ ही द्रुत शीतन संयंत्र, भंडार गृहों और विक्रय स्थलों जैसी अवसंरचना व्यवस्था की उन्हें आवश्यकता है। विक्रेताओं के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गली में घूम कर विक्रय करने वालों को विपणन स्थान तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शौचालय की सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर जिला और एलडीपी स्तर पर उपलब्ध कराने जाने के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए। शिशु सदन और रात्रि रैन बसेरे जैसी अतिरिक्त सेवाएं निकटवर्ती स्थानों पर स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका प्रबंधन महिलाओं और पुरुष समूह द्वारा समान रूप से किया जाए।

   - महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले स्थानीय प्रवसन संसाधन केंद्र में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जिसमें रसोई घर और ठहरने की सुविधा शामिल हो।

   - कमजोर तबकों के समूहों जैसेकि अकेली रह रही महिलाओं, समाज से बहिष्कृत महिलाओं, एचआईवी ग्रसित महिलाओं तथा हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रय स्थल निश्चित रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

- चौबीसों घंटे काम कर रही हेल्पलाइन सुविधा बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों में निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाए ताकि महिलाओं को अनैतिक व्यापार से संरक्षण प्रदान करने में सहायता उपलब्ध हो सके।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार

1. चूंकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने एक विशेष अध्ययन किया है, अतः जनगणना में महिलाओं हेतु रोजगार से संबंधित आंकड़ों को विस्तारित करके उसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया जाए, जहां वे अपने घर के निकट रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

3. उद्यम क्रियाकलापों को शुरू करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं/कार्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं के लिए तंत्र को सहायता प्रदान करने की नीति।

4. प्रवास करने वाली आबादी के लिए नीति – विशेषकर तब जबकि उन्हें विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों द्वारा श्रमिक के रूप में लाया जाता है।

5. महिलाओं की आजीविका संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित कौशल स्तरोन्नयन कार्यक्रम हेतु नीति।

6. असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए पेंशन स्कीमों, अंशदायी भविष्य निधि, ईएसआईसी सहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु नीति।

राष्ट्रीय स्तर हेतु सिफारिशें:

1. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम को अभिसरित स्कीमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जिला स्तर पर उनके प्रभावों पर निगरानी रखी जा सके।

2. सांख्यिकी मंत्रालय को लैंगिक संसाधन अंतरालों के आधार पर लिंग–असमूहित आंकड़ों को एकत्र करने की आवश्यकता है।

3. *संसाधनों तक पहुंच से स्वामित्व को अलग करना* – क्योंकि महिलाओं के लिए भूमि अधिकार उन्हें अन्य संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करता है (जैसेकि ऋण सुविधा, जल स्रोत और बाजार)। यह कार्य निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है:

   - विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम (1874) का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिसे कभी भी निरस्त नहीं किया गया – इसे सक्रिय करने के लिए केवल कानूनी उपाय करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम विवाहित महिलाओं को पति की सभी संपत्ति में हकदारी उपलब्ध कराता है। सरकार द्वारा इस आशय का एक आदेश जारी किया जाए, जिसमें सभी कृषि पट्टे को पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति माना जाए और पट्टे पर दोनों के नामों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए। इस कदम से विवाहित महिलाओं को संसाधनों तक अपने पति के समान ही पहुंच बनाने में सहायता प्राप्त होगी।

   - विशेषकर अकेली रह रही महिलाओं के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2006) के क्रियान्वयन पर कार्रवाई की जाए।

- सीआईआई, एफआईसीसीआई, आईएफएफसीओ में महिलाओं को सदस्य के रूप में अधिकाधिक संख्या में नामित किया जाए जिससे उन्हें उद्यमी और कृषक के रूप में सभी आवश्यक उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए स्वतः मान्यता प्राप्त हो सके, क्योंकि महिलाओं को इन संगठनों का सदस्य बनने से रोकने के लिए कोई खंड नहीं है।

6. सामाजिक, आर्थिक और भूमि की असमतलता के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की दशा : कुमाऊँ की पहाड़ियों के संबंध में एक मामला अध्ययन – कुमाऊँ एडवेंचर एंड एनवायरनमेंट फेलोशिप खत्यारीटॉप, विवेकानंदपुरी, अल्मोड़ा–263601, उत्तराखंड द्वारा संचालित अध्ययन कार्यक्रम

अध्ययन पर आधारित सिफारिशें:

केंद्र सरकार:

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय वन कानूनों में सुधार लाए तथा पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाए (1976 वन अधिनियम) ताकि उनका उपयोग संबंधित क्षेत्र में ईंधन और इमारती लकड़ियों के लिए किया जा सके। उन्हें केवल आवश्यकता के आधार पर ही काटा जाए। राज्य वन विभाग, आरक्षित वनों और अभयारण्यों में उन्हें अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। ऐसा करके ग्रामीण महिलाओं को अत्यधिक कठोर मेहनत करने से बचाया जा सकता है। इससे वन में आग लगने और पेड़ों की गैर–कानूनी तौर पर कटाई करने जैसी समस्याओं का सामना करने में भी सहायता प्राप्त होगी। कृषि, वानिकी और जलावन की लकड़ी/इमारती लकड़ी के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

(ii) अधिक बड़ी भूमिका और सुदृढ़ अभिप्रेरण की सहायता से राष्ट्रीय स्तर एक सुदृढ़ महिला संगठन को स्थापित करना जो राज्य, जिला, खंड और न्याय पंचायत तथा ग्राम सभा के स्तर तक भी प्रबल समन्वयन कार्य करे। अभिप्रेरण सबसे निचले स्तर से ऊपर के स्तर की ओर परिलक्षित होगा।

(iii) सबसे निचले स्तर पर समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संगठन को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनके लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वे स्थानीय सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक ताने–बाने और धार्मिक मान्यताओं पर ध्यान रखें।

(iv) उगाई जाने वाली फसलों में परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए एक विशाल स्कीम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इस स्कीम का केंद्र सरकार द्वारा समर्थन और वित्तपोषण किया जाए। इस स्कीम से ग्रामवासियों और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और उनमें भी विशेष तौर पर कृषि कार्य में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है।

(v) स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के कार्यक्रम (मिड–डे मील प्रोग्राम) के समान ही गर्भवती और कुपोषित महिलाओं तथा उनके शिशुओं के लिए उनके घर पर या ग्राम/बस्ती के स्तर पर एक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को पौष्टिक भोजन और खाद्य अनुपूरक/औषधियां दैनिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। इस प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रयोग किया जाए।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की प्रवृत्ति से संबंधित सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का सामना करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से एक अभियान शुरू किया जाए।

राज्य सरकार (उत्तराखंड)

(i) उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप में अपने राज्य में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाए।

(ii) पशुओं को एक निश्चित स्थान पर चारा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(iii) ग्रामवासियों को कंपोस्ट खाद को उपयुक्त रूप में तैयार करने तथा खाद और उर्वरक का उपयुक्त मिश्रण उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(iv) परंपरागत कृषि के स्थान पर वाणिज्यिक कृषि को अपनाने के लिए बृहत आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

(v) सरकारी क्रियाकलापों के चार्ट के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के कार्य के संबंध में समय अनुसूची और समय आबंटन पर सावधनीपूर्वक विचार किया जाए। सरकारी क्रियाकलापों का चार्ट ग्रामीण महिलाओं के कार्य के समय और उसके लिए समय आबंटन के अनुसार आंचलिक आधार पर परिवर्तन किया जाए। यह देखा गया है कि विभागों द्वारा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जिस दौरान चलाया गया, उस दौरान महिलाएं अपने कृषि कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रही और इस कारण वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाईं।

(vi) राज्य कृषि, बागबानी, पशुपालन और अन्य ग्रामीण विभागों को हिंदी पंचाग के अनुसार अपने क्रियाकलापों का निर्धारण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ग्रामीण कृषि क्रियाकलाप हिंदी पंचांग के अनुसार किए जाते हैं और हिंदी पंचांग में ग्रेगैरियन पंचांग की तुलना में काफी अंतर होता है।

(vii) 'राज्य कुटीर और लघु उद्योग बोर्ड' या 'खादी ग्राम बोर्ड' आदि द्वारा कुटीर उद्योग या शिल्प कार्य के संबंध में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम का उपयोग कृषि में कम कार्य की अवधि के दौरान महिलाएं इस कार्यक्रम का उपयोग कर सकें।

(viii) विशेषकर बृहत और हिमालय–पार क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

(ix) बालिकाओं के लिए, विशेषकर उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट कक्षा के स्तर पर अलग शासकीय बालिका इंटर कॉलजों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

(x) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बालिकाओं को विशेषकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर, जबकि वह परिवार के कार्यबल का एक मजबूत सदस्य होती है, सहायता का एक पूर्ण पैकेज (शुल्क+पुस्तकें+ड्रेस+परिवहन) उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

(xi) ग्रामवासियों द्वारा शिक्षा (जूनियर हाई स्कूल से ऊपर) को काफी हद तक उपयोगी नहीं समझा जाता। शिक्षा से केवल शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होती है किंतु इससे अपने परिवार के प्रबंधन हेतु उनकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। ग्रामीण बालिकाओं के लिए इंटरमीडिएट स्तर तक एक पृथक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसे उनकी आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाए। इस पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ग्रामीण आयोजना, कृषि और

पशुपालन तथा महिला सशक्तीकरण, महिला संगठनों और महिला स्वास्थ्य से संबंधित विषय शामिल किए जा सकते हैं। उनके ग्रामीण पर्यावरण में मौजूदा प्राकृतिक साधनों के धारणीय प्रबंधन पर काफी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे पाठ्यक्रम को अधिक विशेषज्ञतायुक्त बनाकर उच्चतर शिक्षा स्तर पर भी शामिल किया जा सकता है।

(xii) शाकीय पौधों और परंपरागत उपचार प्रथाओं के स्वदेशीय ज्ञान, जिनका आयुर्वेद में अत्यधिक महत्त्व है को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए ।

(xiii) भौतिक भू–भाग के विशेष संदर्भ में ग्रामीण अस्पतालों (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) का नेटवर्क संतोषजनक नहीं है। इन स्थानों को कहां स्थापित किया जाना है, इस संबंध में निर्णय प्रशासनिक इकाइयों द्वारा किए जाते हैं। हम इस बात की काफी कड़ाई से सिफारिश करते हैं कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपयुक्त भौतिक भू–भाग, जल संभरक यूनिटों और परिवहन केंद्रों के निकट स्थापित किया जाए।

(xiv) चिकित्सकों की उपलब्धता भी एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात है। अधिकतर मामलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात चिकित्सक किसी न किसी बहाने अपने कार्यस्थल से गायब रहते हैं।

(xv) ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था काफी हद तक आरएमपी चिकित्सकों पर आधारित है, जिन्हें "बंगाली डाक्टर" कहा जाता है। उनके डिप्लोमा की अनिवार्यतः जांच की जानी चाहिए और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं किंतु ऐसे अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी गंभीर समस्या को भी उत्पन्न कर सकते हैं।

(xvi) उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, किंतु इसके साथ ही उन पर कड़ाई से निगरानी भी रखी जाए।

(xvii) इस संबंध में सचल अस्पताल काफी सफल हो सकते हैं। यदि विशेषकर बृहत और हिमालय–पार क्षेत्र तथा लघु हिमालय के कुछ सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सकों का शिविर लगाया जाए, तो यह अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। '108 सचल अस्पताल वैन' का सफल होना इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। किंतु यह प्रयोग केवल उन स्थानों तक ही समित रहा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना संभव था। सुदूर गांवों के लिए विशेषकर वर्षाऋतु और सर्दी की ऋतु में (ऊंचाई वाले स्थानों पर) कुछ व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है।

विभिन्न सामाजिक समस्याओं और विशेषकर ग्रामीण पुरुष और महिलाओं की प्रवृत्ति में बदलाव लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।

(xviii) राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन की पद्धति में परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए एक व्यापक स्कीम शुरू की जाए। इस स्कीम के लिए सहायता और वित्तपोषण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। इससे ग्रामीण महिलाओं और विशेषकर कृषि कार्य में लगी महिलाओं के जीवन के साथ ही सभी ग्रामवासियों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।

जिला प्राधिकारी/विभाग

1. उपर्युक्त फसल चक्रण और फसल संयोजन अनिवार्य है। पशुओं को एक स्थान पर चारा उपलब्ध कराने के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

2. ग्रामवासियों को कंपोस्ट खाद को उपयुक्त रूप में तैयार करने तथा खाद और उर्वरक का उपयुक्त मिश्रण उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

3. परंपरागत कृषि के स्थान पर वाणिज्यिक कृषि को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

4. महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं।

5. ऐसे प्रत्येक गांव में 'स्व–सहायता समूह' (एसएचजी) या सूक्ष्म सहकारी समिति गठित करने के लिए सबसे निचले स्तर पर कार्य करने के लिए एक सुदृढ़ महिला संगठन गठित किया जाए।

6. ग्रामीण बालिकाओं में शत–प्रतिशत शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दूर–दूर छितरी हुई बस्तियों को कवर किए जाने की आवश्यकता है।

7. न केवल दूरी बल्कि स्थानीय भौगोलिक अवरोध अर्थात मौसमी प्रवाह, भूस्खलन या पत्थर खिसकने वाले अंचलों और वन क्षेत्रों आदि पर भी विचार किया जाए।

8. पोषणयुक्त फसलों, फल आदि के उत्पादन तथा विविध प्रकार की फसलों को उगाने को प्रोत्साहन प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाए। मुर्गीपालन को बढ़ावा दिया जाए और यदि संभव हो तो ऐसी नदियों में, जिनमें पूरे वर्ष पर जल रहता है, संगठित मत्स्यपालन/मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता दी जाए, परंतु उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों पर कड़ाई से निगरानी भी रखी जाए।

9. लोगों की अभिवृत्ति और लैंगिक आधार पर भेदभाव से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की सेवा ली जाए।

स्थानीय सामाजिक संस्थाएं और गैर–सरकारी संगठन

1. स्थानीय सामाजिक संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के कार्यसमय को पुनर्निर्धारित करने के लिए ग्रामवासियों को फिर से अभिप्रेरित किया जाए।

2. पालतू पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ देने की बजाय उन्हें एक स्थान पर चारा खिलाने के लिए अभिप्रेरण प्रदान किया जाए।

3. भूमि को एक या अधिक फसल ऋतु के लिए बिना फसल बोए खाली छोड़ देने की प्रथा को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

4. मवेशियों को खाली छोड़ दिए गए या फसल बोए हुए खेत में खुला नहीं छोड़ा जाए।

5. परंपरागत फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए अवप्रेरित करना।

6. सबसे निचले स्तर पर सुदृढ़ महिला संगठन (स्व–सहायता समूह) गठित किए जाएं।

7. ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे संपूर्ण दुग्ध उत्पादन को स्थानीय डेयरी को न बेचकर उसे पर्याप्त मात्रा परिवार के लिए बचाकर रखें।

8. यह ज्ञात हुआ कि महिलाओं में सामाजिक जागरूकता की कमी एक प्रमुख बाधा है। इस संबंध में विभिन्न विषयों पर उनमें जागरूकता होना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसे कुछ विषय हैं:

- **ग्रामीण पुरुषों का अपने समकक्ष (ग्रामीण महिलाओं) के प्रति रवैया**
- **महिलाओं का महिलाओं और लड़कियों के प्रति रवैया**
- **महिलाओं का स्वयं अपने प्रति रवैया।**

इस संबंध में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्हें इस संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का एक बड़ा कार्य सौंपा जाए। इस संबंध में जिन मामलों पर कार्य किया जा सकता है, वे निम्नवत हैं:

(i) वयस्क और बड़ी–बूढ़ी महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति ग्रामीण बालिकाओं की प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है क्योंकि ये वरिष्ठ महिलाएं शैक्षिक और आर्थिक कॅरियर के मामले में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

(ii) जागरूकता सृजन कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि की सफल महिलाओं और शिक्षित बालिकाओं (ग्रामीण पृष्ठभूमि) द्वारा ग्रामीण अंचलों का दौरा करने, उनकी सफलता की कहानी गांव की बालिकाओं में प्रचारित करने, वृत्तचित्र का प्रदर्शन करने से समुदाय की सोच में बदलाव लाने में सहायता प्राप्त होगी।

(iii) ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न स्कीमों में सक्रिय भागीदारी के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए और इन्हें महिलाओं के जीवन का स्थायी घटक बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

(iv) महिलाओं को राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों और अपने वोट की शक्ति के संबंध में जागरूक रहना चाहिए।

(v) गैर–सरकारी संगठनों को ग्राम स्तर पर दैनिक/वार्षिक कार्यकरण चार्ट जो उपयोगी और लाभकारी हो, तैयार करना चाहिए तथा महिलाओं को इसका अनुसरण करने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने लिए और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए कुछ समय निकाल सकें।

(vi) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए अनुत्पादक कृषि क्रियाकलापों को छोड़ने के लिए अभिप्रेरित किया जाए।

(vii) गैर–सरकारी संगठनों को ग्रामीण महिलाओं में आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए।

(viii) गैर–सरकारी संगठनों को ग्राम स्तर पर महिला कल्याण संगठनों को स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। ऐसे संगठन महिला सशक्तीकरण और विकास कार्यों के लिए कार्य कर सकते हैं तथा ऐसे संगठनों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे महिला संगठनों के साथ संयोजित किया जा सकता है।

8 आयोग के लेखे

तुलन–पत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि	1	5,33,86,02500	4,88,57,891.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	(2,38,,69,499.00)	(97,34,401.00)
निर्धारित/स्थायी निधि		—	—
सुरक्षित ऋण और उधार		—	—
असुरक्षित ऋण और उधार		—	—
आस्थगित ऋण देयताएं		—	—
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	3	1,88,37,129.00	1,43,87,813.00
		4,83,53,655.00	**5,35,11303.00**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	2,11,17,272.30	2,02,91,004.00
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधि से		—	—
निवेश – अन्य	5	—	14,15,649.00
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	6	2,72,36.383.00	3,18,04,650.00
विविध व्यय		—	—
जोड़ (ख)		**4,83,53,655.00**	**5,35,11,303-00**
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	15		

सदस्य–सचिव

आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
बिक्री/सेवाओं से प्राप्त आय			—		—
अनुदान/राज सहायता	7	4,48,48,941.00	2,46,050,000.00	4,55,74,058.00	4,30,00,000.00
शुल्क/अभिदान	8	—	3,417.00	—	3,676.00
निवेश से प्राप्त आय	9	—	—	—	—
(निधियों में अंतरित निर्धारित/ स्थायी निधि से)					
रायल्टी/प्रकाशन आदि से आय		—	—	—	—
अर्जित ब्याज	10	—	4,69,359.00	—	3,87,220.00
अन्य आय	11	—	3,39,617.00	—	1,42.326..00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक और डब्ल्यूआईपी में वृद्धि/कमी		—	—	—	—
पिछले वर्ष का समायोजन – अन्य आय		—	35,000.00	---	---
जोड़ (क)		**4,48,48,941.00**	**2,54,52.393.00**	**4,55,74,058.00**	**4,35,33,222.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	12	75,61,890.00	1,31,81,834.00	68,76,260.00	2,07,13,049.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	4,45,87,683.00	1,54,08,810.00	5,13,48,668.00	1,34,60,090.00
अनुदान, राज सहायता आदि पर व्यय		—	—	—	—
ब्याज		—	—	—	—
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		1,43,170.00	—	—	—
स्थली परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि		—	—	—	—
जोड़ (ख)		**5,58,45,788.00**	**2,85.90.644.00**	**6,23,53,833.00**	**3,41,73,139.00**
आय की तुलना में व्यय के पश्चात अतिरिक्त बची शेष राशि (क-ख)		**(1,09,95,847.00)**	**(31,38,251.00)**	**(1,67,79,775,00)**	**(93,60,083.00)**
विशेष आरक्षित राशि को अंतरण		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित राशि को/ से अंतरण		—	—	—	—
समय/पूंजी निधि में ले जाई गई अधिशेष (कम हुई) शेष राशि		**(1,09,95,847.00)**	**(31,38,251.00)**	**(1,67,79,775,00)**	**(93,60,083.00)**

सदस्य–सचिव

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष		भुगतान	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर		योजनागत	योजनेतर	योजनाग	योजनेतर
प्रारंभिक शेष									
हस्तगत नकद राशि	–	–	–	–	स्थापना व्यय (अनुसूची–16)	53,06,778.00	2,69,84,511.00	53,55,046.00	1,47,15,791.00
बैंक शेष	9,928.00	2,88,287.00	1,11,222.00	38,95,070.00	अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–17)	4,01,63,356.00	1,28,24,738.00	3,95,35,389.00	1,41,95,286.00
प्राप्त अनुदान	4,85,00,000.00	4,30,00,000.00	4,98,89,000.00	2,46,05,000.00	धन विप्रेषण (अनुसूची–18)	–	62,58,239.00	–	28,19,907.00
निवेश पर आय									
स्थायी निधि	–	–	–	–					
स्वयं की निधियां	–	–	–	–	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय	29,25,942.00	–	50,61,659.00	–
निवेश पर ब्याज	–	–	–	–					
					अंतिम शेष				
प्राप्त ब्याज					हस्तगत नकदी राशि	–	–	3,000.00	–
बैंक में जमा राशि	–	2,58,706.00	–	4,38,339.00	बैंक शेष	1,13,852.00	38,92,440.00	49,388.00	1,02,544.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	–	8,694.00	–	–					
ऋण एवं अग्रिम	–	–	–	–					
भुनाया गया निवेश	–	–	–	–					
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	–	–	–	–					
अन्य आय									
आरटीआई	–	3,676.00	–	3,417.00					
विविध	–	1,42,326.00	–	21,795.00					
आय	–	–	–	–					
धन विप्रेषण (अनुसूची–18)	–	62,58,239.00	–	28,19,907.00					
सुरक्षा जमा राशि			4,260.00	50,000.00					
	4,85,09,928.00	**4,99,59,928.00**	**5,00,04,482.00**	**3,18,33,528.00**		**4,85,09,928.00**	**4,99,59,928.00**	**5,00,04,482.00**	**3,18,33,528.00**

सदस्य–सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा – भविष्य निधि
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वष
प्रारंभिक शेष					
बैंक शेष	4,88,919.00	3,80,214.00	अंतिम भुगतान/अग्रिम/निकासी	14,52,196.00	6,73,563.00
			अंशदायी भविष्य निधि पर प्रदत्त ब्याज	—	16,307.00
अभिदान	—	8,35,000.00	अंशदायी भविष्य निधि में किया गया निवेश	—	11,82,500.00
अंशदान		3,97,204.00	बैंक प्रभार	28.00	165.00
परिपक्व निवेश	19,35,648.00	7,48,582.00	केनरा बैंक 13440	6.64.350.00	
			सदस्य को भुगतान नहीं किए गए अंशदान		
			आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि	3,23,472.00	
			अंतिम शेष		
			बैंक शेष	—	4,88,919.00
बैंक द्वारा प्रतिपूरित टीडीएस	—	108.00			
अंशदायी भविष्य निधि से अर्जित ब्याज	15,479.00	346.00			
	24,40,046.00	**23,61,454.00**		**24,40,046.00**	**23,61,454.00**

सदस्य–सचिव

तुलन–पत्र से संबद्ध अनुसूची
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	4,88,57,891.00	—	4,60,38,841.00
जोड़ें: समग्र/पूंजीगत निधि में अंशदान	—	—	—
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	—	—	—
जोड़ें: ब्याज पर टीडीएस की प्रतिपूर्ति के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	—	—	108.00
जोड़ें:: स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में प्रविष्टि को त्रुटिमुक्त करना	1,07,000.00	—	—
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत निधि	50,40,059.00	—	29,25,942.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान अस्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	6,18,925.00	—	1,07,000.00
घटाएं: वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान अस्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	—	—	—
वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	**5,33,86,025.00**		**4,88,57,891.00**

अनुसूची–2 : आरक्षित एवं अधिशेष निधि

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1) *पूंजीगत आरक्षित निधि*				
पिछले लेखा के अनुसार	(1,90,94,483.00)	93,60,083.00	(23,14,709.00)	—
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) अंतरित निवल आय/(व्यय)	(1,09,96,847.00)	(31,38,251.00)	(1,61,79,775.00)	93,60,083.00
जोड़	**(3,00,91,331,00)**	**62,21,832.00**	**(1,90,94.484.00)**	**93,60,083.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–3 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वर्तमान देयताएं					
देय अंशदायी भविष्य निधि		–	–	–	18,71,944.00
प्रतिभूति जमा		39,260.00	50,000.00	–	–
गैर–सरकारी संगठनों को देय अग्रिम	क+ख+ग+घ	1,56,03,454.00	–	1,08,69,634.00	–
गैर–सरकारी संगठनों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को देय अग्रिम	ड.+च+छ	31,41,415.00	–	16,46,235.00	–
विविध ऋणदाता		3,000.00	–	–	–
		1,87,87,129.00	**50,000.00**	**1,25,15,869.00**	**18,71,944.00**
विशेष अध्ययन	(क)	**64,92,520.00**		**44,36,650.00**	
आसरा विकास संस्थान					
अभियान, छत्तीसगढ़		83,000.00		2,49,000.00	
ऑल इंडिया फाउंडनेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट		3,21,300.00		3,21,300.00	
अरावली इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च		1,02,690.00		1,02,690.00	
एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कोटा		74,550.00		74,550.00	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली		2,69,640.00		–	
सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, केरल		1,44,120.00		–	
सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, स्पेशनल स्ट्डीज		1,44,120.00		–	
सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, जयपुर		97,050.00		97,050.00	
सेंटर फॉर स्ट्डीज फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		1,01,400.00		1,01,400.00	
चैतन्य मोहन कोठी, गया		58,800.00		58,800.00	
धनवंतरी मेंटली रिटार्डेड एंड ड्रग एडिक्टर्स		1,46,160.00		–	
डॉ. एल. एन. दधीच, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक, उदयपुर		–		1,41,120.00	
डॉ. शैला प्रवीण, व्याख्याता, वाराणसी, उ.प्रदेश		1,83,000.00		1,83,000.00	
डॉ. ऊषा टंडन, सह–प्राध्यापक		1,80,180.00		–	
एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली		2,90,370.00		1,52,400.00	
एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली		1,09,200.00		1,09,200.00	
इंडियन सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटिड वूमेन, दिल्ली		1,92,150.00		–	
इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उदयपुर		44,800.00		44,800.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, कोलकाता	1,09,800.00		1,09,800.00	
जाबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइजेशन	48,615.00		48,615.00	
जलगाम समिति सजगौरी	––		43,890.00	
कज़ंस हिमस्टार व्यू, शिमाल	1,75,140.00		–	
लीगल सर्विसेज, अपोलो अस्पताल के निकट	65,200.00		65,200.00	
लियाकत अली खान	1,20,000.00		1,20,000.00	
लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	1,39,850.00		–	
मातृभूमि फाउंडेशन, दिल्ली	2,05,800.00		–	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस	1,11,800.00		1,11,800.00	
मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार	41,200.00		41,200.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग	1,83,330.00		–	
मदर्स लैप चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन	2,02,860.00		–	
मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी	1,08,360.00		1,08,360.00	
सुश्री शीला चौधरी	49,200.00		49,200.00	
नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्ट्डीज	40,000.00		40,000.00	
नवराजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च	1,19,700.00		1,19,700.00	
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी	2,19,240.00		1,93,410.00	
पश्चिम बंग युवा कल्याण मंच	38,640.00		38,640.00	
प्रियंका भारद्वाज	–		52,080.00	
प्रो. विजय लक्ष्मी, उदयपुर	1,27,800.00		1,27,800.00	
आरके एचआईवी एड्स सेंटर, मुंबई	2,57,400.00		2,57,400.00	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	1,15,930.00		–	
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी	1,78,290.00		1,78,290.00	
शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	1,24,425.00		1,24,425.00	
शिवाणी भारद्वाज	3,30,750.00		3,30,750.0	
शिवचरण माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट	1,54,350.00		–	
श्री राज सिंह निर्वाण	2,32,000.00		2,32,000.00	
सिच्युएशनल एनालिसिस ऑफ होमलेस वूमेन	1,50,000.00		1,50,000.00	

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
दॅ एशोएिशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव		1,42,380.00		1,42,380.00	
दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, रोहतक		1,19,070.00		–	
वूमेन स्टडी एंड डेवलपमेंट, कोच्चि		1,16,400.00		1,16,400.00	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	(ख)	**45,11,250.00**		**38,41,250.00**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30,000.00		30,000.00	
आरती महिला सेवा संस्थान, उदयपुर		–		15,000.00	
आसरा विकास संस्थान, उदयपुर		–		30,000	
आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, आगरा		–		15,000.00	
अभ्युदय सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		–	
आचार्य जी महा समिति, गोरखपुर		15,000.00		15,000.00	
एक्टिविस्ट ऑफ वालंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट, लखनऊ		30,000.00		–	
आदर्श, उड़ीसा		30,000.00		15,000.00	
आदर्श ग्रामीण शिक्षण समिति, राजस्थान		15,000.00		15,000.00	
आदर्श ग्रामोद्योग महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश		30,000.00		–	
आदर्श जन सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश		–		15.000.00	
एग्रिड (एसोसिएशन फॉर ग्रामराज्यम एंड रूरल इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट)		10,000.00		10,000.00	
ऐकातन संघ विल्लेज एंड पोस्ट दारा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		15,000.00	
अखिल भारतीय नव युवक कला संगम, हरियाणा		–		15,000.00	
अखिल भारतीय समाज संरक्षक, जयपुर		15,000.00		–	
अखिल प्रोग्रेसिव एंड कल्चरल सोसाइटी, दिल्ली		15,000.00		–	
ऑल इंडिया कॉमनवेल्थ आर्गेनाइजेशन, हरियाणा		45,000.00		15,000.00	
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा		15,000.00		15,000.00	
अमिट स्मृति बाल कल्याण समिति, हिमाचल प्रदेश		15,000.00		–	
अमृता महिला कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश		–		15,000.00	
अन्नपूर्णा ग्रामोद्योग मंडल, उत्तर प्रदेश		–		15,000.00	
अपर्णा शिक्षा समिति, राजस्थान		–		15,000.00	
अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (विधिक जागरूकता कार्यक्रम)		–		18,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
आशा विकास संस्था, उदयपुर	30,000.00		30,000.00	
एसोसिएशन फॉर रूरल एंड टेक्निकल एजूकेशन सेंटर, हिमाचल प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
एसोसिएशन फॉर दॅ वेल्फेयर ट्राइब ऑफ ए पी	40,000.00		–	
एसोसिएशन फॉर वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट, उड़ीसा	15,000.00		15,000.00	
एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड नरचर एसोसिएशन, जयपुर	30,000.00		30,000.00	
अस्तित्व बाबू उद्देश्य मानव उत्थान संस्थान	15,000.00		15,000.00	
आइशा वेल्फेयर सोसाइटी	30,000.00		–	
आजाद नवयुवक मंडल संस्थान, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
आजाद सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
बाहरपोट प्रेमललिता रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	15,000.00		15,000.00	
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहु–उद्देश्यीय, लातूर	15,000.00		–	
बजरंग ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस	15,000.00		–	
बालाजी सामाजिक उत्थान समिति, आगरा, उ.प्र.	–		15,000.00	
बाल निकेतन शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
बेयिफ फाउंडेशन, दिल्ली	15,000.00		–	
विनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
भगवान देवी एजूकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर, दिल्ली	15,000.00		–	
भारत एजूकेशन एंड पीस प्रोमोशन सोसाइटी, पंजाब	–		15,000.00	
भारतीय ध्यानवर्धिनी लोक विकास, महाराष्ट्र	15,000.00		–	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
भारतीय किसान कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
भारतीय महिला कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन, दिल्ली	–		30,000.00	
भवानी ट्रेनिंग सेंटर, बिहार	15,000.00		–	
बिजीराम स्वं महिला समिति, उड़ीसा	15,000.00		15,000.00	
ब्रिलिएंट स्टार एजूकेशन सोसाइटी, मध्य प्रदेश	60,00.00		–	
बुनियाद एजूकेशन सोसाइटी, हरियाणा	–		15,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सेंटर फॉर कम्युनिकेशन रिसोर्सिज, दिल्ली	–		15,000.00	
सेंटर फॉर एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर, हरियाणा	–		15,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	30,000.00		30,000.00	
चेतना बाल शिक्षा समिति	30,000.00		–	
चित्तौड़गढ़ जिला ग्रामीण उपभोक्ता सेवा, राजस्थान	15,000.00		–	
चौब सिंह शिक्षा समिति	15,000.00		–	
क्राफ्टस एंड सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, त्रिनगर	30,000.00		–	
दलित महिला रचनात्मक परिषद्	15,000.00		15,000.00	
दीन बंधु सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
दीपविद्या मंदिर समिति, राजस्थान	–		30,000.00	
दिल्ली कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग एंजूकेशन एंड वेल्फेयर	30,000.00		–	
धर्मचक्र विहार मूल बौद्ध, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
ध्रुव संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
दिशा फाउंडेशन, भरतपुर, राजस्थान	–		15,000.00	
जिला मजिस्ट्रेट एवं समाहर्ता	15,000.00		15,000.00	
डॉ. अम्बेडकर ई एंड आर डी सोसाइटी, मऊ, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
डॉ. अम्बेडकर समिति, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
दुर्बाचति नव अरुण संघ, पश्चिम बंगाल	30,000.00		–	
डायनमिक यूथ सोसाइटी	–		20,000.00	
गांधी सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
गंगा सोशल फाउंडेशन, दिल्ली	15,000.00		–	
गेहलु ज्ञान भारती शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
गिरिधर सोसाइटी	–		30,000.00	
गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन, हरियाणा	15,000.00		–	
ग्रामीण महिला सशक्तीकरण संघ, जयपुर	15,000.00		–	
ग्रामीण महिला विकास समिति, झज्जर, हरियाणा	–		30,000.00	
ग्रामीण औद्योगिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
ग्रामीण शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
ग्रामीण विकास मंच, करनाल, हरियाणा	15,000.00		–	
ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा	15,000.00		–	
ग्रामीण विकास संस्था, राजस्थान	–		30,000.00	
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	30,000.00		15,000.00	
गामोद्योग आश्रम, बिहार	15,000.00		–	
ग्राम सेवा ट्रस्ट, मध्य प्रदेश	15,000.00		–	
ग्रामीण सुधार समिति, हरियाणा	30,000.00		15,000.00	
ग्राम सेवा समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
ज्ञान दर्शन अकादमी	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान सागर, बिहार (विधिक जागरूकता कार्यक्रम)	15,000.00		15,000.00	
हंस एजूकेशनल सोसाइटी, रोहतक	15,000.00		–	
हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, बिहार	–		15,000.00	
हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार	15,000.00		–	
हरियाणा ग्रामीण सुधार एवं सांस्कृतिक, हरियाणा	15,000.00		–	
हरियाणा ग्रामीण विकास शिक्षण समिति, हरियाणा	–		15,000.00	
हेल्प आर्गेनाइजेशन, उड़ीसा	45,000.00			
हिमालय ग्रामोद्योग विकास संस्थान	30,000.00		–	
ह्युमन डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल एसोसिएशन, उदयपुर	15,000.00		–	
ह्युमन मिरर ट्रस्ट, तमिलनाडु	–		15,000.00	
ह्युमन राइट्स आर्गेनाइजेशन, बिहार	30,000.00		30,000.00	
हुसैनी मानव कल्याण एवं शिक्षण, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
आइडियल फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, हरियाणा	–		15,000.00	
इंडियन अडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, दिल्ली	1,00,000.00		1,00,,000.00	
इंडियन माइनरिटीज यूथ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
इंडियन सोसाइटी, उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
इंदिरा विकास महिला मण्डली, आंध्र प्रदेश	10,000.00		10,000.00	
इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डो–पब्लिक हेल्थ, महाराष्ट्र	–		30,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
इंटरनेशनल वेल्फेयर काउंसिल, उड़ीसा	15,000.00		–	
जागृति कल्याण समिति, बिहार	–		15,000.00	
जागृति सेवा संस्थान, राजस्थान	15,000.00		–	
जनजाति विकास समिति, छत्तीसगढ़	15,000.00		–	
जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा	15,000.00		–	
जन शक्ति महिला संस्थान, उदयपुर	–		30,000.00	
जन उदय फाउंडेशन, नई मंडी, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
जीवन ज्योति समिति, हरियाणा	15,000.00		–	
जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	2,00,000.00		2,20,,000.00	
जाइंट वूमेन्स प्रोग्राम	30,000.00		30,000.00	
कल्पतरु समाज कल्याण संघ, नई दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
कमालपुर बबला आदर्श जनकल्याण समिति	–		15,000.00	
कामिनी महिला सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
कनक कल्चरल फाउंडेशन, कर्नाटक	–		15,000.00	
कर्त्तव्य सेवा संघ, आवापुर, बिहार	–		15,000.00	
कस्तूरबा महिला शिक्षा सेवा समिति, राजस्थान	30,000.00		–	
कृष्ण ग्रामोत्थान समिति, मध्य प्रदेश	–		15,000.00	
लेक सिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
लक्ष्य एजूकेशन, आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, हरियाणा	15,000.00		–	
लक्ष्य विनर्स शिक्षण संस्थान, राजस्थान	–		30,000.00	
लेट श्री गुथु सिंह जी, भिंड, मध्य प्रदेश	15,000.00		–	
मां. दीनदेश्वरी शिक्षा समिति, छत्तीसगढ़	30,000.00		–	
मां द्रोपदी जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
मदालसा सेवा संस्थान, राजस्थान	15,000.00		–	
मधुर बहुजन कल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल	–		30,000.00	
महात्मा शिक्षा प्रसार समिति	15,000.00		15,000.00	
महेंद्र एजूकेशन एंड चाइल्ड आर्गेनाइजेशन	45,000.00		–	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
महिला आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक विकास, वाराणसी	–		15,000.00	
महिला चेतना समिति, झज्जर	–		15,000.00	
महिला जागृति समिति	15,000.00		15,000.00	
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति	–		15,000.00	
महिला मदर टेरेसा सेवा संस्थान, बिहार	–		15,000.00	
महिला सेवक समाज	15,000.00		30,000.00	
महिला सेवा संस्थान, लखनऊ	15,000.00		–	
महिला उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश	45,000.00		–	
मां काल वालाची संगम, तमिलनाडु	30,000.00		–	
मल्लभपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	30,000.00		–	
मानस ग्रामीण उत्थान समिति, बिहार	30,000.00		–	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा	–		15,000.00	
मानव कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00	
मानव समाज सेवा संस्थान, कानपुर	–		15,000.00	
ममरूक्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक संस्थान राजस्थान	–		30,000.00	
मैरी जेसस सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		15,000.00	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
मौलासाई सेवाभवी संस्थान, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, उदयपुर	–		30,000.00	
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति	15,000.00		–	
मदरली एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस	15,000.00		–	
नवीन संघ, पश्चिम बंगाल	30,000.00		–	
नालंदा एजूकेशनल सोसाइटी, हरियाणा	15,000.00		–	
नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन	15,000.00		–	
नेशनल चॉरिटेबल वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
नेशनल यूथ एसोसिएशन	40,000.00		40,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
नेटिव एजूकेशन एंड इम्पलायमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, मध्य प्रदेश	15,000.00		30,000.00	
नेचुरल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स	15,000.00		15,000.00	
नव आंचल, जिला नालंदा	15,000.00		15,000.00	
नव बिहार उद्योग मण्डल, हिल्सा, बिहार	15,000.00		15,000.00	
नवेदिता कल्याण समिति, मध्य प्रदेश	–		15,000.00	
नव जागृति समिति, लखनऊ	–		15,000.00	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च, राजस्थान	–		30,000.00	
नया सवेरा, हरियाणा	–		15,000.00	
नेहरू महालिर मंदरम, तमिलनाडु	–		15,000.00	
न्यू ऐज फाउंडेशन	15,000.00		15,000.00	
न्यू लाइफ क्लब	15,000.00		15,000.00	
निधि आदर्श शिक्षा सेवा समिति	45,000.000		–	
निमल सहयोगी समाज सेवी संस्थान	30,000.00		–	
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति (एलएसीं	1,48,500.00		73,500.00	
नूरपुर सुबर्ण प्रभात समिति, पश्चिम बंगाल	15,000.00		–	
नॉर्थ इंडियन एजूकेशनल ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
ओएसिस फाउंडेशन, तमिलनाडु	–		10,000.00	
ऑनवर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	15,000.00		–	
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	50,000.00		50,000.00	
ऑस्कर, दिल्ली	15,000.00		–	
पीपल एवेयरनेस फॉर रूरल एक्शन सोसाइटी	–		20,000.00	
पीपल वालंटरी इंटेग्रल सर्विस आर्गेनाइजेशन	15,000.00		–	
फूलीन महिला चेतना विकास केंद्र	–		15,000.00	
पूजा जन सेवा समिति, वाराणसी	30,000.00		–	
प्रबल समाज सेवी संस्थान, झारखण्ड	30,000.00		30000.00	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान	15,000.00		15,000.00	
प्रदूषण निवारण युवक संगठन, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
प्रजापति महिला मंडल, मध्य प्रदेश	15,000.00		–	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
प्रसा अनुसंधान संस्थान, राजस्थान	–		15,000.00	
प्रिया (परपिचुअल रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टिट्यूशन), उड़ीसा	30,000.00		–	
पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, दिल्ली	15,000.00		–	
पुष्पा केकतिय चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00	
पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, उड़ीसा	–		30,000.00	
रबिया महिला सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
रछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग, सैती	12,500.00		12,500.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरेडिकेशन	15,000.00		15,000.00	
राजीव गांधी मेमोरियल वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	–		15,000.00	
ऋषि सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़	–		15,000.00	
रिया जनकल्याण समिति, मुरादाबाद	30,000.00		–	
आरके एजूकेशनल सोसाइटी, हरियाणा	15,000.00		–	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
रूरल इनवायरनमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, राजस्थान	–		30,000.00	
रूरल हेल्थ एंड इकोनमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु	15,000.00		–	
रूरल हेल्थ एंड इनवायरनमेंट डेवलपमेंट, तमिलनाडु	–		15,000.00	
रूरल महिला सेवा समिति (आरएमएसएस), आंध्र प्रदेश	–		15,000.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, हरियाणा	–		15,000.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर एग्रो डेवलपमेंट	40,000.00		40,000.00	
सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	15,000.00		–	
समाधान जन सेवा एवं शिक्षा प्रसार, ग्वालियर	30,000.00		30,000.00	
समग्र जागृति एवं विकास संस्थान,राजस्थान	–		15,000.00	
समाज जागृत सेवा समिति, हरियाणा	–		15,000.00	
समाज कल्याण समिति, हरियाणा	15,000.00		–	
समाज संस्थान एवं सर्वांगीण विकास संस्थान	9,000.00		9,000.00	
समाज उत्थान समिति	13,250.00		13,250.00	
समता सेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	
संजीवनी सोसाइटी, राजस्थान	–		30,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
संकल्प सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
संकल्प सेवा संस्थान, राजस्थान	30,000.00		–	
सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
सर्वांगीण उन्नयन समिति	20,000.00		20,000.00	
सरोजिनी नायडू महिला विकास एवं कल्याण संस्थान	–		15,000.00	
सर्व विद्या शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		–	
सैवेज (सोसाइटी ऑन एक्शन विलेज एजूकेशन)	15,000.00		–	
सेव ऑर सोल, इंडिया, दिल्ली	15,000.00		–	
एसबीएस फाउंडेशन, फजलपुर, दिल्ली	–		30,000.00	
सेवाहर (शिक्षा, कल्याण एवं स्वास्थ्य समिति) (हरियाणा)	15,000.00		15,000.00	
सेवा, सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज	15,000.00		15,000.00	
शहीद भगत सिंह युवा संगठन, हरियाणा	45,000.00		–	
शक्ति मानव सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
सारा समाज सेवी संस्थान, शिमला	40,000.00		–	
शिव जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		–	
शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
श्रद्धा, रोहतक, हरियाणा	15,000.00		–	
श्री गणेश शिक्षा समिति, हरियाणा	–		15,000.00	
श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर	–		30,000.00	
श्री गणेश प्रसाद स्मारक सेवा, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति	15,000.00		15,000.00	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		–	
श्री राजे छत्रपति शिक्षण प्रसारक, महाराष्ट्र	30,000.00		–	
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात	1,05,000.00		–	
श्री सरदार सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	–		30,000.00	
श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सर छोटू राम युवा क्लब, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	15,000.00		15,000.00	
श्रीमती चंद्र कुमारी शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसाइटी	30,000.00		30,000.00	
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	10,000.00		10,000.00	
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप	15,000.00		15,000.00	
सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, कर्नाटक	30,000.000		–	
सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज, उड़ीसा	45,000.00		30,000.00	
सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), आंध्र प्रदेश	–		15,000.00	
सोसाइटी फॉर वूमेन इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश	15,000.00		–	
सोनारपुर मथुरा पुरा प्रवेश संस्था, पश्चिम बंगाल	30,000.00		–	
श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल	15,000.00		–	
स्टुडेंट्स सोशल आर्गेनाइजेशन, विल्लेज रामपुर, उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
सुलोचना एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट	15,000.00		–	
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00	
सूर्य (एक सामाजिक कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश)	–		60,000.00	
सु–सामान्य गीता भवन	–		15,000.00	
एस वी एस संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वास्थ्य ज्ञान सेवा संस्थान, राजस्थान	30,000.00		–	
स्वावलम्बी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वीट हर्ट, उड़ीसा	15,000.00		–	
दॅ आदर्श नशा मुक्ति समिति, हरियाणा	–		15,000.00	
दॅ एसोसिएशन फॉर रूरल पीपल्स डेवलपमेंट, हरियाणा	15,000.00		–	
दॅ मिल्लत एजूकेशनल, इकोनोमिकल एंड सोशल रिफार्म	–		15,000.00	
दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
तिरुमंगल चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		–	
उदय भारती, हिमाचल प्रदेश	30,000.00		–	
उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण, मध्य प्रदेश	15,000.00		–	

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विज्ञान शिखा केंद्र		30,000.00		30,000.00	
विकास ग्राम उद्योग मण्डल, सोनीपत, हरियाणा		30,000.00		30,000.00	
विश्वकर्मा आदर्श विद्या मंदिर संस्थान, राजस्थान		–		30,000.00	
विश्व शांति विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		–		15,000.00	
वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, तमिलनाडु		–		15,000.00	
वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट एंड डेवलपमेंट, बांकुरा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		15,000.00	
वूमेन कंजूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तमिलनाडु		–		15,000.00	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा		45,000.00		–	
युवा स्पोटर्स समिति		15,000.00		–	
जैदी सोशल वेल्फेयर सोसाइटी		30,000.00		–	
पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)	(ग)	**3,15,000.00**		**3,90,000.00**	
भारत विकास संघ		–		15,000.00	
भारतीय किसान कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश		–		15,000.00	
चांद तालीमी सोसाइटी, उत्तर प्रदेश		30,000.00		30,000.00	
डॉ. खुर्शीद जहां गर्ल्स एंड बॉयज इंटर कॉलेज, उत्तर प्रदेश		45,000.00		45,000.00	
हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, हरियाणा		1,50,000.00		1,50,000.00	
इस्लामिया मख्तब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
नरेंद्र देव एजूकेशन स्कूल, महाराष्ट्र		15,000.00		15,000.00	
शारा समिति		15,000.00		15,000.00	
संत कीमा राम बाल कल्याण समिति		15,000.00		15,000.00	
सर्वजन जागरण एवं विकास संस्थान		–		15,000.00	
सैनिक महिला प्रशिक्षण		–		–	
श्री आनंद विकास समिति		–		15,000.00	
सूर्य विकास समिति		15,000.00		30,000.00	
जैन सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, लखनऊ		15,000.00		15,000.00	
सेमिनार/ सम्मेलन	(घ)	**42,84,684.00**		**22,01,734.00**	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण – एस/सी		30,000.00		–	
आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, आगरा – एस/सी		60,000.00		–	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
अभिनव कला केंद्र	30,000.00		30,000.00	
अभिनव शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास – एस/सी	30,000.00		–	
अकाडमी ऑफ ग्रासरूट स्टडी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया	90,000.00		–	
अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण	15,000.00		15,000.00	
अकतन संघ, पश्चिम बंगाल – एस/सी	30,000.00		–	
अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, दिल्ली	–		90,000.00	
अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, भिवानी – एसी/सी	30,000.00		–	
अखिल मानव सेवा परिषद् – एस/सी	13,950.00		–	
ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट	–		90,000.00	
ऑल इंडिया कोर्णाक एजूकेशनल एंड वेल्फेयर, दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
अंबपाली हस्तकश्रधा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी – एस/सी	30,000.00		–	
अंजलि सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
अरिहंत महिला एवं बाल विकास	30,000.00		–	
आसरा, नजफगढ़	15,000.00		15,000.00	
एसोसिएशन फॉर डेविल एंड रिसर्च, उड़ीसा	30,000.00		–	
बस्तर सामाजिक जन विकास समिति	–		9,000.00	
भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, दिल्ली	90,000.00		–	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली	1,51,674.00		1,51,674.00	
सेंटर फॉर वूमेन्स स्ट्डीज, उदयपुर	90,000.00		90,000.00	
चौधरी चरण सिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस	30,000.00		–	
दीप विद्या मंदिर समिति, राजस्थान	15,000.00		–	
डॉ. हैनेमन, एजूकेशनल डेवलपमेंट, दिल्ली	30,000.00		–	
द्रोपदी ट्रस्ट, नई दिल्ली	–		30,000.00	
द्वारसनी श्रमिक संघ	9,000.00		9,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	75,000.00		45,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट	–		30,000.00	
गीत महिला समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
ज्ञान सुधा एजूकेशन सोसाइटी, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
ग्रामीण महिला विकास, हरियाणा	30,000.00		–	
ग्रामीण विकास मंच, हरियाणा	30,000.00		–	
ग्रामोदय जन जागृति समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		–	
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशन सोसाइटी, उदयपुर	30,000.00		30,000.00	
गिल्ड फॉर सर्विस	30,000.00		–	
हैंडीकेप्ड वेल्फेयर सोसाइटी	30,000.00		–	
हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, बिहार	–		–	
हेलेना कौशिक वूमेन्स कॉलेज	–		–	
हेल्प आर्गेनाइजेशन, उड़ीसा	30,000.00		–	
ह्युमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली	30,000.00		–	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स	30,000.00		30,000.00	
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार	30,000.00		30,000.00	
जन कल्याण युवक संघ, उड़ीसा	27,540.00		27,504.00	
जन शक्ति महिला सेवा संस्थान, उदयपुर	–		–	
जीजामाता बहु–उद्देश्यीय महिला, लातूर	30,000.00		–	
जम्मू एवं कश्मीर राज्य आयोग	15,000.000		15,000.00	
जागरूक महिला संस्थान परचम	15,000.000		15,000.00	
जय मां महिला उत्थान समिति, दिल्ली	30,000.00		–	
केरल एजूकेशनल सोसाइटी	60,000.000		–	
कृषि महिला मंडली	30,000.00		30,000.00	
कुमर्शा रूरल डवेलपमेंट सोसाइटी,पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
लिविंग वाटर ऑफ डाइंग सोर्स इन इंडिया	14,000.00		–	
लक्ष्मी वूमेन एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटीए उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
महिला जागृति समिति, उत्तर पद्रेश	30,000.00		–	
महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं, अहिरका	–		30,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान, हरियाणा	–		15,000.00	
मैत्री, नई दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
मानव कल्याण विद्या पीठ संस्थान, जयपुर	12,420.00		12,420.00	
मानव जागृति समिति, दिल्ली	30,000.00		–	
मानव उज्ज्वल समाज समिति, नई दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज	–		45,000.00	
मास इनवॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग एंड वेल्फेयर एक्शन, उड़ीसा	30,000.00		–	
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति,उत्तर प्रदेश	–		15,000.00	
मुस्लिम वूमेंस फोरम, दिल्ली	90,000.00		–	
नेशनल चैरिटेबल वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
नवाचार संस्थान, राजस्थान	30,000.00		–	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च, जयपुर	30,000.00		–	
नवयुग सोशल डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	56,100.00		56,100.00	
एनएडब्ल्यूओ, डॉ. पाम राजपूत वूमेन्स रिसोर्स, चंडीगढ़	2,00,000.00		2,00,000.00	
नेताजी मेमोरियल क्लब, उड़ीसा	15,000.00		–	
न्यू मिलेनियम इनफॉरमेशन, कोटला, दिल्ली	30,000.00		–	
नोबेल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी	60,000.00		–	
संगठन सचिव, 33वां अपराध विज्ञान सम्मेलन, जम्मू एवं कश्मीर	90,000.00		90,000.00	
आउटरीच प्रोग्राम मीडिया को–आर्डिनेटर, नई दिल्ली	15,000.00		–	
पंकज बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र	30,000.00		–	
पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट, लखनऊ	–		30,000.00	
परिक्रमा महिला समिति, मध्य प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
पांडिचेरी महिला आयोग	60,000.00		60,000.00	
पूजा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, राजस्थान	30,000.00		–	
पूजा वेल्फेयर सोसाइटी, जम्मू एवं कश्मीर	30,000.00		–	
प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
परिक्रमा महिला समिति	30,000.00		–	
प्रधानाचार्य, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
प्रिया, भुवनेश्वर	30,000.00		–	
पब्टिलक वेल्फेयर सोसाइटी	30,000.00		–	
पल्स वेल्फेयर सोसाइटी, दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, उड़ीसा	30,000.00		–	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	
रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक एवं मल्टी महाराष्ट्र	30,000.00		30,000.00	
रेखा सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर	7,70,000.00		80,000.00	
रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल	–		–	
रोल ऑफ वूमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग	18,000.00		18,000.00	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
सबरी एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
सद्भावना समन्वय संस्थान, उत्तर प्रदेश	45,000.00		–	
साधना, उड़ीसा	30,000.00		–	
सहारा समाज सेवा संस्थान, शिमला	–		30,000.00	
समाज सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	60,000.00		–	
सम्मति सोशल समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
संप्रतिका, उड़ीसा	30,000.00		–	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9,000.00		9,000.00	
संजीवनी सोसाइटी	15,000.00		15,000.00	
संतवरण सोशल सर्विस एजूकेशन एंड चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00	
संतराम वर्मा स्वतंत्रा संग्राम सेनानी	30,000.00		–	
समग्र विकास एवं संचार संस्थान	30,000.00		–	
एसबीएस फाउंडेशन, फजलपुर, दिल्ली	30,000.00		–	
सेल्फ इनीशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस	30,000.00		30,000.00	
सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़	30,000.00		30,000.00	
शैल हस्तकला विकास समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
शक्ति वाहिनी	60,000.00		60,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
शिवचरण माथुर सोशल पालिसी	48,000.00		–	
श्री गणेश प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान	30,000.00		–	
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा, हाथरस	–		9,000.00	
श्री सागस महाराज शिक्षण एवं सामाजिक, मध्य प्रदेश	–		15,000.00	
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति	30,000.00		30,000.00	
श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		–	
श्री रोकेदेश्वर शिक्षक प्रसारक मंडल	30,000.00		–	
श्रीमती सेलिनी डी सिल्वा महिला विकास, मुंबई	30,000.00		–	
सोसाइटी फॉर अवेयरनेस वेल्फेयर, एजूकेशन एंड रूरल	30,000.00		–	
सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
एस्पीस चाइल्ड डेवलपमेंट, झारखंड	30,000.00		–	
सुधार सेवा एवं कल्याण समिति	30,000.00		–	
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान	30,000.00		–	
तरंगिनी सोशल सर्विस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
दॅ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	30,000.00		–	
दॅ एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	30,000.00		30,000.00	
उज्ज्वल, गुड़गांव	15,000.00		15,000.00	
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
वामित एजूकेशन ट्रस्ट, शिमला	30,000.00		–	
वात्सल्य समिति, हाथरस	–		15,000.00	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
विज्ञान समिति, राजस्थान	60,000.00		–	
विज्ञान एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल	15,000.00		15,000.00	
वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इनवायरनमेंट डेवलपमेंट, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग	60,000.00		–	
वूमेन पावर कनेक्ट, दिल्ली	60,000.00		–	
वूमेन वेल्फेयर एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी	–		30,000.00	

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(ङ)	**3,83,795.00**		**2,03,615.00**	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन, असम		36,600.00		36,600.00	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान		1,80,180.00		–	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर, पूर्वोत्तर क्षेत्र		37,065.00		37,065.00	
जन स्मृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32,350.00		32,350.00	
ओमेय कुमार दास इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज		48,000.00		48,000.00	
रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), पूर्वोत्तर क्षेत्र		49,600.00		49,600.00	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(च)	**22,66,500.00**		**10,91,500.0**	
अमतसरा, शिलांग		1,00,000.00		–	
अरुणाचल राज्य महिला आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र		5,00,000.00		3,00,000.00	
असम प्रादेशिक महिला समिति, असम		–		40,000.00	
असम राज्य महिला आयोग, उज़ानबाज़ार		80,000.00		80,000.00	
दायिता सेवा मंच, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र		20,000.00		20,000.00	
डीरा विल्लेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश		20,000.00		20,000.00	
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिस, असम		56,500.00		56,500.00	
डॉ. अम्बेडकर मिशन, असम		–		15,000.00	
ड्रीम्स, असम		20,000.00		20,000.00	
ग्रुपियस सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, असम		–		20,000.00	
हयांग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजूकेशन		40,000.00		–	
इतेहाद सोशल कल्चरल आर्गेनाइजेशन, असम		20,000.00		–	
जाजी, गुवाहाटी, असम		20,000.00		20,000.00	
ज्योतिमय फाउंडेशन, असम		20,000.00		–	
खोमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसाइटी, मणिपुर		20,000.00		20,000.00	
खुमुई बुरुई बोदूल, त्रिपुरा		20,000.00		20,000.00	
कुंवर चेतिया सांशनी महिला समिति, असम		40,000.00		40,000.00	
लाइट ऑफ विलेज, गुवाहाटी		20,000.00		–	
लुंगमाय मल्टी परपज एसोसिएशन, मणिपुर		20,000.00		–	
मणिकुंतल महिला उन्नयन केंद्र, असम		15,000.00		15,000.00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
मणिपुर राज्य महिला आयोग	1,80,000.00		–	
मज़काजुल मारिफ नौगांव, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	–		15,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,80,000.00		1,40,000.00	
मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, असम	20,000.00		20,000.00	
मिजोरम राज्य महिला आयोग	1,00,000.00		–	
नागालैंड महिला आयोग	1,60,000.00		–	
नेशनल एजूकेशन इंस्टिट्यूट, असम	20,000.00		–	
नयन मणि प्रगति संघ, असम	15,000.00		15,000.00	
निम्स एजूकेशन एंड सोशल एसोसिएशन	40,000.00		–	
नॉर्थ ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, असम	40,000.00		–	
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, मेघालय	1,00,000.00		–	
न्याय–को सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश	–		15,000.00	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता शंकर, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	40,000.00		40,000.00	
प्रयास, असम	40,000.00		20,000.00	
प्रोगेसिव डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, असम	20,000.00		–	
रेडको फाउंडेशन, मणिपुर	40,000.00		–	
रूरल महिला वेल्फेयर सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश	–		20,000.00	
शांति काली मिशन, त्रिपुरा	40,000.00		–	
सेल्फ एम्पाइड ट्राइबल एंड बैकवर्ड्स वूमेन	20,000.00		–	
सोशियो ओरिएंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
सुबांनसिरी वेल्फेयर सोसाइटी, असम	–		20,000.00	
सन क्लब, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	20,000.00		20,000.00	
दॅ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
दॅ एससी/एसटी/ बैकवर्ड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मणिपुर	–		20,000.00	
ट्राइबल कल्चरल एंड बुद्धिस्ट रिसर्च, मणिपुर	40,000.00		–	
उद्‌बोधन इंटिग्रेटेड सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, असम	–		20,000.00	
वेल्फेयर टू ऑल हेपाह, असम	20,000.00		–	

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सेमिनार एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(छ)	**4,91,120.00**		**3,51,120.00**	
अखंड, त्रिपुरा		30,000.00		–	
असम राज्य महिला आयोग		30,000.00		30,000.00	
सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, असम		30,000.00		–	
कम्युनिटी एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट		30,000.00		–	
डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड कंटीन्युइंग एजूकेशन		30,000.00		–	
राजनीति विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		30,000.00		30,000.00	
फाउंडेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर		30,000.00		30,000.00	
ग्रासरूट, मेघालय		20,000.00		–	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		30,000.00		30,000.00	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च, पूर्वोत्तर क्षेत्र		–		30,000.00	
न्यू विजन क्रिएटिव सोसाइटी विल्लेज एंड पोस्ट ऐरा, असम		30,000.00		30,000.00	
पीएआरडीए, मणिपुर		30,000.00		30,000.00	
श्री माता महिला मण्डली, थोटन		1,41,120.00		1,41,120.00	
महिला स्वैच्छिक संगठन, मणिपुर		30,000.00		–	

सदस्य–सचिव

अनुसूची–4 : स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपए में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कटौतियां	समायोजन	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	जोड़ने पर	कटौतियां किए जाने पर	अंत में कुल मूल्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियां											
भूमि	36,89,781.00	–	–	–	36,89,781.00	–	–	–	–	36,89,781.00	36,89,781.00
भवन	7,87,657.00	–	–	–	7,87,657.00	78,766.00	–	–	78,766.00	7,08,891.00	7,87,657.00
संयंत्र और मशीनरी	49,10,869.00	3,64,937.00	4,263.00	88,755.00	51,82,788.00	7,22,678.00	51,108.00	–	7,73,786.00	44,09,002.00	49,10,869.00
वाहन	26,98,793.00	26,42,866.00	–	–	53,41,659.00	4,04,819.00	3,80,286.00	–	7,85,105.00	45,56,554.00	26,98,793.00
फर्नीचर और मशीनरी	60,33,604.00	10,08,395.00	1,44,557.00	70,936.00	68,26,506.00	5,81,811.00	79,896.00	–	6,61,707.00	61,64,799.00	60,33,604.00
कंप्यूटर	14,45,076.00	9,96,626.00	–	3,52,234.00	20,89,468.00	6,55,705.00	5,97,976.00	–	12,53,681.00	8,35,787.00	14,45,076.00
प्रकाशन	7,25,224.00	27,235.00	–	–	7,52,459.00	–	–	–	–	7,52,459.00	7,25,224.00
	2,02,91,004.00	**50,40,059.00**	**1,48,820.00**	**5,11,925.00**	**2,46,70,318.00**	**24,43,779.00**	**11,09,266.00**	**–**	**35,53,045.00**	**2,11,17,273.00**	**,02,91,004.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–4 : स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	भूमि	36,89,781.00	—	36,89,781.00	
2)	भवन	7,08,891.00	—	7,87,657.00	
3)	फर्नीचर और जुड़दान	61,64,799.00	—	60,33,604.00	
4)	मशीन और उपकरण	44,09,001.00	—	49,10,869.00	
5)	कंप्यूटर	8,35,787.00	—	14,45,076.00	
6)	वाहन	45,56,554.00	—	26,98,793.00	
7)	पुस्तकें एवं प्रकाशन	7,52,459.00	—	7,25,224.00	
		2,11,17,272.00	**—**	**2,02,91,004.00**	

अनुसूची–5 : निवेश – अन्य

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
अंशदायी भविष्य निधि में निवेश	—	—		12,37,541.00
जोड़ें: अर्जित ब्याज	—	—		178,108.00
	—	—		**14,15,649.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
क.	***वर्तमान परिसंपत्तियां***				
1)	हस्तगत नकदी (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	3,000.00	—	—	
2)	बैंक में शेष राशि :-				
	अनुसूचित बैंकों के पास :				
	बचत खाते में	49,388.00	1,02,544.00	1,13,852.00	38,82,440.00
	अंशदायी भविष्य निधि खाते में, केनरा बैंक	—	—	—	488,919.00
3)	ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशि नकदी या वस्तु रूप में:-	—	—	—	—
	क	**52,388.00**	**1,02,544.00**	**1,13,852.00**	**43,81,359.00**
ख.	***ऋण एवं अग्रिम***				
	योजनागत ख	**56,33,370.00**		**61,47,380.00**	
	कर्मचारियों को अग्रिम	**33,72,524.00**		**47,26,188.00**	
	सेमिनार एवं सम्मेलन				
	अब्दुस सलाम	3,57,109.00		4,80,109.00	
	भावना कुमार	9,000.00		9,000.00	
	भीम सिंह	–		42,000.00	
	जसविंदर कौर	1,35,346.00		–	
	जवाहिरी सिंह	7,55,000.00		–	
	करीना थिंगमम	12,00,000.00		–	
	मृदुल भट्टाचार्य	–		3,000.00	
	राजकुमार (सहायक)	1,500.00		1,500.00	
	एस सी शर्मा	1,500.00		1,500.00	
	श्रद्धा पॉल	17,594.00		–	
	वंदना प्रांजपे	17,393.00		–	
	वी.के. अस्थाना	5,500.00		5,500.00	
	योगेश मेहता	–		33,60,150.00	
	मंजू एस हेमब्रम	7,00,000.00		7,00,000.00	

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
वानसुक सीएम		–		14,715.00	
त्योहार अग्रिम टी एस		–		21,000.00	
मोटर वाहन					
महेंद्र सिंह		–		4,400.00	
मशीनरी और उपकरण					
मृदुल भट्टाचार्य		26,000.00		–	
विज्ञापन हेतु अग्रिम					
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय		63,268.00		–	
प्रधान लेखा अधिकारी		83,314.00		83,314.00	
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**22,60,846.00**		**14,21,192.00**	
सेमिनार और सम्मेलन					
एसीपी, एचक्यू, डीडीओ, नानकपुरा		15,34,192.00		7,21,192.00	
अपर्णा भट्टा, अधिवक्ता		50,000.00		50,000.00	
सीईक्यूयूआईएन, नई दिल्ली		2,00,000.00		2,00,000.00	
स्वरलिपि स्वागत बिल्डिंग, मुंबई		4,50,000.00		4,50,000.00	
सेमिनार तथा सम्मेलन हेतु अग्रिम					
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर		26,654.00		–	
योजनेतर	ग	**1,64,221.0000**		**5,53,374.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम		**1,53,058.00**		**5,42,221.00**	
मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन		**–**	**–**	**5,000.00**	
अरुण कुमार		–	–	2,500.00	
बी एस रावत		–	–	2,000.00	
सर्वजीत सिंह		–	–	500.00	
कार्यालय व्यय		**1,300.00**	**–**	**9,100.00**	
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण		700.00	–	–	
अरुण कुमार		–	–	–	
जय भगवान		–	–	4,000.00	
एस सी शर्मा		100.00	–	100,00	

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
एस सी राणा		–	–	5,000.00
महेंद्र सिंह		500.00	–	–
यात्रा व्यय		**1,37,368.00**	–	**2,02,221.00**
करीना थिंगमम		25,0000.00	–	–
मंजू एस. हेम्ब्रम		1,06,968.00	–	1,06,968.00
नीवा कुंवर		–	–	–
रेखा डावर		–	–	–
वानसुक सीएम		–	–	22,000.00
यास्मीन अबरार		–	–	70,000.00
योगेश मेहता		–	–	–
सुभाष शर्मा		5,400.00	–	–
सुंदरी सुब्रामणियम पुजारी		–	–	3,253.00
भवन निर्माण अग्रिम		–		**3,16,000.00**
के के दास		–		316,000.00
त्योहार अग्रिम		**14,400.00**	–	**9,900.00**
ओएमसीए		**11,153.00**	–	**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम		11,153.00	–	11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत घ	**31,98,860.00**		**14,95,285.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम	**11,98,860.00**		**9,95,285.00**	–
सेमिनार एवं सम्मेलन	**11,98,860.00**		**9,95,285.00**	–
वानसुक सीएम	11,98,860.00		9,95,285.00	–
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम	2,00,000.00			
सेमिनार एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**16,00,000.00**	**5,00,000**		
समाज कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार	5,00,000.00		–	–
मिजोरम राज्य आयोग	2,50,000.00		–	–
पांडिचेरी महिला आयोग	5,00,000.00		–	–
प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार	2,50,000.00		–	–

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
रोटरी क्लब, शिलांग		1,00,000.00		–	–
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		4,00,000.00		–	–
रोटरी क्लब, शिलांग – पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		–	–
अन्य					
भविष्य निधि से अग्रिम		–	–	–	
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		1,80,00,000.00	–	1,80,00,000.00	
आईसीसीडब्ल्यू			–	–	10,98,400.00
	ङ.	**1,80,00,000.00**	**–**	**1,80,00,000.00**	**10,98,400.00**
	कुल च(ख+ग+घ+ङ.)	**2,68,32,230.00**	**1,64,221.00**	**2,60,42,625.00**	**16,51,774.00**
प्रतिभूमि जमाः	छ	–	85,000.00	–	15,000.00
	कुल क+च+छ	**2,68,84,618.00**	**3,51,765.00**	**2,57,56,517.00**	**60,38,133.00**

सदस्य–सचिव

आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूची
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची–7 : अनुदान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	केंद्र सरकार				
	अनुदान	4,98,89,000.00	2,46,05,000.00	4,85,00,000.00	4,30,00,000.00
	घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान की राशि	50,40,059.00	—	29,25,942.00	—
	कुल अनुदान	**4,48,48,941.00**	**2,46,05,000.00**	**4,55,74,053.00**	**4,30,00,000.00**

अनुसूची–8 : शुल्क/अभिदान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	प्रवेश शुल्क	—	—	—	—
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	—	—	—	—
3)	आरटीआई शुल्क	—	3,417.00	—	3,676.00
		—	**3,417.00**	**—**	**3,676.00**

अनुसूची–9 और 10 : अर्जित ब्याज

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	बचत बैंक खाता से:				
	(क) अनुसूचित बैंक से	—	4,38,339.00	—	2,58,706.00
	(ख) निवेश पर ब्याज	—	—	—	—
2)	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	—	15,479.00	—	8,694.00
3)	अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	—	15,479.00	—	346.00
4)	आवधि जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज	—	15,541.00	—	1,19,474.00
		—	**4,69,359.00**	**—**	**3,87,220.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–11 : अन्य आय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	आय	—	—	—	—
2)	विविध आय	—	16,145.00	—	1,42,326.00
3)	अन्य आय	—	—	—	—
		—	**3,39,617.00**	**—**	**1,42,326.00**

अनुसूची–12 : स्थापना व्यय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :				
	आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्य	—	35,84,121.00	—	60,01,605.00
	अधिकारी	—	46,34,742.00	—	69,41,409.00
	कर्मचारी	—	39,32,314.00	—	49,89,055.00
2.	मजदूरी	66,49,182.00	—	59,26,018.00	—
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	—	3,39,631.00	—	6,93,971.00
4.	अन्य निधियों में अंशदान :				
	एलएससी	—	6,91,026.00	—	16,73,741.00
	पीसी	—	1,673,741.00	—	—
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	9,12,708.00	—	9,50,242.00	—
		75,61,890.00	**1,31,81,834.00**	**68,76,260.00**	**2,07,13,049.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–13 : अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विज्ञापन व्यय	60,58,629.00	—	88,29,017.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	63,19,790.00	—	81,73,500.00	—
मुद्रण	17,52,603.00	—	6,87,756.00	—
सेमिनार और सम्मेलन	1,70,52,877.00	—	2,27,68,785.00	—
विशेष अध्ययन	79,03,014.00	—	58,33,328.00	—
एनआरसीडब्ल्यू	7,35,982.00	—	1,68,340.00	—
पीएमएलए	45,000.00	—	7,95,000.00	—
कार्यालय व्यय	—	42,94,254.00	—	30,21,345.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	—	7,12,847.00	—	3,69,781.00
दूरभाष —	5,92,060.00	—	5,99,617.00	
यात्राा व्यय	—	21,31,770.00	—	19,57,360.00
लेखापरीक्षा शुल्क	—	1,47,228.00	—	1,37,698.00
बैंक प्रभार	—	8,510.00	—	11,016.00
पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंट	—	7,22,616.00	—	6,69,592.00
अंशदायी भविष्य निधि पर प्रदत्त ब्याज	—	45,297.00	—	1,03,114.00
किराया, दरें और कर	—	65,90,400.00	—	65,90,402.00
अभियोजन		1,63,800.00		
विज्ञापन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,00,000.00	—	4,00,000.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम – पूर्वोत्तर क्षेत्र	28,35,890.00	—	10,37,776.00	—
सेमिनार और सम्मेलन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	6,40,000.00	—	23,44,461.00	—
विशेष अध्ययन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	8,43,898.00	—	3,10,705.00	—
बैंक प्रभार (अंशदायी भविष्य निधि)	—	28.00	—	165.00
	4,45,87,683.00	**1,54,08,810.00**	**5,13,48,668.00**	**1,34,60,090.00**

सदस्य–सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान से संबद्ध अनुसूची
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची–16 : स्थापना व्यय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :				
	आयोग की अध्यक्ष और सदस्य	—	1,36,85,134.00	—	2,42,03,531.00
	अधिकारी	—	—	—	—
	कर्मचारी				
2.	मजदूरी	44,42,338.00	—	43,56,536.00	—
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	—	—	—	4,13,268.00
4.	अन्य निधियों में अंशदान:-				
	एलएससी	—	10,30,657.00		6,93,971.00
	पीसी	—	—	—	16,73,741.00
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	9,12,708.00	—	9,50,837.00	—
		53,55,046.00	**1,47,15,791.00**	**53,06,778.00**	**2,69,84,511.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–17 : अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि (रुपए में)

	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	*योजनागत*			
	विज्ञापन व्यय		61,21,897.00	89,17,325.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		60,29,790.00	61,80,860.00
	मुद्रण		14,58,618.00	6,82,762.00
	सेमिनार और सम्मेलन		1,39,17,862.00	1,61,74,705.00
	विशेष अध्ययन		61,59,337.00	39,88,003.00
	एनआरसीडब्ल्यू		7,35,982.00	1,68,340.00
	पीएमएलए		1,20,000.00	6,00,000.00
		क	**3,45,43,486.00**	**3,67,11,995.00**
2.	*योजनेतर*			
	कार्यालय व्यय		42,91,224.00	30,25,539.00
	मरम्मत और अनुरक्षण		7,14,931.00	3,72,281.00
	टेलीफोन		5,92,060.00	5,99,617.00
	यात्रा व्यय		20,66,917.00	14,18,595.00
	लेखापरीक्षा शुल्क		1,47,228.00	1,37,698.00
	बैंक प्रभार		8,510.00	11,016.00
	पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंटस		7,18,616.00	6,69,592.00
	किराया, दरें और कर		54,92,000.00	65,90,400.00
	अभियोजन		1,63,800.00	—
	आरटीआई		—	—
		ख	**1,41,95,286.00**	**1,28,24,738.00**
टिप्पणी: 1	निम्नलिखित के लिए किराया :			
	वर्तमान वर्ष		—	54,92,000.00
	अग्रिम (2009)		—	10,98,400.00
			—	**65,90,400.00**
3.	*पूर्वोत्तर क्षेत्र*			
	विज्ञापन		4,00,000.00	4,00,000.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		21,40,890.00	9,31,276.00
	सेमिनार और सम्मेलन		17,98,860.00	17,68,530.00
	विशेष अध्ययन		3,58,168.00	3,51,555.00
	मुद्रण		2,93,985.00	—
		ग	**49,91,903.00**	**34,51.361.00**
		कुल क+ख+ग	**5,37,30,675.00**	**5,29,88,094.00**

सदस्य–सचिव

विप्रेषण अनुसूची–18

राशि (रुपए में)

	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	
	वृद्धि	विप्रेषित राशि	वृद्धि	विप्रेषित राशि
सामान्य भविष्य निधि	13,20,716.00	13,20,716.00	18,22,513.00	18,22,513.00
लाइसेंस शुल्क	50,945.00	50,945.00	69,737.00	69,737.00
आय कर	12,75,711.00	12,75,711.00	33,57,246.00	3,357,246.00
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना	33,820.00	33,820.00	23,790.00	23,790.00
पीएलआई	—	—	6,912.00	6,912.00
केंद्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना	10,835.00	10,835.00	15,079.00	15,079.00
गृह निर्माण अग्रिम	26,580.00	26,580.00	35,980.00	35,980.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	92,000.00	92,000.00	18,000.00	18,000.00
मोटर वाहन अग्रिम (ब्याज)	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00
अन्य मोटर कार अग्रिम	2,500.00	2,500.00	13,000.00	13,000.00
अन्य मोटर कार अग्रिम पर ब्याज	—	—	—	—
त्योहार अग्रिम	—	—	—	—
कंप्यूटर अग्रिम	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00
कंप्यूटर ब्याज	3,300.00	3,300.00	—	—
सीपीएफ अभिदान	—	—	8,64,083.00	8,64,083.00
परिवार लाभ निधि	—	—	—	—
एसएफबीएफ–एचबीए	—	—	—	—
जीईएच–निधि	—	—	—	—
जीवन बीमा प्रीमियम	—	—	—	—
सीएसआईआर थ्रिफ्ट सोसाइटी	9,216.00	9,216.00	1,800.00	1,800.00
हितकारी निधि	132.00	132.00	99.00	99.00
जल प्रभार	—	—	—	—
अन्य वसूली	—	2,400.00	—	—
कुल	**28,19,907.00**	**28,19,907.00**	**62,58,239.00**	**62,58,239.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31.03.2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–14

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्त शासी निकायों (अलाभकारी संगठन और ऐसे ही संस्थान) के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किसी भी प्रकार में कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना प्रचालित किए जाने से पूर्व का व्यय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग हैं।

3.2 स्थायी परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/दानस्वरूप दी गईं पुस्तकें सम्मिलित हैं। ऐसी पुस्तकों का, यदि कोई हो, खाता–मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित मूल्य आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

5. सरकारी अनुदान/राजसहायता

5.1 सरकारी अनुदान का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।

31.03.2011 को समाप्त अवधि की वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–15

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण माना गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.2 निम्नलिखित के सम्बन्ध में :

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गये ऋण पत्र – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग के पास चुकाए जाने वाले बिल – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :

आय कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

बिक्री कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

नगरपालिका कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.4 आर्डरों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

राष्ट्रीय महिला आयोग का जसोला में स्थित भवन का आरंभिक अनुमानित मूल्य 6.09 करोड़ रुपये था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है और यह अभी लंबित है।

जसोला में भवन निर्माण किए जाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 1.80 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है – अभी कार्य–निष्पादित किया जाना है।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

5.1 आयातों का लागत बीमा भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकलित मूल्य :

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन विप्रेषण और ब्याज	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

निर्यातों का मूल्य एफ.ओ.बी. आधार पर	शून्य

6. वित्तीय विवरण डीजीएसीआर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर तैयार किए गये हैं जो आयोग पर लागू होते हैं।

7. खाता बही में कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी तथा जमा छुट्टियों के नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस संगठन में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार या अर्द्ध–सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त किए गए हैं या आयोग में नैमित्तिक/संविदा आधार पर भी कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई ग्रेच्युटी, पेंशन देय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्राालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजनागत (रुपये)	योजनेतर (रुपये)
1.	वर्ष के आरम्भ में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि	1,11,222	38,95,270
	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष हस्तगत नकद राशि	–	–
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,48,97,000	2,46,05,000
3.	वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्राप्त अनुदान	49,92,000	—
4.	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	49,388	1,02,544
5.	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष हस्तगत नकद राशि	3,000	–

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिये जाने वाले अनुदानों/वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान/वित्तीय सहायता जारी कर दिये जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. वर्ष (2009–10) के दौरान 12.76 लाख रुपये मूल्य की अप्रयोज्य स्थायी परिसंपत्तियों की नीलामी की गई। इन परिसंपत्तियों का विक्रय मूल्य 1,07,000 रुपये था। हमने गलती से परिसंपत्तियों में 1,07,000 रुपये के मूल्य की कटौती कर दी जबकि परिसंपत्तियों के रजिस्टर में परिसंपत्तियों के मूल्य में से 6,18,925 रुपये की परिसंपत्ति के मूल्यह्रास की राशि काटी जानी चाहिए थी। अब परिसंपत्ति रजिस्टर में 1,07,000 रुपये की राशि को फिर से जोड़कर यह प्रविष्टि सुधार ली गई है तथा पूंजीगत निधि में 6,18,925 रुपये का मूल्यह्रास काट दिया है।

11. वर्ष 2010–11 के दौरान अप्रयोज्य स्थायी परिसंपत्तियां जिनका खाता मूल्य 1,84,366 रुपये था, 5650 रुपये में बेच दी गईं। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की राशि 1,48,820 रुपये थी। स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में 1,48,820 रुपये की कमी आई तथा स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि आय एवं व्यय खाते में व्यय के रूप में दिखाई गई है।

12. मैसर्स राजीव सर्विस स्टेशन को वर्ष 2009–10 के दौरान जमानत राशि के रूप में 70,000/– रुपये का भुगतान किया गया था। किंतु यह राशि वर्ष 2009–10 में व्यय के रूप में गलती से काट दी गई जबकि इसे उस वर्ष की परिसंपत्ति के खाने में जमानत राशि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। अब प्रविष्टियों को तदनुसार सुधार लिया गया है।

13. वित्त वर्ष के दौरान सीपीएफ खाता बंद कर दिया गया है। सभी एफडीआर को भुना लिया गया है तथा नियोजक के योगदान के बिना सीपीएफ में किए गए अंशदान का अंशदान पर देय ब्याज के बिना ही भुगतान कर दिया गया है। योगदान शीर्ष में नियोजक के योगदान का उल्लेख वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन शीर्ष में किया गया है। जहां तक निवेश पर बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज और उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज में अंतर की राशि का संबंध है, इसे वर्तमान वर्ष के लेखे में वेतन शीर्ष के अंतर्गत जमा कराया गया है।

14. वर्ष 2009–10 के लेखे को सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार संशोधित किया गया है और वर्तमान वर्ष के लेखाओं में सही स्थिति दर्शाई गई है।

15. अनुसूची 1 से 13 और अनुसूची 15 से 18 संलग्न हैं जो वर्ष 2010–11 के तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सदस्य–सचिव

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग के तुलन पत्र (संलग्न) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियत्रंक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार प्रायोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है! हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

   i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किये गये हैं।

   iii. हमारे विचार से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के अनुसार खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

iv. हमें यह भी रिपोर्ट करनी है:

क. **तुलन–पत्र**

क.1 **देयताएं**

क.1.1 **देयतायों के अंतिम शेष का संराधन नहीं करना**

तुलन–पत्र के साथ संलगन अनुसूची–3 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान, आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची–13 तथा आयोग की प्रापित और भुगतान लेखे की अनुसूची–17 में निम्नलिखित अंतर देखे गए, जिनके संराधन की आवश्यकता है:

स्कीम का नाम	अनुसूची–3 के अनुसार आरंभिक देयता	जोड़ अनुसूची–13 के अनुसार संस्वीकृत राशि	कुल	अनुसूची–6 के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों/ कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि के संबंध में आरंभिक/ अंतिम शेष का अंतर	घटा: अनुसूची–17 के अनुसार भुगतान की गई राशि	बची हुई अंतिम शेष राशि	अनुसूची–3 के अनुसार अंतिम शेष राशि	संराधन की जाने वाली शेष राशि
सेमिनार और सम्मेलन	22,01,734	1,70,52,877	1,92,54,611	(–)5,77,878	1,39,17,862	47,58,871	42,84,684	4,74,187

ख. सहायता–अनुदान

महिला एव बाल विकास मंत्रालय से सहायता–अनुदान के रूप में प्राप्त 744.94 लाख रुपये {448.97 लाख रुपये योजनागत शीर्ष के अंतर्गत, 49.92 लाख रुपये योजनागत शीर्ष के अंतर्गत (पूर्वोत्तर क्षेत्र) और 246.05 लाख रुपये योजना–भिन्न शीर्ष के अंतर्गत} में से योजनागत शीर्ष (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के अंतर्गत 9.92 लाख रुपये मार्च, 2011 में प्राप्त हुए। आयोग को योजना–भिन्न शीर्ष के अंतर्गत 8.47 लाख रुपये की आंतरिक प्राप्तियां भी हुईं। उपलब्ध कुल निधियों में से आयोग ने 894.98 लाख रुपए की राशि का उपयोग किया। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पूंजीगत निधि से की गई।

ग. **प्रबंधन पत्र** : लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रबंधन पत्र भेजकर राष्ट्रीय महिला आयोग के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्तुत तुलन–पत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.03.2011

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता

इस संगठन में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग स्थापित नहीं किया गया है और न ही वर्ष 2002–03 से मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा की जा रही है।

2. आंतरिक नियंत्रण

लेखापरीक्षा पर प्रबंधन की कोई अनुक्रिया नहीं आई है क्योंकि वर्ष 2005–06 से लेकर वर्ष 2009–10 की अवधि में बाह्य लेखापरीक्षा से संबंधित अभी तक 20 पैराओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

वर्ष 2010–11 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

पुस्तकों और प्रकाशनों, लेखनसामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2010–11 के लिए वास्तविक सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उप–कर, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सांविधिक देनदारियों के संबंध में 6 महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

9 अनुबन्ध

अनुलग्नक–1

संगठन चार्ट

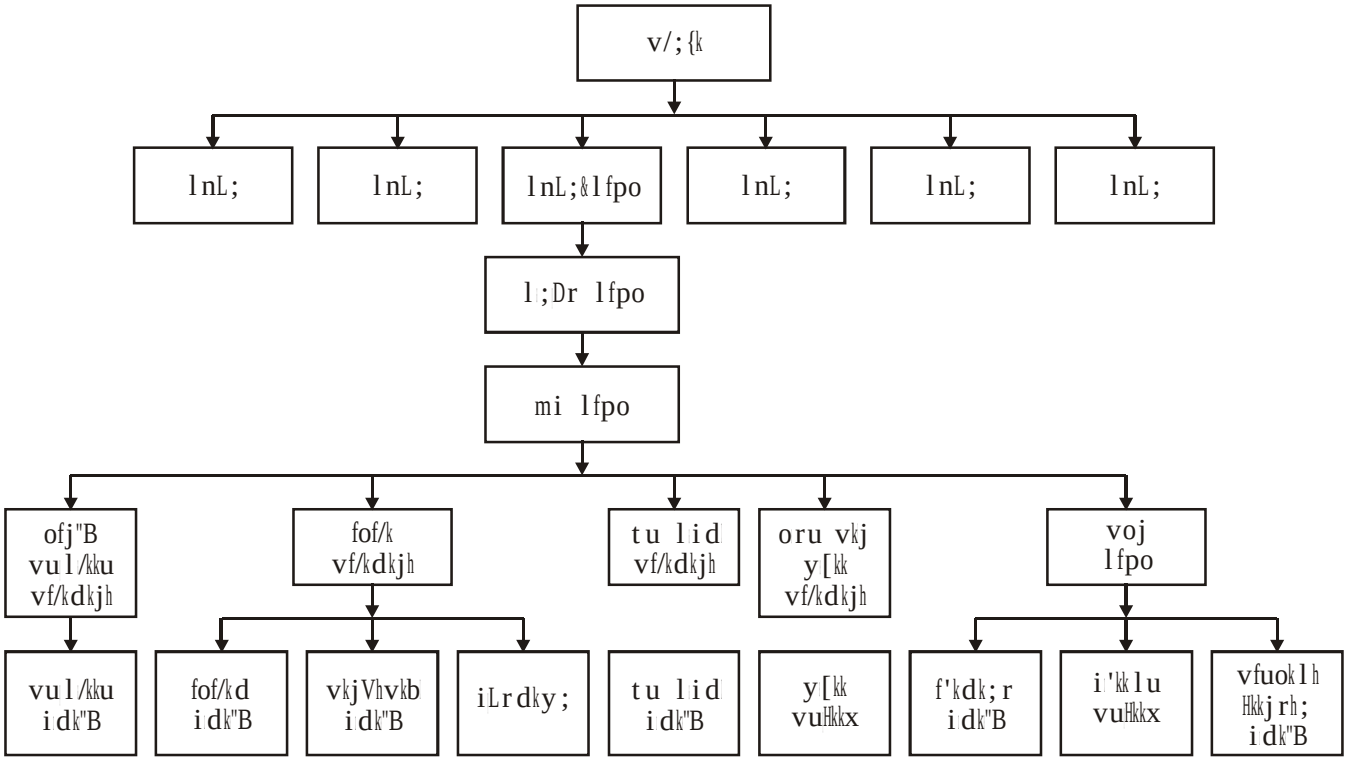

अनुलग्नक–1क

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 5 और 6 जुलाई, 2010 को राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के साथ आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र में की गई सिफारिशें

1. यदि यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाए तो ऐसे परामर्श सत्रों का आयोजन बारंबार किया जा सकता है।

2. अक्तूबर, 2010 में महिलाओं के हितों के संबंध में सार्क सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

3. 2 महीनों के भीतर राष्ट्रीय महिला आयोग निकटवर्ती राज्यों का दौरा करेगा।

4. अक्तूबर और नवंबर 2010 माह के दौरान दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया जाएगा।

5. राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

6. राज्य महिला आयोगों को इस बात पर निगरानी रखने के लिए कि कल्याणकारी स्कीमों के लाभ महिलाओं तक वास्तव में पहुंच सकें, अधिक शक्तियां दी जाएं। इन्हें प्रहरी के रूप में और अन्यों को सजग करने के लिए कार्य करना चाहिए।

7. लैंगिक विषमता को दूर करने और लैंगिक आधार पर भेदभाव के संबंध में निगरानी रखने के लिए क्रियाकलापों को प्रमुख कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

8. महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति सहित उनके साथ बलात्कार, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में राज्य महिला आयोगों द्वारा अनुसंधान अध्ययनों और कार्यशलाओं आदि को आयोजित करने का प्रस्ताव रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार, राज्य महिला आयोगों द्वारा स्कीमें तैयार की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे प्रस्तावों का वित्तपोषण करने पर विचार करेगा। प्रत्येक आयोग द्वारा कम से कम दो से तीन सेमिनार, कार्यशाला और लगभग दस जागरूकता शिविर आयोजित करने की स्कीम तैयार की जानी चाहिए।

9. स्कीमें तैयार की जानी चाहिए और योजना आयोग से सहायता अनुदान के रूप में अधिक राशि आबंटित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

10. शिकायत प्रकोष्ठ पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों को शिकायतों की सुनवाई नियमित रूप से करनी चाहिए।

11. राज्य महिला आयोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों से भी संपर्क करना चाहिए, जो परामर्श और साथ ही निधि भी उपलब्ध करा सकते हैं।

12. डायन प्रथा, देवदासी प्रथा आदि जैसी क्षेत्रीय समस्याओं पर राज्य सरकारों को अधिक लिंग–संवेदी कानूनों को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिविल समाज के संगठनों को इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भागीदार बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य महिला आयोग द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करके संबंधित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति में वृद्धि करने की दृष्टि से ऐसे गैर–सरकारी संगठनों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।

13. राज्य महिला आयोगों को यह ज्ञात करने के लिए कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों के लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं, अधिक समय प्रदान करना चाहिए।

14. राज्य महिला आयोगों द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई घरेलू घटना रिपोर्टों (डीआईआर) और निपटाए गए मामलों के संबंध में सूचना एकत्र की जानी चाहिए।

15. ऑनर किलिंग पर रोक लगाने के लिए युवा दंपतियों को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

16. साक्षियों को संरक्षण प्रदान करने का एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

17. महिलाओं को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिक संख्या में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की आवश्यकता है।

18. राज्य महिला आयोगों को अपने तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परामर्श प्राप्त करने हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

19. शैक्षणिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित करना भी आवश्यक है।

20. कुटुम्ब परामर्शदात्री केंद्रों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।

21. महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु संरक्षण अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

22. लोगों को संवदेनशील बनाने के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए।

23. विभिन्न राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों को प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार निश्चित रूप से बैठक करनी चाहिए।

24. आयोग द्वारा सरकारों को प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस संबंध में जानकारी राज्य विधान सभाओं के पटल पर भी रखी जानी चाहिए।

25. न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसा जेल न्यायालयों को गठित करके किया जा सकता है।

26. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में महिलाओं के साथ हिंसा के मामलों में अपनी बात रखनी चाहिए।

27. राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संशोधन विधेयक में यथाप्रस्तावित अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

28. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के समान ही एक "सार्क प्रकोष्ठ" सृजित किया जाना चाहिए ताकि सार्क देश परस्पर समन्वय द्वारा एक–दूसरे की सहायता करके महिलाओं से संबंधित साझे मामलों को सुलझा सकें।

29. भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग और नेपाल के राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच एक हॉटलाइन शुरू की जानी चाहिए ताकि इस बात पर विचार करते हुए कि इन दोनों के बीच यात्रा करने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, इन देशों में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित साझा समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त किया जा सके।

30. जैसाकि सभी राज्य आयोगों के बीच बैठकें की जाती हैं, उसी प्रकार सभी गैर–सरकारी संगठनों के बीच भी बैठकें की जाएं ताकि वे परस्पर सहयोग द्वारा कार्य कर सकें।

31. यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा आबंटित निधियां विपदाग्रस्त महिलाओं अर्थात विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, अनैतिक व्यापार की शिकार महिलाओं तक पहुंचें।

32. राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग को जनता तक अपनी और अधिक स्पष्ट पहुंच स्थापित करनी चाहिए ताकि महिलाओं को इस बात की जानकारी हो कि उनके पास अपनी समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच उपलब्ध है।

33. महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाले सभी गैर–सरकारी संगठनों के बीच एक नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सभी गैर–सरकारी संगठन परस्पर मिलकर संसाधन सृजन और क्षमता निर्माण के लिए एक सशक्त संगठन के रूप में कार्य कर सकें।

34. कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ नेटवर्क स्थापित करके धन जुटाया जाना चाहिए।

35. पुलिस और गैर–सरकारी संगठनों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि महिला पीड़िताओं की शिकायतों पर बेहतर रूप में ध्यान दिया जा सके।

36. विभिन्न विधि नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यकरण और उनकी दक्षता का परीक्षण करने के लिए आयोग के सदस्यों द्वारा उन पर जाल बिझाकर उनका परीक्षण करना चाहिए।

37. आयोगों को शीघ्र पहुंच उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकियों का सहारा लेना चाहिए। बेहतर संयोजकता के लिए दैनिक कार्य में कंप्यूटरों और इंटरनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए।

38. बजट आबंटन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। चूंकि महिलाएं हमारी आबादी का एक प्रमुख घटक हैं, अतः महिला विकास के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

39. बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, अपहरण, तेज़ाब से हमले, पुलिस की उदासीनता, द्वि–विवाह/व्यभिचार आदि से संबंधित कानूनी उपबंधों के प्रचार हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इससे महिलाओं में अपने अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न होगी।

40. ऑनर किलिंग के जघन्य अपराध से निपटने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है।

41. अनैतिक देह व्यापार की समस्या से संवेदनशील होकर निपटने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली अवधि के दौरान रोज़गार के अवसर पर प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय पंचायतों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए।

42. सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों और पहलों का उपयुक्त रूप में कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

43. महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं जिनमें एचआईवी संक्रमण भी शामिल है, पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि परंपरागत रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य की अवहेलना की जाती है।

अनुलग्नक–2

राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्योरा
(वित्त वर्ष 2010–2011)

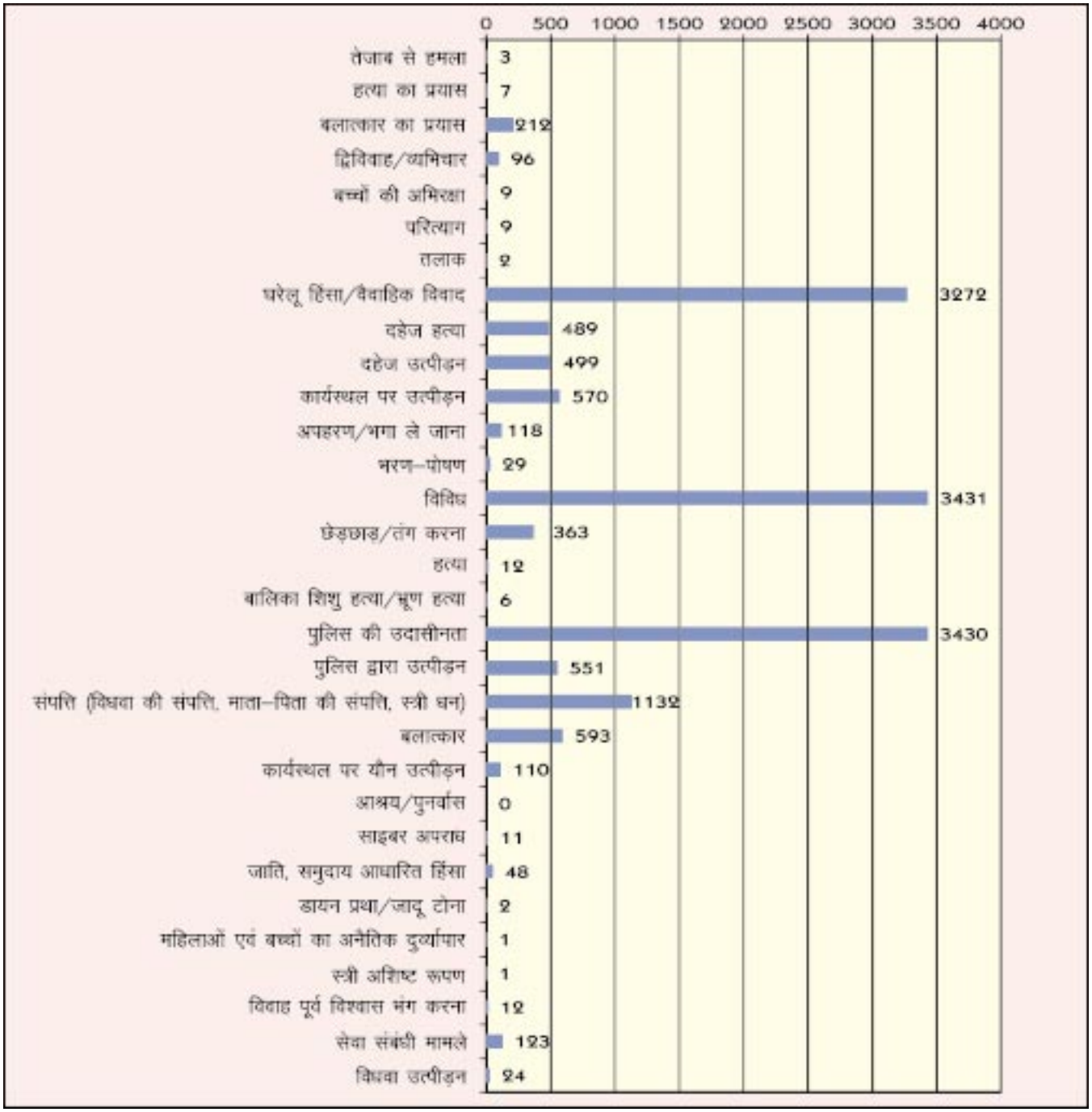

अनुलग्नक–3

राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा
(वित्त वर्ष 2010–2011)

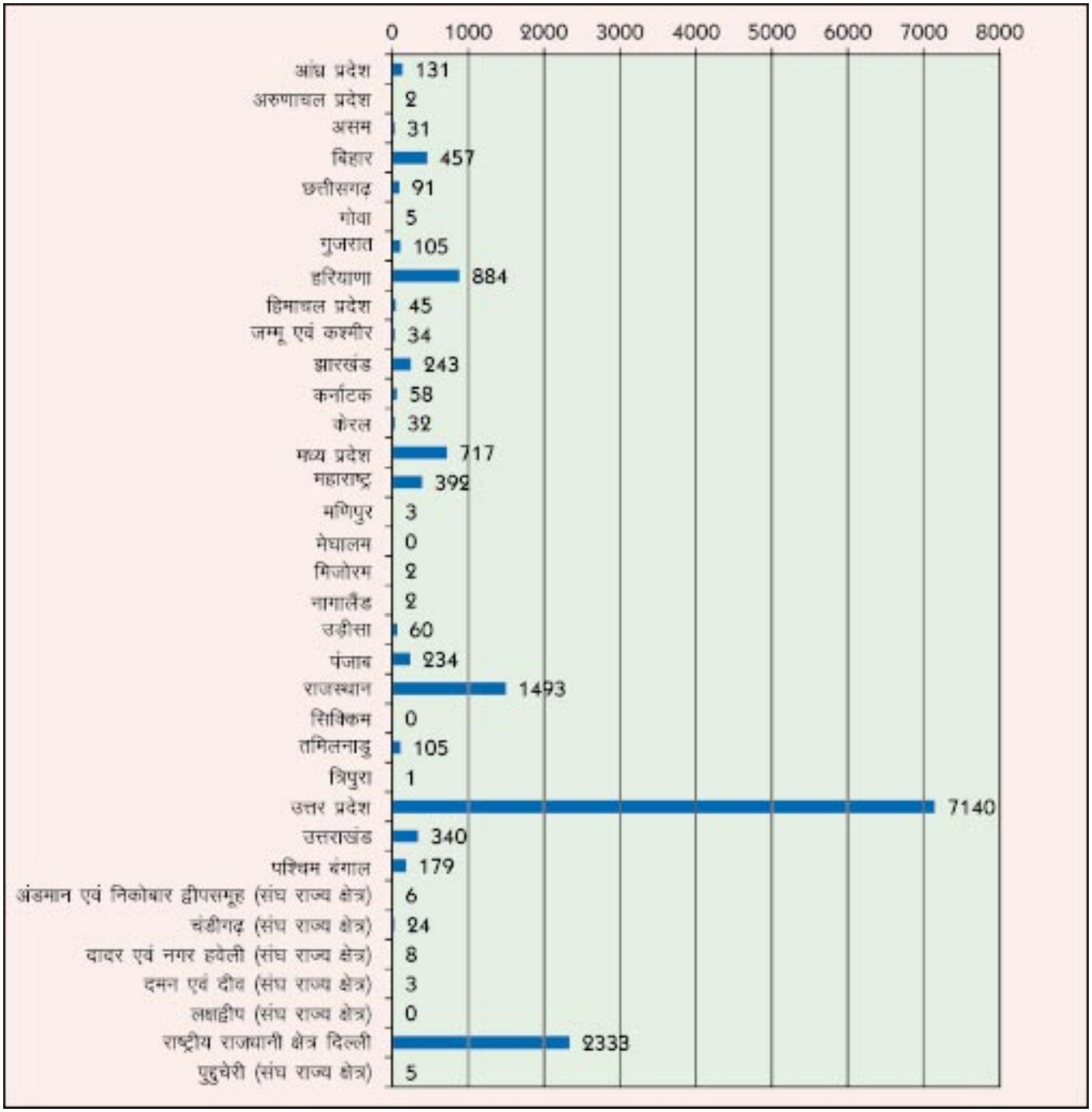

अनुलग्नक–4

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पोछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित नीति–निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने पर आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गए:

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना–स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम

1. इस स्कीम को बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम, 2005 कहा जाएगा;

2. यह स्कीम संपूर्ण भारत पर लागू होगी;

3. यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी;

4. इस स्कीम में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनमें आवेदन चाहे स्वयं बलात्कार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए हों अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति/ संगठन/ विभाग/ आयोग द्वारा;

5. "बलात्कार" का तात्पर्य वही होगा जैसाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 में परिभाषित किया गया है।

6. जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड

(क) स्कीम के अधिसूचित हो जाने पर प्रत्येक जिले में जिला आपराधिक क्षति राहत पुनर्वास बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी;

(ख) उस जिले में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए बोर्ड का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा;

(ग) बोर्ड की अध्यक्षता कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, द्वारा की जाएगी जिसमें चार अन्य सदस्य होंगे अर्थात–

(i) पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(ii) महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुभवी एक महिला जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा (परंतु किसी भी नामित सदस्य को दो बार मनोनीत किया जा सकता है);

(iii) जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी/जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(iv) संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग का उप–निदेशक/परियोजना निदेशक/राजपत्रित जिला अधिकारी जो जिला बोर्ड के सचिव की हैसियत से कार्य करेगा और रिकार्डों का रखरखाव करेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा;

(v) बाल कल्याण समिति का प्रतिनिधि (प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में)।

परंतु यदि राज्य सरकारों द्वारा राहत और पुनर्वास की कोई स्कीम प्रवृत्त की गई है तो जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का संघटन वैसी स्कीम के अनुरूप होगा और विद्यमान स्कीम के अंतर्गत आवेदक/पीड़िता को प्रदान किए जाने वाले लाभ उन बोर्डों द्वारा प्रशासित होंगे।

7. जिला बोर्ड की शक्तियां

(क) यह बोर्ड बलात्कार के सभी मामलों में दावों पर विचार करने और वित्तीय राहत प्रदान करने का प्राधिकरण होगा और मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त ऐसे अन्य राहत और पुनर्वास के उपाय करने के आदेश देगा;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता या राज्य सरकार/ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के अंतर्गत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. जिला बोर्ड के कार्य

बोर्ड का गठन किए जाने पर, यह बोर्ड–

(क) इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बलात्कार के सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो, वित्तीय राहत/ पुनर्वास के दावों पर विचार करेगा और उपयुक्त अधिनिर्णय जारी करेगा;

(ख) किसी कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक अथवा सहयोग/ सहायता के किसी अन्य रूप में बलात्कार पीड़िता की सहायता के लिए किए जाने वाले कार्यों की मानीटरिंग करेगा;

(ग) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास हेतु तैयार की गई किसी भी अन्य स्कीम (स्कीमों) का उपयोग करेगा;

(घ) पीड़िता के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा;

(ङ) पीड़िता को परामर्शदात्री सहायता की व्यवस्था करेगा;

(च) न्यायालय में मामले की सुनवाई समाप्त होने तक पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा;

(छ) जांच की प्रगति की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करेगा;

(ज) युवा पीड़िताओं के मामले में संबंधित पीड़िता को शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराएगा;

(झ) पीड़िता के उपयुक्त पुनर्वास हेतु आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करेगा;

(ञ) पीड़िता द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी उपयुक्त मामले में जांच अधिकारी को बदलने की सिफारिश करेगा;

(ट) पीड़िता के लिए ऐसी अवधि के लिए आश्रय की व्यवस्था करेगा जो परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो;

(ठ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा समीचीन और आवश्यक समझे जाएं या जैसाकि राज्य/ राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किया जाए।

9. बोर्ड के समक्ष दावा करने की प्रक्रिया

(क) जैसे ही बलात्कार की घटना के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो और वह दर्ज कर ली जाए तो संबंधित पुलिस थाने का थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त के माध्यम से 72 घंटे के भीतर प्राथमिकी/ शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति जिला बोर्ड के सचिव को अग्रेषित करेगा।

(ख) (i) कोई पीड़िता अथवा उसका कानूनी उत्तराधिकारी अथवा कोई व्यक्ति/ स्वयंसेवी संगठन जो महिलाओं के हितों का पक्षधर हो/ आयोग इस स्कीम के प्रावधान के अनुसार वित्तीय राहत और पुनर्वास के लिए 60 दिनों के भीतर जिला बोर्ड को आवेदन कर सकता है;

यह भी कि यदि आवेदन 60 दिनों की अवधि व्यतीत होने के पश्चात किया जाता हो तो बोर्ड उसे लिखित में प्रस्तुत किए गए विलंब के कारणों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात विलंब हेतु छूट प्रदान कर सकता है;

(ii) यदि आवेदक है:–

1. एक बच्चा तो उसके माता–पिता, संरक्षक, किसी स्वैच्छिक संगठन/ आयोग द्वारा उसकी ओर से आवेदन किया जा सकता है;

2. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति के मामले में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके साथ पीड़िता आमतौर पर रहती हो अथवा विधिवत प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा किया जा सकता है;

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–1) में किया जाएगा और आवेदन के साथ पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिक/शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट, किसी उपयुक्त मामले में पीड़िता का मृत्यु प्रमाण–पत्र और यदि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हो तो सीधे न्यायालय को की गई शिकायत (इसके साथ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने के कारणों का उल्लेख हो), समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों (यदि हों), की प्रतियां संलग्न की जाएं।

(घ) बोर्ड द्वारा राहत का अवार्ड दिए जाने पर राहत से संबंधित राशि तत्काल आवेदन–पत्र में दिए गए बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। जहां तक संभव हो, संबंधित राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए तत्काल भेजी जाए ताकि पीड़िता को शीघ्रातिशीघ्र राहत प्राप्त हो सके।

10. जिला बोर्ड द्वारा दी जा सकने वाली राहत

क. बोर्ड पीड़िता को वित्तीय राहत और साथ ही उसके पुनर्वास हेतु व्यवस्था किए जाने के लिए भी अधिनिर्णय जारी कर सकता है।

ख. बोर्ड द्वारा दी जाने वाली राहत 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी; यह भी कि खण्ड 16 में उल्लिखित मामलों में राहत की राशि अधिकतम 3.00 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

11. अंतरिम राहत और पुनर्वास

(क) पुलिस से खण्ड 9(क) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर जिला बोर्ड पीड़िता के पक्ष में अधिमानतः 15 दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत के रूप में 20,000/– (केवल बीस हजार रुपये) की राशि जारी करेगा;

(ख) यदि आवेदन खण्ड 9(ख) के अंतर्गत किया गया हो तो पुलिस और चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि बलात्कार का मामला वास्तव में घटित हुआ है, बोर्ड द्वारा यथासंभव 15 दिनों के भीतर और अधिक से अधिक 3 सप्ताह के भीतर पीड़िता और उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 20,000/– (केवल बीस हजार रुपये) की अंतरिम राहत प्रदान करने का आदेश जारी करेगा।

(ग) शिकायत प्राप्त होने और पीड़िता की जांच किए जाने के पश्चात बोर्ड प्रत्येक मामले में मामले के गुणदोष के आधार पर पीड़िता के लिए किए जाने वाले पुनर्वास उपायों की प्रकृति की जांच/ निर्धारण करेगा। ऐसे उपायों को करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा तथा पीड़िता के पुनर्वास हेतु अधिकतम 50,000/– रुपये तक की राशि का व्यय करेगा।

(घ) खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अंतर्गत अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में अधिनिर्णय जारी किए जाने से पहले बोर्ड स्वयं को किए गए दावे के संबंध में संतुष्ट करेगा, दावे की प्रकृति के बारे में प्रारंभिक आकलन करेगा तथा चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की भी जांच करेगा।

(ड.) बोर्ड पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत के अतिरिक्त, उसके पुनर्वास और/ या उसकी किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

12. अंतिम राहत

(क) अभियोजिका द्वारा आपराधिक विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर या जिन मामलों में अभियोजिका के नियंत्रण के बाहर के कारणों से साक्ष्य दर्ज करने में अनुचित विलंब हुआ हो, उन मामलों में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतिम किस्त के रूप में 1.30 लाख रुपये तक की शेष राहत राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में अंतिम राहत से संबंधित आदेश अभियोजिका के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले जारी कर दिया गया हो, उनमें बोर्ड ऐसा करने के कारणों और साथ ही साक्ष्य को दर्ज करने में हुए विलंब के कारणों के संबंध में लिखित में उत्तर देगा;

(ग) बोर्ड प्रत्येक मामले में पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत की राशि के संबंध में निर्णय करने से पहले पीड़िता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा;

(घ) बोर्ड द्वारा वित्तीय राहत के संबंध में जारी किए जाने वाले आदेश प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा पीड़िता के पुनर्वास हेतु जारी किए गए आदेशों/ सुविधाओं के अतिरिक्त होंगे;

(ड.) यदि पीड़िता अवयस्क हो, तो राहत की राशि बोर्ड द्वारा उस पीड़िता के सर्वाधिक हित में और उसके कल्याण के लिए निधि के उपयुक्त उपयोग के संबंध में बोर्ड को समाधान हो जाने के पश्चात राहत की राशि उसके संरक्षक या जिस व्यक्ति ने उसकी ओर से आवेदन किया है, उसे जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में जहां व्यवहार्य हो, पीड़िता से उसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;

(च) बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय सदैव पीड़िता के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

13. दावों को अस्वीकार करना

(क) बोर्ड किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि अच्छी तरह सोच–समझकर वह इस निर्णय पर पहुंचता हो कि:

(i) आवेदनकर्ता क्षति होने की परिस्थितियों के बारे में पुलिस को अथवा इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य निकाय या व्यक्ति को सूचित करने के लिए अविलंब सभी उचित कदम उठाने में असफल रहा;

(ii) आवेदनकर्ता अभियुक्त/ आक्रमणकारी को सजा देने का प्रयास करने में पुलिस या अन्य प्राधिकरण के साथ सहयोग करने में असफल रहा;

(iii) आवेदनकर्ता आवेदन के संबंध में बोर्ड को सभी उचित सहायता देने में असफल रहा;

(iv) यदि आवेदनकर्ता ने अपराध की पीड़िता के पुनर्वास और राहत के लिए इस योजना के तहत किसी आपराधिक क्षति के संबंध में पहले कोई दावा दायर किया है;

(v) यदि घटना इतनी विलंबित है कि कोई साक्ष्य पाना कठिन होगा;

(vi) यदि आवेदनकर्ता शिकायत दायर करने के पश्चात सुनवाई में जानबूझकर प्रतिकूल हो जाता है और अभियोग पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता;

(vii) 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के भाग जाने के उन मामलों में जिनमें प्रथमदृष्टया बलात्कार का मामला नहीं बनता, बोर्ड आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा अपितु कोई मुआवजा देने से पूर्व सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा करेगा;

(viii) यदि मामला प्रथमदृष्टया दुरभिसंधिपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता हो तथा बलात्कार का मामला सत्यापित तथ्यों के आधार पर दायर न किया गया हो।

14. बोर्ड द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया

(क) बोर्ड आवेदन/ शिकायत की सुनवाई और/या जांच ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर करेगा, जो बोर्ड निर्धारित करे।

(ख) सामान्यतः, बोर्ड दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त करने पर और प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर, पीड़िता और/या उसकी ओर से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेंट/ प्रतिनिधि की सुनवाई आयोजित करेगा तथा अंतरिम और अन्य राहतों के संबंध में आदेश जारी करेगा।

तथापि जिन मामलों में बोर्ड की यह सुविचारित राय हो कि पीड़िता और अन्य पक्षों की जांच अनिवार्य है और मामले की सुनवाई करने, साक्ष्यों और विचार–विमर्शों को रिकार्ड करने की कार्रवाई करता है, उन मामलों में बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता से संबंधित एक सकारण आदेश जारी किया जाएगा।

यह भी कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना और लिखित में कोई कारण बताए बिना उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) बोर्ड की किसी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बैठक में बोर्ड के एक–तिहाई से कम सदस्य उपस्थित न हों;

(घ) बोर्ड आवेदनकर्ता को संगत आवेदन की सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचना देगा;

(ङ) बोर्ड को आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी भी रिकार्ड/दस्तावेज की मांग करने और किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान लेने का अधिकार होगा;

(च) बोर्ड साक्ष्य तथा सुनवाई के साथ–साथ उसे उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेगा;

(छ) पीड़िता और/या उसके एजेंट को मौखिक सुनवाई का अधिकार होगा;

(ज) बोर्ड की कार्यवाही बंद कमरे में होगी तथा पीड़िता की पहचान हर समय और हर परिस्थिति में गुप्त रखी जाएगी;

(झ) बोर्ड की कार्यवाही मुद्रित, प्रकाशित और टेलीकास्ट नहीं की जाएगी तथा किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित नहीं जाएगी;

15. पीड़िता के लिए राहत और पुनर्वास के निर्धारण को अभिशासित करने वाले सिद्धांत

मुआवजा तथा अन्य राहतें निर्धारित करते समय बोर्ड निम्नलिखित मानदंडों का ध्यान रखेगा:

(क) बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर :

(i) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई न करने वाली सदस्य हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा राहत के रूप में 1,00,000/– रुपये (केवल एक लाख रुपये) तक की राशि का अवार्ड दिया जाएगा;

(ii) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा यह समाधान हो जाने के पश्चात कि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य थी, उसके अवयस्क बच्चों के लाभ के लिए 2,00,000/– रुपये (केवल दो लाख रुपये) की राशि का अवार्ड दिया जाएगा।

(ख) बोर्ड पीड़िता के पुनर्वास और अन्य खर्चों, यदि कोई हो, जिसकी राशि अधिकतम 50,000/–रुपये होगी, से संबंधित मामलों में विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) पीड़िता को हुई शारीरिक क्षति की किस्म और गंभीरता तथा पीड़िता के इलाज एवं मनोवैज्ञानिक मंत्रणा पर किया गया या होने वाला व्यय;

(ii) बलात्कार के कारण गर्भधारण हो जाने पर किया गया व्यय तथा बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भपात पर होने वाला व्यय;

(iii) पीड़िता की शिक्षा, अथवा व्यावसायिक अथवा व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण पर किया गया या किया जाने वाला व्यय;

(iv) बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीड़िता के लाभ के कार्यकलाप या रोजगार के बंद होने अथवा उसमें व्यवधान होने से पीड़िता को हुई हानि;

(v) कष्ट, मानसिक कष्ट या भावनात्मक आघात, अपमान या असुविधा के कारण गैर–वित्तीय हानि या क्षति;

(vi) यदि पीड़िता उस स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान की रहने वाली है जहां अपराध हुआ था, तो उसके लिए आवास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर किया गया व्यय।

(ग) वित्तीय और अन्य राहत निर्धारित करते समय बोर्ड इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि पीड़िता नाबालिक या मानसिक रूप से विकल नहीं है तथा ऐसा होने की स्थिति में और अधिक वित्तीय राहत देने तथा विशेष राहत का उपाय करने पर भी विचार करेगा।

(घ) बोर्ड राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और सुविधाओं के साथ राहत और पुनर्वास उपायों के लिए सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित संगठनों का यथासंभव उपयोग करेगा।

16. विशेष मामलों में राहत में वृद्धि–

(क) राज्य बोर्ड को राष्ट्रीय बोर्ड से पूर्व परामर्श करके निम्नलिखित मामलों में राहत के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अधिकार होगा जिसके लिए राहत की राशि अधिकतम 3,00,000/– रुपये होगी:

(i) 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(ii) मानसिक रूप से विकल, मानसिक बाधाग्रस्त महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(iii) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता यौन संसर्ग द्वारा संचारित रोगों से संक्रमित हो गई हो जिनमें पीड़िता का एचआईवी/ एड्स द्वारा प्रभावित होना भी शामिल है;

(iv) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो जाए और अपने नियंत्रण से बाहर हो चुकी परिस्थितियों के कारण उसे उस बच्चे को जन्म देना पड़े;

(v) ऐसे मामले जिनमें पीड़िता को गंभीर चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़े जिसमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं शामिल हैं;

(vi) कोई अन्य निर्धारित आधार।

17. राज्य बोर्ड का गठनः

(क) महिला और बाल विकास या समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव जो राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) इसके अतिरिक्त, राज्य बोर्ड में पांच अन्य सदस्य होंगे जिनमें गृह विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, विधि मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि जो महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों के जानकार हों, शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग का सदस्य–सचिव या उसके स्थान पर या आयोग की अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई अन्य अधिकारी इस बोर्ड का सचिव नियुक्त किया जाएगा;

(ग) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परंतु उनके कार्यकाल में एक और वर्ष का विस्तार किया जा सकता है।

18. राज्य बोर्ड के कार्यः

(क) राज्य बोर्ड जिला बोर्डों के कार्यों का समन्वय करेगा और उन पर निगरानी रखेगा;

(ख) राज्य बोर्ड उसे केंद्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त धनराशि का जिला बोर्डों को समुचित संवितरण सुनिश्चित करेगा;

(ग) पीड़िता को उचित चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेगा;

(घ) बोर्ड पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को कोई याचिका दिए जाने पर स्व–प्रेरणा से या अन्यथा ऐसी शिकायत की जांच करेगा जिसमें बलात्कार और/या इस योजना के प्रावधानों से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में आरोप लगाया गया हो और मामले को जिला बोर्ड के पास भेजेगा;

(ङ) बोर्ड जिला बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलों पर विचार करेगा;

(च) साधारण परिस्थितियों के उचित मामलों में राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति से मुआवजे की राशि बढ़ाएगा जो अधिक से अधिक 3,00,000/– रुपये होगी।

19. राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का गठनः

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड नामक एक निकाय का गठन किया जाएगा;

(ख) राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो बोर्ड की अध्यक्ष होगी, और पांच अन्य सदस्य जिनमें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य–सचिव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक का एक अधिकारी, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों का जानकार एक सदस्य जिसे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाए, महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करने का अनुभवप्राप्त एक सदस्य तथा एक अन्य सदस्य जो चिकित्सक हो अथवा बलात्कार से संबंधित मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा, शामिल होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के सदस्य–सचिव के रूप में भी कार्य करेंगी।

(ग) राष्ट्रीय बोर्ड के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और इनका कार्यकाल एक अतिरिक्त बार भी बढ़ाया जा सकता है।

20. राष्ट्रीय बोर्ड के कार्यः

राष्ट्रीय बोर्ड इस स्कीम का संचालन करेगा और इस प्रयोजनार्थः–

(क) इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन हेतु नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा।

(ख) इस स्कीम के तहत देय राशि की मात्रा और अन्य राहतों की समय–समय पर समीक्षा करेगा और केंद्र सरकार को सलाह देगा।

(ग) बोर्ड मंत्रालय को राज्य सरकारों को लोक अभियोजकों को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह देगा कि वे पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष दलील दें और स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराएं।

(घ) निधियों/बजट की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगा।

(ङ) राज्य बोर्डों के लिए निधियों का प्रशासन और आबंटन करेगा।

(च) पीड़िता को उपयुक्त चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश जारी करेगा।

(छ) केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से पुनर्वास स्कीमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें जारी करेगा।

(ज) स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा और उसका मूल्यांकन करेगा तथा समय–समय पर इस संबंध में रिपोर्ट मंगाएगा।

(झ) स्कीम के क्रियान्वयन हेतु स्कीम के तहत गठित राज्य एवं जिला प्राधिकरणों के कार्यकरण के बीच समन्वय स्थापित करेगाा और उन पर निगरानी रखेगा।

(ञ) बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्यथा अथवा पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा उसे याचिका प्रस्तुत किए जाने पर किसी ऐसी शिकायत की जांच कर सकता है या करवा सकता है जिसमें बलात्कार और/या इस स्कीम के उपबंधों से संबंधित किसी मामले के संबंध में आरोप लगाया गया है और मामले को उपयुक्त जिला या राज्य बोर्ड के पास भेजेगा।

21. वित्त/ अनुदान सहायताः

(क) केंद्र सरकार स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को धनराशि का आबंटन करेगी जो राष्ट्रीय बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी और उसके माध्यम से वह निधि सहायता–अनुदान के रूप में जिला बोर्डों को अंतरित की जाएगी।

(ख) बजटीय आबंटन राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा।

(ग) एक सक्षम न्यायालय द्वारा बलात्कार के अपराधी पाए गए व्यक्तियों से एकत्र की गई जुर्माना/लागत, मुआवजे की राशि न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड में जमा की जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आबंटन करेगा। राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड आगे जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को धनराशि आबंटित करेंगे।

(ङ) बजटीय आबंटन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगाः

(i) इस स्कीम के तहत दी गई सहायता पर होने वाला व्यय जिसमें राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को दिए गए अनुदान भी शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रीय, राज्य और जिला क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों के कार्यकरण के लिए अपेक्षित कोई अन्य व्यय जिसमें पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि भी शामिल है।

22. लेखे और लेखापरीक्षा

केंद्रीय, राज्य और जिला बोर्ड सही लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेंगे और एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेंगे जिसमें आय और व्यय खाता और तुलन–पत्र भी सम्मिलित होंगे। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

23. इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357/357क के तहत दिए गए किसी आवेदन के अतिरिक्त होंगे।

अनुलग्नक– I

आवेदन प्रपत्र

1. पीड़िता का नाम :
2. पीड़िता की आयु :
3. माता–पिता का नाम :
   (क) पिता
   (ख) माता
4. पता :
5. घटना की तारीख और समय :
6. घटना घटित होने का स्थान :
7. आवेदक का नाम :
8. पीड़िता के साथ संबंध (कानूनी उत्तराधिकारी या गैर–सरकारी संगठन)
9. क्या प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है?
   यदि "हा", तो प्राथमिकी की एक प्रति संलग्न करें;
   यदि "नहीं", तो इसके कारण बताएं
10. क्या न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी गई है?: यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
11. क्या चिकित्सीय जांच करवाई गई है?: यदि हां, तो चिकित्सीय रिपोर्ट/ मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।
12. बैंक खाते का ब्योरा :

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक–5

सम्मान एवं परम्परा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरणः

हाल के दिनों में मीडिया में परिवार या जाति या समुदाय के "सम्मान" या "प्रतिष्ठा" के नाम पर हत्याओं और असम्मानजनक अपराधों की बहार आ गई है और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि इस प्रकार की हत्याओं और अपराधों की अधिकांश खबरें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी एवं पश्चिम भारत के अन्य भागों से आ रही हैं किंतु समस्या केवल इन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं है और देश का लगभग हर हिस्सा ऐसी घटनाओं का साक्षी बनता रहा है। "सम्मान" के नाम पर अपराध एक प्रकार का हिंसक या अनुचित कृत्य है जिसमें भावनात्मक, शारीरिक और यौन दुराचार और अन्य प्रकार का दमनात्मक कृत्य किया जाता है। ऐसे प्रत्येक मामले में जिस परिवार की लड़की ने अपनी इच्छा से विवाह किया हो, उस परिवार पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है। ऐसी हत्याएं या अपराध परिवार द्वारा कभी–कभी अकेले, और प्रायः अन्य संबंधियों/मित्रों और/या "जाति" या "खाप" या "समुदाय आधारित पंचायत" जैसे निकायों के सहयोग से किए जाते हैं। कभी–कभी ऐसे अपराधों और हत्याओं के मामले में मुख्य भूमिका "जाति" या "खाप" या "सामुदायिक पंचायतों" की होती है। ये पंचायतें या संघ विभिन्न प्रकार की दमनात्मक और दंडात्मक कार्रवाइयों के जरिए अपनी पसंद से विवाह करने पर और संबंध बनाने पर आतंक फैलाकर रोक लगाने की कार्रवाई करते हैं। तथापि, सम्मान के नाम पर किए जाने वाले ये कार्य अनेक आत्मप्रेरित कारणों से किए जाते हैं, किन्तु इन्हें प्रायः प्रथा और परम्परा के नाम पर उचित ठहराया जाता है। ये कार्य भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अपनी इच्छा से संगम या संबंध बनाने का अधिकार शामिल है, सहित अनेक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लड़की को उसके माता–पिता द्वारा अपनी पसंद के लड़के से विवाह करने से रोकना उसकी आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बाधित करता है। इस कानून के अंतर्गत विवाह को वैध स्वीकृति प्राप्त होना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

किंतु, भारत में सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराधों के लिए दंडित करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो "खाप" या "सामुदायिक पंचायतों" या "जातीय" या "धार्मिक संघों" को उनके गैर–कानूनी और प्रायः बर्बर कार्यों के लिए दंडित कर सके। कभी–कभी ऐसे मामले में अपराधकर्ताओं को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत कुछ अपराधों का सहारा लिया जाता है किंतु सम्मान के नाम पर किए गए गैर–कानूनी कृत्यों को सम्पूर्णतः समाहित करने के लिए या ऐसे बर्बर कृत्यों के लिए पर्याप्त दंड निर्धारित करने के लिए इस प्रकार के अपराध से निपटने के लिए बनाए गए कानून पर्याप्त नहीं हैं।

प्रारंभिक

अध्याय I

1. इस अधिनियम को सम्मान और परमपरा के नाम पर अपराध निवारण अधिनियम, 2010 कहा जाए।

2. यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय II

3. युवा पुरुषों और महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार, स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तथा संगम बनाने, कहीं भी आने–जाने और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। उन्हें विवाह अथवा अन्य प्रकार से अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है और इन अधिकारों के प्रयोग को अवरोधित करने वाला कोई भी कार्य इस विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।

4. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह या वे पीड़ितों के परिवार के सदस्य हों या परिवार के किसी सदस्य या जाति या वंश या समुदाय या जाति पंचायत के किसी निकाय (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) या समूह का सदस्य, किसी महिला या उसके साथी (या उसके या उनके साथ जुड़े किसी व्यक्ति/व्यक्तियों) की हत्या करता हो, गंभीर चोट या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता हो या उस पर या उन पर अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अधिकारों को प्रयोग में लाने के लिए मुकदमा चलाता हो या उसमें भाग लेता हो या ऐसे कृत्य को शुरू करता हो, वह हत्या या किसी अपराध के लिए दोषी होगा और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 में निर्धारित दंड से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 : इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ जाति या वंश या समुदाय या जाति पंचायत के सभी सदस्य जो मृत्यु के लिए उत्तरदायी क्रिया को करने के दौरान उस स्थान पर उपस्थित थे या उसमें भाग लिया या प्रेरित किया जिसके कारण मृत्यु हुई, उसे ऐसे कृत्य को करने का दोषी माना जाएगा।

5. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों, चाहे वह या वे पीड़ित परिवार का सदस्य हों या ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो जो उनके साथ मिलकर कार्य कर रहा हो या उनके आदेश पर कार्य कर रहा हो या जाति या वंश या समुदाय या जाति पंचायत (चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो) के किसी निकाय या समूह के सदस्य या परिवार के सदस्य के आदेश पर अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी महिला या उसके साथी (या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति) को उत्पीड़ित करता हो या उनमें से किसी एक या दोनों को इन अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास करता हो तो उन्हें न्यूनतम एक वर्ष की अवधि और अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि और साथ ही दंडात्मक जुर्माने की राशि अदा करने की भी सजा होगी।

स्पष्टीकरण 1: इस अनुच्छेद में उत्पीड़न और निवारण से संबंधित कृत्यों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कृत्य शामिल होंगे, जैसेकि

(i) विवाह कर चुके पति पत्नी को भाई–बहन घोषित करना बावजूद इसके कि वे एक ही प्राकृतिक माता–पिता की संतान नहीं होते और ऐसे विवाह को तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या परम्परा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है,

(ii) पति पत्नी या उनके परिवार या उनके संबंधियों को उनके पैतृक गांव या इलाके से निर्वासित करना,

(iii) पति पत्नी या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति या उन्हें आश्रय देने वाले व्यक्ति को जुर्माना अदा करने के लिए कहना,

(iv) पति पत्नी या उनके परिवार या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति पर सामाजिक प्रतिबंध या सामाजिक बहिष्कार लागू करना,

(v) पति पत्नी या उनसे जुड़े परिवार पर आर्थिक प्रतिबंध या बहिष्कार आरोपित करना,

(vi) पति पत्नी या उनके परिवार जिसमें पुरुष साथी का परिवार शामिल है, को उनके स्वामित्वाधीन किसी भूमि या संपत्ति से वंचित करना,

(vii) पति पत्नी या उनमें से किसी को भी आपस में मिलने न देकर या एक साथ रहने न देकर या शारीरिक रूप से एक–दूसरे के पास न आने देकर या किसी भी प्रकार के संदेश द्वारा आपस में मिलने से रोककर बार–बार उन्हें उत्पीड़ित करना,

(viii) पति पत्नी या उनमें से किसी को भी या उनके परिवार या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के लिए धमकी देना,

(ix) लड़की या पति पत्नी या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाना,

(x) पति पत्नी या उनमें से किसी को भी आपस में मिलने या एक–दूसरे के साथ रहने से रोकने के लिए शारीरिक या मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से उत्पीड़ित या भयभीत करने के लिए कोई भी अन्य कृति या कृत्यों को करना।

6. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें व्यक्तियों का कोई निकाय शामिल है, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, पति पत्नी या उनमें से किसी के भी या उनके परिवार के किसी सदस्य को उत्पीड़न या उनकी हत्या या उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई की प्रशंसा करता हो या सार्वजनिक रूप से समर्थन करता हो या उसके लिए प्रेरित करता हो तो उसे या उन्हें दो वर्षों तक की कैद की सजा और साथ ही दंडात्मक जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है।

7. प्रमाणित करने का दायित्व – यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 4, 5 या 6 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाता हो, तो इस बात का दायित्व कि उसने या उन्होंने उक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध या अपराधों को नहीं किया है, उसके या उनके ऊपर ही होगा।

8. कतिपय कृत्यों को निषिद्ध करने की शक्तियां –

(1) यदि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो या उसे यह सूचना मिली हो कि धारा 4, 5 या 6 के अंतर्गत कोई अपराध किए जाने की संभावना है तो वह आदेश जारी करके ऐसे अपराधों को करने से रोकेगा/निषेध करेगा और यदि उक्त अपराधों को करने के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए कतिपय व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के आपस में मिलने की संभावना हो तो उस पर रोक लगाएगा,

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी किसी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह के कारावास की सजा जिसे दो वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है और साथ ही जुर्माने की सजा भी दी जाएगी,

(3) यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति या सम्मिलित रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह या किसी परिवार के सदस्य या जाति या वंश या समुदाय या जाति पंचायत (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) के निकाय या समूह के सदस्य के आदेश पर कोई गलत कार्य होने की संभावना है और उसकी यह राय हो कि इस संबंध में कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है तो वह इसके पश्चात उल्लिखित तरीके

से ऐसे व्यक्ति या सम्मिलित रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह या किसी परिवार के सदस्य या जाति या वंश या समुदाय या जाति पंचायत (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) के निकाय या समूह के सदस्य से इस बात का कारण बताने के लिए कह सकता है कि उनसे क्यों नहीं ऐसी अवधि जो एक वर्ष से अधकि नहीं होगी और जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझता हो, के दौरान शांति बनाए रखने और सदाचरण को अपनाए रखने के संबंध में जमानत सहित एक बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाए। इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही किसी भी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है जबकि वह स्थान जहां शांति भंग होने की संभावना हो या क्षेत्र में कोई विद्रोह या विक्षोभ उत्पन्न होने की आशंका हो, उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर आता हो या ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर वह व्यक्ति निवास करता हो जिसके द्वारा क्षेत्र में शांति को भंग करने या सार्वजनिक सदभावना को विक्षुब्ध करने या उपर्युक्त किसी गलत कृत्य को करने की संभावना हो।

यदि इस उपबंध के अंतर्गत कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट को ऐसा आवश्यक प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति को ऐसी धारा के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक है तो वह प्राप्त सूचना के सारांश का उल्लेख करते हुए लिखित में आदेश जारी करेगा और निष्पादित किए जाने वाले बांड की राशि, उसके व्यवहार में होने की अवधि, और अपेक्षित जमानतियों (यदि कोई हो) की संख्या, स्वरूप और श्रेणी का उल्लेख करेगा।

9. **दंपती द्वारा साथ रहने के आशय की घोषणा** – ऐसे कोई भी दो व्यक्ति जो परस्पर विवाह करना या एक–दूसरे के साथ रहना चाहते हों, उन्हें यह हक होगा कि वे अपनी आयु और स्वेच्छा से साथ रहने के संबंध में घोषणा–पत्र मौखिक या लिखित रूप में किसी सरकारी अधिकारी के सामने घोषित करें जो उक्त सूचना को नजदीकी पुलिस थाने में भेज देगा और उक्त पति पत्नी के विरुद्ध पुलिस और/या किसी अन्य प्राधिकारी या तीसरे पक्ष के उकसावे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. इस विधेयक के अंतर्गत अपराध किए जाने के बारे में सूचना देने का कतिपय व्यक्तियों का दायित्व –

(1) सरकार के सभी अधिकारियों के लिए एतद्द्वारा यह अपेक्षित है और उन्हें इसका अधिकार दिया जाता है कि वे इस विधेयक के उपबंधों या उनके अंतर्गत निर्मित किसी नियम या आदेश के निष्पादन में पुलिस को सहायता प्रदान करें।

(2) सभी ग्राम अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें किसी क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और उस क्षेत्र के निवासी, यदि उनके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो या उन्हें यह जानकारी हो कि उनके क्षेत्र में धारा 4, 5 या 6 के अंतर्गत उल्लिखित कोई भी अपराध घटित होने वाला है या घटित हो चुका है तो वे इससे संबंधित तथ्य के बारे में तत्काल निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेंगे।

(3) जो कोई भी व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो वर्षों तक विस्तारित कारावास की सजा और साथ ही जुर्माने की सजा भी आरोपित की जा सकती है।

11. यह विधेयक किसी अन्य कानून पर न्यूनकारी प्रभाव नहीं डालता – इस विधेयक के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उन पर न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करेंगे।

12. क्रियाविधि – इस अधिनियम में अन्यथा कही गई बातों के अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी।

13. नियम बनाने की शक्तियां –

(1) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है,

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम इसे निर्मित किए जाने के तत्काल बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

14. अपील –

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी अन्य बातों के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक निर्णय या आदेश के संबंध में अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी।

(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील इस अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के संबंध में किसी न्यायालय में कोई अपील या संशोधन या पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी।

(4) उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई किसी अपील पर सुनवाई दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन

15. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 में से "कम से कम 30 दिनों की अवधि" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक–6

घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरणः

घरेलू महिलाओं और बाल कर्मचारियों के शोषण से संबंधित मामला बार–बार और नियमित रूप से प्रकाश में आता रहता है। चूंकि इनके कल्याणार्थ कोई कानून निर्मित नहीं किए गए हैं जिससे इन्हें कोई अधिकार दिया जा सके, अतः अधिकांश घरेलू कर्मचारी अपने मालिकों का तत्कालीन गुलाम बनकर रह जाते हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि नियोजन एजेंसियां जो किसी भी प्रतिबंध और नियमन के बिना स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार और शोषण करने में भी सन्नद्ध हैं।

पिछले कुछ दशकों में घरेलू कर्मचारियों की मांग काफी बढ़ी है जिसके कारण लाखों महिलाओं और बच्चों (बालक और बालिकाओं, दोनों) का अनैतिक व्यापार हुआ है और उनका अन्य रूपों में शोषण किया गया है तथा इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक राज्यों के महानगरों में घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए हजारों नियोजन एजेंसियां खुल गई हैं जिनके द्वारा इन घरेलू कर्मचारियों का अनेक प्रकार से शोषण और अनैतिक व्यापार किया जाता है तथा बावजूद इसके ये एजेंसियां किसी भी प्रकार के कानूनी नियंत्रण की परिधि से बाहर रहती हैं।

किसी भी कानूनी संरक्षण की अनुपस्थिति में महिलाओं और बच्चों का घोर शोषण हो रहा है जिसमें घरेलू कर्मचारियों को उनके पूर्ण वेतन से वंचित रखना, प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक काम कराना, उचित भोजन और रहने/सोने का उचित इंतजाम न होना, उनके परिवार के सदस्यों से उन्हें बलपूर्वक अलग–थलग रखना, उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करना, एजेंट द्वारा उन्हें नियोजक तक पहुंचाने के दौरान, एजेंसी के कार्यालय में और नियोजक के घरों में कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण करना शामिल है। इनके शोषण की सूची अनंत है और इस संबंध में मीडिया में रिपोर्टें प्रायः आती रहती हैं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत घरेलू कार्य में बाल श्रमिकों के निषेध पर हाल में जारी की गई अधिसूचना जैसे कानूनी उपायों को इस अधिनियम में किसी क्रियान्वयन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण लागू नहीं किया जा सकता। हाल ही में, कुछ राज्य सरकारों ने अपनी अलग–अलग पहलें की हैं, जैसेकि घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी की गई अधिसूचना की परिधि में लाना। किंतु केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा कानून जो सभी घरेलू कर्मचारियों तक पहुंचने में सक्षम हो, की अनुपस्थिति में राज्य स्तर पर किए गए किसी भी उपाय से घरेलू कर्मचारियों को वस्तुतः कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

घरेलू कर्मचारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है और यह कार्य क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं को परिवार के आर्थिक बोझ को वहन करने में साझेदारी करने में सक्षम बनाकर अर्थव्यवस्था पर एक वृद्धिकारी प्रभाव डालता है। घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण सहित उनके कार्य की दशाओं को उपयुक्त बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक **व्यापक केंद्रीय कानून** द्वारा ही **उनके शोषण का अंत सुनिश्चित** किया जा सकता है।

घरेलू कर्मचारियों में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं शामिल हैं और इनकी कार्यदशाओं और रहने की स्थितियों में जनहित में सुधार लाने और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नियोजन एजेंसियों को विनियमित किया जाना

अनिवार्य है ताकि संविधान में प्रदत्त नीति–निर्देशक सिद्धांतों और संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित **सूची III** की प्रविष्टियों 22, 23 और 24 के संदर्भ में संसद द्वारा एक कानून बनाकर संविधान के विशेषकर संगत उपबंध अनुच्छेद 39, 41, 42, 43 और 43क को लागू किया जा सके।

अध्याय एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस अधिनियम को **घरेलू कर्मकार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010** कहा जाए।

(ख) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत पर लागू होगा।

(ग) यह अधिनियम ऐसी घरेलू कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो रोजगार हेतु किसी अन्य देश में प्रवास कर गए हों। यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में की गई अधिसूचना में किया जाए।

2. परिभाषाएं: इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) **"उपयुक्त सरकार"** का आशय संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है।

(ख) **"लाभभोगी"** का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी से है।

(ग) **"बालिका"** का आशय उससे है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(घ) **"केंद्रीय सलाहकार समिति"** का आशय इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति से है।

(ड.) **"जिला बोर्ड"** का आशय इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के लिए स्थापित जिला बोर्ड से है।

(च) **"घरेलू कर्मकार"** का आशय ऐसी महिला से है जो घरेलू या उससे सम्बद्ध कार्यों को करने के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर अस्थायी या **संविदा** आधार पर या स्थायी तौर पर किसी एजेंसी के माध्यम से या सीधे संपर्क करके किसी घर या इस प्रकार की "किसी अन्य स्थापना" में नकद भुगतान या किसी वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए रोजगार में लगी हो और इसमें **"प्रतिस्थापित कर्मचारी" जो मुख्य कर्मचारी के साथ की गई सहमति के अनुसार किसी अल्पकालिक अवधि या किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुख्य कर्मचारी के स्थान पर एवजी के रूप में कार्य कर रही हो,** शामिल है।

स्पष्टीकरण: घरेलू और संबद्ध कार्यों में भोजन पकाना या इससे संबंधित कोई कार्य करना, कपड़े या बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई या झाड़ू–पोछा करना, **वाहन चलाना**, बच्चों/बीमारों/वृद्ध व्यक्तियों, **मानसिक रूप से विकल व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों** की देखभाल करना/ उनकी सुश्रुषा करना जैसे कार्य शामिल हैं किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(छ) **"घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि"** का आशय अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सृजित निधि से है।

(ज) **"नियोजक"** का आशय ऐसे **व्यक्ति, प्राधिकारी, प्रबंधन** से है जो घरेलू कर्मचारी को घर के भीतर अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से काम पर रखता है और जिसका घर के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे परिवार से संबंधित मामले सौंपे जाते हों तथा संविदा श्रमिक के संबंध में प्रमुख नियोजक भी इसकी परिधि में शामिल है।

(झ) **"अधिसूचना"** का आशय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(ञ) **"सेवा प्रदाता"** का आशय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक एसोसिएशन या कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी से है जो घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करता है और/ या घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता है या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का एसोसिएशन या स्थापन एजेंसी शामिल है जो पंजीकृत हो अथवा नहीं हो किंतु जिसके माध्यम से ऐसी कोई कर्मचारी मुख्य नियोजक के साथ घरेलू कार्य में लगाई गई हो।

व्याख्याः "स्थापन एजेंसी" का आशय ऐसी किसी भी एजेंसी/ब्यूरो/व्यक्तियों का संविदाकार या एसोसिएशन या संगठन से है जो पंजीकृत हो या नहीं हो किंतु घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता हो या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता हो और जो भावी नियोजकों के लिए घरेलू कर्मचारियों के स्थापन में सहायता करता हो और इसमें ऐसी एजेंसी या व्यक्ति शामिल हैं जो किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या समाचार के किसी अन्य साधन के जरिए ऐसी सेवाओं की पेशकश करता हो।

(ट) **"राज्य बोर्ड"** का आशय घरेलू कर्मचारियों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित राज्य परामर्शदात्री समिति से है।

(ठ) **"कार्यस्थल"** का आशय ऐसे किसी घर से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

व्याख्याः घर का आशय ऐसे किसी भी आवासीय स्थान से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

(ड) **"मजदूरी"** का आशय ऐसे सभी पारिश्रमिकों से है जिनका धन के रूप में उल्लेख किया गया हो या जिनका रोजगार की संविदा में उल्लिखित या निहित शर्तों के अनुपालन पर घरेलू कर्मचारी को उसके कार्य के एवज में भुगतान किया जाए किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

(i) निवास हेतु उपलब्ध कराया गया आवासीय स्थान, बिजली, पानी, चिकित्सीय सुविधा या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई कोई सुविधा या मजदूरी का मूल्य।

(ii) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य स्कीम या सामाजिक बीमा के लिए भुगतान की गई कोई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि।

(iii) किसी यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य।

(iv) घरेलू कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले विशेष व्यय को पूरा करने के लिए उसे प्रदत्त कोई राशि।

3. यह अधिनियम अन्य कानूनों या अधिनियमों पर न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करता

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और उन पर कोई भी न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करेंगे।

अध्याय दो
अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी

4. केंद्रीय सलाहकार समिति

(क) केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसे केंद्रीय सलाहकार समिति कहा जाएगा (जिसे इसके पश्चात केंद्रीय समिति कहा गया है)।

(ख) केंद्रीय समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(i) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;

(ii) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत संख्या में सदस्य जिनमें घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध एसोसिएशन, यूनियन या व्यक्ति, श्रम मामलों से संबंधित समस्याओं, महिला एवं बाल विषयक समस्याओं, विधि और केंद्र सरकार की राय में ऐसा कोई भी मामला जिस संबंध में केंद्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, के क्षेत्र में अनुभवप्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे।

परंतु यह भी कि समिति में अध्यक्ष को छोड़कर, कम से कम पांच सदस्य सम्मिलित होंगे।

(ग) उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।

(घ) समिति में पदाधिकारियों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई गई कार्यविधि और रिक्तियों को भरने के तरीके निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

5. केंद्रीय समिति के कार्य

केंद्रीय समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगीः

(क) अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा और उसका मानीटरन करना तथा उक्त अधिनियम और नियमों में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) राज्यों में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा और मॉनीटरन;

(ग) राज्य बोर्डों को घरेलू कर्मचारियों के लाभ और कल्याण हेतु स्कीमों जैसेकि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य लाभकारी स्कीमों के संबंध में सलाह देना;

(घ) घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों के किसी विशिष्ट वर्ग को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देना और विभिन्न बोर्डों के कार्य का समन्वयन और मानीटरन;

(ड.) राज्य बोर्डों से परामर्श करके कार्य की समुचित दशाओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;

(च) किसी भी प्रकार के दुर्व्यापार/बेगारी/बंधुआ श्रम और 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के मामले में बाल श्रम के निराकरण हेतु उचित कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिश करना;

(छ) केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य कोई भी मामला।

6. राज्य सलाहकार समिति

(1) राज्य सरकार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देने के लिए या विभिन्न बोर्डों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकार द्वारा सलाह हेतु संदर्भित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इनकी संख्या उतनी होगी और इनका चयन उस प्रकार से किया जाएगा जैसाकि विहित किया जाए:

यह भी कि, इस सलाहकार समिति में नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या इसके सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) सलाहकार समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में इस सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।

(5) सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

(6) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) सलाहकार समिति के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

7. राज्य सलाहकार समिति के कार्य :

राज्य बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

(क) बोर्ड/राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी मामले के लिए, और सामान्यतः ऐसे सभी मामलों के लिए जिसके लिए उपबंध दिए गए हैं, विनियम बनाकर जो इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किए गए नियमों से संगत विनियम होंगे, जिन्हें बोर्ड की राय में इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कार्यों के निर्वहन में आवश्यक समझा जाए।

(ख) राज्य के लिए गठित किए गए जिला बोर्ड के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करना तथा इसके उचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाना।

(ग) जिला बोर्ड को निधियां आबंटित करना तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि का संचालन करना और जिला बोर्डों को आवश्यक समझे जाने वाली राशि का आबंटन करना।

(घ) नियोजकों, सेवा प्रदाताओं/स्थापन एजेंसियों तथा घरेलू कर्मचारियों से लिए जाने वाले शुल्क को समय–समय पर निर्धारित करना।

(ड.) इस निधि के लाभभोगियों के लिए निधि के अंतर्गत लाभभोगियों के रूप में पंजीकरण हेतु शुल्क और प्रति माह दर को निर्धारित करना।

(च) केंद्र सरकार के परामर्श से तैयार की गई स्कीमों और कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करना।

(छ) निधि के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर की किस्म निर्धारित करना।

(ज) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।

(झ) जिला बोर्ड द्वारा किसी भी निर्णय के संबंध में की गई अपीलों पर कार्रवाई करना।

(ञ) पारिश्रमिक की दरों, कार्य के घंटों और कार्य की दशाओं सहित सेवा की समुचित दशाएं सुनिश्चित करना।

(ट) यथानिर्धारित अन्य कोई भी कार्य।

8. जिला बोर्ड

(1) राज्य सरकार जिले में घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्कीमों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित संख्या में "जिला घरेलू श्रमिक कल्याण बोर्ड" नामक बोर्डों का गठन करेगी:

यह भी कि, राज्य सरकार ऐसे बोर्डों का गठन दो या दो से अधिक जिलों के लिए कर सकती है;

यह और भी कि, राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए एक से अधिक बोर्ड का गठन भी कर सकती है और उन बोर्डों के क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती है या श्रम संबंधी मामलों से संबंधित किसी अन्य कानून के अंतर्गत पहले से मौजूद किसी बोर्ड को प्राधिकृत कर सकती है।

(2) इस बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मनोनीत किए गए सदस्य सम्मिलित होंगे जो नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(3) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया एक सदस्य होगा जिसे इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मनोनीत कर देने के पश्चात राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बोर्ड के सभी सदस्यों के नामों का प्रकाशन करेगी।

(6) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) बोर्ड के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड की निधि से निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(8) बोर्ड की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि उसके पूरक या प्रासंगिक सभी मामलों के लिए विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

9. सदस्य को अयोग्य ठहराना और उसे हटाना

(1) किसी भी ऐसे व्यक्ति का बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन नहीं किया जाएगा या उसे इस पद पर बने रहने नहीं दिया जाएगा जो–

(क) बोर्ड का एक वेतनभोगी अधिकारी हो;

(ख) वर्तमान में या पहले किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ग) विक्षिप्त हो या अस्वस्थ मानसिक स्थिति का हो; या

(घ) ऐसा अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो, के लिए दोषसिद्ध हो या पहले कभी दोषसिद्ध किया गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो–

(क) उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी भी कारण से अयोग्य हो या उल्लिखित किसी भी अयोग्यता उस पर लागू होती हो; या

(ख) बोर्ड की तीन से अधिक क्रमागत बैठकों में बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित हो;

(ग) सरकार की राय में, सदस्य के पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उस व्यक्ति को पद पर बने रहने देना जनहित में हानिकारक हो या ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने देना अनुपयुक्त हो;

यह भी कि, किसी भी व्यक्ति को खंड (ग) के अंतर्गत उसके पद से हटाया नहीं जा सकता यदि उस व्यक्ति को उसे उसके पद से हटाने के संबंध में कारण बताने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद सदस्य राज्य सरकार के पर्सादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और यदि राज्य सरकार की राय में:–

(क) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नियोजकों या, जैसी भी स्थिति हो, घरेलू कर्मचारियों का पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना बंद कर देते हों, या

(ख) राज्य सरकार में परिस्थितियों या सेवाओं की अपरिहार्यता के दृष्टिगत, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकता,

तो यह, एक आदेश जारी करके, उनमें से सभी को या किसी भी एक को किसी भी समय उनके पद से हटा सकती है।

10. सदस्य द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देना:

बोर्ड का कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और राज्य सरकार द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने पर बोर्ड में उस सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

11. सही और वैध समझी जाने वाली कार्यवाही:

बोर्ड की किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर कि उसमें किसी सदस्य का पद रिक्त है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है, कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।

12. बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारी:

(1) बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुमोदन से एक सचिव और उन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें इसके द्वारा अपने कार्यों के प्रभावी रूप में निर्वहन हेतु आवश्यक समझा जाए।

(2) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, उनका कार्यकाल और नियुक्ति संबंधी शर्तें तथा उन्हें देय वेतन और भत्ते समय–समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

13. बोर्ड के कार्यः

जिला बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) बोर्ड या तो सीधे या कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों तथा सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करेगा या उसके हेतु निमित्त बनेगा तथा अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में परिभाषित घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण का अधिकार रखेगा;

(ख) लाभभोगियों को निम्नलिखित लाभ मंजूर करना, जिसके वे अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैंः

(i) किसी भी लाभभोगी को दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करना;

(ii) लाभभोगी के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iii) लाभभोगी या उसके किसी आश्रित की रोगग्रस्तता की स्थिति में उपचार हेतु चिकित्सीय व्यय का प्रावधान करना;

(iv) महिला लाभभोगियों के लिए मातृत्व लाभों का प्रावधान करनाः

परंतु, उसे प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभ उसकी केवल दो संतानों तक ही प्रतिबंधित होंगे;

(v) लाभभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसके दाह संस्कार पर होने वाले व्यय का भुगतान करना;

(vi) विवादों का बातचीत के जरिए समाधान के प्रयास करना;

(vii) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करना;

(viii) लाभभोगियों को पहचानपत्र जारी करना;

(ix) कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के संबंध में जानकारी का प्रचार–प्रसार करना;

(x) अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए अधिदेश के अनुसार कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) को कर्मचारियों और अन्यों से अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बिचौलिए के रूप में कार्य करने के लिए और प्राप्त राशि को जिला बोर्ड में जमा कराने के लिए प्राधिकार प्रदान करना;

(xi) घरेलू कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें कार्यकुशल बनाना;

(xii) राज्य बोर्डों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित की गई किसी भी स्कीम या कल्याणकारी उपायों को लागू करना;

(xiii) बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथानिर्मित सभी लाभों का निष्पादन करना।

(ग) जिला बोर्ड राज्य बोर्ड से परामर्श करके अन्य कानूनों जैसेकि असंगठित क्षेत्र अधिनियम, 2009 के अंतर्गत यथाप्रयोज्य स्कीमें लागू करेगा;

(घ) कर्मचारियों का पंजीकरण सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों में, जहां आवश्यक समझा जाए, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को या एक से अधिक को नामोद्दिष्ट करना:

(i) स्थानीय पंचायती राज संस्था या शहरी स्थानीय निकाय

(ii) निवासी कल्याण एसोसिएशन/सोसाइटी

(iii) घरेलू कर्मचारियों द्वारा गठित उनके कल्याणार्थ काम करने वाले ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना न हो

यह और भी कि, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) जिला बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(ङ) बोर्ड ऐसे रजिस्टरों और रिकार्डों का रखरखाव करेगा जिनमें नियोजित घरेलू कर्मचारियों, घरेलू कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और ऐसे विवरणों का उल्लेख होगा जिनका समय–समय पर उल्लेख किया जाए;

(च) बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व–अनुमोदन से किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी कल्याण स्कीम को क्रियान्वित कर सकता है।

14. जिला बोर्ड की शक्तियां:

(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्मित किसी भी नियम/नियमों के अध्यधीन बोर्ड, स्थानीय सीमाओं के भीतर–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी स्थान या परिसर में इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता रहा है या किया जा रहा है, आवश्यक समझे जाने वाली जांच या पूछताछ करना;

(ख) कोई दस्तावेज़, रिकार्ड या साक्ष्य (लिखित या मौखिक) प्रस्तुत करने के लिए कहना;

(ग) यदि इस संबंध में संदेह करने का उपयुक्त आधार हो कि किसी स्थान या परिसर में किसी घरेलू कर्मचारी का किसी भी प्रकार का यौन शोषण किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा उसे गलत रूप से निरुद्ध करके रखा गया हो या घरेलू कर्मचारी के रूप में किसी बाल श्रमिक (बालिका) को नियुक्त किया गया हो, तो संबंधित कर्मचारी का उद्धार करने के लिए संबंधित स्थान या परिसर में किसी भी समय आवश्यक समझे जाने वाली सहायता के साथ प्रवेश करना।

(2) प्रत्येक नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपयुक्त सुवधिाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(3) प्रत्येक जिला बोर्ड किसी ऐसे विवाद का अधिनिर्णय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालयों में निहित समान शक्तियों का उपभोग करेगा, जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित हों, अर्थात:–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और उसे शपथ दिलाकर उसकी जांच करने;

(ख) दस्तावेज़ों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने;

(ग) साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रवर्तन आदेश जारी करने;

(घ) यथानिर्धारित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करने।

अध्याय तीन
पंजीकरण प्रक्रिया

15. पंजीकरण

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सभी घरेलू कर्मचारियों, नियोजकों या सेवा प्रदाताओं का यहां नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक नियोजक/सेवा प्रदाता और घरेलू कर्मचारी, जो भी लागू हो, द्वारा घरेलू कार्य हेतु घरेलू कर्मचारियों का रोज़गार आरंभ होने के एक माह के भीतर, जिला बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को निर्धारित किए गए अनुसार ब्योरे उपलब्ध कराते हुए निर्धारित पंजीकरण शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई व्यक्ति इस संबंध में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि आवेदक द्वारा समय से आवेदन न कर पाने के संबंध में उपयुक्त कारण हैं।

(ग) यदि घरेलू कर्मचारी दो या दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर कार्य करती हो और उसे किसी स्थापन एजेंसी द्वारा रोजगार में नहीं लगाया गया है तो उस घरेलू कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला बोर्ड में अपना पंजीकरण कराए। यह और भी कि यदि ऐसे कर्मचारी को किसी एजेंसी के माध्यम से काम पर लगाया गया हो और वह एक से अधिक घरों में कार्य करती हो तो ऐसे कर्मचारी का पंजीकरण कराना उस एजेंसी का कर्त्तव्य होगा।

(घ) यदि कोई घरेलू कर्मचारी किसी जिले में अपना काम छोड़कर, भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी भाग में किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती है और वहां किसी घर में घरेलू कर्मचारी के रूप में या तो स्वयं या किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए के माध्यम से कार्य करने लगती है, तो ऐसे कर्मचारी या एजेंसी या बिचौलिए का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस बोर्ड को कर्मचारी के स्थानांतरण के बारे में सूचित करे जहां वह पहले से पंजीकृत थी और जिस स्थान पर उस कर्मचारी ने कार्य करना आरंभ किया है, वहां के बोर्ड में उसके पंजीकरण के संबंध में कार्रवाई करे।

(ङ.) उपर्युक्त उपबंधों में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी घरेलू कर्मचारी को किसी बिचौलिए, किसी एजेंसी या सेवा प्रदाता के जरिए घर में काम पर लगाया गया हो, तो **निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण** कराने की जिम्मेदारी ऐसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता की होगी न कि उस मुख्य नियोजक की, जिसके घर में वह कर्मचारी कार्य करता है।

16. पंजीकरण शुल्क

(क) यदि नियोजक किसी घरेलू कर्मचारी को पूर्णकालिक आधार पर काम पर रखता है तो ऐसे नियोजक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर विचार किए बिना कि घरेलू कर्मचारी उस रोजगार में कार्य करना जारी रखती है या नहीं अथवा दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर घरेलू कार्य का निष्पादन करती है, बोर्ड में उस कर्मचारी का नाम निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पंजीकृत कराए जो इस संबंध में वार्षिक अभिदान का एक हिस्सा होगा।

(ख) यदि घरेलू कर्मचारी को किसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य पर रखा जाता हो, तो ऐसी एजेंसी या बिचौलिए, जैसी स्थिति हो, का यह कर्त्तव्य होगा कि वह **निर्धारित शुल्क सहित** पंजीकरण हेतु इन ब्योरों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए।

यह भी कि बोर्ड किसी सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो इस संबंध में अकाट्य कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे किसी सेवा प्रदाता को शुल्क के भुगतान से छूट दे सकता है।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

पंजीकरण प्रमाणपत्र का **यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान** करके एक वर्ष के अंतराल पर नवीकरण किया जाएगा।

18. किसी बालिका को रोजगार पर रखना

किसी भी बालिका को तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत निषिद्ध ऐसे किसी भी प्रासंगिक या आनुषंगिक कार्य के लिए घरेलू कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय चार
निधि की स्थापना

19. घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि

(1) **घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि** नामक एक निधि स्थापित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित राशियां जमा कराई जाएंगी:

(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निधि हेतु दिया गया कोई भी अनुदान;

(ख) लाभभोगियों से प्राप्त कोई राशि;

(ग) जिला बोर्ड को पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों के रूप में प्राप्त सभी राशि;

(घ) निधि में जमा राशि के निवेश से प्राप्त कोई भी आय;

(ड.) एकत्र की गई जुर्माने की राशियां;

(च) बोर्ड को किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य सभी राशियां;

(2) इस निधि का संचालन जिला बोर्ड द्वारा किया जाएगा और जिला बोर्ड द्वारा इस राशि का उपयोग घरेलू कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्यों और सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेषकर निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

(i) बोर्ड द्वारा निर्णय किए गए अनुसार घरेलू कर्मचारियों/लाभभोगियों के लाभ हेतु आवश्यक समझे जाने वाले कल्याणकारी उपायों या सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने;

(ii) घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु किसी सहायता या स्कीम जिसमें परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बीमा और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत करना;

अध्याय पांच
घरेलू कर्मचारियों का लाभभोगी के रूप में पंजीकरण

20. निधि के लाभभोगी

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा इस निधि से प्रदान किए गए लाभों की पात्र होगीः

ऐसी प्रत्येक घरेलू कर्मचारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किंतु 65 वर्ष की न हो और जो पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों तक की अवधि के दौरान किसी घरेलू कार्य में नियुक्त हो, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकरण की पात्र होगी;

(2) **इस संबंध में बोर्ड में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित किए गए प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा;**

(3) उप–धारा (2) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के **साथ निर्धारित दस्तावेज़ और शुल्क जमा कराए जाएंगे**;

(4) यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है तो वह उस घरेलू कर्मचारी के नाम का इस अधिनियम के अंतर्गत **घरेलू कर्मचारी** के रूप में पंजीकरण कर लेगा;

परंतु पंजीकरण हेतु किए गए किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना और लिखित में कारण बताए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(5) उप–धारा (4) के अंतर्गत निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर, राज्य बोर्ड में अपील की जा सकती है और इस अपील पर राज्य बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा;

यह भी कि इस संबंध में राज्य बोर्ड 30 दिनों की कथित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर कार्यवाही कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि घरेलू कर्मचारी के पास समय से अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण है।

21. पहचान पत्र

(1) बोर्ड प्रत्येक लाभभोगी को एक पहचान पत्र जारी करेगा जिस पर उस लाभभोगी की फोटो लगी होगी और साथ ही उसे एक पासबुक भी देगा ताकि लाभभोगी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सके।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत जिस लाभभोगी को पहचान पत्र जारी किया गया है, वह किसी सरकारी अधिकारी या बोर्ड या किसी भी अन्य जांच प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगी।

22. पंजीकरण की समाप्ति

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों से घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्य न करने पर घरेलू कर्मचारी के रूप में उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा;

परंतु इस उप–धारा के अंतर्गत 90 दिन की अवधि का परिकलन करते समय किसी व्यक्तिगत क्षति अथवा दुर्घटना के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवधि शामिल नहीं की जाएगी।

(2) उप–धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए, यदि कोई महिला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से शीघ्र पहले निरंतर कम से कम 3 वर्षों तक लाभभोगी रही हो तो वह इस संबंध में निर्धारित किए गए अनुसार पेंशन सहित अन्य सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

23. घरेलू कर्मचारियों का रजिस्टर

जिला बोर्ड जिले में लाभभोगियों के रोजगार का ब्योरा दर्शाते हुए निर्धारित किए गए अनुसार रिकार्ड/रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

24. घरेलू कर्मचारियों द्वारा अंशदान

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विनिर्दिष्ट/विनिर्धारित की गई दर पर प्रति माह निधि में अंशदान करेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि लाभभोगी किसी वित्तीय कठिनाई के कारण अपना अंशदान करने में असमर्थ है तो वह अंशदान की राशि माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक की अवधि से संबंधित नहीं होगा;

(2) लाभभोगी अपनी मासिक मजदूरी से निधि में अंशदान की राशि की कटौती करने और उसे 15 दिनों के भीतर बोर्ड में जमा कराने के लिए अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकती है।

25. अंशदान की अदायगी न किए जाने का प्रभाव

यदि कोई लाभभोगी एक ऐसी अवधि तक जो एक वर्ष से कम न हो, धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपने अंशदान की अदायगी नहीं करती हो तो वह लाभभोगी नहीं रहेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि अंशदान की अदायगी नहीं करने का कोई ठोस कारण था और यदि घरेलू कर्मचारी बकाया की राशि जमा कराने की इच्छुक हो तो वह घरेलू कर्मचारी को अंशदान की बकाया राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है और इस राशि को जमा कर दिए जाने पर घरेलू कर्मचारी का पंजीकरण पुनः बहाल हो जाएगा।

अध्याय छह
कार्य की दशाओं का विनियमन

26. नियोजक और सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

(1) प्रत्येक नियोजक और सेवा प्रदाता सीधे या किसी एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए घरेलू कर्मचारियों से संबंधित विवरण निर्धारित किए गए शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में जिला बोर्ड और बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा;

(2) कोई भी सेवा प्रदाता या व्यक्ति/एजेंसी किसी भी नियोजक को घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने का व्यवसाय नहीं करेगा यदि उक्त सेवा प्रदाता या एजेंसी या व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न हो;

(3) सेवा प्रदाता भारत के किसी भी भू–भाग से रोज़गार के प्रयोजनार्थ संपर्क करने वाले सभी घरेलू कर्मचारियों से संबंधित रिकार्ड रखेगा और निर्धारित किए गए प्रपत्र में इससे संबंधित ब्योरे उपलब्ध कराएगा;

(4) काम के घंटे – किसी भी कर्मचारी से किसी घर में एक दिन में नौ घंटों से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक समय तक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति दी जाएगी; कार्य के घंटों का निर्धारण कार्य की प्रकृति के अनुसार और अधिकतम आठ घंटे को सीमा मानकर पूर्णकालिक कर्मचारियों के मामले में विश्राम और भोजन के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान करते हुए; बशर्ते कि कार्य का समय कार्यस्थल पर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में 12 घंटे से अधिक न हो (कर्मचारी को कार्य की बीच 3–4 घंटे आराम के लिए मिल सकें) और इसी प्रकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने वाले और कार्यस्थल से बाहर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में काम की अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;

यह भी कि किसी वयस्क महिला कर्मचारी को ऐसे घर में इस धारा के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उसे कार्य के घंटे सप्ताह में 48 घंटों से अधिक होने पर समयोपरि मजदूरी दी जाए और समयोपरि कार्य किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह के दौरान कुल मिलाकर पचास घंटे से अधिक न हो;

(5) समयोपरि कार्य हेतु मजदूरी;

यदि किसी घर में काम पर रखी गई कर्मचारी से समयोपरि कार्य की अपेक्षा की जाती है तो उस समयोपरि कार्य के लिए वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूरी प्राप्त करने की पात्र होगी। समयोपरि दर का

परिकलन जिस सप्ताह में समयोपरि कार्य किया गया है, उस सप्ताह से तत्काल पहले के सप्ताह के दौरान उस कर्मचारी द्वारा वास्तव में जिन कार्य दिवसों के दौरान कार्य किया गया है, उस दौरान अर्जित प्रति दिन की औसत आय की राशि के डेढ़ गुने के आधार पर किया जाएगा;

(6) कार्य के बीच विश्राम – किसी भी घर में कर्मचारियों के लिए कार्य की अवधि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कार्य की कोई भी अवधि एक बार में पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मचारी आधे घंटे तक विश्राम करने के पश्चात पांच घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगी;

(7) साप्ताहिक अवकाश दिवस – प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह पूर्णकालिक हो, अंशकालिक हो, कार्यस्थल पर निवास करती हो, रात्रि पाली के दौरान कार्य करती हो, सप्ताह में एक दिन अवकाश प्राप्त करने की पात्र होगी।

27. न्यूनतम मजदूरी –

(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा –

(क) घरेलू कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करेगी;

(ख) उपयुक्त समझी जाने वाली अवधियों पर, जो पांच वर्षों से अधिक के अंतराल पर न हो, मजदूरी की दरों की समीक्षा करेगी तथा मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करेगी और आवश्यक समझे जाने पर उसमें संशोधन करेगी;

(2) उपयुक्त सरकार निम्नलिखित का निर्धारण कर सकती है–

(क) समय कार्य हेतु मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम समय दर" कहा गया है);

(ख) मात्रानुपाती कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम मात्रानुपाती दर" कहा गया है);

(ग) मात्रानुपाती कार्य में लगी कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक की न्यूनतम दर ताकि ऐसी कर्मचारी के लिए समय कार्य आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित की जा सके (जिसे इसके पश्चात "गारंटित समय दर" कहा गया है);

(घ) न्यूनतम दर के बदले प्रयोज्य न्यूनतम दर (समय दर या उजरती दर में से कोई भी) जो कर्मचारी द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में अन्यथा प्रयोज्य होगी (जिसे इसके पश्चात "समयोपरि दर" कहा गया है);

(ड.) न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण निम्नलिखित मजदूरी अवधियों में से किसी एक या अधिक के आधार पर किया जाए:

(i) घंटे के आधार पर

(ii) दिन के आधार पर

(iii) महीने के आधार पर

28 अपराध और दंड

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सेवा प्रदाता अधिकतम तीन माह के कारावास की सजा और अधिकतम 2,000/– रुपए तक के जुर्माने, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है और यदि उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन जारी रखा जाए तो उस पर एक अतिरिक्त जुर्माना आरोपित किया जा सकता है जिसकी राशि ऐसे उल्लंघन के संबंध में सेवा प्रदाता को पहली बार दोषसिद्ध करार दिए जाने के बाद उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए 100/– रुपए तक हो सकती है;

(2) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया कोई व्यक्ति दोबारा उसी उपबंध का उल्लंघन करने या उसके अनुपालन में विफल रहने का दोषी पाया जाता हो, तो परवर्ती उल्लंघन पर उसे छह महीने तक के कारावास की सजा और कम से कम 200 रुपए तक के जुर्माने द्वारा जिसकी राशि 5,000/– रुपए तक हो सकती है या फिर दोनों द्वारा, दंडित किया जाएगा;

(3) यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 2,000/– रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा;

(4) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को जांच करने से जानबूझकर रोकता हो या ऐसे अधिकारी को नियोजक या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित सेवा प्रदाता के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत प्राधिकृत निरीक्षण, जांच, पूछताछ या अन्वेषण हेतु उचित सुविधा उपलब्ध कराने से अस्वीकार करता हो या जानबूझकर अवहेलना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास की सजा और 2,000/– रुपए तक जुर्माना, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(5) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ को जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच हेतु मांग किए जाने पर उपलब्ध कराने से जानबूझकर इनकार करता हो या रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो या अपने विश्वास के आधार पर ऐसा कोई भी कार्य करता हो जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का अनुसरण कर रहे निरीक्षणकर्ता व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने या जांचे जाने के लिए किसी व्यक्ति का आना बाधित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम तीन माह के कारावास या 2,000/– रुपए तक की सजा या दोनों प्रकार की सजाओं द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(6) कोई भी व्यक्ति जो–

(i) जानबूझकर किसी लड़की या महिला को अनैतिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसके नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो, भेजता हो, जाने का निर्देश देता हो या लेकर जाता हो; या

(ii) ऐसी महिला या बालिका का किसी भी रूप में यौन शोषण करता हो; या

(iii) छोटी बच्चियों को घरेलू कर्मचारी के रूप में उपलब्ध कराता हो

उसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि जो 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास और 2,000/– रुपए तक के जुर्माने या दोनों द्वारा दंडित किया जाएगा।

29. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि शिकायत –

(क) राज्य बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा या उसकी लिखित में पूर्व–संस्तुति द्वारा दर्ज न कराई गई हो;

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई हो;

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

30. अभियोजन की सीमा

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि संबंधित शिकायत जिला या राज्य बोर्ड को कथित अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से **एक वर्ष** के भीतर न की जाती हो।

अध्याय सात
विविध उपबंध

31. इस अधिनियम से असंगत कानूनों और करारों का प्रभाव

(1) इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभण की तारीख से पहले या बाद में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत बातों या सेवा के किसी करार या संविदा में निहित असंगत बातों के होते हुए भी, प्रभावित होंगे;

(2) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी भी कर्मचारी को प्रधान नियोजक, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों या सुविधाओं से अधिक अनुकूल समझे गए अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करार करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।

32. अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण

(1) बोर्ड के किसी भी सदस्य या किसी गैर–सरकारी संगठन के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसरण में सद्भावना से प्रेरित होकर किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती;

(2) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत जारी किसी नियम या अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किए गएया किए जाने वाले किसी कार्य के कारण हुई या होने वाली किसी क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

33. बोर्ड का अधिक्रमण

(1) यदि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो जाए या अन्यथा उसकी यह राय हो कि–

(क) बोर्ड अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, या

(ख) बोर्ड ने अपने कार्यों के निर्वहन में लगातार देरी की है या अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार बोर्ड को अधिक्रमित (बरखास्त) कर सकती है और अधिक्रमण की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड का निर्धारित तरीके से इसका पुनर्गठन करेगी। अधिक्रमण की अवधि में उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी करके अधिकतम छह महीने तक का विस्तार किया जा सकता है;

परंतु खंड (ख) में उल्लिखित किसी भी आधार पर इस उप–धारा के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पहले, राज्य सरकार बोर्ड को इस संबंध में कारण बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी कि इसका अधिक्रमण क्यों न कर दिया जाए और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर विचार करेगी।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के पश्चात इसका पुनर्गठन किए जाने तक इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या अधिकारियों द्वारा किया जाएगा;

(3) बोर्ड को अधिक्रमित किए जाने पर निम्नलिखित परिणाम संभव हो सकते हैं, अर्थात–

(क) उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से बोर्ड के सभी सदस्य अपने पद को रिक्त कर देंगे;

(ख) बोर्ड द्वारा प्रयुक्त या निष्पादित सभी शक्तियों और कार्यों का अधिक्रमण की अवधि के दौरान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या निष्पादन किया जाएगा;

(ग) बोर्ड के पास उपलब्ध सभी निधियां और अन्य संपत्तियां अधिक्रमण की अवधि के दौरान राज्य सरकार के अधीन होंगी और बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने पर वे निधियां और संपत्ति बोर्ड को अंतरित हो जाएंगी।

34. समस्याओं को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत ऐसे उपबंधों को निर्मित कर सकती है जो संबंधित समस्या को दूर करने हेतु अनिवार्य या समीचीन समझे जाएं;

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित सभी आदेश, निर्मित किए जाने के शीघ्र बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएं।

35. लेखा और लेखापरीक्षा

(क) केंद्र, राज्य और जिला बोर्ड उचित लेखाओं और संगत रिकार्डों का रखरखाव करेंगे और निर्धारित किए गए रूप में अपने लेखाओं से संबंधित विवरणी तैयार करेंगे;

(ख) केंद्रीय बोर्ड निर्धारित की गई तारीख से पहले केंद्र सरकार को स्वयं अपनी और निधियों के संबंध में समेकित लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(ग) राज्य और जिला बोर्ड राज्य सरकार को निर्धारित की गई तारीख से पहले अपनी लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

36. नियम निर्मित करने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार पूर्व में जारी प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों के निष्पादन हेतु नियम बना सकती है;

(2) ऐसे नियम विशेषकर, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता के संबंध में किसी पूर्वधारणा के बिना निम्नलिखित में से सभी और किसी एक हेतु प्रावधान कर सकते हैं, अर्थातः–

(क) केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके कार्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कार्यविधि और अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका;

(ख) इन अधिनियम की धारा (5)(छ) के अंतर्गत निर्धारित किए जाने के लिए अपेक्षित या किए जाने योग्य कोई अन्य मामला;

(ग) रूप और तरीका जिसमें अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत वार्षिक लेखा विवरणी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी;

37. नियम बनाने की शक्तियां

(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और यदि नियमों को पहली बार निर्मित किया गया हो, तो इस स्थिति को छोड़कर, पूर्व में जारी किसी प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी;

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त उपबंध की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी भी एक के लिए प्रावधान किया जाए, अर्थात–

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल;

(ख) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ग) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र;

(घ) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ और पंजीकरण शुल्क;

(ड.) बोर्ड के सचिव द्वारा उसके अनुरक्षण में रखे जाने वाले रजिस्टर;

(च) निधि से भुगतान की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए लाभभोगी द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़;

(छ) लाभभोगियों द्वारा निधि में दिए जाने वाले अंशदान की राशि;

(ज) लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र और तुलन–पत्र;

(झ) बोर्ड का बजट तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ञ) बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ट) सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या और उनके चयन का तरीका;

(ठ) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल;

(ड) सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सलाहकार समिति के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ढ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित या निर्धारित कोई अन्य मामला

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को

मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

अनुलग्नक–7

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 – पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण हेतु आदेश

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (1) यदि पर्याप्त साधन संपन्न कोई व्यक्ति अवहेलना करता है या भरण–पोषण करने से इनकार करता है –		125 (1) यदि पर्याप्त साधन संपन्न कोई व्यक्ति अवहेलना करता है या भरण–पोषण करने से इनकार करता है –
(क) अपनी पत्नी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या		(क) अपनी पत्नी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या
(ख) अपनी वैध या अवैध अवयस्क संतान को, जो विवाहित हो अथवा नहीं और जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है।	"सौतेली संतान", "गोद ली गई संतान" शब्दों को शामिल किया जाए।	(ख) अपनी वैध या अवैध अवयस्क संतान, सौतेली संतान, गोद ली गई संतान को, जो विवाहित हो अथवा नहीं और जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या
(ग) अपनी वैध या अवैध संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान **किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्तया या क्षति के कारण** स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है, या	शब्दों **"किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्तया या क्षति के कारण"** का लोप किया जाए।	(ग) अपनी वैध या अवैध, सौतेली पुत्री, गोद ली गई संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, **जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है**, या
(घ) अपने पिता या माता को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है,	शब्द **"दादा–दादी"** शामिल किए जाएं।	(घ) अपने पिता या माता, दादा–दादी को, जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है,
	नया उपबंध	(ङ) कोई भी महिला **जो प्रत्यर्थी के साथ विवाह के स्वरूप के संबंध में रह रही हो या रही हो**
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी अवहेलना या इनकार के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हो	शब्दों **"प्रत्यर्थी की संपदा से"** शामिल किए जाएं।	प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी अवहेलना या इनकार के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हो

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान या पिता या माता को भरण–पोषण के लिए उतनी मासिक दर पर मासिक भत्ते का भुगतान करे, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार से उपयुक्त समझा जाए और जिस व्यक्ति को भुगतान करने के संबंध में उस मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं: परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में उल्लिखित अवयस्क बालिका के पिता को ऐसे भत्ते का भुगतान उस बालिका द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त होने तक करे, यदि मजिस्ट्रे को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी अवयस्क बालिका, यदि विवाहित हो, के पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।		जाने पर ऐसे व्यक्ति **या प्रत्यर्थी के नियोजक** को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति की पत्नी या ऐसी संतान या पिता या माता को भरण–पोषण के लिए **प्रत्यर्थी की संपदा से** उतनी मासिक दर पर मासिक भत्ते का भुगतान करे या **ऐसे व्यक्ति के नियोजक को प्रत्यर्थी के वेतन से उतनी राशि का विप्रेषण करने का निर्देश दे,** जो उस मजिस्ट्रेट के विचार से उपयुक्त समझा जाए और जिस व्यक्ति को भुगतान करने के संबंध में उस मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं: परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में उल्लिखित अवयस्क बालिका के पिता को ऐसे भत्ते का भुगतान उस बालिका द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त होने तक करे, यदि मजिस्ट्रे को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी अवयस्क बालिका, यदि विवाहित हो, के पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।
125 का परंतुक परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट इस उप–धारा के अंतर्गत भरण–पोषण हेतु मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण–पोषण और इस	शब्दों या **"ऐसे व्यक्ति के नियोजक"** को शामिल किया जाए।	**125 का परंतुक** परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट इस उप–धारा के अंतर्गत भरण–पोषण हेतु मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति **या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो और उस राशि को ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने, जिसे इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है:		या माता के अंतरिम भरण–पोषण और इस संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो और उस राशि को ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने, जिसे इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए जाएं, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है: **मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी की संपदा से एकमुश्त राशि जमा करने का भी निर्देश जारी कर सकता है।**
125 का दूसरा परंतुक परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अंतर्गत अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय के लिए मासिक भत्ते के संबंध में आवेदन को, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति को आवेदन के नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर निबटा दिया जाए।		**125 का दूसरा परंतुक** परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अंतर्गत अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय के लिए मासिक भत्ते के संबंध में आवेदन को, यथासंभव, **ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को आवेदन के नोटिस जारी होने की तारीख से **30 दिनों** के भीतर निबटा दिया जाए।
नया परंतुक		**तीसरा परंतुक** **नोटिस हस्तगत करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट ऐसे नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रोसेस सर्वर, कूरियर आदि किसी भी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, संबंधित व्यक्ति को नोटिस**

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
		हस्तगत कर सकता है या करवा सकता है
स्पष्टीकरणः इस अध्याय के योजनार्थ (क) "अवयस्क से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1975 का 9) के उपबंधों के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो;		**स्पष्टीकरणः** इस अध्याय के योजनार्थ (क) "अवयस्क से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1975 का 9) के उपबंधों के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो;
(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।	(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।	(ख) "पत्नी" से आशय ऐसी महिला से है, जिसे अपने पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो।
	(ग) "भरण–पोषण करने में असमर्थ" का आशय दावाकर्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली वास्तविक अलग आय न होने और न ही दावाकर्ता के द्वारा कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की संभावना हो, से है।	**(ग) "भरण–पोषण करने में असमर्थ" का आशय दावाकर्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली वास्तविक अलग आय न होने और न ही दावाकर्ता के द्वारा कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की संभावना हो, से है।**
	(घ) "संपदा" में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है।	**(घ) "संपदा" में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है।**

औचित्यः

(1) धारा 125 की उप–धारा (ग) में संशोधन, जिसमें यह कहा गया है कि "अपनी वैध या अवैध संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) को, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी हो जबकि वह संतान **किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्तया या क्षति के कारण** स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है"..... यह एक अवरोधक उपबंध है तथा विशेष तौर पर समर्थ संतान तथा वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी ऐसी संतान, विशेषकर बालिका संतान के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त साधन संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार सभी अविवाहित पुत्रियों को उनके द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात भी यदि वे स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, उपलब्ध कराया जाए। इससे बालिका संतान को इधर–उधर भटकने और अकिंचन व्यवस्था को प्राप्त करने से रोका जा सकेगा जो भरण–पोषण के उपबंध के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला एक मुख्य उद्देश्य है।

राज कुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि धारा 125 (1)(ग) – उपर्युक्त उपबंध के सामान्य अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी वयस्क लड़की (अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो) जो अविवाहित हो, का भरण–पोषण करना तभी आवश्यक है यदि वह लड़की किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्तया या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो – इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी स्थिति में उसे अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत स्थिति यह है कि 18 वर्ष की आयु की कोई कालेज जाने वाली लड़की, जो अभी अविवाहित है, जब तक वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ न हो, उसे उसके पिता द्वारा जो पर्याप्त साधन संपन्न है, भरण–पोषण उपलब्ध कराने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यह अपेक्षा करना कि एक ऐसी अविवाहित लड़की जो अभी कालेज जा रही है या जो घर में रह रही है किंतु जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और जिसके पास अपना स्वयं का भरण–पोषण करने के लिए स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, को उसके पर्याप्त साधन–संपन्न पिता द्वारा केवल इस आधार पर भरण–पोषण उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सके कि संहिता की धारा 125(1)(ग) में जैसाकि अपेक्षित है, स्वयं का भरण–पोषण करने में उस लड़की की असमर्थता उसकी किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता के कारण नहीं है, अत्यधिक अमानवीय और उत्पीड़क होगा और ऐसा करना सभी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। यह उपबंध विशेष रूप से त्रूटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि धारा 125(1) के अन्य खंडों, अर्थात खंड (क), (ख) और (घ) में, पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी, अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चों, जो विवाहित हों अथवा न हों या अपने माता–पिता जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ न हों, को भरण–पोषण उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सिद्ध करने की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि वे इस सम्मानजनक सामाजिक विधायन का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। यह उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39(ड.) और (च) की भावना के भी विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें राज्यों से यह कहा गया है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों और युवाओं का नैतिक और भौतिक दृष्टि से परित्याग करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। मामले के इस पहलू को दृष्टिगत रखते

हुए, यह सहमति हुई कि विधायिका द्वारा उप–धारा 125(1)(ग) में संशोधन किया जाए तथा पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का बच्चों/लड़कियों का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध कराया जाए जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद भी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों। यही एकमात्र उपाय है जिससे बालिका संतान को इधर–उधर भटकने और अकिंचन व्यवस्था को प्राप्त करने से रोका जा सकेगा जो भरण–पोषण के उपबंध जो इस संहिता के अध्याय–9 में उल्लिखित है, के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला एक मुख्य उद्देश्य है।

अतः, मैं यह निर्देश देता हूं कि भारत के अटार्नी जनरल के जरिए भारत संघ को तथा महाधिवक्ता के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह नोटिस जारी किया जाए और उनसे दो माह के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाए कि वे उक्त उपबंध, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी अविवाहित बालिका जो अपना भरण–पोषण स्वयं करने में असमर्थ है, पर इस आशय की एक अतिरिक्त अपेक्षा आरोपित करता है कि वह यह सिद्ध करे कि वह अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में किसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यतया या रोग के कारण असमर्थ है, के संबंध में संहिता की धारा 125(1)(ग) की कानूनी वैधता को किस प्रकार समर्थन प्रदान करते हैं।

इस आदेश की प्रति भारत और उत्तर प्रदेश के विधि आयोग तथा राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश महिला आयोगों को इस संबंध में उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए प्रेषित की जाए। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे भारत के अटार्नी जनरल और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को उक्त नोटिस जारी करें और भारत तथा उत्तर के विधि आयोगों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को इस आदेश से अवगत कराएं।

शीर्ष न्यायालय ने भी नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल एमएएनयू/एससी/0481/1969 : 1970: सीआरआईजे 522 मामले में इसी स्थिति पर पूरा बल देते हुए कहा है कि "बालिका" शब्द की परिभाषा में आयु की सीमा नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी आयु की बालिका को भरण–पोषण प्राप्त करने का पात्र बनाया जाना चाहिए, यदि वह बालिका स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो और माता–पिता पर्याप्त साधन संपन्न हों।

2. धारा 125(1(ङ) – एक नया उपबंध है। प्रश्न यह है कि पहले से विवाहित किसी पुरुष द्वारा अपने जाल में फंसा ली गई किसी महिला को कष्टकारी जीवन क्यों व्यतीत करना चाहिए जबकि उसका स्वयं का कोई दोष नहीं है? इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य अनाथ महिला को इधर–उधर घूमने या भटकने से रोकना है, तथापि, इन उपबंधों के अंतर्गत पत्नी शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाकर उसमें ऐसी महिला को भी शामिल किया जाए जो प्रत्यर्थी के साथ विवाह जैसे स्वरूप के संबंध में रही हो और नियमित या अमान्यकरणीय विवाह के अंतर्गत रह रही पत्नी हो। जबकि अवैध संतान को भरण–पोषण का अधिकार प्रदान किया जाता है तो यह अत्यधिक अनुचित बात है कि उसी अवैध संतान की माता को भरण–पोषण प्रदान न किया जाए।

यमुना बाई बनाम अनंतराव 1998 (1) एससीसी 5309 – इस मामले में पहले से वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी के होने के बावजूद श्री 'ए' ने सुश्री 'बी' से शादी की। 1955 के अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के पश्चात – क्या सुश्री 'बी' द्वारा धारा 125 की संहिता के अंतर्गत दिया गया भरण–पोषण हेतु आवेदन ध्यान देने योग्य है – 1955 के अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात हिंदू पुरुष मात्र एक पत्नी रख सकता है – अपनी जीवित पत्नी के होते हुए पुरुष द्वारा दूसरी शादी करना अवैध है – इस कानून के द्वारा पति पर ऐसी किसी पत्नी को भरण–पोषण प्रदान करने दायित्व आरोपित नहीं

होता। **यह देखा जा सकता है कि किसी तलाकशुदा पत्नी और अवैध संतान के लिए इस धारा के लाभ को विस्तारित करने के प्रयोजन से संसद ने इस धारा में उस आशय का विशिष्ट उपबंध शामिल करना आवश्यक समझा, किंतु वैधानिक तरीके से विवाह नहीं करने वाली महिला के संबंध में संसद ने ऐसा नहीं किया है।**

सविता बेन के मामले में आपराधिक अपील संख्या 2005 का 399 {2004 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4688 से उत्पन्न} – वैधानिक रूप से विवाह नहीं करने वाली महिलाओं द्वारा भरण–पोषण हेतु दावा – इस अपील में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि चूंकि वह महिला कानूनी रूप से विवाहित "पत्नी" नहीं है, अतः उसे भरण–पोषण से संबंधित दावा करने का हक नहीं है – तथापि, उसकी संतान धारा 125(1)(ग) के अंतर्गत भरण–पोषण प्राप्त करने की पात्र है – अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से तब विवाह किया जबकि उसकी पहली पत्नी जीवित थी और प्रत्यथी संख्या 2 का प्रथम विवाह संबंध बना हुआ था। अतः इस संबंध में भरण–पोषण की कोई पात्रता नहीं बनती तथा यह भी कि कानून ऐसी महिलाओं के साथ अत्यधिक कठोरतापूर्ण व्यवहार करता है जो बिना कुछ सोचे–समझे किसी विवाहित पुरुष के साथ विवाह बना लेती हैं और संहिता की धारा 125 ऐसी महिलाओं को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करती। यह कानून की पर्याप्तता–अपर्याप्तता हो सकती है, किंतु इसका समाधान केवल विधानमंडल द्वारा ही किया जा सकता है। किंतु जैसाकि वर्तमान में कानून की स्थिति है, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि संहिता की धारा 125 के अनुसार "पत्नी" अभिव्यक्ति केवल कानूनी रूप से विवाहत पत्नी के संदर्भ में ही है। यह उपबंध सामाजिक न्याय प्रदान करने और विशेषकर महिलाओं और बच्चों और साथ ही वृद्ध एवं अशक्त निर्धन माता–पिता को संरक्षण प्रदान करने के लिए है और यह भारत के संविधान, 1950 (जिसे संक्षेप में "संविधान" कहा गया है) के अनुच्छेद 39 द्वारा पुनर्बलित अनुच्छेद (3) के अंतर्गत आता है। इस उपबंध के द्वारा पुरुष के द्वारा अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में अपनी पत्नी, संतान और माता–पिता को भरण–पोषण प्रदान के सहज और मौलिक कर्त्तव्य की घोषणा की गई है।

शीर्ष न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 1990 का 664 **विमला (के) बनाम वीरास्वामी (के) के** मामले में यह पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से भरण–पोषण की मांग की – प्रत्यर्थी ने इस आधार पर अपना दावा पंजीकृत किया कि अपीलकर्ता उसकी विवाहिता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही किसी अन्य महिला से विवाहित है – जब तक पहला विवाह विद्यमान है, तब तक दूसरी पत्नी को भरण–पोषण प्राप्त करने का कोई हक नहीं है – प्रत्यर्थी दूसरी महिला के साथ कानूनी और वैध विवाह को सिद्ध नहीं कर पाया, अतः अपीलकर्ता को भरण–पोषण प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया।

हाल में ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा "पत्नी" शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है, जिसमें अपने पति द्वारा तलाकशुदा या तलाक प्राप्त करने वाली ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो या **प्रत्यर्थी के साथ विवाह जैसे स्वरूप के संबंध में रही हो, एक नियमित या अमान्यकरणीय विवाह के अंतर्गत पत्नी के रूप में रही हो** (विद्युत प्रभा दीक्षित बनाम द्वारका प्रसाद सतपथि; शीबा चौधरी बनाम डॉ. अमितत्व मुखर्जी)।

उपर्युक्त निर्णय महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत विवाह जैसे स्वरूप के संबंध को मान्यता प्रदान की गई है किंतु इसके अंतर्गत आगे यह भी कहा गया है कि ऐसे संबंध में **ऐसी महिलाओं द्वारा जो व्यभिचार के लिए या जानबूझकर किसी पुरुष के साथ बनाया गया संबंध जिसकी वैवाहिक स्थिति में वह पहले से ही जानती हों,** शामिल नहीं किया जाएगा।

3. धारा 125 के स्पष्टीकरण (ग) में यह संस्तुत किया गया है कि "**भरण–पोषण करने में असमर्थ"** की व्याख्या इस अर्थ में की जाए कि दावा करने वाले द्वारा वास्तव में अलग से कोई आय अर्जित नहीं की जा रही है और दावेदार द्वारा भविष्य में भी कोई रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करने की कोई संभावना नहीं है। इस व्याख्या से इस संबंध में कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि कौन स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है।

4. धारा 125 की नई व्याख्या (घ) – के अंतर्गत परिभाषित **"संपदा"** में व्यक्तिगत आय, परिसंपत्ति, मियादी जमा, शेयरों और डिमेट खाता ब्योरों, किराया और कमीशन, बांड, खरीद–बिक्री के ब्योरों, स्वयं के स्वामित्व के अधीन संपत्तियों, पारिवारिक संपत्तियों सहित अचल संपत्ति शामिल है। यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी प्रायः अपनी आय की विवरणी भरना बंद कर देते हैं और स्वयं को बेकार सिद्ध करने पर तुल जाते हैं ताकि वे भरण–पोषण प्रदान करने के अपने दायित्व से बच सकें। यदि प्रत्यर्थी की संपदा का लेखा–जोखा प्राप्त हो जाए तो प्रत्यर्थी की कुल आय की मात्रा के संबंध में जानकारी हासिल करना सुविधाजनक हो जाएगा और ऐसे मामलों में भी संभव होगा, जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा आय कर विवरणी जमा नहीं कराई जाती हो या यदि प्रत्यर्थी बेरोजगार हो या उसके पास आय का कोई निर्धारित स्रोत न हो (भरत हेगडे बनाम सरोज चौधरी 140) 2007 डीएलटी 16; राजेश चौधरी बनाम निर्मला चौधरी।

5. **'नियोजक'** शब्द को शामिल किया जाना – यह प्रस्ताव किया जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा भरण–पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तदायी पाए गए व्यक्ति के नियोजक को, यदि कोई हो, कर्मचारी के मासिक वेतन में से मासिक भत्ते की कटौती करके पीड़ित पक्ष को उस रूप में भुगतान कर देने का, जिस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, का निर्देश जारी करने की शक्तियां दी जाएं। यह पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभकारी और उसकी शिकायत के शीघ्र समाधान में सहायक सिद्ध होगा।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (2) भरण–पोषण हेतु या अंतरिम भरण–पोषण हेतु ऐसे किसी भी भत्ते और व्यय **आदेश की तारीख से या यदि आदेशित किया गया हो तो** भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और अदालती कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में आवेदन करने की तारीख से देय होगा।		लोप कर दिया गया – संक्षिप्त कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।		

धारा 125 मूल कानून का उपबंध है। उप–खंड (2) और (3) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक पहलू पर धारा 126 के अंतर्गत विचार किया गया है, जिसमें क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
125 (4) ऐसी कोई भी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, यदि वह	**संपूर्ण उप–धारा (4) का लोप किया जाए।** **अब धारा 126 (5)**	संक्षिप्त कार्यवाही के हिस्से के रूप में संपूर्ण उप–धारा (4) का लोप कर दिया जाए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों।		
125 (5) यदि इस संबंध में प्रमाण प्राप्त हो जाए कि ऐसी कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई ओदश जारी किया गया हो और वह महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।	**अब धारा 126 (6)**	संक्षिप्त कार्यवाही के हिस्से के रूप में संपूर्ण उप–धारा (5) का लोप कर दिया जाए।

धारा 125 मूल कानून का उपबंध है। उप–खंड (4) और (5) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक पहलू पर धारा 126 के अंतर्गत विचार किया गया है, जिसमें क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

धारा 126 – कार्यवाही के स्थान पर **संक्षिप्त कार्यवाही** शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (क) धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है: (क) जिसमें वह रह रहा हो	शब्दों **या ऐसी संतान या पिता या माता रहती हो**	126 (क) धारा 125 के अंतर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है: (क) जिसमें वह रह रहा हो

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
(ख) जिसमें वह या उसकी पत्नी रह रही हो, या		(ख) जिसमें वह या उसकी पत्नी **या ऐसी संतान या पिता या माता** रह रही हो, या
(ग) जिसमें वह पिछली बार अंतिम तौर पर अपनी पत्नी के साथ रहा हो, या जैसी भी स्थिति हो, वैध संतान की मां के साथ रहा हो		(ग) जिसमें वह पिछली बार अंतिम तौर पर अपनी पत्नी के साथ रहा हो, या जैसी भी स्थिति हो, वैध संतान की मां के साथ रहा हो

धारा 126(क) में प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य

आपराधिक अपील संख्या 2004 का 431 विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3151/2003 से उत्पन्न) विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार सरकार और अन्य – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125, 126 – स्थानांतरण याचिका – प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – पिता द्वारा पुत्र के विरुद्ध भरण–पोषण हेतु आवेदन – भरण–पोषण प्राप्त करने की योग्यता – प्रत्यर्थी द्वारा सिवान जिले में अपने पुत्र के विरुद्ध भरण–पोषण का आवेदन दायर करना – आवेदक पुत्र द्वारा मामले को सिवान से पटना स्थानांतरित करने का आवेदन देना – आवेदन में यह बात कहना कि सिवान स्थित न्यायालय का उक्त भरण–पोषण हेतु आवेदन पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि आवेदक पटना में रह रहा है और वहां वकील के रूप में काम कर रहा है – वैधता – चूंकि धारा 126 की उप–धारा (1) के खंड (ख) और (ग) संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी और बच्चों से संबंधित हैं और चूंकि पत्नी और बच्चों को अपने निवास स्थान पर अदालती कार्यवाही शुरू करने का लाभ दिया गया है और यह लाभ माता–पिता को नहीं दिया गया है, अतः यह पाया गया कि भरण–पोषण का दावा करने के संबंध में माता या पिता द्वारा आवेदन उसी न्यायालय में दायर किया जाए, जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति रहता है जिससे भरण–पोषण प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है– चूंकि सिवान स्थित न्यायालय का इस याचिका पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, अतः मामले को पटना न्यायालय में अंतरित करने से संबंधित निर्देश दिए गए।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई 1992 की आपराधिक याचिका संख्या 1292 भिक्षु बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य का मामला – वाद दाखिल करने का स्थान – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 126 और 126 (1) – प्रत्यर्थी पिता द्वारा याचिकाकर्ता पुत्र से भरण–पोषण का दावा – याचिकाकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार निर्धारित करने की मांग करना – याचिकाकर्ता का यह कहना कि पत्नी के संबंध में वह जहां निवास कर रही हो, उसी स्थान पर भरण–पोषण हेतु अभियोजन शुरू करने से संबंधित सुविधा पिता के संबंध में लागू नहीं है– प्रत्यर्थी के संबंध में प्रयोज्य एकमात्र खंड धारा 126 की उप–धारा (1) का खंड (क) है– धारा 126 में यह उल्लेख किया गया है कि पिता जिस स्थान पर रहता हो, उस स्थान पर भरण–पोषण हेतु याचिका दायर नहीं कर सकता – याचिकाकर्ता की बात स्वीकार की गई– पिता को उस स्थान पर अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया, जहां उसका पुत्र रहता है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (2) भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों के संबंध में किसी भी भत्ते का भुगतान आदेश की तारीख से या भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में आवेदन की तारीख से किया जाएगा।	धारा 126 के अंतर्गत नई उप–धारा और शब्दों **आवेदन की तारीख से** को शामिल किया जाए।	126 (2) भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों के संबंध में किसी भी भत्ते का भुगतान भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और न्यायालय की कार्यवाही हेतु खर्चों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में **आवेदन की तारीख से** किया जाएगा।

नई धारा 126 (2) में प्रस्तावित संशोधन का औचित्यः

इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि दावाकर्ता को जिस तारीख को याचिका दाखिल की गई, उस तारीख से भरण–पोषण प्राप्त करने का न्यायोचित हक है और इसके दृष्टिगत इस उपबंध में उपयुक्त रूप में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
(3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर	यह पहले धारा 125 में शामिल किया गया था और अब इसे धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है।	125 (3) यदि जिस व्यक्ति को इस आशय का आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के इस आदेश के अनुपालन में विफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक बार उल्लंघन के लिए, प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज, जो ऐसी चूक की तारीख से देय होगा, तथा जुर्माना वसूल करने के लिए निर्धारित तरीके से उस राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी करने के पश्चात ऐसे किसी व्यक्ति को भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले व्यय, जैसा भी मामला हो, के संबंध में

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।		प्रत्येक माह के संपूर्ण या किसी हिस्से से संबंधित भत्ते का भुगतान नहीं करने पर एक माह तक की अवधि या यदि भुगतान शीघ्र कर दिया गया हो तो भुगतान किए जाने की अवधि तक कारावास की सजा से दंडित कर सकता है।
परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत भुगतान की देय तारीख से **एक वर्ष की अवधि** के भीतर ऐसी राशि की वसूली के लिए यदि न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता तो देय राशि की वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाए।		परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत भुगतान की देय तारीख से **तीन वर्ष की अवधि** के भीतर ऐसी राशि की वसूली के लिए यदि न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता तो देय राशि की वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाए।
परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को इस शर्त पर भरण–पोषण देने के लिए प्रस्ताव करता है कि वह उसके साथ रहे और उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर देती हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी पत्नी द्वारा उल्लिखित इनकार के कारणों की जांच की जाएगी तथा इस धारा के अंतर्गत पति द्वारा ऐसे प्रस्ताव के होते हुए भी आदेश जारी किया जाएगा, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उपयुक्त आधार है।		परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को इस शर्त पर भरण–पोषण देने के लिए प्रस्ताव करता है कि वह उसके साथ रहे और उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर देती हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी पत्नी द्वारा उल्लिखित इनकार के कारणों की जांच की जाएगी तथा इस धारा के अंतर्गत पति द्वारा ऐसे प्रस्ताव के होते हुए भी आदेश जारी किया जाएगा, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उपयुक्त आधार है।
स्पष्टीकरण : यदि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ विवाह अनुबंध किया हो या उसने कोई रखेल रख ली हो, तो		**स्पष्टीकरण** : यदि पति ने किसी दूसरी महिला के साथ विवाह अनुबंध किया हो या उसने कोई रखेल रख ली

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का एक उपयुक्त कारण माना जाएगा।	शब्दों **या महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा हो** शामिल किए जाएं।	हो, **या महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा हो** तो इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का एक उपयुक्त कारण माना जाएगा।

औचित्यः एक वर्ष की अवधि काफी कम समय है और सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति हुई कि यह अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (2) ऐसी कार्यवाहियों के लिए सभी प्रकार के साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में या यदि उसे निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दी गई हो, तो उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए निर्धारित तरीकों से इस कार्यवाही को रिकार्ड किया जाएगाः किंतु यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण–पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश प्रस्तावित किया जाना है, वह जानबूझकर न्यायालय में आने से कतरा रहा है तो मजिस्ट्रेट संबंधित मामले में कार्यवाही और सुनवाई कर सकता है और एकपक्षीय निर्णय कर सकता है तथा इस बात प्रकार किया गया कोई भी ओदश उसकी तारीख से	उपबंध को 126 (4) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।	126 (4) ऐसी कार्यवाहियों के लिए सभी प्रकार के साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में या यदि उसे निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दी गई हो, तो उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए निर्धारित तरीकों से इस कार्यवाही को रिकार्ड किया जाएगाः किंतु यदि मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण–पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश प्रस्तावित किया जाना है, वह जानबूझकर न्यायालय में आने से कतरा रहा है तो मजिस्ट्रेट संबंधित मामले में कार्यवाही और सुनवाई कर सकता है और एकपक्षीय निर्णय कर सकता है तथा इस बात प्रकार किया गया कोई भी ओदश उसकी तारीख से

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर निरस्त कराया जा सकता है, जो इस शर्त और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाने वाली प्रतिपक्ष हेतु अदालती कार्यवाही की लागत के भुगतान से संबंधित शर्तों के अध्यधीन होगा।	शब्दों **यदि आरोप यह हो कि महिला पर पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार) तो मजिस्ट्रेट बंद कमरे में विचारण की कार्यवाही शुरू करेगा** को शामिल किया जाए। मौजूदा धारा 125 (4)	तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर निरस्त कराया जा सकता है, जो इस शर्त और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाने वाली प्रतिपक्ष हेतु अदालती कार्यवाही की लागत के भुगतान से संबंधित शर्तों के अध्यधीन होगा। 126 (5) ऐसी कोई भी पत्नी इस धारा के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण या अंतरिम भरण–पोषण और कानूनी कार्यवाही हेतु व्यय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, यदि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों। **यदि आरोप यह हो कि महिला पर पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार) तो मजिस्ट्रेट बंद कमरे में विचारण की कार्यवाही शुरू करेगा।** 126 (6) यदि इस संबंध में प्रमाण प्राप्त हो जाए कि ऐसी कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई ओदश जारी किया गया हो और वह महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो (व्यभिचार), या बिना किसी पर्याप्त

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
	मौजूदा धारा 125 (5) शब्दों **यदि "पर पुरुष के साथ रहने (व्यभिचार) के संबंध में पत्नी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता हो तो पति द्वारा पत्नी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा"** को शामिल किया जाए।	कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती हो या यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग–अलग रह रहे हों तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। **यदि "पर पुरुष के साथ रहने (व्यभिचार) के संबंध में पत्नी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता हो तो पति द्वारा पत्नी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा"।**

धारा 126 (5) के संबंध में स्पष्टीकरण : बंद कमरे में विचारण महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच एक अत्यधिक संवेदनशीलत मामला है और ऐसे मामले का विचारण बंद कमरे में करके उसे निजी बनाए रखा जाना चाहिए।

धारा 126 (6) के संबंध में स्पष्टीकरण : "व्यभिचार या दूसरे पुरुष के साथ रहना" से संबंधित आरोप काफी गंभीर आरोप हैं और इसका इस्तेमाल पत्नी को बदनाम करने के लिए और उसे भरण–पोषण से इनकार करने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि पति इस आरोप को सिद्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पत्नी को जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
126 (3) न्यायालय को धारा 125 के अंतर्गत किए गए आवेदनों पर विचार करते समय अदालती कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त समझे जाने वाला आदेश जारी करने का अधिकार होगा।	धारा 126 (7) के रूप में पुनर्संख्यांकित।	126 (7) न्यायालय को धारा 125 के अंतर्गत किए गए आवेदनों पर विचार करते समय अदालती कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त समझे जाने वाला आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
	नया उपबंध 126 (8)	126 (8) मजिस्ट्रेट आरोपित व्यक्ति को अपना बचाव करने की अनुमति प्रदान करने के समय प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) अथवा नियोजक, जैसा भी मामला हो, को ऐसे व्यक्ति **या ऐसे व्यक्ति के नियोजक** को अपनी पत्नी या ऐसी

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
		संतान, पिता या माता के भरण–पोषण और इस संबंध में जारी कानूनी कार्यवाही के व्यय के संबंध में उतनी मात्रा में मासिक भत्ते की राशि, जो उस मजिस्ट्रेट के विचार में उपयुक्त हो, के संबंध में आदेश जारी कर सकता है: मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को एकमुश्त राशि जमा करने का भी निर्देश दे सकता है **तथा प्रत्यर्थी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी संपदा के संबंध में ब्योरे प्रस्तुत करे।**
	इन उपबंधों को लागू करने से संबंधित प्रायोजन और उद्देश्य प्रत्यर्थी द्वारा बार–बार स्थगन की मांग किए जाने के कारण न्यायालय की कार्यवाही में विलंब होने से विफल हो जाते हैं। इन उपबंधों को शामिल किए जाने से बार–बार स्थगन आदेश जारी करने पर रोक लगेगी और दूसरे पक्ष को अदालती लागत के भुगतान के संबंध में आदेश जारी करने से बार–बार स्थगन की मांग करने पर रोक लगेगी। दोनों पक्षों द्वारा मांग की गई।	**126 (9) किसी भी पक्ष के अनुरोध पर कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि यदि परिस्थितियां संबंधित पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों तथा इस प्रकार का कोई भी स्थगन आदेश दिया जाना मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली राशि के रूप में दूसरे पक्ष को लागत का भुगतान किए जाने के अध्यधीन होगा, परंतु आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष को तीन बार से अधिक इस प्रकार का कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा।**
	यह उपबंध सरकारी सेवक और निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित	**126 (10) प्रत्यर्थी का नियोजक, जिसके पास प्रत्यर्थी लाभ के किसी पद पर सेवारत हो, उसके वेतन से कटौती करके उस राशि को**

वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित विधेयक
	समस्या का प्रभावी रूप में समाधान हो सकता है। यदि प्रत्यर्थी स्वरोजगार में लगा हो तो अधिनियम की धारा 125 और 126 के अनुसार प्रत्यर्थी की संपदा को जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय सरकार (या किसी भी निर्धारित अधिकारी) के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या वैध या अवैध संतान के भरण–पोषण हेतु अथवा उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या बच्चों या संतान को दी जाने वाली किसी भी राहत की लागत के संदर्भ में भुगतान किया जाएगा।	**दावेदार के सुपुर्द करेगा। की गई कटौती की राशि मासिक भत्ते के रूप में भुगतान के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार यथापेक्षित राशि होगी।**

संशोधित 326ख : जो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर ऐसे आशय या ऐसी परिस्थिति में तेजाब फेंकने या उसके ऊपर तेजाब का इस्तेमाल का प्रयास करता हो और उसके इस प्रयास या कृत्य से ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग को अस्थायी या आंशिक क्षति या विरूपण, अपरूपण या निशक्तता उत्पन्न होती हो या हो सकती हो तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक जिसे 10 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना जिसकी राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जाती है, जो ऐसे मामले में भी आरोपित की जा सकती है जिनमें पीड़िता के शरीर का कोई हिस्सा वास्तव में न जला हो या उसे कोई गंभीर चोट न पहुंची हो।

धारा 509 (ख) : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो (क) किसी महिला को या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान पहुंचाने की मंशा से या (ख) उस महिला या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर क्षति या नुकसान की आशंका या भय से उस महिला का चोरी–छिपे पीछा करता हो तो उसे अधिकतम 7 वर्षों की सजा या जुर्माना या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है।

अनुलग्नक–7क

महिला की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के संबंध में "जीवंत रहें – निगरानी एवं मूल्यांकन रिपोर्ट" से संबंधित चौथी रिपोर्ट की मुख्य–मुख्य बातें

- अधिकांश राज्यों ने जिला स्तर पर संरचना अधिकारियों को नियुक्त करना जारी रखा है।
- विभिन्न राज्यों में "शिकायत" की प्रकृति को समझने में कोई भी एकरूपता प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य से प्राप्त आंकड़ों से घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर) की संख्या अधिक और पंजीकृत शिकायतों की संख्या कम ज्ञात होती है जबकि अन्य राज्यों से इस संबंध में विपरीत स्थिति का पता चलता है।
- अधिकांश राज्यों में पुलिस के जरिए नोटिस तामील करने की प्रक्रिया जारी रही और यह जानकारी प्राप्त हुई कि संरक्षण अधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारी के भीतर व्यक्तिगत तौर पर नोटिस तामील कराते हैं, किंतु अधिकांश मामलों में पुलिस की सहायता उपलब्ध होती है। सभी राज्यों ने यह सूचित किया कि पुलिस आदेशों के प्रवर्तन में सहायता करती है।

विशेष प्रकोष्ठ : हरियाणा

वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा के गृह विभाग और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से हरियाणा के प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। नियुक्त किए गए 20 पीपीओ में से 10 पीपीओ योग्यताप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं जबकि अन्य 10 योग्यताप्राप्त वकील हैं। ये सभी पीपीओ महिलाएं हैं और इन्हें संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

पीपीओ की अवस्थिति हरियाणा में विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थापित महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रकोष्ठों में अवस्थित हैं। पीपीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा समन तामील कराने और आदेशों का निष्पादन कराने के लिए पुलिस का सहयोग लेते हैं।

विशेष प्रकोष्ठ : महाराष्ट्र

महराष्ट्र में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के विशेष प्रकोष्ठ को राज्य के 16 जिलों के लिए अतिरिक्त संरक्षण कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यहां नियुक्त हुआ व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाता है और संरक्षा अधिकारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक दोनों के रूप में कार्य करता है। चालू वर्ष में महाराष्ट्र में संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में और अधिक विकास देखा गया।

पब्लिक मॉडल : आंध्र प्रदेश

पब्लिक मॉडल महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यथापरिकल्पित बहु–एजेंसी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। इस मॉडल में पुलिस, संरक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसएलएसए एकसाथ मिलकर महिलाओं की घरेलू हिंसा सं

संरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करते हैं। जनता के मॉडल (पब्लिक मॉडल) का अनुसरण करने वाला आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य रहा। कुछ राज्यों जैसे कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने संरक्षा अधिकारियों के एक अलग संवर्ग की नियुक्ति की है जो सरकार के अंदर किसी अन्य प्रभार से स्वतंत्र हैं। जबकि अधिकांश राज्यों ने अतिरिक्त प्रभारयुक्त संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की है।

- राज्यों ने एमएफ और एसएच को अधिसूचित करना जारी रखा गया तथा केवल सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को अधिसूचित करने की प्रथा को एक बार फिर से ध्यान में लाया गया। जहां तक एमएफ का संबंध है, राज्य से यह सूचना लगातार मिलती रही कि केवल सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरियों को महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एमएफ के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा संबंधित राज्यों में सरकार की स्व–आधार स्कीम और अल्पनिवास गृह स्कीम के अंतर्गत संचालित गृहों को एसएच के रूप में अधिसूचित किया गया।
- अधिकांश राज्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं।

अनुलग्नक–8

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	दिल्ली		
1.	दॅ आउटरीच प्रोग्राम, मीडिया को–आर्डिनेटर, , जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली	सूक्ष्म ऋण और सरकारी स्कीम के माध्यम से घरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तीकरण पर कार्यशाला	30,000/– रु.
	मेघालय		
2.	ग्रासरूट, माउखर मेन रोड, शिलांग, मेघालय	रिभोई जिले के परंपरागत बुनकरों के संबंध में आजीविका परियोजना पर जागरूकता कार्यक्रम	40,000/– रु.
	मिजोरम		
3.	मिजोरम राज्य महिला आयोग, एजवाल, मिजोरम	मिजोरम के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	2.00 लाख रु. (प्रति शिविर 40,000/– रु. के हिसाब से 5 शिविरों का आयोजन)
	पुदुचेरी		
4.	पुदुचेरी महिला आयोग, 20, 100 फुट रोड, नतेश्न नगर, पुदुचेरी	पुदुचेरी के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	1,20,000/– रु. (4 शिविर)
	राजस्थान		
5.	डीप विद्या मंदि समिति, गायत्री नगर, दौसा, राजस्थान	महिला अधिकार जागरूकता के संबंध में सेमिनार	30,000/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
6.	सद्भावना समन्वय संस्थान, 116/112/1, मोती लाल बोस रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश	महिलाओं के साथ अत्याचार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम	90,000/– रु. (3 शिविर)
7.	ग्रामोदय जन जागृति समिति, बीबीपुर, जनसठ रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	देश में मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर सेमिनार	30,000/– रु.
8.	गीता महिला समिति, 47, विद्या नगर, सेक्टर 3, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	महिला अधिकारों पर सेमिनार आयोजित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव	30,000/– रु.
	पश्चिम बंगाल		
9.	ऐकातन संघ, गांव और डाकघर दारा, थाना जयनगर, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार पर जागरूकता कार्यक्रम	60,000/– रु. (2 शिविर)

अनुलग्नक–9

उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य स्तर/क्षेत्र स्तर/राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा है

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	आंध्र प्रदेश		
1.	स्ट्डी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया (अग्रसरी), 2–3–375/डी, वेंकटरमण लेआउट, एलआईसी ऑफिस के निकट, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षणः समकालीन भारत में समावेशी विकास हेतु एक पहल	30,000/– रु.
2.	नोबल सोसाइटी एंड एजूकेशनल सोसाइटी, अखिल अपार्टमेंट्स, नेहरू नगर, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	गर्भधारर्ण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में क्षेत्रीय सेमिनार	2,00,000/– रु.
	असम		
3.	सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, असम	मानवाधिकार और महिलाओं पर राज्य स्तरीय सेमिनारः पूर्वोत्तर के संदर्भ में	1,00,000/– रु.
	बिहार		
4.	सुरुचि कला केंद्र, गौरी नगर (आईआईटी के निकट), गुणवान, नवादा (बिहार)	नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और स्व–सहायता समूहों की दशा पर एक–दिवसीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
5.	भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान, पूनम सिनेमा रोड, मिर्जापुर, दभंगा (बिहार)	महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सेमिनार का आयोजन	1,00,000/– रु.
6.	अंबपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (बिहार)	पटना में राजनीति में महिलाओं की भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	1,00,000/– रु.
	दिल्ली		
7.	सर्व संपूर्ण, मकान सं.848, गली सं.6, बी ब्लॉक, बाबा कालोनी, बुराड़ी, दिल्ली	"महिलाओं के साथ अत्याचार निवारण – बलात्कार एवं कानून" विषय पर सेमिनार का आयोजन	1,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
8.	जय माता महिला उत्थान समिति, फ्लैट नं.38, सराय सोहल, पालम, नई दिल्ली	महिलाओं के साथ अपराध, उन्हें तंग करने और यौन उत्पीड़न विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
9.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45डी, हसनपुर, मुख्य रोड, आईपी स्टेशन, दिल्ली	घटते हुए लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारण) विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
10.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45डी, हसनपुर, मुख्य रोड, आईपी स्टेशन, दिल्ली	बाल विवाह और इसके प्रभाव पर राष्ट्र स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
11.	भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, 45डी, हसनपुर, मुख्य रोड, आईपी स्टेशन, दिल्ली	यौन उत्पीड़न, दहेज और बालिका भ्रूणहत्या के संबंध में सरकार की नीतियों और मापन विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
12.	मैत्री, जे–92, अनंतराम डेरी कंप्लेक्स, सेक्टर 13, आरके पुरम, नई दिल्ली	वृंदावन की विधवाओं की देखरेख और उन्हें सहायता उपलब्ध कराने विषय पर राष्ट्र स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
13.	डॉ. आजरा अबिदी, मानद सचिव, मुस्लिम वूमेन फोरम, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मुस्लिम महिलाओं और समाज में उनके योगदान विषय पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	3,00,000/– रु.
14.	गिलड फॉर सर्विस, 25, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–16	वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
15.	न्यू मिलेनियम इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली	प्रवासी और दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं की समस्याओं और उनके समाधान विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
16.	लिविंग वाटर फॉर डाइंग सोर्स इन इंडिया, क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारका पुरी, नई दिल्ली	नई दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में बालिका भ्रूणहत्या विषय पर सेमिनार	45,500/– रु.
17.	अखिल मानव सेवा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली	बालिका शिशु को महत्त्व प्रदान करने, लिंग चयनात्मक गर्भपात – विषय पर एक कार्यशाला	46,500/– रु.
18.	मानव जागृति समिति, यमुना विहार, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घटते हुए लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारण) विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
19.	एसबीएस फाउंडेशन, नई दिल्ली	अनिवासी भारतीयों से विवाह के कारण महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षण विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
20.	ह्युमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईपी एक्सटेंशन, नई दिल्ली	महिलाओं के साथ अपराधः छेड़छाड़, उन्हें तंग करना, यौन दुराचार और कानून विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	हरियाणा		
21.	सोसाइटी फॉर अवेयरनेस वेलफेयर, एजूकेशन एंड रूरल एडवांसमेंट (सवेरा), झींवरों वाली गली, वार्ड सं.8, सफीदों शहर, जिला जींद (हरियाणा)	ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और निःशक्तता विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
22.	अभिनव शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास समिति, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस शामलो कलां, जिला जींद (हरियाणा)	सिरसा में उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं में जागरूकता और परामर्श विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
23.	ग्रामीण विकास मंच, ग्राम एवं पोस्ट गोली, दॅ असंध करनाल (हरियाणा)	एचआईवी/एड्स से निवारण विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
24.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, निकट राधा स्वामी सत्संग भवन (दिनोद), रोहतक (हरियाणा)	भिवानी, हरियाणा में ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों की भूमिका विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
25.	ग्रामीण महिला विकास, झज्जर (हरियाणा)	एचआईवी/एड्स से जागरूकता और निवारण विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	हिमाचल प्रदेश		
26.	वामित एजूकेशनल ट्रस्ट, शिमला, हिमाचल प्रदेश	पंचायती राज संस्थाओं, स्व–सहायता समूहों और सूक्ष्म ऋण स्कीमों में महिलाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
	जम्मू		
27.	पूजा वेल्फेयर सोसाइटी, शास्त्री नगर, जम्मू	भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर रोक लगाने में मीडिया की भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	झारखंड		
28.	स्पीस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, कुमरम, बसीत, जमशेदपुर, झारखंड	जिला जमशेदपुर, झारखंड में वन भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार (एमएफपी, सीपीआर) पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	मध्य प्रदेश		
29.	परिक्रमा महिला समिति, जेपी नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	जनजातीय महिलाएं और राजनीतिक भागीदारी विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	महाराष्ट्र		
30.	श्रीमती सेलिना डी सिल्वा महिला विकास मंडल, चदगे महाराज कालोनी, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून विषय पर एक–दिवसीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
31.	आरके एचआईवी/एड्स निसर्च एंड केयर सेंटर, 7ए/जी6, जुहू संगीता अपार्टमेंट, जुहू तारा रोड, सांता क्रुज (पश्चिम), मुंबई–400049	बाल विवाह पर राष्ट्रीय सेमिनार	3,00,000/– रु.
32.	श्री रोकदेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड, वाघला, महाराष्ट्र	बाल विवाह निषेध विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
33.	जीजामाता बहु–उद्देश्यीय महिला मंडल, सावरी, लातूर, महाराष्ट्र	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
34.	पंकज बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्था, आमगांव, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	भंडारा, जिला महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस अधिकारियों को परामर्श विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	मणिपुर		
35.	वूमेंस वॉलनटरी आर्गेनाइजेशन, ताउबाई छतरी लेइकाई, डाकघर और थाना ताउबाई (मणिपुर)	मणिपुर में महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा और संबंधित समस्याओं पर कार्यशाला	1,00,000/– रु.
36.	कम्युनिटी एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, इम्फाल, मणिपुर	महिलाओं के साथ अपराध विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
	मेघालय		
37.	वयस्क एवं सतत शिक्षा विभाग, पूर्वोत्तर पवर्ततीय विश्वविद्यालय, मैकोनरो – उमसिंह, शिलांग, मेघालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	उड़ीसा		
38.	हेल्प आर्गेनाइजेशन, ग्राम/पोस्ट – डाला, जाजपुर रोड, जिला जाजपुर (उड़ीसा)	उद्योग में काम कर रही महिलाओं से संबंधित नीति और भावी कार्यक्रम विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम	1,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
39.	साधना, अच्युतपुर, पोस्ट गढ़रूपस, वाया – गोप, जिला पुरी (उड़ीसा)	महिलाओं के साथ अपराध और उन्हें तंग करने, छेड़छाड़ और यौन दुराचार विषयक कानून के संबंध में राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
40.	मास इनवॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग एंड वेल्फेयर एक्शन, मार्फ़्त एम्फेसिस कंप्यूटर एजूकेशन, प्रवत लेन, दत्ता टोला, पुरी (उड़ीसा)	उड़ीसा में महिलाओं और बालिकाओं के दुर्व्यापार पर राज्य स्तरीय सम्मेलन	1,00,000/– रु.
41.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन सोशियो–इकोनमिक एक्टिविटी, जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा)	सुंदरगढ़, जिला उड़ीसा में जनजातीय महिला कृषकों के उत्पीड़न विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
42.	पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, बोलंगीर (उड़ीसा)	जिला बोलंगीर, उड़ीसा में राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
43.	नेताजी मेमोरियल क्लब, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा में कृषि कार्य में लगी महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	33,000/– रु.
44.	प्रिया, कानन विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	जिला मुख्यालय, रायगढ़ जिला, उड़ीसा में उड़ीसा के जनजातीय जिले में वन भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	पुदुचेरी		
45.	पुदुचेरी राज्य महिला आयोग	पुदुचेरी में विभिन्न सरकारी विभागों के कल्याण अधिकारियों हेतु कार्यशाला	1,00,000/– रु.
	राजस्थान		
46.	आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण समिति, 99, तिलक नगर, कोटा (राजस्थान)	चुरु में पंचायतों में महिलाओं की प्रभावी भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
47.	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, ऐयरोड्रम सर्किल नंबर 2, कोटा, राजस्थान	'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से निवारण विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
48.	विज्ञान समिति, उदयपुर, राजस्थान	स्वतंत्र भारत में जनजातीय महिलाओं की प्रगति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार	2,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
49.	पूंजा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, फर्शपुरा (सीकरी), दौसा, राजस्थान	महिलाओं के साथ हिंसा का निवारण विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
50.	नवराजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चौरडिया के पीछे, सांगनेर, जयपुर, राजस्थान	जोधपुर में पंचायतों में महिलाओं की प्रभावी भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
51.	सर्वोदय समग्र विकास एवं संचार संस्थान, काली कल्याण धाम, उदासी महाराज की छतरी, राजतला, राजस्थान	जिला बांसवाड़ा में लिंग चयन/ भ्रूण का लिंग निर्धारण से संबंधित समस्याओं पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
52.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान	अजमेर, राजस्थान में महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए नीतियों और स्कीमों की समीक्षा विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
53.	दॅ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बाल विहाह और महिला संरक्षण अधिनियम विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	1,00,000/– रु.
54.	शिवचरण माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट, झालना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान	चुनी हुई महिला सरपंचों की लैंगिक समानता और विकास विषय पर कार्यशाला	1,00,000/– रु.
	तमिलनाडु		
55.	एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 2/77, माधा कोइल स्ट्रीट, गांव शेंगाडु, पोस्ट वाल्वानूर, विलुपरम, तमिलनाडु	वैश्वीकरण तथा महिला वेंडरों/ व्यापारियों पर इसके प्रभाव विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव	1,00,000/– रु.
	त्रिपुरा		
56.	समाज कल्याण और समाज शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार के सहयोग से	घरेलू हिंसा विषय पर 'घर बचाओ परिवार बचाओ' कार्यक्रम के बैनर तले त्रिपुरा में सम्मेलन	2,50,000/– रु.
57.	अखंड, अगरतला, त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा जिले के अगरतला जिले में महिलाओं के साथ छेड़छोड़ और छेड़छाड़ के विरुद्ध कानून विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
58.	आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, शर्मा कंप्लेक्स, 5/81, मादिया कटरा, आगरा (उत्तर प्रदेश)	भारत के उत्तरी भाग में महिलाओं और बालिकाओं के दुर्व्यापार विषय पर आगरा में 16 और 17 सितंबर, 2011 को क्षेत्रीय कार्यशाला	2,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
59.	शैल हस्तकला विकास समिति, एस/272, मोहल्ला– सरावली, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और अत्याचार विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
60.	रेखा सेवा संस्थान, गांव– पुरेनथ्थन शुक्ला, पोस्ट अमेठी सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	दहेज विरोधी कानून के संदर्भ में दहेज विरोध के संबंध में अभियान पर एक–दिवसीय कार्यशाला	1,00,000/– रु.
61.	सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान, रथ, हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी स्थिति विषय पर कार्यशाला	1,00,000/– रु.
62.	प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, पुरे बेदुवा, अफीम की कोठी, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	महिलाओं के साथ हिंसा तथा भेदभाव निवारण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशाला	1,00,000/– रु.
63.	हैंडीकेप्ड वेल्फेयर सोसाइटी, 89, बंजारन (पंचमुखी), जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	निःशक्ततायुक्त महिलाओं को प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों के संबंध में कार्यशाला	1,00,000/– रु.
64.	सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, 5–4, बेसमेंट, विकास दीप बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश में बाल विवाह और इसके प्रभाव विषय पर कार्यशाला	1,00,000/– रु.
65.	कनफडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ रूरल इंडिया, सी–1255, इंदिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	कानूनी अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं की सामाजिक न्याय तक पहुंच तथा गैर–सरकारी संगठनों/ पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेमिनार	3,55,850/– रु.
66.	श्रीगणेश प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, 330/148, आदर्श विहार कालोनी, कल्याणपुर (पश्चिम), जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
67.	अंजिल सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, 456, गांव डकौली, पोस्ट स्वामीनगर, भारतीय स्टेट बैंक के निकट, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
68.	नैशनल चैरिटेबल वेल्फेयर सोसाइटी, 198, पलटन बाजार, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	महिलाओं के साथ हिंसा विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
69.	संतराम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	महिला अधिकारों पर सेमिनार	1,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
70.	चौधरी चरणसिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस (उत्तर प्रदेश)	घरेलू हिंसा अधिनियम – ग्राम मंडल में महिलाओं का संरक्षण विषय पर सेमिनार	1,00,000/– रु.
71.	महिला जागृति समिति, गोराबारिक, सेनानी विहार, आम हाट, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	बालिका भ्रूणहत्या के विरुद्ध अभियान पर राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
72.	श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	घटते लिंग अनुपात, बालिका भ्रूणहत्या विषय पर इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में सेमिनार	1,00,000/– रु.
73.	महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	महाशक्ति महिला सम्मेलन के दौरान महिला अधिकार सशक्तीकरण और विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
74.	पब्लिक वेल्फेयर सोसाइटी, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण विषय पर जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
75.	श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	घटते लिंग अनुपात – बालिका भ्रूणहत्या विषय पर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय सेमिनार	1,00,000/– रु.
76.	समाज सेवा समिति, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)	घटते लिंग अनुपात, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह और इसके दुष्परिणाम, हस्तशिल्प में लगी महिलाओं की दशा, हैंडलूम/बुनाई क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार	2,00,000/– रु.

अनुलग्नक–10

उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	आंध्र प्रदेश		
1.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 302, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर के निकट, नेहरू नगर, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश में किशोर शक्ति योजना नामक स्कीम के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन	2,08,950/– रु.
2.	मदर्स लैप चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन, 30–118, कोठापालन, सोमालिंगापालन (पोस्ट), ऐलामानचिली (एमडी), जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	सामाजिक परिवर्तन पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन	3,38,100/– रु.
	असम		
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम	पूर्वोत्तर भारत में सशस्त्र संघर्ष के संबंध में महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, महिलाओं के दुर्व्यापार की स्थिति को समझने से संबंधित अनुसंधान अध्ययन	3,00,300/– रु.
4.	महिला अध्ययन केंद्र, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, असम	प्राकृतिक और विकास प्रेरित विस्थापन के विशेष संदर्भ में महिलाओं पर विस्थापन के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : असम के डिब्रूगढ़ जिले में किया गया अध्ययन	2,35,200/– रु.
	दिल्ली		
5.	डॉ. ऊषा टंडन, सह–प्राध्यापक, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	उत्तरी भारत में सम्मान के नाम पर हत्या (ऑनर किलिंग) के सामाजिक–कानूनी पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन : खाप पंचायतों और सगोत्रीय विवाह के विशेष संदर्भ में एक अनुभवाश्रित अध्ययन	3,00,300/– रु.
6.	गंगा सोशल फाउंडेशन, जी–636, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	दिल्ली में क्रियान्वित स्टेप कार्यक्रम के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	1,90,050/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
7.	श्री भैरवी सोशल फाउंडेशन, ए–381, सरस्वती मार्ग, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली–92	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में किशोरी शक्ति कार्यक्रम के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	1,90,050/– रु.
8.	मातृभूमि फाउंडेशन, 49–जी, पॉकेट बी–5, मयूर विहार, फेस–III, दिल्ली	कामकाजी महिलाओं को बीपीओ/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवेश विषय पर अध्ययन	3,43,000/– रु.
9.	इंडियन सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटिड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एस–1, द्वितीय तल, बी–74/75, विश्वकर्मा कालोनी, बदरपुर, नई दिल्ली	ऑनर किलिंग के मनोविज्ञानः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में ऑनर किलिंग की प्रथा को स्वीकृति प्रदान करने वाले और स्वीकृति प्रदान न करने वाले समुदायों का एक तुलनात्मक अध्ययन कार्यक्रम	3,20,250/– रु.
10.	सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेलसन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली	कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में महिला कैदियों की स्थिति के परिस्थितिजन्य विश्लेषण विषय पर अनुसंधान अध्ययन	4,49,400/– रु.
11.	एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली	राजस्थान में हस्तशिल्प क्षेत्र और विशेषकर कढ़ाई, वस्त्रनिर्माण, छपाई–रंगाई क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की स्थिति और कार्य की दशाओं पर अनुसंधान अध्ययन	2,29,950/– रु.
12.	एसोसिएन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नई दिल्ली	भारतीय कृषकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति : विपत्ति, अकिंचन, वैधव्य की एक रूपरेखा तथा ग्रामीण महिलाओं पर सरकारी राहत पुनर्वास पैकेजों का प्रभाव विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,37,300/– रु.
	हरियाणा		
13.	दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, रोहतक, हरियाणा	हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में पंचायतों में कार्य करी रही महिलाओं पर अनुसंधान अध्ययन	1,98,450/– रु.
	हिमाचल प्रदेश		
14.	दॅ कजंस, हिम स्टार व्यू, जवाहर कालोनी, भट्टा कुफर, संजौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में विवाहित महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा विषय पर अध्ययन	2,91,900/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	केरल		
15.	सेंटर फॉर वूमेंस स्ट्डीज डेवलपमेंट, दॅ रिसर्च इंस्टिट्यूट, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, कला मासेरी, कोच्चि (केरल)	केरल में महिला कैदियों के संबंध में अध्ययन	2,40,200/– रु.
	मेघालय		
16.	मेघालय राज्य आयोग, लोअर लाचुमेर, शिलांग, मेघालय	महिलाओं के साथ अपराध विषय पर अनुसंधान अध्ययन	3,05,550/– रु.
	राजस्थान		
17.	शिवचारण माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट, जयपुर, राजस्थान	राजस्थान में महिला कृषकों की भूमिका और उनकी स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	2,57,250/– रु.
	तमिलनाडु		
17.	यूनाइटेड ट्रस्ट, 110, गांधीईलम, महात्मा गांधी स्ट्रीट, पीटीआर नगर, उथमपलायम, थेणी (तमिलनाडु)	महिलाओं के साथ हिंसा विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,40,200/– रु.
19.	धनवंतरी मेंटली रिटार्डेड एंड ड्रग एडिक्टर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, 1217, कुंबम रोड, थेणी (तमिलनाडु)	महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था तक पहुंच तथा हाथ से मैला उठाने का दलित महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,43,600/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
20.	लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	झारखंड और मध्य प्रदेश में महिला विभाग द्वारा गठित स्व–सहायता समूहों के माध्यम से जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,33,000/– रु.

अनुलग्नक–11

उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	आंध्र प्रदेश		
1.	हेल्थ एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
2.	सैवेज (सोसाइटी ऑन एक्शन, विलेज एजूकेशन गाइडिंग एनवायरनमेंट), प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
3.	सोसाइटी फॉर वूमेन इंटेग्रेटिड डेवलपमेंट, डी नंबर–1–43, कोटा स्ट्रीट, गंगावरम, वेलुकूपा (एमडीएलएम), जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता अभियान	30,000/– रु.
4.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 302, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर के निकट, नेहरू नगर, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	90,000/– रु.
5.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 302, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर के निकट, नेहरू नगर, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	60,000/– रु.
	अरुणाचल प्रदेश		
6.	चोट्टम वेल्फेयर सोसाइटी, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
7.	हयाग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्रीयल एंड एजूकेशन ट्रस्ट, सेपा, अरुणाचल प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
8.	सुबांसिरी ट्राइबल वेल्फेयर सोसाइटी, राधपु, सुबांसिरी, अरुणाचल प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
9.	अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	4,00,000/– रु.
	असम		
10.	एनआईएमएस एजूकेशन एंड सोशल एसोसिएशन (नेसा), कर्बी अंगलोंग, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
11	कुंवर चेतिया संधानी महिला समिति, झांजी, हंजारा, जोरहाट, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
12.	नॉर्थ–ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, आर्यभट्ट पथ, पंजाबारी, गुवाहाटी–37, जिला कामरूप, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
13.	असम राज्य महिला आयोग, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	1,20,000/– रु.
14.	ज्योतिमय फाउंडेशन, रुक्मिनी गांव, मकान सं. 401, पोस्ट खानापारा, जिला कामरूप, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
15.	फॉर वेल्फेयर टू ऑल 'हेपाह', बिहामपुर, पोस्ट मुलारकोची, जिला नलबाड़ी, असम–781303	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
16.	प्रोगेसिव डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सुहा, पोस्ट भोगेरपाल, बारपेटा, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
17.	नॉर्थ ईस्ट पीपल्स राइट, चाहिनी हाबी गांव, पोस्ट तिमोन, जिला शिवसागर, असम–785691	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
18.	इतेहाद सोशल कल्चरल आर्गेनाइजेशन, नगरिया पट्टी, पोस्ट हाइबर गांव, जिला नगांव, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
19.	लाइट ऑफ विलेज एनर्जी एचओ ज्योति कुचि, रामनगर, गुवाहाटी–34, असम	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
	बिहार		
20.	नवांचल, नालंदा, बिहार	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
21.	मानस ग्रामीण उत्थान समिति, ग्राम व पोस्ट – सोरी, थाना माली, ब्लॉक नबी नगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
22.	महिला उद्योग केंद्र, परमेश्वर भवन, मिर्जापुर, लाइनपार, नवादा, बिहार	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
23.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट जनकपुर रोड, पुपरी, जिला सीतामढ़ी, बिहार	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
24.	ग्रामोद्योग आश्रम देवी स्थान, गया रोड, नवादा, बिहार	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
25.	ज्ञान सागर, छोटा बड़ियारपुर, हवाई अड्डा, निकट चित्रकूट मंदिर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार–84540	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
	छत्तीसगढ़		
26.	मां बिंदेश्वरी शिक्षा समिति, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
27.	जनजाति विकास समिति, 102, सोनू ट्रैवल्स के पास, जबल गली, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
28.	निर्मल सहयोगी समाज सेवी संस्थान, बिलासपुर, निकट रेलवे क्रॉसिंग, लाल खदान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
	दिल्ली		
29.	अखिल प्रोग्रेसि एंड कल्चर सोसाइटी, जीएच–1/80, टॉप फ्लोर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
30.	सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट, 188, हरिनगर आश्रम, नई दिल्ली–110014	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
31.	जैदी सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, ई–85, अबुल फजल इन्कलेव, ओखला विहार, नई दिल्ली–110025	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
32.	बेसिक फाउंडेशन, मकान सं.418, गली सं.4, ब्लॉक एफ–1, सुंदरनगरी, दिल्ली	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
33.	गंगा सोशल फाउंडेशन, जी–636, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली–65	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
34.	नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन, मुख्य कार्यालयः मकान सं.56, हस्तसाल गांव, नई दिल्ली–59	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
35.	क्रॉफ्ट्स एंड सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 3484/1, नारंग कालोनी, त्रिनगर, दिल्ली–110035	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
36.	भगवान देवी एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन, 657/1, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली–110062	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
37.	दिल्ली कॉलजे डिस्टेंस लर्निंग एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, एफ–10–11–12, भगवती गार्डन एक्सटेंशन, सिद्धात्री इन्कलेव, नई दिल्ली–59	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
38.	दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, तिरुपति प्लाजा, यूजी–4, ए–212सी, गली नं.1, विकास मार्ग, शकूरपुर, दिल्ली–110092	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
39.	पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, प्लाट सं.5, गांव नवादा, कालोनी ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
40.	कलपतरु समाज कल्याण संघ, आरजैड 282–ए, गली नं.11, गोपालनगरम, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
	गुजरात		
41.	श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट, भावनगर, गुजरात	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	2,10,000/– रु.
	हरियाणा		
42.	विश्वकर्मा एजूकेशनल सोसाइटी, गली नं.1, जीवन नगर, सोनीपत, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
43.	शहीद भगतसिंह युवा संगठन, गांव और पोस्ट रामकली, जिला जींद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
44.	युवा संघर्ष समिति, ग्राम एवं पोस्ट रामकली, जिला जींद, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
45.	सर्व विद्या शिक्षा समिति, मार्फ़त सर्व विद्या पब्लिक स्कूल, जींद बाईपास के निकट, रेलवे ब्रिज, शिव कालोनी, रोहतक–124001 (हरियाणा)	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
46.	सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज, पावर हाऊस के नजदीक, चौधनी, वीपीओ नांगल चौधरी, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
47.	सर छोटू राम युवा क्लब, गांव एवं पोस्ट बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
48.	एनवायरनमेंट एंड ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी, मकान सं.94, प्रथम तल, वार्ड 22, लक्ष्मी नगर, रोहतक	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
49.	ऑल इंडिया कॉमनवेल्थ आर्गेनाइजेशन, 94/22, लक्ष्मीनगर, सोनीपत रोड, रोहतक	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
50.	ग्राम सुधार समिति, ग्राम एवं पोस्ट बधाना, जिला जींद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
51.	ग्रामीण युवा विकास मंडल, ग्राम एवं पोस्ट गुलकनी, ब्लॉक जींद, हरियाणा	महिलाओं हेतु दो–दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
52.	शिव जन जागृति शिक्षा समिति, मकान सं. 1809/31, शिवनगर, भिवानी रोड, रोहतक, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
53.	युवा स्पोर्ट्स समिति, पावर हाऊस के निकट, चौधानी, जुलाना, तहसील जींद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
54.	जीवन ज्योति समिति, बरनाला रोड, जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
55.	दॅ एसोसिएशन फॉर रूरल पीपल्स डेवलपमेंट, मार्फ्त ब्रह्माकुमार, मकान सं.232/9, शीला बाईपास चौक, जसवीर कालोनी, रोहतक, हरियाणा–12400	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
56.	हरियाणा ग्राम सुधार एवं सांस्कृतिक क्लब, दहलीजपाना, ग्राम एवं पोस्ट सुनरिया कलां, जिला रोहतक, हरियाणा–12401	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
57.	जन सेवा समिति, वार्ड–3, शिवा मार्किट, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा–124112	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
58.	अमन ग्राम उद्योग समिति (रजि.), मकान सं. 1095, एनएचबी कालोनी, करनाल	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
59.	हंस एजूकेशन सोसाइटी, शिवनगर, भिवानी रोड, निकट शिवालिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, रोहतक–124001	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
60.	ग्राम सुधार समिति, ग्राम एवं पोस्ट खानपुर ब्राहम्ण, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
61.	सेवाहर, ग्राम एवं पोस्ट लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाल, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
62.	ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट फरमाना खास, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
63.	ग्रामीण युवा विकास मंडल, ग्राम एवं पोस्ट भूंड कलां, ब्लॉक–चरखी दादरी–1, जिला भिवानी, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
64.	गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, 1219/5, पीर कालोनी, जींद रोड, रोहतक, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
65.	नालांदा एजूकेशन सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट – शाह चौखा, ब्लॉक पुनहाना, जिला मेवात, हरियाणा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
	हिमाचल प्रदेश		
66.	उदय भारती सीता निवास, ग्राम कठियारा, पोस्ट गूगा सालोहा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
67.	जनजातीय शिक्षा एवं उत्थान समिति, ग्राम गंगोटा, पोस्ट खनियारा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
68.	सोशल एजूकेशन एंड वूमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी, ग्राम – टीलू, पोस्ट खनियारा, ब्लॉक धामशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
	झारखंड		
69.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संघ, सिंहभूम, झारखंड	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
	जम्मू एवं कश्मीर		
70.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला आयोग, जम्मू एवं कश्मीर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	4,00,000/– रु.
	कर्नाटक		
71.	सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, बिदर–585401, कर्नाटक	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
72.	श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल (पंजी.), विद्या नगर, पोस्ट कादिरुदयवाड़ा, वेलथानगाडी तालुक, कर्नाटक	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
	मध्य प्रदेश		
73.	शिव एजूकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी, होसंगाबाद, मध्य प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
74.	ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
75.	ग्राम सेवा ट्रस्ट, बालाघाट, मध्य प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
76.	ब्रिलिएंट स्टार एजूकेशन सोसाइटी, 1203, आनंद नगर, सागर ताल रोड, भादापुर डाकघर, शबद प्रताप आश्रम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
77.	मानव सेवा संस्थान, ग्राम सिसुवा, पोस्ट लाल गांव, जिला रीवा–468001	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
78.	ब्रिलिएंट स्टार एजूकेशन सोसाइटी, 1203, आनंद नगर, सागर ताल रोड, भादापुर डाकघर, शबद प्रताप आश्रम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	महाराष्ट्र		
79.	गुरूभक्ति शैक्षणिक एवं सेवाभक्ति संस्था, परभनी, महाराष्ट्र	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
80.	श्री राजे शिव छत्रपति शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
81.	महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडलपूर्णा, जिला परभनी, महाराष्ट्र	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
82.	श्री लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशन सोसाइटी, डी नंबर 8/883, जयनगर कालोनी, कल्याण रोड–515761, महाराष्ट्र	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
83.	भारतीय ध्यानवर्द्धिनी लोकविकास संस्था, लातूर, महाराष्ट्र	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
	मणिपुर		
84.	मणिपुर राज्य महिला आयोग, इम्फाल, मणिपुर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	3,60,000/– रु.
85.	मणिपुर राज्य महिला आयोग	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
86.	सैल्फ इंम्पलायड ट्राइबल एंड बैक्वर्ड वूमेंस एसोसिएशन (सीटा), पोरोमपाट, पीडीए कंम्पलेक्स, इम्फाल, मणिपरु	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	40,000/– रु.
87.	रेडको फाउंडेशन (फाउंडेशन फॉर इकोनमिक डेवलपमेंट को–आप्रेशन), इरमसिफल, ए विंग, ग्राम एवं पोस्ट लेइकई, इरमसिफई–759008, पश्चिम पश्चिमी जिला, मणिपुर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
	मेघालय		
88.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	2,00,000/– रु.
89.	अमातसरा, किराव, लोअर जेल रोड, शिलांग–793001, मेघालय	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	2,00,000/– रु.
	नागालैंड		
90.	नागालैंड राज्य महिला आयोग, कोहिमा, नागालैंड	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	3,20,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	उड़ीसा		
91.	मदरली एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस (मास), पुरी, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
92.	सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज एंड फॉर दॅ लेडीज, 4711, लक्ष्मी विहार, पोस्ट सैनिक स्कूल, नंदन कानन रोड, भुवनेश्वर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
93.	महेंद्र एजूकेशन एंड चाइल्ड आर्गेनाइजेशन (एमईसीओ), क्वार्टर सं. एलआईजी 219, बारामुंडा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भुवनेश्वर, खुरदा, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
94.	हेल्प आर्गेनाइजेशन, ग्राम एवं पोस्ट डाला, वाया जाजपुर रोड, जिला जाजपुर, उड़ीसा–755408	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
95.	प्रिया, मकान सं.41, कानन विहार फेस–II, भुवनेश्वर, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
96.	आदर्श, जागदा, एमई स्कूल लेन, मकान सं.. सी/198, राउरकेला–7690042, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
97.	स्वीट हर्ट, ग्राम एवं पोस्ट बालीपटना, खुरदा, पिन–752102, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
98.	सुलोचना एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम एवं पोस्ट पाटिया, भुवनेश्वर, थाना – चंद्रशेखरपुर, जिला खुरदा, उड़ीसा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
	राजस्थान		
99.	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
100.	वसुधा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
101.	चेतना बाल शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
102.	मदालसा सेवा संस्थान, 3/155, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, उदयपुर, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
103.	संकल्प संस्था, अकोला, चित्तोड़गढ़, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
104.	स्वास्तिक ज्ञान सेवा संस्थान, 11, गौतम गली, गुंडिया भीरू सुथारवाड़ा, उदयपुर–313001	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
105.	राजस्थान जन सेवा संस्थान, 272, संगम कंप्लेक्स के सामने, अजमेर रोड, जयपुर, जिला जयपुर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
106.	आदर्श ग्रामीण शिक्षा समिति, गांव बरोदा वाया सैफल, तहसील और जिला दौसा, राजस्थान–303507	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
107.	जागृति सेवा संस्थान, 25, पर्वतीय गार्डन के पीछे, मधुबन, सेंती, चित्तौड़गढ (राजस्थान)–322002	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
108.	रुचि ग्रामीण विकास संस्थान, 107, कृष्ण विहार, सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर–302003	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
109.	चित्तौड़गढ जिला ग्रामीण उपभोक्ता सेवा संस्थान, जादना, तहसील – रस्मि, चित्तौड़गढ, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
110.	ह्युमन डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल सोसाइटी, ई–200, मार्ग सं.एफ, एमआईए, उदयपुर, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
111.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, 170/20, अग्रवाल फार्म, जयपुर, राजस्थान	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
	तमिलनाडु		
112.	मक्काल वलार्ची संगम, तिरुवन्नामलई, तमिनलाडु	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
113.	पेविसो, 104/1, राजाराम नगर, सलेम–636007, तमिलनाडु	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
	त्रिपुरा		
114.	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग, अगरतला, त्रिपुरा	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	1,60,000/– रु.
115.	शांति काली मिशन, पोस्ट वीरेंद्र नगर, जिरानिया, पश्चिमी त्रिपुरा–799405	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	80,000/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
116.	सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	1,20,000/– रु.
117.	अभ्युदय सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
118.	संकल्प सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
119.	ग्रामीण औद्योगिक विकास समिति, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
120.	आइडियल रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
121.	महिला उत्थान समिति, बसैय्या उर्फ कप्तानगंज, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
122.	सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन, मोहल्ला काज़ी, पुलिस चौकी के सामने, पोस्ट सहस्वान, जिला बदायुं, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
123.	निधि आदर्श शिक्षा सेवा समिति, मकान सं. 3–ए, मोहदीपुर, गोरखपुर	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.
124.	राज्य जन कल्याण समिति, कासदी टोला–मुगलपुरा, प्रथम, मुरादाबाद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
125.	शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, मेन रोड, बस स्टैंड, मुरादनगर, गाजियाबाद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
126.	नैशनल चैरिटेबल वेल्फेयर सोसाइटी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
127.	बाल निकेतन शिक्षा समिति, 615/472, गायत्री नगर, नौवस्त खुर्द, मादियाओ थाना के निकट, लखनऊ–226021	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
128.	पूजा जन सेवा समिति, जे–13/93–1–1, कॉटन मिल कालोनी, चौका घाट, वाराणसी	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
129.	धर्मचक्र विहार मूल बौद्ध शोध संस्थान, 15/134, मावैय्या, सारनाथ, वाराणसी	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
130.	आइडियल रूरल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
131.	मां द्रोपदी जन सेवा समिति, खेदोपुर कोइराना, एसआरएन भदोही, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
132.	समुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान, सुमित्रा कॉटेज, रथ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	60,000/– रु.
133.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, बीएल–93, दीनदयाल नगर, मुरादाबाद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
134.	कामिनी महिला सेवा संस्था, 65, आजाद रोड, भरतना, इटावा, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
135.	आदर्श ग्रामोद्योग महिला एवं बाल विकास शिक्षा संस्थान, ओरई, जालोन, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	60,000/– रु.
136.	बजरंग ग्रामोद्योग संस्थान, गौतम नगर, सदाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
137.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, बीएल–93, दीनदयाल नगर, मुरादाबाद	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम	30,000/– रु.
	उत्तराखंड		
138.	हिमालय ग्रामोद्योग विकास संस्थान, पिथोरागढ़, उत्तराखंड	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
139.	सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, मिशन कंपाउंड, चूरपारा, गोविंद नगर, कोटद्वार, जिला पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड	महिलाओं हेतु दो–दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
	पश्चिम बंगाल		
140.	ईस्ट मगराहाट अकातियबल, गांव मगराहाट, कदमतला, डाकघर एवं थाना मगराहाट, जिला दक्षिणी चौबीस परगना–743355	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	90,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
141.	ऑनवर्ड 15,बी, रखालदास ऑडी रोड, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700027	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
142.	नबीन संघ, ग्राम एवं पोस्ट – बनेश्वर पुर, थाना – उष्ठी, जिला चौबीस परगना–743375, पश्चिम बंगाल	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.
143.	नूरपुर सुबर्ण प्रभात समिति, गांव शिमला, डाकघर माथुर, थाना डायमंड हार्बर, जिला दक्षिण, चौबीस परगना–743368, पश्चिम बंगाल	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	30,000/– रु.
144.	सोनारपुर–मथुरापुर परिवेश संरक्षण संस्था, 358, आरडी पल्ली, डाकघर एवं थाना सोनारपुर, कोलकाता–700150, पश्चिम बंगाल	महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर	60,000/– रु.

अनुलग्नक–12

उन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) आय करने का कार्य सौंपा गया है

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	अनुमोदित राशि
	बिहार		
1.	महिला सेवक समाज, आलम मंजिल, शेरपुर, बिहार	दो–दिवसीय पारिवारिक महिला लोक अदालत	30,000/– रु.
2.	नव अंचल, काली स्थान, प्रसाद होमयो हॉल, नूर सराय, बिहार	पारिवारिक महिला लोक अदालत	30,000/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
3.	महिला कल्याण एवं विद्याा विकास समिति, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश	पारिवारिक महिला लोक अदालत	60,000/– रु.

अनुलग्नक–13

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का कथित दुरुपयोग – राष्ट्रीय महिला आयोग का दृष्टिकोण

हाल में बहुत से अभ्यावेदन और साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, दहेज अधिनियम और महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के दुरुपयोग की बात कही गई है। आयोग ने इन अभ्यावेदनों की जांच की है और आयोग का यह विचार है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और अन्य कानून जैसेकि दहेज अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम महत्त्वपूर्ण कानून हैं जो महिलाओं को संरक्षण और कानूनी उपचार उपलब्ध कराते हैं तथा आयोग इस संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें करता हैः इन कानूनों को हलके रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो इनके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकती है।

सिफारिशें:

1. यदि एक ही मामले को शासित करने के लिए विशेष कानून हों तो ऐसे मामलों में उन सभी कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। धारा 498क के अतिरिक्त महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे कानून निर्मित किए गए हैं। यह महसूस किया जाता है कि इन कानूनों में कुछ साझी बातें हैं जिनके बीच समन्वय स्थापित करने तथा इन कानूनों को समान रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

2. एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी यह राय दी कि "कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि ऐसा करना पुलिस अधिकारियों के लिए विधिसम्मत है। किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति विद्यमान होना एक बात है तथा ऐसे अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने का औचित्य एक दूसरी बात है। पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करने के संबंध में अपने कृत्य को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे पुलिस थाने में निरुद्ध करने से उस व्यक्ति के सम्मान और उसके आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। किसी व्यक्ति पर किसी अपराध को करने का आरोप लग जाने मात्र से उसे नेमी रूप में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। **पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकसम्मत होगा कि वह नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के संरक्षण हेतु और संभवतः उसके स्वयं के हित में भी तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न करे जब तक उसे शिकायत की सत्यता और उपयुक्तता के संबंध में पूर्णतः समाधान न हो जाए तथा उसे व्यक्ति के अपराध में शामिल होने और उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता के संबंध में एक उपयुक्त समाधान न हो जाए।"**

3. दुरुपयोग का आरोप समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए यह सलाह दी जाती है कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को डी के बासु के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीआरएल सीडब्लयूपी 539/86 – डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में दिनांक 18.12.96 के अपने निर्णय में कहा है कि **बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति का तभी प्रयोग किया जाए जबकि इस संबंध में जांच के पश्चात शिकायत की उपयुक्तता और उसकी यथार्थता के संबंध में उपयुक्त रूप में समाधान हो जाए तथा व्यक्ति की**

अपराध में संलिप्तता और उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता, इन दोनों ही बातों के बारे में युक्तियुक्त रूप में विश्वास हो जाए। अतः किसी भी वैवाहिक विवाद में सभी मामलों में गिरफ्तार करने की शक्तियों को तत्काल प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं होती। आरंभ में मेल–मिलाप कराने, सोच–विचार करने, संबंधित पक्षों को परामर्श देने आदि जैसे विवाद समाधान तंत्रों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

4. इस संबंध में श्रीमती जसबीर कौर बनाम राज्य सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य) के मामले में 27.07.2006 को निर्णीत दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय डब्ल्यूपी (आपराधिक) संख्या 134/2006 और सीएम संख्या 545/2006 का संदर्भ दिया जा सकता है।

कुटुम्ब–महिला के साथ अपराध प्रकोष्ठ – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 406 और 498 । याचिकाकर्ता ने 'एक्स' के साथ सिख धर्म में प्रचलित अनुष्ठानों के अनुसार विवाह किया – उसने वैवाहिक विवाद के आधार पर अपनी ससुराल का घर छोड़ दिया। 'एक्स' और अपने ससुराल के परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई – याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे पीटने के पश्चात घर से निकाल दिया गया – पुलिस में उस महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद धारा 406/498/434 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया – याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ को समाप्त कर दिया जाए – अतः वर्तमान याचिका दायर की गई है – प्रतिवादी द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि पति के विरुद्ध धारा 406/498/434 के अंतर्गत पहले ही एक मामला दर्ज किया गया था – महिलाओं के विरुद्ध अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठ जैसे पुलिस की अन्य विशेषज्ञताप्राप्त शाखाएं पति पत्नी के बीच पहले विवाद को समाप्त कराना चाहती हैं ताकि वैवाहिक बंधन को टूटने से बचाया जा सके – सीएडब्ल्यू लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता और इसका गठन महिलाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के विशेष प्रयोजनार्थ किया गया है तथा इसके द्वारा महिलाओं के साथ अत्यधिक संवेदनशील होकर व्यवहार किया जाता है – यह पाया गया कि सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों के सृजन में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती – याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय की मुख्य–मुख्य बातें:

रिट याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/496 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया। याचिकाकर्ता ने कुछ अन्य प्रार्थना भी की हैं, जो इस आशय की हैं कि न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया जाए कि पुलिस विभाग में सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ हों और ऐसे प्रकोष्ठ द्वारा संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद उस पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

पाया गया कि – मेरे विचार से महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों का सृजन करके लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है क्योंकि सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों का गठन एक सामाजिक प्रयोजन से किया गया है ताकि महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामले में उनके साथ संवेदनशील होकर व्यवहार किया जाए। सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस की किसी भी अन्य विशेषज्ञताप्राप्त शाखा के अनुरूप है जैसेकि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा आदि, **जहां**

पति पत्नी के बीच पहले विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि वैवाहिक बंधन को टूटने से बचाया जा सके। समाधान कराने के इस प्रयास के विफल हो जाने पर कानून को अपना काम करने दिया जाता है। अतः सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों के सृजन में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।

दिल्ली पुलिस का सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ प्राथमिकी तत्काल दर्ज नहीं करता किंतु पति–पत्नी के बीच समाधान करने के प्रयास आरंभ करता है तथा बिंदु संख्या 6 में दी गई सिफारिश के अध्यधीन इस प्रक्रिया का समान रूप से अनुपालन किया जा सकता है।

आयोग पुलिस थाने में महिला डेस्कों के सृजन तथा जिला स्तर पर कम से कम महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ गठित करने की सिफारिश करता है जो महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों पर विशेष रूप में कार्रवाई करेंगे। वैवाहिक विवादों के मामले में यह सिफारिश की जाती है कि इस संबंध में पहली कार्रवाई परस्पर विरोधी विचारों वाले पति–पत्नी और उनके परिवारों के बीच परामर्श प्रक्रिया का प्रयोग करके सुलह कराने का प्रयास किया जाए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन आरोप दर्ज करने का कार्य तभी किया जाए जबकि इस प्रकार समझाने–बुझाने की प्रक्रिया विफल हो जाए तथा धारा 498क और अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।

5. महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत परिकल्पित परामर्शदात्री तंत्र को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाए तथा पक्षों को परामर्श देने का कार्य केवल व्यावसायिक रूप में योग्यताप्राप्त परामर्शदाताओं द्वारा ही किया जाना चाहिए **न कि पुलिस द्वारा**। पुलिस को सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं का पैनल तैयार करने पर विचार करना चाहिए जिन्हें मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

6. अतः किसी वैवाहिक विवाद की स्थिति में सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं होता कि गिरफ्तारी की शक्ति का तत्काल प्रयोग किया जाए। आरंभ में विवाद निपटान तंत्र का उपयोग किया जा सकता है जैसेकि पति–पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करना, उनके बीच मध्यस्थता करना, उन्हें परामर्श देना आदि। ऐसा करने से आरोपों की सत्यता भी सुनिश्चित हो सकती है।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने चंद्रभान बनाम सरकार के मामले में दिनांक 04.08.2008 को जमानत के आवेदन संख्या 1627/2008 में यह कहा कि "कोई पत्नी महिला प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाए, इससे पहले यह आवश्यक है कि उसे समझाया–बुझाया जाए और समस्या का समाधान कर दिया जाए। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी महिलाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ में एक डेस्क स्थापित करें ताकि सरकारी तंत्र के क्रियाशील होने से पहले ही उसी चरण पर समस्या का उचित रूप में निपटान हो जाए।"

अनुलग्नक–14

विदेश में परित्यक्त महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम में संशोधन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 28.12.2010 के अपने पत्र संख्या 1/18(42)/2010– एनसीडब्ल्यू (एनआरआई) के द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि अपने प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम में कतिपय परिवर्तन लाने पर विचार करे।

"प्रवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित समस्याओं/अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता/पुनर्वास प्रदान करने की स्कीम" विषय पर विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी दिनांक 30.12.2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग के साक्ष्य के पश्चात विदेश में परित्यक्त महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.04.2011 को इस विषय पर हुई अंतर्मंत्रालयीय बैठक में आवश्यक संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। तत्पश्चात प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने संशोधित स्कीम का प्रारूप राष्ट्रीय महिला आयोग के विधिवत अनुमोदन हेतु भेजा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्कीम के संशोधित प्रारूप में उपयुक्त रूप में शामिल किया गया है। मूल स्कीम और स्कीम के संशोधित प्रारूप में निहित उपबंधों का नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है:

स्कीम में पहले से विद्यमान खंड	अंतर्मंत्रालयीय बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन	संशोधित स्कीम का प्रारूप
स्कीम का शीर्षक: अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	अपने प्रवासी भारतीय/ **भारतीय मूल के/विदेशी पतियों** द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	अपने प्रवासी भारतीय/**भारतीय मूल के/विदेशी पतियों** द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की** स्कीम
स्कीम का उद्देश्य: अपने भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त विपदाग्रस्त जरूरतमंद महिला को परामर्श और विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	अपने **प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के/विदेशी** पतियों द्वारा परित्यक्त विपदाग्रस्त जरूरतमंद महिला को परामर्श और विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	अपने **प्रवासी भारतीय पति** द्वारा परित्यक्त विपदाग्रस्त जरूरतमंद महिला को परामर्श और विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

स्कीम में पहले से विद्यमान खंड	अंतर्मंत्रालयीय बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन	संशोधित स्कीम का प्रारूप
प्रवासी भारतीय पद में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक शामिल होंगे।	**परित्याग की परिभाषा शामिल की जाए।**	प्रवासी भारतीय पद में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक/ **भारतीय मूल के व्यक्ति** शामिल होंगे। **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पात्रता के संदर्भ में "परित्याग" शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला जाना, जिसका अभिप्राय फिर से लौटकर आना नहीं हो।**
परामर्श और कानूनी सेवाएं ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिज्ञात ऐसे विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों और गैर–सरकारी संगठनों के जरिए प्रदान की जाएंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में स्थित भारतीय मिशनों के पैनल पर रखे गए हों।	**इस स्कीम का विस्तार खाड़ी और मलेशिया (ईसीआर देशों) के संदर्भ में भी किया जाएगा।**	परामर्श और कानूनी सेवाएं ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिज्ञात ऐसे विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों और गैर–सरकारी संगठनों के जरिए प्रदान की जाएंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, **मलेशिया और** खाड़ी **देशों** में स्थित भारतीय मिशनों के पैनल पर रखे गए हों।
	गैर–सरकारी संगठनों में भारतीय और विदेशी गैर–सरकारी संगठन दोनों ही शामिल किए जाएं।	***गैर–सरकारी संगठनों में भारतीय मिशन/विदेश में स्थित भारतीय पोस्ट के पैनल पर रखे गए स्थानीय गैर–सरकारी संगठन भी शामिल होंगे।**
स्कीम का कार्यक्षेत्रः (i) महिला की शादी भारत में संपन्न हुई हो।	महिला की शादी भारत **या विदेश में भारतीय या विदेशी नागरिक के साथ** संपन्न हुई हो।	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।

स्कीम में पहले से विद्यमान खंड	अंतर्मंत्रालयीय बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन	संशोधित स्कीम का प्रारूप
(ii) महिला को विवाह के पांच वर्ष के भीतर भारत में या विदेश में पहुंचने पर परित्यक्त कर दिया गया हो।	महिला को भारत या **विदेश में विवाह के 15 वर्षों के भीतर** परित्यक्त कर दिया गया हो।	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।
(iii) तलाक की कार्यवाही उसके प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के 5 वर्षों के भीतर शुरू की गई हो।	तलाक की कार्यवाही उसके प्रवासी भारतीय/**भारतीय मूल के/विदेशी पति द्वारा विवाह के 15 वर्षों** के भीतर शुरू की गई हो।	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।
(iv) प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के 10 वर्ष के भीतर एकपक्षीय तलाक ले लिया गया हो और भरण–पोषण/निर्वाह व्यय से संबंधित मामला अभी दायर किया जाना हो।	प्रवासी भारतीय/**भारतीय मूल के/विदेशी पति** द्वारा **विवाह के 20 वर्ष के भीतर** एकपक्षीय तलाक ले लिया गया हो और भरण–पोषण/निर्वाह व्यय से संबंधित मामला अभी दायर किया जाना हो।	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।
(v) यह स्कीम ऐसी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हों या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले से संबंधित निर्णय किया गया हो।	यह स्कीम ऐसी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हों या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले से संबंधित निर्णय किया गया हो, **किंतु बच्चे को भगा ले जाने से संबंधित आपराधिक आरोप इस मामले में अवरोधक नहीं होगा, यदि उस बच्चे की अभिरक्षा का मामला अभी तक निर्णीत न हुआ हो।**	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।
(vi) इस स्कीम के अंतर्गत राहत की मांग कर रही महिला कहां की निवासी है, यह प्रश्न स्कीम के अंतर्गत उसे लाभ प्रदान करने के लिए संगत नहीं है। संबंधित महिला आवेदन करने के समय अपने प्रवासी भारतीय	इस स्कीम के अंतर्गत राहत की मांग कर रही महिला कहां की निवासी है, यह प्रश्न स्कीम के अंतर्गत उसे लाभ प्रदान करने के लिए संगत नहीं है। संबंधित महिला आवेदन करने के समय अपने प्रवासी भारतीय/**भारतीय मूल के/विदेशी पति** के देश	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।

स्कीम में पहले से विद्यमान खंड	अंतर्मंत्रालयीय बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन	संशोधित स्कीम का प्रारूप
पति के देश की निवासी या भारतीय निवासी भी हो सकती है।	की निवासी या भारतीय निवासी भी हो सकती है।	
(vii) उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता भारतीय महिला संगठन/ भारतीय समुदाय की एसोसिएशन/ गैर–सरकारी संगठन द्वारा केवल महिला की ओर से दस्तावेज तैयार करने के लिए और मामले को दायर करने के लिए आरंभिक व्यय और आनुषंगिक खर्चों को पूरा करने के लिए ही प्रदान की जाएगी।	**विदेश में स्थित मिशनों/पोस्टों के प्रमुख द्वारा** सहायता राशि **कानूनी और अन्य** खर्चों को पूरा करने के लिए **संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट के पैनल पर रखे गए आवेदक के कानूनी सलाहकार को सीधे या विदेश में स्थित कानूनी संस्था में महिला की ओर से कार्रवाई करने वाले भारतीय समुदाय की एसोसिएशन/ महिला संगठन/ गैर–सरकारी संगठनों* के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।**	दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।
(viii) सहायता की राशि प्रति मामला 1500 अमेरिकी डालर तक सीमित होगी और संबंधित भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय के संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को जारी की जाएगी ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य प्रकार की तैयारी के लिए कदम उठा सकें।	**देशों का जीवन निर्वाह की लागत के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। विकसित देशों के संबंध में सहायता राशि प्रति मामला 3000 अमेरिकी डालर तक तथा विकासशील देशों के संबंध में प्रति मामला 2000 अमेरिकी डालर तक सीमित की जाए तथा यह राशि आवेदक के ऐसे कानूनी सलाहकार को भी जारी की जाए जो पैनल पर हों।**	सहायता की राशि **विकसित देशों के संबंध में प्रति मामला 3000 अमेरिकी डालर और विकासशील देशों के संबंध में प्रति मामला 2000 अमेरिकी डालर** तक सीमित होगी **और आवेदक के कानूनी सलाहकार जो पैनल पर हों,** संबंधित भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय के संगठनों/**गैर–सरकारी संगठनों*** को **जारी की जाएगी** ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य प्रकार की तैयारी के लिए कदम उठा सकें।

अनुलग्नक–15

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "अनिवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित समस्या" विषय पर 15 फरवरी, 2011 को संपन्न राष्ट्रीय सेमिनार में की गई सिफारिशें

सेमिनार के अंत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं:

1. उन्होंने कहा कि वह जहां कहीं भी गई हैं, उन्होंने वहां लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव देखा है। अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है जबकि इस संबंध में व्यावहारिक कठिनाइयां दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कानून, इसके क्रियान्वयन, अवसरों, मीडिया की भूमिका, सिविल समाज की भूमिका के बारे में बातचीत की।

2. इन सभी के लिए हमें विदेश मंत्रालय को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे 10 या 12 देश हैं, जहां अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में परामर्शदात्री सेवाएं कार्य कर रही हैं और सरकार को इन देशों के साथ मामले को उठाना चाहिए। इंग्लैंड में अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध उत्पन्न समस्याओं पर दो मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा विज्ञापन जारी करने, साहित्य उपलब्ध कराने और पासपोर्ट कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित कराने जैसे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं।

3. मंत्रालय के सहयोग से कानून बनाने और हेग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।

4. संपत्ति संबंधी मामलों से निपटने, महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएं। सामान्यतया अभियुक्त की संपत्ति उसके माता–पिता को अंतरित कर दी जाती है ताकि उस अनिवासी भारतीय की परित्यक्ता पत्नी को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सके। संपत्ति के बंटवारे के संबंध में, अनिवासी भारतीय द्वारा परित्यक्त महिला को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ विदेश मंत्रालय से परामर्श किया जाए।

5. जिन देशों में अनिवासी भारतीय से विवाह के संबंध परामर्शदात्री सेवाएं कार्य कर रही हैं, उनमें पासपोर्ट अधिकारियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। निर्मित किए जाने वाला कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारतीय कानूनों के बीच एक अलग से कानून हो। इसके लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जाए।

6. परित्यक्त अनिवासी भारतीय दुल्हनों द्वारा बच्चों की अभिरक्षा का सामना किया जा रहा है। कानून में उपयुक्त बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है।

7. विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों को अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में उत्पन्न मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए। कुछ राज्यों में राज्य महिला आयोग अस्तित्व में नहीं है। इन राज्यों से अनुरोध किया जाए कि वे राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य महिला आयोग का गठन करें।

8. महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु द्विपक्षीय करार किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा के लिए निर्मित धारा 498क और दहेज अधिनियम अन्य देशों द्वारा स्वीकार किए जाएं तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए। इस समस्या में सुधार हेतु पांच स्तंभ हैं, परित्यक्ता पत्नी को प्राथमिकी दर्ज कराने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप, दोषसिद्धी की दर काफी कम है।

9. गैर–सरकारी संगठनों और सिविल समाज से कुछ व्यावहारिक सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय से यह कहा जाए कि उनके द्वारा कांसुलेट जनरल को अनिवासी भारतीयों से विवाह से संबंधित मामलों से निपटने में संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए कहा जाए।

10. विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में इस संबंध में एसोसिएशन गठित की गई तथा साथ ही इन देशों में स्थित एसोसिएशनों के साथ संबंध विकसित किया जाए।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। चूंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं है, अतः इसे क्रियान्वित नहीं किया जाता। तथापि, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विश्वविद्यालय स्थित अनुसंधान अध्ययन केंद्र में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक इसके लिए संसाधन का प्रश्न है, विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध सामान्य बजट से इसे पूरा किया जा सकता है। महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु निर्धारित निधि से 10 प्रतिशत राशि का आबंटन अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित समस्याओं के निपटान हेतु किया जा सकता है।

12. मीडिया, सिविल समाज, गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में लोगों की मनःस्थिति में बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है। अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित समस्याओं और इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में विचार–विमर्श करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र के साथ 15 दिनों के भीतर बैठक तय की जाएगी।

अनुलग्नक–16

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर 13 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में सुझाए गए कार्य बिंदु/कार्य योजनाएं

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता में 13 दिसंबर, 2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक में सुझाए गए कार्य बिंदु/कार्य योजनाएं

कार्य बिंदु/कार्य योजना

1. स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा, इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करेंगे।

2. स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य प्राधिकारियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर विचार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य मंत्रालय इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सचिव स्तरीय अंतर्मंत्रालयीय समिति का गठन करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गैर–सरकारी संगठनों, राज्य महिला आयोगों और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

4. स्वास्थ्य मंत्रालय के उस परिपत्र की समीक्षा की जाएगी जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जिला समितियों की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाए।

5. फार्म 'एफ' की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए क्योंकि फार्म 'एफ' को अपने पास न रखना अपने आप में ही दोष स्वीकार करने के समान है तथा इस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी करेगा।

6. राज्यों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों में दोषसिद्धियों की संख्या तथा दर्ज की गई अपीलों की संख्या का भी उल्लेख किया जाए।

7. मंत्रालय के गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक प्रकोष्ठ की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की जाए।

8. 'स्वास्थ्य मंत्रालय बालिका बचाओ' विषय पर मीडिया द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों का वित्तपोषण करे। इस अभियान में राष्ट्रीय महिला आयोग अपना सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में प्रचारित संदेश में चिकित्सकों को भी लक्षित किया जाए

ताकि उनमें इस अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 'अपराध भावना' जागृत की जा सके। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता एक खिलाड़ी उदाहरण के लिए साइना नेहवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए।

9. इंटरनेट पर प्रचारित विज्ञापनों सहित अन्य विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए।

10. गृह मंत्रालय से गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका, जिसमें अपराधी को प्रलोभन देकर फसाने हेतु की जाने वाली पुलिस कार्रवाई शामिल है, के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया जाए।

11. आयातित अल्ट्रासाउंड मशीनों का निरीक्षण करने के संबंध में कस्टम अधिकारियों को जारी करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिशानिर्देशों का प्रारूप भी तैयार किया जाए।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जनगणना पंजीयक को आगामी जनगणना के दौरान लिंग अनुपात का विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए एक पत्र भेजा जाए।

13. जन्म पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर इससे संबंधित प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

अनुलग्नक–17

ऐसे मौजूदा कानूनों की सूची जिनसे संबंधित नए कानून/नीतियां निर्मित करने के लिए उनकी समीक्षा की गई तथा संशोधन के सुझाव दिए गए

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम
2. सम्मान और परंपरा के नाम पर अपराध निवारण विधेयक, 2010
3. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
4. वृंदावन में विधवाओं की स्थिति पर अध्ययन
5. वैवाहिक संबंधों का असुधार्य सीमा तक खराब हो जाने को तलाक का एक आधार मामला
6. यौन आक्रमण विधेयक
7. धारा 509ख
8. केंद्रीय प्रायोजित स्कीम